Important Instructions Issued By UPPCL To Discoms

Updated 03.10.19

महत्वपूर्ण आदेश

विद्युत वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश 7

निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु 8

पत्रांक – 96/पीपीएसडीडी/2019, दिनांक –20/9/2019, विवरण–मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशों के सम्बन्ध में 8

पत्रांक –791–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0), दिनांक –11/9/2019, विवरण–निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु भण्डार से सामग्री प्राप्त करने/साइट पर निर्गत करने सम्बंधी निर्देश 10

पत्रांक –1535–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–18–के/2019, दिनांक –29/8/2019, विवरण– ब्रेकडाउन ठीक करने/नियोजित शटडाउन हेतु योग्यता/अनुभव 11

पत्रांक –1828/सीएमयूडी, दिनांक –19/7/2019, विवरण–24X7 प्रकोष्ठ गठित करते हुये वितरण निगम को निर्देश 12

पत्रांक –1766/पाकालि/रेस्पो/पीएफए/ द्विप्र/उ0नि0, दिनांक –27/6/2019, विवरण–33/11 केवी उपकेन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में। 14

पत्रांक –47 पीएसडी(डी)/पीसीएल/2019, दिनांक –1/6/2019, विवरण–प्रत्येक विद्युत वितरण क्षेत्र में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिको की मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला के एजेडा बिन्दु (विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवाओं के सम्बन्ध में) 15

पत्रांक –1245/मु0अ0/सीएमयूडी/ईई–1/विद्युत आपूर्ति, दिनांक –24/5/2019, विवरण–समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के संबंध में 19

पत्रांक –40/पीपीएसडीडी/2019, दिनांक –13/5/2019, विवरण–समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के संबंध में 20

पत्रांक –577/ सी0एम0यू0(डी0), दिनांक –6/3/2019, विवरण–वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर कम करने एवं परिवर्तक कार्यशालाओं के सुचारू संचालन हेतु दिशा निर्देश (गारन्टी अवधि में ट्रांसफार्मर बदले जाने की प्रक्रिया) 21

पत्रांक –106/ सी0एम0यू0(डी0)/विद्युत आपेर्ति/2019, दिनांक –10/1/2019, विवरण–ग्रीष्मकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश 22

दिनांक –7/8/2019, विवरण– मासिक समीक्षा बैठक में अध्यक्ष उ0 प्र0 पाकालि की अध्यक्षता में दीपावली के पूर्व वितरण परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग कराये जाने के सन्दर्भ में दिशा – निर्देश 23

मा0 सांसदो/विधायको से सम्पर्क एवं वितरण क्षेत्र में कार्यशाला आयोजन 24

पत्रांक –2510/सीएमयूडी/2019, दिनांक –24/9/2019, विवरण–मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जिले में कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में 24

पत्रांक –2430–सीएमयू(डी)/2019, दिनांक –13/9/2019, विवरण–मा0 ऊर्जा मंत्री के निर्देशो के अनुपालन में मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कार्यशाला आयोजन हेतु निर्देश (आदर्श उपकेंद्र, विद्युत तंत्र की जानकारी, वितरण परिवर्तक बैलेंसिंग तथा सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों का निराकरण) 26

पत्रांक –1890/रेस्पो/सं0कार्य समिति/2019, दिनांक –19/6/2019, विवरण–डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा मा0 सासदों/मा0 विधायको से सम्पर्क करने की सूचना 29

विद्युत दुर्घटना रोकने एवं सुरक्षा हेतु 31

पत्रांक – 1406/चौबीस–पी–3–2019, मुख्य सचिव द्वारा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों तथा सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में जारी निर्देश 31

पत्रांक –2519/रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल, दिनांक –25/7/2019, विवरण–सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा हेतु गठित समिति की संस्तुति का क्रियान्वन 33

पत्रांक –1790/सीएमयूडी/विद्युत संरक्षा/2019, दिनांक –15/7/2019, विवरण–एच0टी0 एवं एल0टी0 लाइनों तथा 33/11 केवी उपकन्द्रों पर सुरक्षा मानको का अनुपालन 38

निजी नलकूप 41

पत्रांक –2702/रेस्पा/ग्रा0वि0, दिनांक –6/8/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन एवं अन्य समस्त स्थानों में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश 41

पत्रांक –2140/रेस्पो/ तक0/नलकूप, दिनांक –31/7/2019, विवरण–नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु प्राथमिकता निर्धारण के दिशा–निर्देश 42

पत्रांक –2529/रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –26/7/2019, विवरण–अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन एवं अन्य समस्त स्थानों में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश 44

पत्रांक –1864 रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –19/6/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश 45

पत्रांक –1253/ सी0एम0यू0(डी0)/ईई–3/वितरण, दिनांक –27/5/2019, विवरण–निजी नलकूपों के अधिभारित वितरण परिवर्तक के सम्बन्ध में 47

पत्रांक –1252/ सी0एम0यू0(डी0)/ईई–3/वितरण, दिनांक –27/5/2019, विवरण–निजी नलकूपों के अधिभारित वितरण परिवर्तक के सम्बन्ध में 48

पत्रांक –820–रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –7/3/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु 49

पत्रांक –3864 रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –12/6/2018, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु 50

भूमिगत केबिल 52

पत्रांक –3253/रेस्पा/द्वि0प्र0/भूमिगत केबलिंग, दिनांक –25/9/2019, विवरण–भूमिगत केबिलिंग के कार्यों के सम्पादन, अनुरक्षण एवं ब्रेकडाउन मैनेजमेंट हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश 52

आपूर्तित उपकरणों की गुणवत्ता 54

पत्रांक –2905/रेस्पो/ग्रा0वि0/शि0–1, दिनांक –29/5/2019, विवरण–विभिन्न योजनाओं (आई.पी.डी.एस, डी,डी,यू.जी,जे,वाई, 11वीं, 12वीं, नवीन, सौभाग्य, बिजनेस प्लान एवं आरईसी/पी,एफ,सी से ऋण) के अन्तर्गत में प्रयुक्त ए0बी0 केबिल विवरण तथा लाभान्वित होन वाले उपभोक्ताओं के संबंध में 54

अविकसित कालोनी के विद्युतीकरण, बांस बल्लियों द्वारा निर्गत संयोजन के नियमितीकरण, जर्जर तार एवं सयोजन निर्गमन 56

पत्रांक –2870 /रेस्पो/ , दिनांक –26/8/2019, विवरण– बाँस बल्लियों द्वारा दिये गये संयोजनों के नियमितीकरण हेतु मानक एवं धनराशि व्यवस्था 56

पत्रांक –1302–कार्य/चौदह–पा.का.लि./2019–3के.वी./95, दिनांक –25/7/2019, विवरण– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रचलित योजनाओ हेतु सुपरविजन चार्जेस के संदर्भ में 57

पत्रांक –441 /रेस्पो / बांस बल्ली , दिनांक –6/2/2019, विवरण– बाँस बल्लियों द्वारा दिये गये संयोजनों के नियमितीकरण हेतु मानक एवं धनराशि व्यवस्था 58

पत्रांक –3208/रेस्पो/सौभाग्य, दिनांक –15/10/2018, विवरण–प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरों को विभिन्न योजनाआ में संयोजन निर्गत करके विषयक दिशा–निर्देश 61

ए0बी0 केबिल 64

पत्रांक –1493/रेस्पो/पी0एफ0ए0, दिनांक –5/9/2019, विवरण–अधिक ए०टी० एण्ड सी० हानियों वाले चिन्हित शहरी क्षेत्रों में ए०बी० केबल लगाये जाने के कार्यों की प्उचंबज त्मचवतज 64

कैपेसिटर बैंक 67

पत्रांक –2439/रेस्पो/द्वि०प्र०/कैपेसिटर, दिनांक –19/7/2019, विवरण–33/11 के०वी० उपकेन्द्रों पर स्थापित कैपेसिटर बैंक के वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में 67

कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश 68

आउटसोर्स एजेन्सी के कार्मिकों से सम्बंधित निर्देश 69

पत्रांक –2693–औ0सं0/2019 , दिनांक –05–08–2019 , विवरण–आउटसोर्स एजेन्सी के कार्मिकों को भुगतान के सबंध मे समय सारणी। 69

पत्रांक –2628–(ए)–औ0सं0/2019, दिनांक –01–08–2019 , विवरण–आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रो–लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों को ससमय मजदरी भुगतान, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 /दुर्घटना बीमा अंशदान जमा कराने एंव सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के सबंध में । 71

पत्रांक –425/पी0एस0सीएच0/पाकालि0/2018 , दिनांक –16–11–2018, विवरण–आउर्टसोर्सिंग के माध्यम से सेवाये उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों के बिलों का समय से भुगतान न किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण 73

पत्रांक –1100–औ0स0–2018, दिनांक –07–05–2018, विवरण–बाह्य सेवा प्रदाता आउटसोर्सिंग (ठेकेदारों एवं सविदाकारो) द्वारा उपकेन्द्रो–लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्यो में नियोजित सविंदा श्रमिकों के वेतन भुगतान, ई0पी0एफ0, खाते में जमा किए गये अंशदान एवं श्रम कानूनो का पालन किए जाने के सबंध में 74

विद्युतीय दुर्घटना की स्थिति में क्षतिपूर्ति एवं सुरक्षा मानकों के सम्बन्ध में निर्देश 75

क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण 75

पत्रांक – 1790/सीएमयूडी/ विद्युत सुरक्षा/2019, दिनांक –15–07–2019, विवरण– सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु निर्देश 77

पत्रांक –402–औ0सं0/2019–19(125)ए0एस0/01, दिनांक –21–02–2019, विवरण–विद्युतीय दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति /मुआवजा दिये जाने हेतु नीति–निर्धारण विषयक 79

पत्रांक –4004–औ0सं0/2018 , दिनांक –06–10–2018, विवरण–विद्युतीय दुर्घटना में मृत एवं घायल बहरी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सबंध में 81

पत्रांक –2269–औ0सं0/2017, दिनांक –01–05–2017, विवरण–बाहृय सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाईनो के अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यो हेतु नियोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिको की घातक विद्युत दुर्घटना/मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किए जाने के सबंध में 96

पत्रांक – 4095–औसं/2016–19(125))ए0एस0/2001, दिनांक –13–10–2016, विवरण– बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की विद्युतीय दुर्घटना से अपंगता पर अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में 98

वाणिज्य प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश 100

जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी 101

पत्रांक–136/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–23–05–2019, विवरण–अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर से नियमित अनुश्रवण हेतु चिन्हित महत्वपूर्ण बिन्दु के संदर्भ में। 101

ग्रामीण क्षेत्रों मे उपभोक्ता सहायता शिविर 103

पत्रांक–797/स्टॉफ ऑफिसर/(स0अ0)पाकालि/2019, दिनांक–28–09–2019, विवरण–ग्रामीण क्षेत्रों में टर्नअप बढ़ाने हेतु अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत के प्रमुख स्तार पर 03.10.2019 से ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में। 103

बड़े उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली 105

पत्रांक–405/पी0एस0सी0एच0/19, दिनांक–07–09–2019, विवरण–बड़े भार वाले विद्युत उपभोक्ताओ के विद्युत बिलो के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर उत्तर दायित्व निर्धारण 105

तकनीशियन विद्युत प्रभारी 107

पत्रांक–794–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0), दिनांक–11–09–2019, विवरण–तकनीशियन विद्युत को वाणिज्यिक कार्यों हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में। 107

विद्युत विच्छेदन अभियान 108

पत्रांक–695/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019, दिनांक–27–08–2019, विवरण–प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को समस्त डिस्काम के सभी खण्डों में विद्युत बकायेदारों से वसूली अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में। 108

मीटर न उतारने के सम्बन्ध में 110

पत्रांक–311/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–।, दिनांक–01–10–2019, विवरण–अस्थायी असंयोजन (Temporary Disconnection) की स्थिति में मीटर न उतारने के सम्बन्ध में। 110

बिलिंग 111

बिलिंग लक्ष्य 111

पत्रांक–454/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019, दिनांक–24–06–2019, विवरण–उदय टर्न अराउण्ड प्लान के अन्तर्गत बिलिंग एजेन्सी के कार्य की प्रगति, बिलिंग गुणवत्ता एवं उपभोक्ता टर्नअप की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में। 111

बिलिंग कैलेण्डर 114

पत्रांक–310/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019, दिनांक–04–05–2019, विवरण–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 एवं नान आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र की मासिक बिलिंग शिड्यूंल 114

अकाउन्टेबिलिटी मेट्रिक्स 115

पत्रांक–742/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019, दिनांक–11–09–2019, विवरण–वित्तीय वर्ष 2019–20 में अगस्त माह से राजस्व सम्बन्धित अनुश्रवण हेतु अकाउन्टेबिल मेट्रिक्स के सम्बन्ध में। 115

उपखण्ड का निरीक्षण 117

पत्रांक–56/पीएसडी(डी)पीसीएल/2019, दिनांक–27–07–2018, विवरण–वितरण उपखण्डों में उपभोक्ता सेवा, विद्युत आपूर्ती आदि से सम्बन्धित अभिलेखों के रख रखाव के व्यवस्था के सम्बन्ध में। 117

विद्युत आपूर्ती तथा उपभोक्ता सेवाओं के सम्बन्ध में कार्यशाला 135

पत्रांक–47/पीएसडी(डी)पीसीएल/2019, दिनांक–01–06–2019, विवरण–दिनांक 10 जून 2019 या उससे पूर्व प्रत्येक विद्युत वितरण जोन में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिकों की क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला। 135

रेड्स सम्बन्धी 140

रेड्स प्रकरणों में एसेसमण्ट एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व 140

पत्रांक–285/मु0अभि0(वा0–2/रेड/19, दिनांक–13–09–2019, विवरण–रेड्स प्रकरणों में एसेसमेण्ट एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण। 140

विद्युत चोरी उपरांत अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने 141

पत्रांक–783/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–08–08–2019, विवरण– क्षेत्रीय अधिकारिओं द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध रेड्स की कार्यवाही उपरांत निर्धारित समयनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में 141

१ कि०वा० तक के चोरी में २००० रु० समन शुल्क 142

पत्रांक–7142/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–22–11–2018, विवरण–१ कि०वा० तक के विद्युत चोरी के प्रकरणों में २००० रु० समन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में 142

विद्युत चोरी की वीडियोग्राफी करने हेतु 146

पत्रांक–369/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–06–10–2018, विवरण– विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान की गयी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराये जाने के सम्बन्ध में 146

मां० ऊर्जा मंत्री के आदेशों का पालन 151

पत्रांक–635/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–05–10–2018, विवरण– मां० ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में 151

विद्युत चोरी के प्रकरणों 154

पत्रांक–539/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–01–09–2018, विवरण– विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में 154

उपभोक्ताओं के एच०वी० मीटरिंग की सुरक्षा 156

पत्रांक–407/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–13–07–2018, विवरण– उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटरिंग इक्युपमेंट की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में 156

रेट शेड्यूल लागू करने 157

पत्रांक–281/एचसी/टैरिफ/2019, दिनांक–07–09–2019, विवरण–मा0 नियामक आयोग के आदेश दिनांक 03.09.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए घोषित रेट शेड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में। 157

संशोधित सुगम संशोधन योजना 159

पत्रांक–2728/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–08–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के संशोधित सुगम संशोधन योजना 159

झटपट योजना 164

पत्रांक–587/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–01–07–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित 'झटपट संयोजन पोर्टल पर संयोजन के लिए आवश्यक अभिलेखों को आवेदक द्वारा नहीं अपलोड करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा क्वेरी रेज़ किये जाने के सम्बन्ध में। 164

पत्रांक–707/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा)/सी0यू0–2/झटपट योजना, दिनांक–15–06–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित 'झटपट संयोजन' पोर्टल द्वारा निर्गत किये जाने हेतु डिस्कॉमवार व खण्डवार लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में। 167

पत्रांक–523/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–04–2019, विवरण–झटपट संयोजन पोर्टल की Applicability एवं SOP (Standard Operating Procedure के सम्बन्ध में। 169

निवेश मित्र 174

पत्रांक–88/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–08–02–2019, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करानेके सम्बन्ध में। 174

पत्रांक–293/24–पी–3–2019, दिनांक–05–02–2019, विवरण–मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय द्वारा निवेश मित्र पोर्अल के बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाहीके सम्बन्ध में। 179

पत्रांक–104/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–23–01–2019, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं उपलब्ध कराने की लंक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। 181

पत्रांक–68/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–15–01–2019, विवरण–डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग पत्र पर करने हेतु साफ्टवेयर एपलीकेशन के सम्बन्ध में। 182

पत्रांक–507/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–21–12–2018, विवरण–निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में। 183

पत्रांक–500/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–18–12–2018, विवरण–औद्योगिक निवेशकों हेतु पहचान पत्र अपलोड करने के सम्बन्ध मूें। 184

पत्रांक–734/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–18–12–2018, विवरण–उद्योग बन्धु के पत्र सं0 3347 के अन्तर्गत संस्तुति सं0 50 के अनुपालन के सम्बन्ध में। 185

पत्रांक–3347/1484/उद्योग बन्धु, दिनांक–17–12–2018, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में। 187

पत्रांक–468/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–30–11–2018, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के तीन आंशिक रूप से मुख्य बिन्दुओं सं0 48,49 एवं 50 पर कार्यवाही हेतु सूचना। 188

पत्रांक–457/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–11–2018, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध/Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में। 190

पत्रांक–456/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–09–2019, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में। 191

पत्रांक–347/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–05–09–2018, विवरण–सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) पर औद्योगिक विद्युत संयोजन को ऑनलाईन निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत। 193

पत्रांक–262/पीएससीएच/18, दिनांक–17–07–2019, विवरण–मा0 प्रधानमत्री भारत सरकार द्वारा निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारम्भ तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में। 195

पत्रांक–458/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–14–05–2019, विवरण–औद्योगिक संयोजनों हेतु विकसित निवेश मित्र पोर्टल (उ0प्र0) के पभावी क्रयान्वयन हेतु दिशा निर्देश। 196

पत्रांक–1488/77–6–18–08 (एम)/2012 टी.सी.8(कैबिनेट), दिनांक–, विवरण–सिंगल विंडो पोर्टल को प्रवेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत। 197

प्री–पेड मीटर 206

पत्रांक–288/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–17–09–2019, विवरण–गाजियाबाद तथा लखनऊ के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों पर प्री–पेड मीटर के स्थापना का कार्य 31.12.2019 तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में। 206

पत्रांक–395/पीएससीएच/19, दिनांक–31–08–2019, विवरण–मा0 ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कार्य योजना के उपरान्त लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में। 207

पत्रांक–216/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–10–07–2017, विवरण–प्री–पेड मीटर सरकारी कार्यालयों, कॉलोनियों एवं मोबाईल टॉवरों के विद्युत संयोजनों पर प्री–पेड मीटरों के सीपना के सम्बन्ध में। 209

एनर्जी ऑडिट सेल 210

विलेज फीडर मैपिंग पोर्टल 210

पत्रांक–579/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए , दिनांक–15–05–2019, विवरण– विलेज फीडर मैपिंग पोर्टल पर गाँव तथा फीडर की मैपिंग करवाने हेतु 210

सब–स्टेशन डैशबोर्ड द्वारा अनुश्रवण 215

पत्रांक–257/स्टाफ०ऑफि०/स०अ०/पाकालि/2019, दिनांक–01–05–2019, विवरण– सब–स्टेशन डैशबोर्ड द्वारा अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में 215

बड़े उपभोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण 224

पत्रांक–213/एस०इ०ए०सी०/पाकालि/18, दिनांक–30–03–2019, विवरण– बड़े उपभोक्ताओं के परिसर का सयुंक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में 224

एच०वी० ऑडिट सेल एवं रेड द्वारा १० कि०वा० से अधिक संयोजनों का सघन अनुश्रवण 226

पत्रांक–629/ स्टाफ०ऑफि०/स०अ०/पाकालि/2018, दिनांक–27–08–2018, विवरण– एच०वी० ऑडिट सेल एवं रेड सेल के दायित्वों एवं कर्तव्यों को विस्तारित कर 10 कि०वा० व अधिक संयोजनों का सघन अनुश्रवण 226

डिस्कॉम स्तर पर एच०वी० ऑडिट सेल का गठन 228

पत्रांक–489/ स्टाफ०ऑफि०/स०अ०/पाकालि /2018, दिनांक–23–07–2018, विवरण– डिस्कॉम स्तर पर केंद्रीयकृत एच०वी० ऑडिट सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में 228

गौशाला एवं मठ पर रेट शेड्यूल 230

पत्रांक–280/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–20–12–2018, विवरण–गौशाला एवं मठ पर रेट शेड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में। 230

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विद्युत वितरण के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष 0522–2287804, ई–मेल : aduppcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0: 96 /पीपीएसडीडी/2019 दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय: मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निदेशों के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 20.09.2019 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा वितरण स्कन्ध की समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का कड़ायी से पालन हेतु निर्देशित किया गया है–

- मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा विभिन्न जनपदों का दौरा किया गया, जिसमें यह संज्ञानित हुआ कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतें स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। विद्युत आपूर्ति के अनुश्रवण में यह पाया गया कि जनपद के कुछ 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों की 33 के0वी0 अथवा 11 के0वी0 फीडरों पर विभिन्न कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता है तथा इनसे संबंधित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति का दृष्टांत लेकर अवगत कराया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रहती है। इस प्रकार के प्रकरणों में संज्ञान में यह कमी पायी गयी है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/उपखण्डाधिकारी जनपद से संबंधित मा0 जनप्रतिनिधियों को आपूर्ति व्यवधान के कारणों से अवगत नहीं कराते हैं। विगत में अनेकों बार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से आदेश निर्गत किये गये हैं कि उपरोक्त अधिकारी संबंधित मा0 जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहें एवं समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। विद्युत आपूर्ति में लगातार व्यवधान वाले **जनपदों में डिस्काम स्तर के निदेशक अथवा मुख्य अभियंता जनपद का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण करें तथा कारणों की समीक्षा करके विद्युत आपूर्ति सामान्य कराया जाना सुनिश्चित करें।**
- लगभग प्रत्येक भ्रमण में जनप्रतिनिधियों एवं जनता द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि अवर अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता तक फोन रिसीव नहीं किया जाता है अथवा फोन रिसीव करने पर व्यवहारकुशल तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है। इस संबंध में भी पूर्व में निर्देश दिये गये है कि समस्त अधिकारी एवं अवर अभियंता मा0 जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नम्बर सुरक्षित करके रखें तथा फोन रिसीव करके उचित उत्तर दें।
- दिनांक 18 व 19 सितम्बर को मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा बरेली जनपद का दौरा किया गया जिसमें संयोजन समय से न देने, 2–3 माह के एरियर पर मीटर उखाड़ने की शिकायतें बहुतायत में की गयी, यह अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है तथा इसमें समय से संयोजन देने एवं लम्बे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं, जिनकी पी0डी0 किया जाना आवश्यक हो गया हो, का ही मीटर एवं केबिल उखाड़ने की कार्यवाही की जाये।

कारपोरेशन के पत्र सं0 2430 दिनांक 13.09.2019, जो आपको भी पृष्ठांकित है, में निहित निर्देशों द्वारा मुख्य अभियंताओं को 10 दिनों में उनके क्षेत्राधीन समस्त जनपदों में कार्यशालायें आयोजित करके अवर अभियंता स्तर तक, स्थापित वितरण विद्युत तंत्र, विद्युत तंत्र का सुचारू परिचालन, उपभोक्ताओं से संबंधित

वाणिज्यिक वितरण एवं कार्य तथा जनसाधारण की समस्याओ/शिकायतो के सम्बन्ध में सम्यक जानकारी तथा की जाने वाल कार्यवाही से अवगत कराना है। कार्यशाला आयोजन की जनपदवार आख्या मुख्य अभियंताओ द्वारा डिस्काम मुख्यालय तथा कारपोरेशन के सीएमयूडी स्कन्ध में प्रेषित की जानी है, जिसमे कुल प्रतिभाग किये जाने वाले सदस्यो के सापेक्ष कितने लोगो ने प्रतिभाग किया, वितरण, वाणिज्यिक एवं सोशल मीडिया से संबंधित आख्या एवं प्रतिभाग करने वाले सदस्यो द्वारा दिये गये फीडबैक सम्मिलित हो। कृपया मुख्य अभियंताओ द्वारा जनपदवार आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओ के दिनांक का विवरण अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें तथा समस्त आख्याऐं दिनांक 30.09.2019 तक अवश्य उपलब्ध करा दे, जिसका अवलोकन मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा किया जाना है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी के भ्रमण के दौरान जनपद से संबंधित कार्यशालाओं के बारे मे भी विस्तृत जानकारी ली जायेगी।

Aparna.U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), समस्त वितरण निगम लि0।
3. मुख्य अभियंता, सीएमयू(डी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –791–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0), दिनांक –11/9/2019, विवरण–निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु भण्डार से सामग्री प्राप्त करने/साइट पर निर्गत करने सम्बंधी निर्देश

5-6

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं0–791–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0) दिनाँक :/1.09. 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा एवं
केस्को कानपुर।

11272/MD/19
13-09-19

विषयः–विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु अपरिहार्य परिस्थिति में तकनीशियन विद्युत को भण्डार से सामग्री प्राप्त करने/साइट पर निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

DIR (Distt)

कारपोरेशन स्तर पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में विभिन्न डिस्कामों के अन्तर्गत कार्यरत तकनीशियन विद्युत जिन्होंने तकनीशियन के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को भण्डार से सामग्री प्राप्त करने/साइट पर निर्गत करने से संबंधित समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत किए गए तकनीशियन विद्युत प्राप्त/निर्गत की गयी सामग्री का माप पुस्तिका में मापन करते हुए लेखा–जोखा ससमय संबंधित उपखण्ड अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उपखण्ड अधिकारी उक्त सामग्री का लेखांकन सुनिश्चित करायेंगे।

13 Managing Director
U.P.P.C.L.

संबंधित अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल परिस्थिता एवं उपयोगिता के आधार पर उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु यथा आवश्यकतानुसार तकनीशियन विद्युत को एक बार में अधिकतम तीन माह हेतु ही अधिकृत कर सकेंगे।

Seen
MD

3007
16.09.2019

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 791–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक/का0प्र0एवं प्रशा0/वित्त/वाणिज्य/वितरण/कारपो0 प्ला0, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, का0प्र0एवंप्रशा0/वित्त/वाणिज्य/तकनीकी, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा एवं निदेशक तकनीकी, केस्को कानपुर।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) जोन, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद–वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महाप्रबंधक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत भण्डार मण्डल), पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/ मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
12.9.19
ES CMUD
EE PPA
Seen

अधीक्षण अभि0–I/II/III/IV
अधिशासी अभि0–I/II/III/IV/V

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

मुख्य अभियन्ता
सी0एम0यू0(डी0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

पत्रांक –1535–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–18–के/2019, दिनांक –29/8/2019, विवरण– ब्रेकडाउन ठीक करने/नियोजित शटडाउन हेतु योग्यता/अनुभव

5-5

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–1535–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–18–के/2019 दिनांक: 29.8.2019

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी समस्त वितरण निगमों तथा केस्को, कानपुर में नियमित तकनीशियन लाइन (पूर्ववर्ती पदनाम टी0जी0–2) कार्मिकों के अभाव में विद्युतीय व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु एल0टी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों के नियोजित शटडाउन अथवा ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए बाह्य एजेंसियों के द्वारा आपूर्तित निम्नलिखित कर्मियों को शटडाउन दिये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है :–

1. वायरमैन/इलेक्ट्रीशियन/लाइनमैन ट्रेड में द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यवसायिक प्रमाण पत्र (NCVT/SCVT) धारक हों। अथवा

2. विद्युत प्रणाली पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले उन कर्मियों को जिन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार के सहभागी पावर सेक्टर स्किल काउंसिल (PSSC) के रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन जॉब रोल का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

अध्यक्ष

संख्या :1535–(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2019 तद्दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव–I/II/III, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
10. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

अधीक्षण अभि0–I/II/III/IV
अधिशासी अभि0–I/II/III/IV/V

मुख्य अभियन्ता
सी0एम0यू0(डी0)

पत्रांक –1828/सीएमयूडी, दिनांक –19/7/2019, विवरण–24x7 प्रकोष्ठ गठित करते हुये वितरण निगम को निर्देश

5-8

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता
नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
चतुर्थ तल, शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

टेलीफोन: 0522-2218
फैक्स : 0522-2218417
ई मेल : cmuduppel@gmail.com
CIN- U32201UP1999SGC0249

पत्रांक: 1828/सीएमयूडी /

दिनांक: 19 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 1806/सीएमयूडी दि0 17.07.2019 को अवक्रमित करते हुये एतद्द्वारा उ0प्र0पा0का0लि0 स्तर पर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के विशेष अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु **'24X7 प्रकोष्ठ'** गठित करते हुये प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0 की अध्यक्षता में निम्नवत् 'टास्क फोर्स' गठित की जाती है:–

1. श्री विजय कुमार, निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0– सदस्य।
2. मुख्य अभियन्ता, सी0एम0यू0(डी0), उ0प्र0पा0का0लि0–पदेन सदस्य सचिव।
3. श्री अवकाश सक्सेना, सम्बद्ध सलाहकार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0–सदस्य।
4. श्री मधुप श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता,सम्बद्ध निदेशक(का0प्र0एवंप्रशा0)पा0का0लि0–सदस्य।
5. श्री आर0एस0 आर्या,अधीक्षण अभियन्ता, सी0एम0यू0(डी0), उ0प्र0पा0का0लि0–सदस्य।
6. श्री पी0सी0पंत,अधिशासी अभियन्ता,सम्बद्ध प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0पा0का0लि0–सदस्य।
7. श्री के0के0कनौजिया, अधिशासी अभियन्ता,सी0एम0यू0(डी),उ0प्र0पा0का0लि0–सदस्य।
8. श्री अतुल मौर्या, सहायक अभियन्ता, (आई0टी0 सेल), उ0प्र0पा0का0लि0–सदस्य।

उपरोक्त टास्क फोर्स, प्रदेश की विद्युत आपूर्ति के अनुश्रवण हेतु संलग्नक 'क' के 11 बिन्दुओं के अनुसार की गई कार्यवाही का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगी।

आज्ञा से

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ।
4. निजी सचिव, निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पाकालि।
5. प्रबन्ध निदेशक,मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वांचल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।
6. श्री अवकाश सक्सेना, सम्बद्ध सलाहकार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि।
7. मुख्य अभियन्ता, सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पाकालि।
8. श्री मधुप श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पाकालि।
9. श्री आर0एस0 आर्या, अधीक्षण अभियन्ता, सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पाकालि।
10. श्री पी0सी0 पन्त, अधि0अभि0, सम्बद्ध, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि।
11. श्री कृष्ण कुमार कनौजिया, अधि0अभि0, सी0एम0यू0डी0, उ0प्र0 पाकालि।
12. श्री अतुल मौर्या, सहायक अभियन्ता, (आई0टी0सेल), उ0प्र0 पाकालि।

19/7

(पी0 पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता

संलग्नक–'क'

1. 11 के0वी0 फीडारों पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा।
2. चयनित महानगरों (वर्तमान में आठ) में मॉडम आधारित स्थिति के अनुसार विद्युत आपूर्ति की दैनिक समीक्षा।
3. उन जनपदों को चिन्हित कर गहन अनुश्रवण करना जहॉ गैर कृषि 11 के0वी0 फीडरों पर विद्युत आपूर्ति रोस्टर के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से अधिक खराब चल रही है।
4. चयनित मुख्य नगरों में अभियान चलाकर अगले एक माह के भीतर मॉडम आधारित डेटा को 95 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर लाना।
5. प्रदेश के सभी 11 के0वी0 फीडरों पर मॉडम की स्थापना पूर्ण कराकर 01 सितम्बर, 2019 से विद्युत आपूर्ति का अनुश्रवण मॉडम आधारित डेटा के आधार पर करना।
6. विभिन्न जनपदों में खराब परिवर्तकों की समय–सीमा में बदले जाने की समीक्षा।
7. उपरोक्त बिन्दु पर समीक्षा के लिये टास्क फोर्स द्वारा मा0 ऊर्जा मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त फीडबैक पर विशेष समीक्षा।
8. विद्युत व्यवधान को कम करने के लिये समय समय पर शट् डाउन दिये जाने की नीति का निर्धारण और उसका कियान्वयन।
9. प्रारम्भ में प्रमुख नगरों हेतु हाट लाइन मेन्टीनेन्स की व्यवस्था लागू करना।
10. उत्तर प्रदेश शासन को वर्ष 2019–20 के लिये भेजी गयी कार्ययोजना में ब्रेकडाउन की शीघ्र अटेन्ड करने के लिये अण्डर ग्राउण्ड फाल्ट लोकेटर, क्विक रिऐक्शन टीम का डिप्लॉयमेन्ट तथा चयनित प्रमुख नगरों में रात्रि के समय विशेष गैंगो का डिप्लॉयमेन्ट।
11. आई0आई0टी0 कानपुर तथा अन्य संगत संस्थानों से अण्डर ग्राउण्ड केबिल में आये दोषों को शीघ्र चिन्हित करने की व्यवस्था कराना।

पत्रांक –1766/पाकालि/रेस्पो/पीएफए/ द्विप्र/उ0नि0, दिनांक –27/6/2019, विवरण–33/11 केवी उपकेन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में।

विजय कुमार
निदेशक (वितरण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

संख्या 1766 /पा.का.लि./रेस्पो/पीएफए/द्विप्र/उ0नि0 दिनांक: जून 27, 2018

विषय : 33/11 केवी उपकेन्द्रों के निरीक्षण के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वान्चल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।

कृपया अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1404/ईडी–पीएफए दिनांक 23.05.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों के निरीक्षण का प्रारूप प्रेषित किया गया है। इसी क्रम में प्रारूप के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं को भी निरीक्षण आख्या में सम्मिलित करने का कष्ट करें (संशोधित प्रारूप संलग्नक):

1. विद्युत उपकेन्द्रों से जोड़ित समस्त उपभोक्ताओं की संख्या की उपलब्धता।
2. सौभाग्य योजना में दिये गये नये विद्युत संयोजनों का विवरण।
3. संपूर्ण विद्युत बकायेदारों का विवरण।
4. विद्युत चोरी एवं पायी गयी अन्य अनियमितताओं का विवरण।
5. विद्युत बकाये पर विच्छेदित किये गये उपभोक्ता का विवरण।
6. विद्युत उपकेन्द्र पर नियुक्त निगमीय / संविदा कर्मी, उपकेन्द्र परिचालक (एस0एस0ओ0) का विवरण।
7. विद्युत उपकेन्द्र पर टेलीफोन, कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति का विवरण।
8. अनुरक्षण कार्य हेतु निगमीय / संविदा कर्मियों का विवरण।
9. समस्त संविदा कर्मियों का पहचान पत्र (आई0कार्ड) जारी करने का विवरण।

संलग्नक: यथोपरि।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

संख्या 1766 /पा.का.लि./रेस्पो/पीएफए/द्विप्र/उ0नि0 तद्दिनांक 27.06.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2 निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3 निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वान्चल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।
4 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), ...क्षेत्र

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

पत्रांक –47 पीएसडी(डी)/पीसीएल/2019, दिनांक –1/6/2019, विवरण–प्रत्येक विद्युत वितरण क्षेत्र में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिको की मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला के एजेडां बिन्दु (विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता सेवाओं के सम्बन्ध में)

आलोक कुमार
आई०ए०एस०
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
ई मेल – chairmanuppcl@gmail.com
: 0522–2287827 (O)
(फैक्स) : 0522–2287785

सं0– 47 पीएसडी(डी)/पीसीएल/2019 दिनांक – 1.6.2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

विषयः– **दिनॉक 10 जून, 2019 या उससे पूर्व प्रत्येक विद्युत वितरण जोन में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिकों की क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला।**

महोदय,

माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनॉक 31 मई, 2019 को शक्ति भवन (मुख्यालय) पर सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर उपरोक्त विषय के अनुसार प्रत्येक वितरण जोन में एक कार्यशाला अवश्य आयोजित कराई जाय। इस सम्बन्ध में कार्यशाला के लिए महत्वपूर्ण एजेण्डा बिन्दुओं की सूची संलग्न है:–

(अ) **विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु:**

(1) मा0 ऊर्जा मंत्री के ट्वीटर हैन्डिल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण के साथ सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का संज्ञान एवं निराकरण।

(2) नोडल अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा पारेषण विंग से सम्पर्क करना तथा आवश्यक कार्यों की सूची बनाते हुए कार्यवाही किया जाना।

(3) अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) क्षेत्र के मा0 सांसद से, सप्ताह में एक बार अधिशासी अभियन्ता (वितरण) मा0 विधायक से 15 दिन में एक बार सम्पर्क करेगें तथा उप–खण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहना सुनिश्चित किया जाय।

(4) विशेषकर उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता स्तर पर उपभोक्ताओं से अच्छा आचरण तथा उनकी शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(5) सुनिश्चित किया जाय कि शहरी क्षेत्रों में प्रति उपकेन्द्र एक अवर अभियन्ता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम दो उपकेन्द्रों के सापेक्ष एक अवर अभियन्ता की यथा आवश्यक तैनाती हो।

(6) आम रास्तो पर दुर्घटना रोकने के लिए विद्युत लाइनों की clearance सुनिश्चित किया जाना।

(7) पोषकवार ट्रिपिंग की स्थिति की समीक्षा ।

(8) स्थापित परिवर्तकों के अनुरक्षण एवं क्षतिग्रस्तता की स्थिति तथा एक ही स्थान पर बार–बार क्षतिग्रस्त होने वाले परिवर्तक की समीक्षा की जाय।

(9) वितरण परिवर्तकों की बैलेसिंग के कार्य की समीक्षा।

(10) विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में निर्धारित अवधि से अधिक का लम्बित न हो।

(11) मीटर रीडर, सुपरवाइजर की आवश्यकता के सापेक्ष उपलब्धता एवं उनके दैनिक कार्य की समीक्षा। रीडिंग आधारित (एम.यू.) बिल का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन।

(12) हाई–लॉस पोषकों की लाइन हानियों का विवरण। लाइन हानियों को कम किये जाने की कार्य योजना एवं प्रगति का विवरण।

(13) पॉच कि0वॉ0 से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के श्रेणीवार बकाये की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाय।

(14) विद्युत चोरी रोकने हेतु "रेड" की कार्यवाही, राजस्व निर्धारण तथा वसूली के विवरण की समीक्षा।

(15) पॉच कि0वॉ0 से अधिक भार वाले चोरी के मामलों में अधिकतम एक माह में कम्पाउडिंग फीस तथा राजस्व निर्धारण की वसूली सुनिश्चित किया जाना।

(16) चिन्हित स्थानों (दुर्घटना सम्भावित तथा चोरी बाहुल्य क्षेत्र) पर खुले तारों के स्थान पर ए.बी. केबिल को लगाये जाने की प्रगति की समीक्षा किया जाना।

(17) जिले के भण्डार केन्द्र पर उपलब्ध सामग्री तथा निर्गत की गयी सामग्री के उपभोग के विवरण की उपलब्धता ।

(18) विद्युत भंडार गृहों में निर्देशानुसार महत्वपूर्ण सामग्री के प्रत्येक लॉट से अनिवार्य रूप से सैम्पलिंग किया जाना, इन्वेन्ट्री के विवरण तथा

परीक्षण के लिए प्रेषित नमूनों एवं प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा किया जाना।

(19) संविदा कर्मियों की सूची, भुगतान पद्धति, पोर्टल पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं नियमित भुगतान के लिए विभाग से बिलों की समीक्षोपरान्त अविलम्ब धनराशि प्राप्त कराकर नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित कराया जाना।

(20) निविदाओं के सापेक्ष कार्यों का विवरण, मानकों के आधार पर परीक्षण एवं भुगतान की समीक्षा।

(21) किसी भी पूर्ण कालिक कार्मिक के परिवार का कोई भी सदस्य पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों से संबंधित कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगें। यदि कोई परिवारजन विद्युत वितरण निगमों से संबंधित कार्य करते हैं तो उसकी लिखित सूचना अपने नियंत्रक अधिकारी के साथ–साथ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० को भी उपलब्ध करायेंगें।

(ब) **जनपद स्तर पर नोडल अधीक्षण अभियन्ता की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्वः–**

(1) प्रत्येक जनपद स्तर पर एक नोडल अधीक्षण अभियन्ता नामित करके उसकी सूचना डिस्काम स्तर पर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन (मु0) स्तर पर तथा माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र० के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना।

(2) नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने कार्यालयों में स्वयं तथा जनपद के अन्य अधीक्षण अभियन्ता से समन्वय कर पूरे जनपद के उपकेन्द्रवार निम्नलिखित सूचनाएँ तैयार कर अद्यावधिक रूप से रखवाना सुनिश्चित करेंगें।

(क) मीटर रीडर एवं सुपरवाइजर के कार्य की समीक्षा।

(ख) रीडिंग आधारित बिल का अनुश्रवण।

(ग) मीटर रीडर द्वारा प्रेषित एक्सेप्शन प्राप्त करना तथा उसपर ए०टी०आर० का अनुश्रवण।

(घ) जनपद में चल रही विभिन्न योजनाओं तथा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कार्य की प्रगति का अनुश्रवण।

(च) जनपद के अन्तर्गत 33/11 के०वी० उपकेन्द्रों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की अद्यतन स्थिति एवं निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों एवं सुझावों पर अनुपालन।

(छ) संविदा पोर्टल के अपडेशन की स्थिति।

(ज) जनपद के अन्तर्गत 11 के0वी0 फीडरवार स्थापित वितरण परिवर्तकों की संख्या एवं उनके क्षतिग्रस्तता का विवरण। परिवर्तकों के अनुरक्षण का विवरण।

(झ) विद्युत वितरण मण्डलों में प्रकाशित तथा किये गये निविदा एवं अनुबन्धों का विवरण तथा इनके सापेक्ष कार्य की प्रगति। निविदाओं के मानकं, किये गये कार्यों का विवरण तथा उनका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य मानक के अनुरूप पाये जाने पर भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ट) आदर्श उपकेन्द्रों का विवरण।

(ठ) अधिक लाइन हानियों वाले पोषकों का विवरण।

(ड) विद्युत चोरी रोकने हेतु "रेड" की कार्यवाही का विवरण।

(त) ए.बी. केबिल लगाये जाने का विवरण।

(थ) सोशल मीडिया पर की जाने वाली शिकायतों एवं निराकरण का विवरण।

(द) जिले में उपकेन्द्रवार एवं पोषकवार औद्योगिक, अघरेलू तथा घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के विवरण की उपलब्धता। लोड के सापेक्ष स्थापित परिवर्तकों की स्थिति की समीक्षा की जाय।

(3) अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) अपने कार्यालयों में सभी इंगित महत्वपूर्ण सूचनाओं की अद्यतन प्रगति एक पटल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यशालाओं का कैलेण्डर बनाकर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को दिनॉक 03.06.2019 की सायं 5–00 बजे तक उसकी सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। ये कार्यशालाएं संपन्न कराते हुए इसकी आख्या दिनांक 10.06.2019 तक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 को प्रेषित की जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2– निदेशक (वित्त)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वाणिज्य), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3– निदेशक (तकनीकी)/(वाणिज्यिक)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक –1245 / मु0अ0 / सीएमयूडी / ईई–1 / विद्युत आपूर्ति, दिनांक –24 / 5 / 2019, विवरण–समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के संबंध में

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
चतुर्थ तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
कार्यालय दूरभाष 0522-2218414, फैक्स 0522-2218417
ई मेल cmudppcl@gmail.com
(CIN NO: U32201UP1999SGC024928)

पत्र सं0 1245 / मु0अ0 / सी0एम0यू0(डी0) / ईई–1 / विद्युत आपूर्ति दि0: 24 मई 2019

विषय– समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के संबंध में।

संदर्भ– पत्र संख्या–40 / पीटीएसडीडी / 2019 दिनांक 13.05.19

प्रबन्ध निदेशक

ई–मेल दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल

विद्युत वितरण निगम लि0,

आगरा / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / केस्को–कानपुर।

अति महत्वपूर्ण

महोदय,

कृपया निदेशक (वितरण) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के उपर्युक्त विषयक / संदर्भित पत्र संख्या–40 / पीटीएसडीडी / 2019 दिनांक 13.05.19 (अनुलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जिसकी कृत कार्यवाही की [illegible] आपके [illegible] प्रतीक्षित है।

इस सम्बन्ध में [illegible] करने का निदेश हुआ है कि जिला मुख्यालयों के विद्युत तंत्र के अन्तर्गत समस्त परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग, [illegible], फ्यूज, जम्पर इत्यादि का अनुरक्षण कार्य संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा अविलम्ब पूर्ण कराते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा समस्त विद्युत उपकेन्द्र के उपकरणों के अतिरिक्त समस्त फीडरों की गहनता से पेट्रोलिंग करके लाईन पर [illegible] उपकरणों को सुरक्षित एवं क्रियाशील बनाये रखने हेतु निरीक्षण आख्या संलग्न प्रारूप में संकलित कर [illegible] सारांश सहित डिस्काम के निदेशक (तकनीकी) की टिप्पणी के साथ 27.05.19 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की कृपा करें। [illegible] में आपेक्षित अन्य [illegible]–जिला मुख्यालय के विद्युत तंत्र के निरीक्षण हेतु डिस्काम के निदेशकगण एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा उपकेन्द्र एवं स्थल का निरीक्षण सम्बन्धी आख्या तथा 17 नगर निगमों हेतु आवंटित नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित आवंटित क्षेत्र के समस्त विद्युत तंत्र के अनुरक्षण कार्यों का गहन निरीक्षण सम्बन्धी आख्या भी इस कार्यालय के ई–मेल cmudppcl@gmail.com पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विलम्बतम दिनांक 27.05.19 तक अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि तदानुसार अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जा सके तथा मा0 ऊर्जा मंत्री की समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि +03 अदद।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
मुख्य अभियन्ता

पत्र सं0– / मु0अ0 / सी0एम0यू0(डी0) / ईई–1 / विद्युत आपूर्ति तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक (पावर मैनेजमेन्ट सेल) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अरूण कुमार मिश्र)
मुख्य अभियन्ता

Scanned by CamScan

पत्रांक –40/पीपीएसडीडी/2019, दिनांक –13/5/2019, विवरण–समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के संबंध में

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287804, ई–मेल : dduppcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

S-10

पत्र सं0 40/ पीपीएसडीडी/2019 दिनॉक: 13 मई, 2019

विषय : समस्त जिला मुख्यालयों एवं 17 नगर निगम के वितरण विद्युत तंत्र के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

यह संज्ञान में आया है कि प्रदेश में विद्युत तंत्र का विधिवत अनुरक्षण न होने के कारण अत्यधिक संख्या में वितरण परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो रहे है तथा फीडर के तार टूटने एवं अन्य कारणो से फीडर की ट्रिपिंग होने के कारण सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों द्वारा विद्युत तंत्र के अनुरक्षण हेतु निम्नानुसार अनुश्रवण अविलम्ब प्रारम्भ कर दें।

जिला मुख्यालयों के विद्युत तंत्र के अतर्गत समस्त परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग, आयल लीकेज, फ्यूज जम्पर इत्यादि का अनुरक्षण कार्य संबंधित उपखण्डाधिकारी द्वारा अविलम्ब पूर्ण कर लिया जाये। इसके लिए आवश्यक है कि उपखण्डाधिकारी द्वारा समस्त विद्युत उपकेन्द्र के उपकरणों के अतिरिक्त समस्त फीडरो की गहनता से पेट्रोलिंग करके लाइन पर भी स्थापित उपकरणों को सुरक्षित एवं क्रियाशील बनाये रखना सुनिश्चित करे। डिस्कॉम के निदेशकगण एवं प्रबन्ध निदेशक भी उपकेन्द्र एवं स्थल का निरीक्षण करे तथा इस पहलू पर विशेष ध्यान दें। इस कार्यालय के पत्र सं0 38/पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 11.05.2019 द्वारा प्रेषित प्रारूप 1ए तथा 1बी पर विवरण दिनांक 18.05.2019 तक निदेशक (तकनीकी) के माध्यम से मुख्य अभियंता (सी0एम0यू0डी0) को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

17 नगर निगमों हेतु आवंटित नोडल अधिकारियों (कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0 255 दिनांक 12.07.2018 संलग्न) द्वारा संबंधित आवंटित क्षेत्र के समस्त विद्युत तंत्र का उपरोक्तानुसार अनुरक्षण कार्यों का गहन निरीक्षण/अनुश्रवण दिनांक 25.05.2019 तक अवश्य कर लिया जाये ताकि फीडरो की ट्रिपिंग न्यूनतम की जा सके। निरीक्षण आख्या निरीक्षित दिनांक के उपरान्त कारपोरेशन मुख्यालय के सी0एम0यू0(डी0) स्कन्द को अविलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करे। मा0 ऊर्जा मंत्री जी की कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ सम्भावित बैठक दिनांक 20.05.2019 को, इसका अनुश्रवण किया जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

पत्र सं0 40/ पीपीएसडीडी/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
5. समस्त नोडल अधिकारी, 17 नगर निगम।
6. अधिशासी निदेशक (रेस्पो), मुख्य अभियंता (पी0एफ0ए0), मुख्य अभियंता (सी0एम0यू0–डी0)।

संलग्नक: यथोपरि।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

पत्रांक –577/ सी0एम0यू0(डी0), दिनांक –6/3/2019, विवरण–वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर कम करने एवं परिवर्तक कार्यशालाओं के सुचारू संचालन हेतु दिशा निर्देश (गारन्टी अवधि में ट्रांसफार्मर बदले जाने की प्रक्रिया)

Generated by CamScanner

(2)

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ –226 001
Email-mduppcl12@gmail.com
फोन नं0: 0522–2288377(का.) फैक्स 0522–2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 577/सी0एम0यू0(डी0) दिनांक 6 मार्च, 2019

विषय : वितरण परिवर्तकों के समयबद्ध प्रतिस्थापन तथा क्षतिग्रस्तता के कारणों के विश्लेषण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ।

अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की अध्यक्षता में आहूत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के साथ की गयी समीक्षा बैठक में संज्ञानित हुआ कि–

1. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्थापित किये गये वितरण परिवर्तकों के गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होने पर उनका प्रतिस्थापन अत्यन्त विलम्ब से हो रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में मुख्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किये गये है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0 3655/सी0एम0यू0(डी0)/2018 दिनांक 12.11.2018 एवं 04/सी0एम0यू0डी0/परिवर्तक/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा प्रेषित गाइडलाइन्स में इन पावर परिवर्तकों को कार्यदायी संस्थाओं पर अग्रिम प्रकीर्ण कार्यवाही करते हुये समय–सीमा में बदलने हेतु निर्देशित किया गया था। यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस प्रकिया में भी क्षतिग्रस्त परिवर्तक समय–सीमा में नही बदले जा पा रहे है। अतः यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को समय–सीमा में संबंधित कार्यशाला द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाये तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्यदायी संस्था को 10 दिन में क्षतिग्रस्त परिवर्तक के विरूद्ध नवीन परिवर्तक उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया जाये। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा नवीन परिवर्तक उपलब्ध नही कराया जाता है तो उसके विरूद्ध अग्रिम प्रकीर्ण डाला जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. समीक्षा में यह पाया गया कि मध्यांचल में वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता का औसत 2018–19 में अब तक 19.08 प्रतिशत है तथा सभी डिस्कामों का औसत 16.16 प्रतिशत है। डिस्काम स्तर पर परिवर्तकों की मासिक/वार्षिक क्षतिग्रस्तता का कोई समाधान तथा अनुश्रवण नही किया जा रहा है। यह आवश्यक है कि क्षतिग्रस्तता को कम करने के लिए डिस्काम स्तर पर मुख्य अभियंता (तकनीकी) प्रतिमाह खण्डवार क्षतिग्रस्तता तथा उचित कारणों का विस्तृत विश्लेषण करे। विश्लेषण में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि क्षतिग्रस्तता का कारण परिवर्तकों की गुणवत्ता मानको के अनुरूप न होने के कारण है अथवा अनुरक्षण उचित प्रकार से न होने के कारण है। इस कार्य के लिए मुख्य अभियंता (तकनीकी) को पूर्णरूप से उत्तरदायी बनाया जाये तथा वार्षिक गोपनीय आख्याओं में इसका विवरण अवश्य अंकित किया जायें।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निजी सचिव अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
दूरभाष – (0522) 2288377 (का0)
फैक्स – (0522) 2288410
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com

पत्रांकः 106 /सीएमयूडी/विद्युत आपूर्ति/2019 | दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः आगामी ग्रीष्मकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा/केस्को–कानपुर।

(5)

महोदय,

विगत में उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। आगामी ग्रीष्मकाल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ससमय योजना अनुसार पूर्व तैयारियाँ किया जाना आवश्यक है। इस उपक्रम में यह अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देकर समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करा ली जाय –

1. विद्युत लाइनों के रास्ते में पड़ने वाले वृक्षों की डालियों की छटाई अभी करा ली जाय।
2. वितरण परिवर्तकों की एच0टी0/एल0टी0 [illegible] की जाँच कर ली जाय एवं जहाँ आवश्यक हो बदल दिये जायें।
3. एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के [illegible] करके उनकी आवश्यक मरम्मत/बदलने के कार्य कर लिये जाय।
4. पावर परिवर्तक एवं [illegible] परिवर्तकों के तेल के स्तर की जाँच [illegible] तेल की जाँच, अर्थिंग की जाँच करके आवश्यक [illegible] करना।
5. सभी 33/11 के0वी0 [illegible] सुनिश्चित किया जाय और इसकी तिथि प्रदर्शित [illegible]
6. एल0टी0 लाइनों के [illegible] की जाँच एवं मरम्मत/बदलना सुनिश्चित कर लिया जाय।
7. 33 के0वी0/11 के0वी0 स्विचयार्ड में जम्पर [illegible] की जाँच एवं मरम्मत के कार्य कर लिए जाय।
8. स्विच यार्ड में Hot Point की जाँच एवं मरम्मत का कार्य।
9. एच0टी0/एल0टी0 लाइनों के पुराने जर्जर तारों को [illegible] के अनुरूप तारों द्वारा बदल दिया जाय।
10. वितरण परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग एवं फेस बैलेंसिंग सुनिश्चित कर ली जाय।
11. वितरण परिवर्तकों की सम्भावित आवश्यकता एवं तदनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तथा परिवर्तक कार्यशालाओं में मरम्मत सम्बन्धी समस्त तैयारी कर ली जाय।
12. भण्डार गृहों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्ययोजना एवं प्रगति का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित की जाय।
13. उक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक बिन्दु जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति में सहायक हैं, उन पर भी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित कर ली जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा समय–समय पर स्वयं भी अनुश्रवण करें।

भवदीय
Aparna. U
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।

दिनांक –7/8/2019, विवरण– मासिक समीक्षा बैठक में अध्यक्ष उ0 प्र0 पाकालि की अध्यक्षता में दीपावली के पूर्व वितरण परिवर्तकों की लोड बैलेंसिंग कराये जाने के सन्दर्भ में दिशा – निर्देश

दीपावली के पूर्व वितरण परिवर्तकों की लोड बैलेन्सिग कराये जाने के संदर्भ में दिशा–निर्देश

1. वितरण क्षेत्रों में अभी तक अवशेष वितरण परिवर्तकों की लोड बैलेन्सिग 16.08..2019 तक पूर्ण कर ली जाय।

2. ऐसे स्थान जहाँ पर लोड बैलेन्सिग का समय 1माह व्यतीत हो चुका है उन परिवर्तकों की चक्रानुसार लोड बैलेन्सिग कराया जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त बैलेन्सिग का कार्य 15 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

UPPCL

26

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पत्रांक –2510/सीएमयूडी/2019, दिनांक –24/9/2019, विवरण–मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जिले में कार्यशाला आयोजित करने के संबंध में

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः 2510 /सीएमयूडी/2019 दिनांक :24 सितम्बर, 2019

विषय : मुख्य अभियन्ताओं द्वारा जिले में वर्कशॉप आयोजित करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल,
विद्युत वितरण निगम लि०,
केस्को।

कृपया कारपोरेशन के पत्र सं0–2430–सीएमयूडी/2019/दिनांक 13.09.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें दिनांक 23.09.2019 तक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा उनके क्षेत्रांर्गत वर्कशॉप आयोजन करने, जिसमें उपखण्ड अधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया गया था। वर्कशॉप में वितरण, वाणिज्यिक, प्रचलित योजनाओं एवं सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में, विस्तृत जानकारी दिया जाना है। संज्ञान में लाया गया है कि मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अभी तक जो वर्कशॉप आयोजित की गयी है इसमें विस्तृत चर्चा एवं जानकारियाँ नहीं दी जा रही है तथा मात्र एक घंटे में समान्य बातें बताकर वर्कशॉप समाप्त की जा रही है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में पुनः निर्देशित किया जाता है:–

- आयोजित होने वाली अवशेष वर्कशॉप में अवर अभियन्ता तक के अधिकारियों/कार्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाये।
- वर्कशॉप की मूल भावना के अन्तर्गत वितरण, वाणिज्यिक, शिकायत निराकरण आदि की, अलग–अलग सेशन में विस्तृत चर्चा एवं जानकारी साझा की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्कशॉप हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों में समाहित सभी बिन्दुओं की आवश्यकता एवं महत्व से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया जाये।
- मुख्य अभियन्ताओं द्वारा आयोजित वर्कशॉप की विस्तृत आख्या डिस्कॉम एवं कारपोरेशन मुख्यालय में दिनांक 30.09.2019 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

C:\2018-19\Word Doc\md mam letter.docx

मा0 ऊर्जा मंत्री द्वारा सभी डिस्कॉम के विभिन्न जिलों में भ्रमण किया जा रहा है तथा सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी यदि अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते है तथा उनके द्वारा जनसाधारण की समस्याओं हेतु संवेदनशीलता की कमी परिलक्षित होती उसका प्रतिकूल संज्ञान लेकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

Aparna U.
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एफ०ए०/अधिशासी निदेशक, सौभाग्य, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, केस्को,।

C:\2018-19\Word Doc\md man letter.docx

पत्रांक –2430–सीएमयू(डी)/2019, दिनांक –13/9/2019, विवरण–मा0 ऊर्जा मंत्री के निर्देशो के अनुपालन में मुख्य अभियन्ताओं द्वारा कार्यशाला आयोजन हेतु निर्देश (आदर्श उपकेंद्र, विद्युत तंत्र की जानकारी, वितरण परिवर्तक बैलेंसिंग तथा सोशल मीडिया से प्राप्त शिकायतों का निराकरण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287804, ई–मेल : dduppcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 2430 –सी0एम0यू0(डी)/2019 दिनाँक : 13 सितम्बर, 2019

विषय :– मा0 ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य अभियंताओं द्वारा वर्कशाप आयोजित करने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियंता (वितरण),
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वान्चल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ,
मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा।

दिनांक 12.09.2019 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ की गयी बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि समस्त मुख्य अभियंता आगामी 10 दिनों में उनके क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक जिले में एक वर्कशाप आयोजित कर लें जिसमें जिले से संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता एवं उपखण्ड अधिकारी तथा पारेषण के अधिकारी प्रतिभाग करें तथा उनके द्वारा वितरण से संबंधित किये जाने वाले कार्यो से संज्ञानित करायें। मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा 15 अक्टूबर, 2019 के पश्चात् विभिन्न जनपदों में भ्रमण किया जायेगा तथा समस्त संबंधित अधिकारियो/कर्मचारियों से अपेक्षा की गयी कि वे तकनीकि एवं वाणिज्यिक कार्य बिन्दुओं से भिज्ञ हों। उनके भ्रमण के दौरान समीक्षा में जनपद के नोडल अधिकारी (अधीक्षण अभियंता (वितरण)) द्वारा प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त के संदर्भ में आयोजित किये जाने वाले वर्कशाप में विभाग के विभिन्न कार्यकलापों के सुचारू सम्पादन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी की आवश्यकता तथा अपेक्षित कार्यवाही से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करायें –

1. **विद्युत तंत्र से संबंधित**

   (i) पारेषण उपकेन्द्रों का विवरण जिनसे विद्युत आपूर्ति होती है।

   (ii) पारेषण से विद्युत आपूर्ति के संबंध में यदि कोई कठिनाई हो तो उसकी जानकारी।

   (iii) उनके कार्यक्षेत्र में अवस्थित सभी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों का विवरण मय अधिष्ठापित क्षमता के साथ विवरण उपलब्ध होना। पावर परिवर्तकों पर भार की स्थिति।

   (iv) प्रत्येक 33 केवी सबस्टेशन से पोषित 11 केवी फीडरों का विवरण।

   (v) प्रत्येक 11 केवी फीडर से संयोजित क्षमतावार वितरण परिवर्तको का विवरण।

   (vi) पावर परिवर्तक तथा वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता का विवरण, क्षतिग्रस्तता के कारणों सहित।

2. **विद्युत तंत्र के सुचारू परिचालन से संबंधित**

   (i) 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों के रख–रखाव के संबंध में पूर्व में निर्देशित आदर्श विद्युत उपकेन्द्र में निहित बिन्दुओं के संबंध में पूर्ण जानकारी तथा निर्देशों के अनुरूप किये गये कार्य का विवरण। (उपकेन्द्रों पर साफ सफाई, बैठने, पानी की व्यवस्था, शटडाउन देने की प्रकिया का पालन, नोडल अधिकारी को उपकेन्द्र से संबंधित समस्त जानकारियॉ, समस्त फीडरों का

प्रोटेक्शन सुचारू होना, उपकेन्द्र पर अवस्थित सभी संयंत्र क्रियाशील एवं स्वस्थ होना, [illegible] का रख–रखाव इत्यादि।

(ii) उपकेन्द्र से निर्गत 11 के0वी0 पोषकों पर अधिक ट्रिपिंग होने के दृष्टिगत कारण तथा किये गये उपायों का विवरण।

(iii) विभिन्न उपकेन्द्रों से संयोजित फीडरों की विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी पेट्रोलिंग तथा पायी गयी कमियों एवं कार्यवाही का विवरण।

(iv) अतिभारित 11 केवी फीडर तथा वितरण परिवर्तकों के संबंध में जानकारी एवं किये गये उपायों का विवरण।

(v) वितरण परिवर्तकों की बेलेन्सिंग की प्रगति तथा वितरण परिवर्तकों के रख–रखाव से संबंधित कार्यो का विवरण। (जम्परों का सही कसाव की स्थिति, अर्थिंग,तेल रिसाव, आर्किंग हार्न की स्थिति इत्यादि)। यह कार्य पूर्व निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 15.10.2019 तक पूर्ण किया जाना है।

(vi) अण्डर ग्राउण्ड केबिल के सुचारू कार्यशील होने की व्यवस्था। फाल्ट होने पर स्पेयर केबिल की उपलब्धता तथा फाल्ट लोकेट किये जाने की व्यवस्था।

(vii) वर्तमान में सुचारू विद्युत आपूर्ति में आयी बाधाओं का विवरण तथा आगामी वर्ष में इसके निराकरण हेतु किये गये उपाय/कार्ययोजना।

3. विभिन्न योजनाओं की प्रगति

(i) जनपद में विभिन्न योजनाओं (केन्द्रीय/राज्य स्तरीय) के प्रगति का विवरण।

(ii) निर्धारित लक्ष्य के समय से पूर्ण न होने पर कारणों एवं किये गये उपायों का विवरण।

4. उपभोक्ताओं के संबंध में विवरण

(i) प्रत्येक संबधित कर्मचारी के पास कुल उपभोक्ताओं का केटेगरीवाइज विवरण उपलब्ध होना।

(ii) माहवार नये संयोजन हेतु आवेदन तथा निर्गत किये गये संयोजनों का विवरण तथा निर्गत किये गये संयोजनों के सापेक्ष निर्गत बीजकों का विवरण।

(iii) केटेगरीवाइज बिलिंग एवं मीटर्ड यूनिट आधारित बिल का विवरण। मीटर्ड यूनिट आधारित बिल ग्रामीण क्षेत्रों में 85% तथा शहरी क्षेत्रों में 95% माह दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त किया जाना है। तत्क्रम में आवश्यक कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किया जाये।

(iv) केटेगरीवाइज कुल बकायेदारों का विवरण।

(v) माहवार विच्छेदित किये गये उपभोक्ताओं तथा विच्छेदित उपभोक्ताओं से वसूली का विवरण।

(vi) उपकेन्द्रों से संबधित कलेक्शन इफिशियेन्सी, बिलिंग इफिशियेन्सी सहित एटीएनसी लासेज का विवरण।

(vii) कलेक्शन सेन्टरों का विवरण।

(viii) माहवार डाली गयी रेड्स का विवरण तथा पायी गयी अनियमितताओं के विरूद्व निर्धारण तथा वसूली का विवरण।

5. सोशियल मीडिया से प्राप्त शिकायतों का निराकरण

(i) डिस्काम द्वारा प्रेषित विभिन्न सोशियल मीडिया से प्राप्त शिकायतों का विवरण तथा निस्तारित की गयी शिकायतो का विवरण।

(ii) 1912 में प्राप्त कुल शिकायतों एवं निस्तारण का विवरण।

(iii) अन्य संचार माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतो को त्वरित रूप से संज्ञान लेकर निस्तारण किया जाना।

(iv) उपभोक्ताओं से मर्यादित भाषा में सम्वाद तथा शिष्ट आचरण। उनके द्वारा की गयी शिकायत का निष्पादन त्वरित गति से किया जाना जिससे विभाग की छवि एवं प्रतिष्ठा उपभोक्ताओं की दृष्टि में बढ़े।

उपरोक्त के संदर्भ में प्रबन्ध निदेशक (ट्रांसमिशन) द्वारा कार्यशाला में पारेषण के अधिकारियों को प्रतिभाग करने हेतु निर्देश जारी किये जा रहे हैं। समस्त मुख्य अभियंता (वितरण) जनपदवार कार्यशाला आयोजित करने की तिथियों से कारपोरेशन के सी0एम0यू0(डी0) स्कन्ध को दिनांक 16.09.2019 तक अवगत कराना सुनिश्चित करें।

समस्त मुख्य अभियंता आयोजित कार्यशाला का पूर्ण विवरण, जिसमें प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों तथा कार्यशाला में चर्चा किये गये बिन्दुओं पर आख्या दिनांक 28.09.2019 तक कारपोरेशन मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Apurna. U.
(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. निजी सचिव, निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणान्चल–आगरा/केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियंता, सी0एम0यू0(डी), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियंता, पी0एफ0ए0, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –1890/रेस्पो/सं0कार्य समिति/2019, दिनांक –19/6/2019, विवरण–डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा मा0 सासदों/मा0 विधायको से सम्पर्क करने की सूचना

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287804, ई–मेल : dduppcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0 1890/रेस्पो/सं0कार्य समिति/2019 दिनॉक: 19 जून, 2019

विषय :– डिस्काम के अधिकारियों द्वारा मा0 सांसदो/मा0 विधायको से सम्पर्क करने की सूचना।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वान्चल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ,
मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/
केस्को–कानपुर।

दिनांक 31.05.2019 एवं दिनांक 18.06.2019 को मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशों के अनुक्रम में कृपया निम्नलिखित प्रपत्र पर आपके डिस्काम से संबंधित अधिकारियों द्वारा जिलेवार मा0 जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करने एवं उनके द्वारा बतायी गयी समस्या/फीड ब्रेक का विवरण एवं की गयी कार्यवाही की स्थिति दिनांक 24.06.2019 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

कृपया इस अति महत्वपूर्ण समझें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), वि0वि0नि0लि0, पूर्वान्चल–वाराणसी/मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा।

कम सं0	जनपद का नाम	अधिकारी का नाम, पद एवं मोबाइल नं0 सहित जिनके द्वारा मा0 सांसद/मा0 विधायक से सम्पर्क किया	मा0 सांसद/मा0 विधायक का नाम जिनसे सम्पर्क किया	सम्पर्क करने का दिनांक	मा0 सांसद/मा0 विधायक द्वारा बतायी गयी समस्या का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्ति (की गयी कार्यवाही)
1	2	3	4	5	6	7

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पत्रांक – 1406 / चौबीस–पी–3–2019, मुख्य सचिव द्वारा प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों तथा सरकारी अस्पतालों के सम्बन्ध में जारी निर्देश

प्रेषक,

1833/MDS/19
30/07/2019

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक: 25 जुलाई, 2019

विषय :– प्राथमिक / माध्यमिक विद्यालयों तथा सरकारी अस्पतालों में विद्युत लाइनों से विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने हेतु अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

ALL MD's / DIR(P&A) / DIR(Dist)

महोदय,

दिनांक 15 जुलाई, 2019 को जनपद बलरामपुर के विद्यालय में उसके समीप जा रहे विद्युत हाईटेंशन तार टूट कर गिर जाने के फलस्वरूप विद्यालय के भवन में करण्ट उतर जाने के कारण अनेक बच्चे विद्युत आघात से घायल हो गये। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। शासन स्तर पर इस प्रकार की घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर विद्युत लाइनों का निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जाये।

निदेशक (वितरण) उ0प्र0पा0का0लि0

2– प्रदेश में विद्यालय, स्थानों और सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों / अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ सामान्यतः जन समूह एकत्रित रहता है एवं छात्रों के शिक्षणार्थ एवं विद्यालयों का निर्माण विद्युत की पूर्व निर्मित लाईनों के नीचे किया गया है जिससे इन भवनों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत दुर्घटना की आशंका रहती है। इस सम्बन्ध में कृपया आप अपनी सीधी देख–रेख में जनपद स्तर पर अभियान चलाकर दिनांक 31 जुलाई, 2019 तक निम्नलिखित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें :–

CE (Comm) Give copy in file

(i) संवेदनशील स्थलों का त्वरित चिन्हीकरण –

विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग की एक बैठक अविलम्ब करके जिले की समस्त अस्पताल, पी.एच.सी., सी.एच.सी. तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की सूची ब्लाकवार सूचीबद्ध कर लें।

उपरोक्त सूचीबद्ध अस्पताल / स्कूलों का स्थल निरीक्षण हेतु संयुक्त समितियाँ ब्लाकवार जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता / लाइन मैन जो अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा नामित किये जाये, का गठन कर लें। संयुक्त समितियाँ जनपद के समस्त सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों / अस्पतालों एवं प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर उपरोक्तानुसार वर्णित ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों को सूचीबद्ध करेंगी जहाँ विद्युत लाईनों से विद्युत दुर्घटना की सम्भावना हो। सुरक्षा की दृष्टि से मानक क्लीयरेंस तथा लाइन की स्थिति के मुख्य बिन्दु संलग्न हैं।

(ii) क्रियान्वयन –

चिन्हीकरण के समय, ये समितियाँ इन संवेदनशील स्थलों का एक सप्ताह में निरीक्षण पूर्ण करेंगी। निरीक्षण में लाईन क्लीयरेंस तथा लाईन की स्थिति में तत्काल किये जाने वाले कार्य जैसे गार्डिंग, स्टे टाईट कराना, टूट–फूट इंसुलेटर का निष्पादन अविलम्ब किया जाय। जिस हेतु अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) अनुश्रवण करेंगे तथा उत्तरदायी होंगे।

(iii) ऐसे कार्य जिनमें लाईनों की शिफ्टिंग किया जाना अवश्यम्भावी हो उसे तीन माह में पूर्ण करायी जाये। शिफ्टिंग हेतु आवश्यक निधि का प्रबन्ध ग्राम पंचायतों / क्षेत्र पंचायतों के पास उपलब्ध निधि से तथा विद्युत वितरण निगमों द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण–पत्रों से वसूल की गयी धनराशि के 15 प्रतिशत तक की धनराशि से पोषित जिला विकास निधि से कर लिया जाये। इस जिला विकास निधि के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विस्तृत निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं।

3– इस प्रकार ब्लाकवार समितियों की प्रत्येक चिन्हित भवन की निरीक्षण आख्या जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के माध्यम से संकलित करके सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को भी कृपया प्रेषित करें।

4– कृपया उपरोक्त कार्यवाही अभियान चलाकर इंगित की गयी समय सीमा में पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें और यदि इस सम्बन्ध में विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों की कोई शिथिलता अथवा उदासीनता पायी जाती है तो अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय के संज्ञान में लाया जाये। इस सम्बन्ध में आपकी आख्या की एक प्रति प्रमुख सचिव, ऊर्जा को भी प्रस्तुत की जाये।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या– 1406(1)/चौबीस–पी–3–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ।

3– निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।

4– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल–लखनऊ, पूर्वांचल–वाराणसी, केस्को–कानपुर, पश्चिमांचल–मेरठ एवं दक्षिणांचल–आगरा।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक –2519/रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल, दिनांक –25/7/2019, विवरण–सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा हेतु गठित समिति की संस्तुति का क्रियान्वन

6.5

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522 2218592, ई मेल : cgmrespopcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 2519 /रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल दिनांक 25-07-19

विषय:– **सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा हेतु गठित समिति की संस्तुति पर अभिमत के सम्बन्ध में।**

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पविविनिलि–मेरठ/ दविविनिलि–आगरा/
मविविनिलि–लखनऊ/ पूविविनिलि–वाराणसी एवं केस्को–कानपुर।

दिनांक 15 जुलाई 2019 को जनपद बलरामपुर में एक विद्यालय में घटित दुर्घटना को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है एवं भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तथा सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सभी बिन्दुओं पर विचार कर संस्तुति देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1321/24–पी–3–2019 दिनांक 17.07.2019 से एक समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति की बैठक दिनांक 23 जुलाई 2019 का कार्यवृत्त आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका अवलोकन इस पर अपना मत दिनांक 26 जुलाई 2019 तक पावर कारपोरेशन को प्रेषित करना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें (ईमेल आईडी mduppcl12@gmail.com एवं saubhagyauppcl@gmail.com)

संलग्नक:– यथोपरि।

(अपर्णा यू.)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति:–

1. निजी सचिव सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4. निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मविविनिलि बरेली।

उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1321/24–पी०–3–2019 दिनांक 17.07.2019 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23.07.2019 का कार्यवृत्त

दिनांक 15.07.2019 को जनपद बलरामपुर में एक विद्यालय में घटित विद्युत दुर्घटना में बडी संख्या मे विद्यार्थियों के घायल होने की घटना के दृष्टिगत प्रकरण को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं भविष्य मे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तथा सार्वजनिक स्थालों पर विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार कर संस्तुति देने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1321/24 पी० 3–2019 दिनांक 17.07.2019 से निम्न समिति का गठन किया गया :–

1.	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ	सदस्य
3.	निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4.	जिलाधिकारी मिर्जापुर	सदस्य
5.	क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, बरेली, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०	सदस्य
6.	निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ	सदस्य–सचिव

उक्त समिति की दिनांक 23.07.2019 को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के शक्ति भवन मुख्यालय स्थित कक्ष में बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ
3. निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), बरेली, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
5. निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०।

अन्य उपस्थित अधिकारी :

1. श्री पी०पी० सिंह, अधिशासी निदेशक (रेस्पो), उ०प्र०पा०का०लि०।
2. श्री आर० पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, (रेस्पो), उ०प्र०पा०का०लि०।
3. श्री राजीव कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता (रेस्पो), उ०प्र०पा०का०लि०।

समिति की बैठक में प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल–लखनऊ ने अवगत कराया कि उनके द्वारा जनपद बलरामपुर में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण में प्रथम दृष्टया पाया गया कि विद्यालय के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाईन की छत से दूरी मानकों के अनुसार नहीं थी, विद्यालय भवन में करंट आने पर आउटगोइंग पोषक भी ट्रिप नहीं हुआ तथा पोषक पर 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र के इनकमिंग पोषक के ट्रिपिंग के उपरान्त ही विद्युत आपूर्ति बन्द होने पाई। मध्यांचल–लखनऊ द्वारा घटना में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई है।

समिति की बैठक में पाया कि वितरण क्षेत्र में विद्युत लाईनों एवं उपकेन्द्रों की समुचित अनुरक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है एवं इस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। समिति को यह भी संज्ञानित कराया गया कि इस कार्य हेतु काफी अधिक मात्रा में धनराशि की व्यवस्था का वित्त पोषण किया जाना आवश्यक होगा। समिति को संज्ञानित कराया गया कि विद्युत सुरक्षा के मानकों के अनुसार निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :–

1. विद्युत लाईनों की नियमित पेट्रोलिंग की जाए तथा ऐसे बिन्दु जो कि सुरक्षा मानकों के अनुसार नहीं है का तत्काल निदान कराया जाये।
2. सार्वजनिक स्थलों एवं रोड क्रॉसिंग पर विद्युत लाईनों की नियमित दूरी सुनिश्चित की जाये एवं ऐसे स्थलों पर विद्युत लाईनों के नीचे Gurading भी लगाई जाये।
3. 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों पर स्विचगियर्स की नियमित टेस्टिंग की जाये।
4. सार्वजनिक स्थलों के भवनों यथा हॉस्पिटल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/विद्यालयों के परिसरों पर अर्थिंग की भी जांच करा ली जाये जिससे दोषों के आने की स्थिति में विद्युत सुरक्षा उपकरण संचालित कर सकें।

उक्त बिन्दुओं की क्रियान्वयन हेतु बैठक में समिति द्वारा निम्नवत प्रस्तावित किया गया:

1. **विद्युत लाईनों की पेट्रोलिंग** :– विद्युत वितरण क्षेत्र के अवर अभियन्ता एवं लाईनमैन द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले विद्युत लाईनों की नियमित रूप से पेट्रोलिंग की जाये जिसमें निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जाये :–

(क) विद्युत लाईनों की सड़क/भूमि/सार्वजनिक स्थलों के भवनों व रोड क्रासिंग के ऊपर से गुजरने वाले विद्युत लाईन पर लाईन की **संलग्नक–1** के मानकों के अनुसार दूरी व Guarding अवश्य होनी चाहिए। ऐसे स्थलों पर Guarding की आवश्यकता होने पर इसके लिए धनराशि Business Plan, अतिरिक्त संशोधनों या अन्य मदों से व्यवस्था कर यह कार्य तत्काल करा लिया जाये।

(ख) यदि उक्त स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से Guarding किया जाना सम्भव न हो सके तो द्वितीय विकल्प के रूप में लाईन शिफ्टिंग विचारित की जाये। इस कार्य हेतु धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है व इस हेतु मिर्जापुर मॉडल के अनुसार कार्यवाही की जाये। मिर्जापुर मॉडल में जनपद के स्कूलों के ऊपर व पास से हाईटेंशन तार हटाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा पहल की गयी एवं नवें वित्त का पैसा सीधे ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों को ट्रान्सफर कर तार हटाने की जिम्मेदारी दी गयी। धनराशि की व्यवस्था के लिए मा० अर्जामंदी जी, उत्तर प्रदेश के माध्यम से जनप्रतिनिधियों यथा मा० सांसदों व विधायकों को भी पत्र प्रेषित कर अनुरोध कर लिया जाये।

(ग) सार्वजनिक स्थलों में प्रथम चरण में अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ विद्यालयों के भवनों/परिसरों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाईनों की Guarding तीन माह में पूर्ण कर ली जाये एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विद्युत लाईनों की Guarding अग्रेतर तीन माह में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये।

(घ) Guarding न हो पाने की स्थिति में अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ विद्यालयों के भवनों/परिसरों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत लाईन की शिफ्टिंग धनराशि की व्यवस्था जिला विद्युत विकास निधि, मा० सांसद निधि तथा जिलाधिकारी कोष से कर, तीन माह में पूर्ण कर ली जाये एवं इसके उपरान्त अन्य सार्वजनिक स्थलों का चिन्हीकरण कर इस हेतु धनराशि की व्यवस्था कर यह कार्य अवश्य पूर्ण किये जायें।

2. **उपकेन्द्रों की सुरक्षा उपकरणों का परीक्षण** :– जनपद बलरामपुर में हुई घटना में यह पाया गया कि उपकेन्द्र से निकलने वाली आउटगोइंग फीडर की ट्रिपिंग नहीं हो पायी जिसके कारण दुर्घटना हुई। इस पर प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल-लखनऊ एवं निदेशक (वितरण), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने समिति को

अवगत कराया कि प्रत्येक जनपद में विद्युत उपकेन्द्रों की जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) तैनात हैं जो कि सम्बन्धित जनपद के अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के नियंत्रणाधीन आते हैं। कतिपय प्रकरणों में अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) की नवीन तैनाती, परीक्षण खन्डों में यथावश्यक मैनपावर तैनात ना होने एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के अन्य विभागीय दायित्वों में अत्याधिक व्यस्त होने के कारण 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों की उपकरणों के परीक्षण में विलम्ब/लापरवाही होती है। इसके दृष्टिगत समिति ने सुझाव दिया कि 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों के उपकरणों की नियमित टेस्टिंग हेतु प्रत्येक वितरण क्षेत्र स्तर पर तैनात अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) को आऊटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने हेतु उत्तरदायी बनाया जाये एवं अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) वितरण क्षेत्र के प्रत्येक 33/11 केवी उपकेन्द्र की टेस्टिंग का शिड्यूल बनाकर सुनिश्चित करें कि प्रत्येक उपकेन्द्र का प्रोटेक्शन सिस्टम प्रत्येक तीन माह में अवश्य टेस्ट हो जाये (अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों के परीक्षण हेतु किसी वाह्य एजेन्सी को निविदा के माध्यम से तैनात कर सकते हैं)। अधीक्षण अभियन्ता (कार्य) द्वारा इसकी निविदा विद्युत वितरण मण्डल स्तर पर पृथक-पृथक आमन्त्रित की जायें एवं समस्त विद्युत वितरण निगमों हेतु इसकी मानक निविदा विशिष्टि, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल-मेरठ द्वारा तैयार की जायेगी।

विद्युत उपकेन्द्रों के नियमित/अनुरक्षण परीक्षण हेतु अतिरिक्त कार्मिकों/अधिकारियों की तैनाती के विकल्प पर गत देने हेतु समिति निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन से अपेक्षा करती है।

अवर अभियन्ताओं, उपकेन्द्र परिचालकों एवं लाईनमैन को नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायें एवं इसके लिये NTPC से सहयोग लिया जा सकता है।

3. **सार्वजनिक स्थलों में** स्थित भवनों/परिसरों की विद्युत सुरक्षा जांच :- बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश अपने स्तर से प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ विद्यालयों के भवनों में विद्युत सुरक्षा की जांच कर लें तथा जांच में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों को नोटिस दिये जायें। विद्युत सुरक्षा की जांच हेतु आऊटसोर्स एजेन्सी की सेवायें भी ली जा सकती हैं।

समिति ने सम्यक विचारोपरान्त यह भी प्रस्तावित किया कि:-

- प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र पर उससे निकलने वाले 11 केवी पोषकों एवं विद्युत वितरण उपकेन्द्रवार एलटी पोषकों की लाईन डायग्राम अवश्य होनी चाहिए।
- पेट्रोलिंग में पाये गये ढीले तारों को ठीक कराने की तत्काल कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित कर ली जाये।
- विद्युत लाईनों के नीचे तथा समीप लगे हुए पेड़ों की कांट-छांट नियमित रूप से की जाये।
- रोड क्रॉसिंग पर सड़क के निर्माण के उपरान्त विद्युत लाईन एवं सड़क के मध्य गैप में आई कमी के निराकरण हेतु लाईन को ऊँचा करने में आने वाले व्यय की धनराशि नगर निकाय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित विभाग से वसूली जाये। चूंकि यह कार्य भी लाइन शिफ्टिंग की प्रकृति के है।
- समिति ने इस कार्यवृत्त को समस्त वितरण निगमों को प्रेषित कर दो दिन में इस पर उनका मत प्राप्त करने का भी निर्णय लिया।

सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइनों के तारो (कण्डक्टर) की जमीन एवं छत/बालकनी से दूरी के मानक

- छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी **एल.टी. लाइन** हेतु – 2.44 मीटर (8 फीट)
- छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी **एच.टी. लाइन** हेतु (11 व 33 के.वी.) – 3.66 मीटर (12 फीट)
- भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी **एल.टी. लाइन/11 के.वी.** लाइन हेतु – 1.22 मीटर (4 फीट)
- भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी **33 के.वी.** लाइन हेतु – 1.83 मीटर (6 फीट)
- राडक के आर–पार **एल.टी. लाइन** हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी – 5.80 मीटर
- राडक के किनारे **एल.टी. लाइन** हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी – 5.50 मीटर
- **एच.टी. लाइन (11 व 33 के.वी.)** हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी – 6.10 मीटर

33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 फीडर के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु

- लाइन के खम्भे सीधे गड़े हो तथा जमीन में ठीक प्रकार से अवस्थित हो।
- लाइन मे प्रयुक्त कण्डक्टर की जमीन से ऊँचाई मानक से कम न हो।
- लाइन मे प्रयुक्त कण्डक्टर की स्थिति जर्जर न हो।
- कण्डक्टर इंसुलेटर से ठीक प्रकार बंधा हों।
- क्रास आर्म इंसुलेटर में टूट–फूट एवं टेढ़े न हो।
- लाइन के जम्पर पी0जी0 कलैम्प से विधिवत् टाइट होकर लगे हो।
- जम्पर मैटेलिक पार्ट से उचित दूरी पर हो।
- क्रास आर्म विधिवत टाइट हो तथा टेढ़े न हो।
- एगिल पोल पर स्टे एवं स्टे इंसुलेटर अवश्य लगी हो तथा टाइट हो।
- लाइन पेडों/झाड़ियों से दूर हो एव लाइन की क्लीयरेंस हेतु वृक्ष की शाखा की छटाई हो।
- पोल के मैटेलिक पार्ट विधिवत् अर्थ हो।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2218592, ई–मेल : cgmrespopcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्याः 1790 /सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2019 दिनांकः 15.7. , 2019

विषयः–**किसी भी प्रकार के घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33, 11 केवी एचटी लाईनों एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध मे।**

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमाचंल–मेरठ/दक्षिणाचंल–आगरा/
मध्याचंल–लखनऊ/पूर्वाचंल–वाराणसी एवं केस्को–कानपुर।

आज दिनांक 15 जुलाई 2019 को जनपद बलरामपुर में विद्युत हाईटेंशन तार के गिर जाने के कारण हुई दुःखद घटना के परिप्रेक्ष्य में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत के हाईटेशन तारों से सुरक्षा के लिये अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैं। तत्क्रम में प्रदेश में विद्युत लाईनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार सर्वे करा लिया जाये एवं इनको मानकों के अनुसार ना पाये जाने की स्थिति में इनका तत्काल अनुरक्षण कराया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता हैः–

1. विद्युत के हाईटेशन तारों से सुरक्षा के लिये अभियान सम्पूर्ण प्रदेश में चलाया जाये।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33 एवं 11 केवी लाईनों का स्वयं निरीक्षण करेगें जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का निरीक्षण किया जायेगाः–
   i. लाईन में विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी।
   ii. विद्युत लाईन हेतु प्रयुक्त कन्डक्टर की स्थिति (जर्जर तार होने पर तुरन्त प्रतिस्थापित किया जाना)।
   iii. विद्युत लाईन में खम्भे टेढ़े अथवा जंकयुक्त (केवल स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) तो नहीं हैं?
   iv. रोड क्रासिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रासिंग पर गार्डिंग की स्थिति।
   v. भविष्य में रोड के अनुरक्षण पर भी लाईन कन्डक्टर की रोड से मानकानुसार सुरक्षित दूरी रहेगी अथवा नही।
   vi. लाईन क्रासिंग पर दोनों लाईनों के मध्य क्लीरियेन्स। लाईन क्रासिंग पर गार्डिंग है कि नही ?
   vii. लाईन जम्फरों पर पीजी क्लैम्प लगे है अथवा नहीं?
   viii. लाईन के समस्त एंगिल पोलो एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत् टाइट हो।
   ix. सभी 33 केवी एवं 11 केवी पोषकों की ट्रिपिंग समुचित रुप से हो रही है अथवा नहीं?

पूर्व में भी विद्युत उपकेन्द्रों एवं उनसे संबंधित 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों की सघन पेट्रोलिंग करके आवश्यक अनुरक्षण किये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र सं0 3738/सीएमयू(डी)/विद्युत सुरक्षा/2018

दिनांक 22.11.2018, पत्र सं0 1667–रेस्पो/सौभाग्य/क्वालिटी सेल दिनांक 27.05.2019 एवं पत्र सं0 97–पीएसडी(डी)/ पीसीएल/2019 दिनांक 01.06.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशो के क्रम में उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण आगामी 10 दिन में सुनिश्चित करें एवं संबंधित उपखण्डाधिकारी एवं अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर युक्त आख्या संलग्न प्रारूप में तदुपरान्त अविलम्ब कारपोरेशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संबंधित अधीक्षण अभियंता (वितरण) उपरोक्त निरीक्षण एवं पायी गयी कमियों को समय सीमा में दूर कराने हेतु उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः– यथोपरि।

आलोक

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
2. निदेशक (वितरण), उप्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. समस्त निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0।

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33, 11 केवी एचटी लाईनों एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन के निरीक्षण का प्रारुप

वितरण निगमः–

विद्युत वितरण मन्डलः–

क्र0 सं0	वितरण खन्ड	उपखन्ड	अवर अभियन्ता नाम	33/11 केवी उपकेन्द्र का नाम	उपकेन्द्र में 33 केवी पोषक का नाम	उपकेन्द्र में कुल 11 केवी पोषक	पत्र के क्रम संख्या 1 से 9 के अनुसार निरीक्षण में पायी गयी कमिया	पायी गयी कमियों के निराकरण की कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

पत्रांक –2702/रेस्पा/ग्रा0वि0, दिनांक –6/8/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन एवं अन्य समस्त स्थानों में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल– mduppcl12@gmail.com
: 0522–2288377
(फैक्स) : 0522–2288410

पत्र सं0 2702 रेस्पो /ग्रा०वि०/ दिनाँक: 6 अगस्त, 2019

विषय : **अवैध निजी नलकूपो के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।**

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी
पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या–2529–रेस्पो/तक0/डार्क जोन दिनांक 25.07.2019 के अनुक्रम में योजना की गाईड लाइन्स को यथावत रखते हुये डार्क जोन एवं अन्य समस्त स्थानों पर नियमितीकरण हेतु योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

Aparna.U.
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति :–

1. निजी सचिव अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (पी०एफ0ए०), 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

C:\Users\uppcl\Downloads\dark zone letter.docx

पत्रांक –2140/रेस्पो/ तक0/नलकूप, दिनांक –31/7/2019, विवरण–नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु प्राथमिकता निर्धारण के दिशा–निर्देश

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
(CIN: U32201UP1999SGC024928)

संख्या: 2140-रेस्पो/तक0/नलकूप दिनांक : 31 जुलाई 2018

विषय: नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु प्राथमिकता निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मध्यांचल लखनऊ/पूर्वांचल वाराणसी/
दक्षिणांचल आगरा/पश्चिमांचल मेरठ।

मा0 ऊर्जा मंत्री जी [illegible] गया है कि कृषकों को निजी नलकूप के विद्युत [illegible] वरीयता बरती जा रही है जिससे कृषि उपभोक्ताओं [illegible] निर्गत [illegible] किया जाता है जिसके कारण [illegible] है।

अतः [illegible] हेतु वरीयता क्रम तथा [illegible] जाते हैं–

प्राथमिकता दिये जाने के [illegible]

1. [illegible] तिथि को ही वरीयता [illegible]
2. प्रोसेसिंग फीस जमा [illegible] दिये जायें।
3. [illegible]
4. निजी नलकूप [illegible]
5. [illegible]
6. यदि किसी [illegible]

है। यदि पूर्व वरीय उपभोक्ता प्रोसेसिंग फीस के उपरान्त एस्टीमेट (टर्म्स एवं कण्डीशन्स) की धनराशि निर्धारित अवधि (90 दिन) में जमा कर देता है तो उसकी वरीयता पूर्व की भांति यथावत् प्रतिष्ठापन में आ जायेगी। पुनरीक्षित वरीयता सूची जारी कर खण्डीय नोटिस बोर्ड पर एवं भण्डार केन्द्र को उसी दिन उपलब्ध करानी होगी।

7. खण्डीय स्तर पर उपलब्ध पंजिका में उपरोक्तानुसार समस्त विवरण अंकित किया जाये तथा उपभोक्ता वरीयता पंजिका जनसाधारण के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध होनी चाहिए।

उक्त पंजिका में अंकित विवरण के अनुसार वरीयता में विचलन अथवा अभिलेखीय त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ०प्र० सरकार, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक [illegible] निगम लिमिटेड, मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/[illegible]।

उत्तर

पत्रांक –2529/रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –26/7/2019, विवरण–अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन एवं अन्य समस्त स्थानों में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल– mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377
(फैक्स) : 0522–2288410

संख्या:2529–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक : 2 जुलाई, 2019

विषय : प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
दक्षिणांचल–आगरा/मध्यांचल–लखनऊ,
पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वांचल–वाराणसी।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–3864–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण किये जाने हेतु गाईड लाईन्स जारी की गई थी। गाईड लाईन्स के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार अभियान दिनांक 28.02.2019 तक चलाया जाना था।

पुनः कारपोरेशन के पत्र संख्या–820/रेस्पो/तक०/डार्क योजना दिनांक 07.03.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा योजना की अवधि दिनांक 28.02.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित की गई थी।

उक्त क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र संख्या–301/यू.पी.एस.सी.एच./पाकालि/दिनांक 22.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अनियमित निजी नलकूपों के संयोजनों को चिन्हित करने का अभियान चलाया जाए तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन स्तर से पूर्व में जारी की गई योजना के अन्तर्गत उनके नियमितीकरण की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर के अभियान चलाया जाए तथा भण्डार गृहों से निर्गत सामग्री का यदि गलत तरीके से इन अनियमित संयोजनों में उपयोग किया गया है तो सम्बन्धित अधिकारी, जिनके नाम सामग्री निर्गत की गई है, के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी की जाए। इस अभियान की प्रगति से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन मुख्यालय को अवगत कराया जाए। इसकी समीक्षा मा० ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में की जायेगी।

उक्त के अनुक्रम में योजना की अवधि दिनांक 31.10.2019 तक विस्तारित की जाती है।

पूर्व में निर्गत पत्र संख्या–3864–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 के बिन्दु संख्या–7 में कास्ट डाटा बुक 30.03.2016 के स्थान पर दिनांक 03.07.2019 को निर्गत नई कास्ट डाटा बुक के अनुसार निजी नलकूप संयोजन हेतु प्रोसेसिंग फीस एवं फिक्स चार्जेस जमा कराया जाए।

गाईड लाईन्स के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

पूर्व में निर्देशिका (गाईड लाईन) को निदेशक मण्डल (बी०ओ०डी०) के अनुमोदन की प्रत्याशा में शामिल कर डार्क जोन में अनियमित विद्युत संयोजनों का नियमितीकरण आरम्भ कर दिया जाए।

अतः अनुरोध है कि उक्त अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए साप्ताहिक प्रगति आख्या रेस्पो इकाई को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

Aparna U.
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

C:\Users\user\Desktop\Office\OFFICE LETTERS\Corporation.docx

पत्रांक –1864 रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –19/6/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु दिशा–निर्देश

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
ग्रामीण विद्युतीकरण एवं वितरण प्रणाली नियोजन संगठन
12 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ

संख्याः 1864 –रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक : 19 जून, 2019

विषय : प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन में अनयमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०,
12 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

कृपया दिनांक 18.06.2019 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे आपसे अनुरोध करते हुए अवगत कराने हेतु निदेशित किया गया है कि तत्सम्बन्धित प्रकरण में डार्क जोन विकास खण्डो में प्रतिबन्ध के उपरान्त निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण में अनियमितता बरती गई थी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 3864–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06.12.2018 के माध्यम से निजी नलकूप संयोजनों के नियमितीकरण हेतु विशेष दिशा–निर्देश पारित किये गये थे जिसके अन्तर्गत इस योजना के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु दिनांक 28.02.2019 तक की अवधि निर्धारित थी परन्तु कृषकों की ओर से सकारात्मक परिणाम न मिलने पर तिथि का विस्तारण दिनांक 31.03.2019 तक कर दिया गया था।

अतः उपरोक्त प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र (संलग्नक–1) आपके संज्ञानार्थ/अवलोकनार्थ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथा उपरोक्त।

19/6/19
(हर्ष मुंजी)
मुख्य अभियन्ता (पी०एफ०ए०)
(मो०नं० 9451390110)

20/6/19

संख्याः 134/पाकालि/बैठक(145–42)/2019
दिनाँकः 14 मार्च, 2019

निदेशक(वितरण)

दिनाँक 6 मार्च, 2019 को 'सभा कक्ष', शक्ति भवन, लखनऊ में सम्पन्न उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 145वीं बैठक के कार्यवृत्त का उद्धरण।

मद संख्या 145(42)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्क जोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण (गाईड लाईन) के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल ने सम्यक विचारोपरान्त डार्क जोन में संचालित अनियमित निजी नलकूपों के नियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या 3864–रेस्पो/तक0/डार्क जोन दिनाँक 06 दिसम्बर, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

निदेशक मण्डल ने साथ ही उक्त के अनुक्रम में योजना की अवधि दिनांक 28.02.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया। गाइड लाइन के अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

हस्ताक्षरित
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

सत्य प्रतिलिपि

(प्रदीप सोनी)
कम्पनी सचिव

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

Diary No. 667
Date 8-5-19
RESSPO

SE RE

EE(Tek)
9/5
Sh. Rajesh Prabhakar
KWF
10-5-2019

संख्या 1865मु0अ0वि0 वी0एक0एक0
दिनांक 7-5-19

पत्रांक –1253/ सी0एम0यू0(डी0)/ईई–3/वितरण, दिनांक –27/5/2019, विवरण–निजी नलकूपों के अधिभारित वितरण परिवर्तक के सम्बन्ध में

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
Email-mduppcl12@gmail.com
फोन नं0: 0522–2288377(का.) फैक्स 0522–2288410
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक सं0:1253सीएमयू (डी) /ईई–3/वितरण परिवर्तक दिनांक 27/05/2019

विषय :– निजी नलकूपों के अधिभारित परिवर्तकों के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा,
केस्को–कानपुर।

मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दि0. 30.04.19 की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के कम में अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि निजी नलकूपों पर लगे वितरण परिवर्तकों की ओवर लोडिंग के कारण क्षतिग्रस्तता की समस्या के निराकरण के लिये संयोजनों पर भारवृद्धि किये जाने एवं वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि किये जाने तथा भविष्य में तदानुसार असेसमेन्ट करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रकिया का परीक्षण कर लिया जाय।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह यह निर्णय लिया गया है कि एसे समस्त निजी नलकूप उपभोक्ताओं को स्वतः भार वृद्धि हेतु अवसर प्रदान किया जाना, तत्पश्चात् सामान्य विभागीय प्रक्रिया द्वारा भारवृद्धि समीचीन होगा। तत्क्रम में यह निर्देशित है कि

1. निजी नलकूप उपभोक्ताओं को स्वतः भार वृद्धि घोषणा का अवसर 01.06.2019 से 31.08.2019 की अवधि तक प्रदान करा दिया जाय। स्वतः घोषित भार वृद्धि योजनाबद्ध व प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु प्रचार प्रसार समाचार पत्रों, स्थानीय केबिल नेटवर्क एवं हैंडबिल के माध्यम से सम्बन्धित खण्ड/मंडल द्वारा कराया जाय।
2. उपभोक्ता के द्वारा यदि लोड बढ़ाये जाने से सम्बन्धित अवधि संज्ञानित की जाती है तो स्वतः घोषणा के अन्तर्गत आवश्यक साक्ष्य/हलफनामा के आधार पर संगत अवधि का एसेसमेण्ट (विद्युत आपूर्ति संहिता 2005– अद्यतन संशोधित में प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाय) एवं भार वृद्धि कर परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की जाय।
3. स्वतः घोषणा योजना की अवधि समाप्ति तक उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (अद्यतन संशोधित) में प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत एसेसमेण्ट इत्यादि की कार्यवाही किया जाय।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से मुख्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
Aparna.U.
(अपर्णा यू0)

प्रतिलिपिः– निजी सचिव, अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –1252/ सी0एम0यू0(डी0)/ईई–3/वितरण, दिनांक –27/5/2019, विवरण–निजी नलकूपों के अधिभारित वितरण परिवर्तक के सम्बन्ध में

अपर्णा यू0 आई0ए0एस0 प्रबन्ध निदेशक		उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 Email-mduppcl12@gmail.com फोन नं0: 0522–2288377(का.) फैक्स 0522–2288410 CIN : U32201UP1999SGC024928	

पत्रांक सं0:125 सीएमयू (डी) /ईई–3/वितरण परिवर्तक दिनांक 27/05/2019

विषय :– निजी नलकूपों के अधिभारित परिवर्तकों के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा,
केस्को–कानपुर।

मा0 ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में दि0. 30.04.19 को शक्ति भवन–विस्तार में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के अनुक्रम में निजी नलकूपों पर लगे वितरण परिवर्तकों की ओवर लोडिंग के कारण क्षतिग्रस्तता की समस्या के निराकरण के लिये संयोजनों पर भारवृद्धि किये जाने एवं वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि किये जाने तथा भविष्य में तदानुसार असेसमेन्ट करने के उद्देश्य से वर्तमान प्रकिया का परीक्षण कर लिया जाना आवश्यक है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में कृपया निजी नलकूपों के स्वीकृत भार से अधिक भार संयोजित होने के चिन्हीकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय :

1. ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण जहाँ परिवर्तक बार–बार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। क्षमतावार ऐसे स्थानों/परिवर्तकों की तकनीकी दृष्टि से निरीक्षण कर सूची तैयार कर लिया जाय।
2. ऐसे फीडर का चिन्हीकरण जिन पर संयोजित निजी नलकूपों के परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता अधिक हो। इस स्थिति में भूमि के जल–स्तर से संदर्भ में नलकूपों के स्वीकृत भार का आंकलन।
3. कृषि हेतु पृथक किये गये फीडर पर संयोजित समस्त नलकूपों के भार के सापेक्ष फीडर पर स्थापित मीटर में अंकित औसत भार अधिक है, उस स्थिति में नलकूपों के भार का आंकलन।

अनुरोध है कि अपने डिस्काम से सम्बन्धित उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही सूचना आख्या दिनांक 28.05.2019 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Aparna U.
(अपर्णा यू0)

प्रतिलिपिः– निजी सचिव, अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –820–रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –7/3/2019, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल– mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377
(फैक्स) : 0522–2288410

संख्या: 820 –रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक : 07 मार्च, 2019

विषय: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्कजोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी/
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ।

उपरोक्त विषय के [illegible] संख्या 3864–रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06 दिसम्बर [illegible] करें, जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में [illegible] निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण किये [illegible]

उक्त पत्र के [illegible] बिन्दु संख्या–10 पर उद्धरित किया गया था कि यह योजना [illegible] 28.02.2019 [illegible]

उक्त के [illegible] दिनांक 28.02.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित [illegible] अन्य बिन्दु यथावत रहेंगे।

(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –3864 रेस्पो/तक0/डार्क जोन, दिनांक –12/6/2018, विवरण– अवैध निजी नलकूपो (डार्क जोन में) के नियमितिकरण हेतु

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल– mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522–2288377
(फैक्स) : 0522–2288410

संख्याः 3864/रेस्पो/तक०/डार्क जोन दिनांक 06 दिसम्बर, 2018

विषयः प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डार्कजोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी/
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ।

जनपद हाथरस में डार्कजोन में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई जिसमें जाँच कराने पर पाया गया कि कतिपय तरीकों से जनपद के डार्कजोन में अनियमित रूप से निजी नलकूपों को विद्युत संयोजन दिये गये हैं। अनियमित रूप से विद्युत लाईनों का निर्माण कराया जाना, ऐसे अनियमित संयोजनधारकों के पास पासबुक तैयार हो जाना एवं सर्विस कनेक्शन चार्ज जमा नहीं होना इत्यादि अनियमितता प्रकाश में आई। इस प्रकार स्थितियां प्रदेश के अन्य जनपदों के वितरण खण्डों में भी संभावित है।

जाँच समिति द्वारा आख्या में डार्क जोन में ऐसे अनियमित विद्युत संयोजन को नियमित किये जाने हेतु विभिन्न दिशा–निर्देश सहित संस्तुति दी गयी है। इस अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि डार्क जोनों में अनियमित रूप से चलाये जा रहे निजी नलकूपों के संयोजन का नियमितीकरण विभागहित में किया जाये। संयोजन नियमितीकरण हेतु कृपया निम्न निर्देशों (गाईड लाईन) का अनुपालन किया जाये :–

1. चिन्हित अनियमित विद्युत संयोजनों को नियमित किये जाने हेतु चिन्हित उपभोक्ताओं को पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा संयोजन नियमित कराये जाने हेतु सूचित किया जाये।
2. समाचार पत्रों के माध्यम से भी नियमितीकरण हेतु सूचना दिनांक 25.12.2018 तक प्रकाशित करायी जाये।
3. संयोजनों के नियमितीकरण हेतु योजना लागू होने की तिथि 25.12.2018 से अनुमन्य किया जाये।
4. आवेदनकर्ता के द्वारा निजी नलकूपों की अनियमित लाईन का निर्माण किये जाने सम्बन्धी विवरण एवं उसको नियमित कराये जाने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र देकर अपना आवेदन किया जाये।
5. वर्तमान में विद्युत लाईनों के अनियमित रूप से निर्मित किये जाने के कारण विद्युत लाईनों के इनके नियमित किये जाने की दशा में इन्हीं लाईनों/परिवर्तकों को उपयोग में लाकर एकमुश्त धनराशि जमा कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रति नलकूप संयोजन की विद्युत लाईनों/परिवर्तक हेतु लगभग 1.5 लाख धनराशि का औसत आंकलन लिये जाने व भण्डार से किसी अतिरिक्त सामग्री के निर्गत न किये जाने की दशा में इस आंकलित राशि का 15 प्रतिशत रू० 22500.00 मात्र एकमुश्त प्रति संयोजन लाईन इत्यादि के नियमित किये जाने हेतु जमा कराया जा सकता है।

C:\Users\user\Desktop\Office\OFFICE LETTERS\Carporation.docx

6. अनियमित रूप से निर्मित लाईन के विभागीय मानकों के अनुरूप न होने की दशा मे लाईन को ठीक करने हेतु यदि किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता होती है तो उसका अनुमोदन मुख्य अभियन्ता स्तर से गठित द्विसदस्यीय समिति की आख्या अनुरूप किया जा सकता है। इस आवश्यक सामग्री का पूर्ण व्यय आवेदनकर्ता द्वारा ही वहन किया जाये। निश्चित की गई सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री भण्डार से निर्गत नहीं की जाये।
7. उक्त धनराशि के अतिरिक्त कास्ट डाटा बुक वर्ष 03.03.2016 के अनुसार निजी नलकूप संयोजन हेतु प्रोसेसिंग फीस रू० 100.00/सिक्योरिटी रू० 300.00 प्रति हार्स पावर, सिस्टम लोडिंग चार्जेज रू० 300.00 प्रति किलोवाट एवं फिक्स चार्जेज रू० 5000.00 (7.5 हार्स पावर व अधिक भार के लिए) जमा कराये जायें।
8. आवेदनकर्ता के द्वारा जिस तिथि से निजी नलकूपों की बोरिंग स्थापित की गई है, विद्युत बिल उसी तिथि के अनुरूप नियमानुसार जमा कराया जाये।
9. जिन प्रकरणों में उपभोक्ता के पास पासबुक है तथा पूर्व संयोजन एवं सर्विस कनेक्शन हेतु चार्ज इत्यादि जमा नहीं किया गया है ऐसे अनियमित संयोजनों को नियमित किये जाने की दशा में उसके द्वारा किया गया भुगतान सम्बन्धी विवरण वितरण खण्ड द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद निर्धारित विद्युत बिल में संयोजित किया जा सकता है।
10. यह योजना दिनांक 28.02.2019 तक के लिये लागू की जाये तथा इसमें नियमित किये गये उपभोक्ताओं का अभिलेख खण्ड में सुरक्षित रखा जाये।
11. संयोजन के नियमित किये जाने हेतु नलकूप के ऊर्जीकरण/बोरिंग की तिथि को निश्चित करने हेतु मुख्य अभियन्ता (वितरण) के स्तर से एक द्विसदस्यीय समिति गठित की जाये।
12. नलकूप संयोजन हेतु पूर्व में अनियमित रूप से निर्मित की गई लाईन का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा सुनिश्चित कराया जाये तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रयुक्त की गई सामग्री का विवरण भी प्राप्त किया जाये।
13. ऐसे प्रकरण जो नियमितीकरण किये जाने की योजनावधि में नियमित नहीं किये जाते हैं उन पर विद्युत चोरी एवं विभागीय सामग्री के अवैध भण्डारण/चोरी को मानकर अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
14. उक्त योजना के लागू किये जाने से पूर्व सम्बन्धित डिस्काम के निर्देशक मण्डल द्वारा अनुमोदित करा लिया जाये।

उपरोक्त निर्देशिका (गाईड लाईन) को निर्देशक मण्डल (बी०ओ०डी०) के अनुमोदन की प्रत्याशा में शामिल कर डार्क जोन में अनियमित विद्युत संयोजनों का नियमितीकरण आरम्भ कर दिया जाये।

Aparna U.
(अपर्णा यू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, सम्बद्ध अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

C:\Users\user\Desktop\Office\OFFICE LETTERS\Corporation.docx

पत्रांक –3253/रेस्पा/द्वि0प्र0/भूमिगत केबलिंग, दिनांक –25/9/2019, विवरण–भूमिगत केबिलिंग के कार्यों के सम्पादन, अनुरक्षण एवं ब्रेकडाउन मैनेजमेंट हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287804, ई–मेल : dduppcl@gmail.com
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्र सं0: 3253 /पी.एफ.ए./ दिनॉक: 26 सितम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय: **भूमिगत केबिल के संरक्षण के सम्बन्ध में।**

विगत दिनों में भूमिगत केबिल वाले टाउन में विद्युत आपूर्ति के व्यवधान होने पर उनको समय से निदान करने में अत्यधिक विलम्ब होना संज्ञानित किया गया है। मुख्यालय पर हुयी विभिन्न बैठकों में नगर निगमों में भी विद्युत आपूर्ति की समस्या के परिपेक्ष्य में फाल्ट लोकेटर की उपलब्धता का विवरण लिया जाता रहा है, परन्तु छोटे टाउनों में भूमिगत केबिल में दोष आने पर उसके निदान हेतु कोई विवरण डिस्काम द्वारा कभी संज्ञानित नही किया गया। यह अवगत कराया गया है कि छोटे टाउनों में फाल्ट लोकेटर की व्यवस्था नही है जिससे फाल्ट के चिन्हीकरण में अत्यधिक समय लग रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में चिन्हित निर्देशित किया जाता है:–

- जिन बड़े टाउनों में फाल्ट लोकेटर उपलब्ध है, उनके सफल क्रियान्वयन हेतु चालक तथा भिज्ञ कर्मी की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि अल्प समय में फाल्ट को चिन्हित करके विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- जिन बड़े टाउनों में अभी फाल्ट लोकेटर की उपलब्धता नही है, उनमें भूमिगत केबिल फाल्ट का चिन्हीकरण वाह्य एजेन्सी के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
- छोटे टाउनों में भूमिगत केबिल फाल्ट का चिन्हीकरण हेतु कलस्टर बनाकर वाह्य एजेन्सी से कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- भविष्य में भूमिगत केबिल डालने की योजनाओ में 5 वर्ष की ए0एम0सी0 का प्रावधान भी अवश्य किया जायें।

उक्त कार्य हेतु अविलम्ब निविदा निकालकर 60 दिवसों में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त समस्त कार्यो के क्रियान्वयन हेतु निदेशक (तकनीकी), डिस्काम उत्तरदायी होगें।

Aparna. U.
(अर्पणा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. मुख्य अभियंता, पी.एफ.ए., उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक –2905/रेस्पो/ग्रा0वि0/शि0–1, दिनांक –29/5/2019, विवरण–विभिन्न योजनाओं (आई.पी.डी.एस, डी,डी,यू,जी,जे,वाई, 11वीं, 12वीं, नवीन, सौभाग्य, बिजनेस प्लान एवं आरईसी/पी,एफ,सी से ऋण) के अन्तर्गत में प्रयुक्त ए0बी0 केबिल विवरण तथा लाभान्वित होन वाले उपभोक्ताओं के संबंध में

8-4

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 2905/रेस्पो/ग्रा0वि0/शि0-1 दिनांक : 29 मई, 2019

विषय : विभिन्न योजनाओं (डी.डी.यू.जी.जे.वाई. 11वीं, 12वीं, नवीन, सौभाग्य योजना, आई.पी.डी.एस. योजना, बिजनेस प्लान एवं आरईसी/पी.एफ.सी. से ऋण) के अन्तर्गत प्रयुक्त ए.बी. केबिल के विवरण तथा लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०,
दक्षिणांचल–आगरा/मध्यांचल–लखनऊ
पूर्वांचल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ,
केस्को–कानपुर।

आप अवगत है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी की आगामी बैठक दिनांक 31.05.2019 में उपरोक्त विषयक विभिन्न योजनाओं (डी.डी.यू.जी.जे.वाई. 11वीं, 12वीं, नवीन, सौभाग्य योजना, आई.पी.डी.एस. योजना, बिजनेस प्लान एवं आरईसी/पी.एफ.सी. से ऋण) के अन्तर्गत प्रयुक्त किये गये एवं किये जाने वाले ए.बी. केबिल तथा लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की चर्चा होना सम्भावित है।

अतैव आपसे अनुरोध है कि डिस्कॉम में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रयुक्त ए.बी. केबिल का जनपदवार विवरण संलग्न प्रारूप में प्रेषित कराने एवं सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को विवरण सहित बैठक में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

(अपर्णा यू.)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र सं0 : /रेस्पो/ग्रा0वि0/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण क्षेत्र–लखनऊ/लेसा–ट्रान्स गोमती/लेसा–सिस गोमती फैजाबाद/देवीपाटन/बरेली।
3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण क्षेत्र–वाराणसी/मिर्जापुर/प्रयागराज/गोरखपुर/बस्ती/आजमगढ़।
4. मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण क्षेत्र–मेरठ/गाजियाबाद/नोएडा/सहारनपुर/मुरादाबाद।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण क्षेत्र–आगरा/अलीगढ़/झांसी/बाँदा/कानपुर।

(अपर्णा यू.)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner

विभिन्न योजनाओं में प्रयुक्त ए.बी. केबिल का विवरण

डिस्कॉम का नाम :______ जनपद का नाम : ______ दिनांक :

जनपद का नाम	डी.डी.यू.जी.जे.वाई. 11वीं योजना		डी.डी.यू.जी.जे.वाई. 12वीं योजना		डी.डी.यू.जी.जे.वाई. (नवीन)		सौभाग्य योजना		आई.पी.डी.एस. योजना		बिजनेस प्लान में शहरी क्षेत्र के कार्य		वित्तीय संस्था से ऋण लेकर कराए गये कार्य		कुल योग	
	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या	कुल ए.बी. केबिल (किमी)	लाभान्वित उपभोक्ता की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Scanned by CamScanner

पत्रांक –2870 /रेस्पो/ , दिनांक –26/8/2019, विवरण– बाँस बल्लियों द्वारा दिये गये संयोजनों के नियमितीकरण हेतु मानक एवं धनराशि व्यवस्था

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
CIN NO: U32201UP1999SGC024928
दूरभाष : 0522–2288377
फैक्स : 0522–2288410
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com

संख्या 2870 /रेस्पो   दिनांक : अगस्त 26, 2019

विषय : बॉस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गये संयोजनों के नियमितिकरण एवं नये संयोजनों के निर्गमन हेतु कियान्वित योजना के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी
दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ
केस्को–कानपुर।

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2058/रिस्पो/[illegible] दिनांक 23.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी में बांस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गये संयोजनों के नियमितिकरण एवं नये संयोजनों के निर्गमन हेतु योजना कियान्वित की गई जिसके क्रम में पत्र संख्या 1102 ग्रा0वि0(उ0प्र0पा0का0लि0)/राजस्व–2/आर–7 दिनांक 17.12.18 के माध्यम से विषयगत योजना हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किये गये। इस योजना के अन्तर्गत कार्य सपादित किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था निम्नानुसार की गई थी–

- कुल खर्च का 1/3 बिजनेस प्लान से।
- बचे हुए 2/3 धनराशि को लाभार्थी कन्ट्रीब्यूशन, विधायक निधि एवं 'जिला विद्युत विकास निधि योजना' के अन्तर्गत ओ0सी0 फण्ड से।

तत्क्रम में यह संज्ञान में लाया गया कि उपरोक्तानुसार धनराशि विशेषकर लाभार्थी कन्ट्रीब्यूशन, की व्यवस्था न हो पाने के कारण योजना का क्रियान्वयन संभव नहीं हो पा रहा है। अतः योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, सम्यक विचारोपरान्त धनराशि की व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

- कुल प्राक्कलित धनराशि का 1/3 भाग बिजनेस प्लान से।
- कुल प्राक्कलित धनराशि का 1/3 भाग संबंधित क्षेत्र के मा0 सासद/विधायक निधि से।
- कुल प्राक्कलित धनराशि का 1/3 भाग "जिला विद्युत विकास निधि योजना" से।

योजना की अन्य शर्तें पूर्वानुसार लागू रहेंगी।

संलग्नकः यथोपरि।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2870 /रेस्पो   तद्दिनांक 26-08-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण/वाणिज्य/वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), वि0वि0नि0लि0
   मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक –1302–कार्य/चौदह–पा.का.लि./2019–3के.वी./95, दिनांक –25/7/2019, विवरण– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रचलित योजनाओ हेतु सुपरविजन चार्जेस के संदर्भ में

4-9

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1302–कार्य/चौदह–पाकालि/2019–3 केवी/95 दिनांकः 25 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के सहयोगी वितरण निगमों एवं केस्को में लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) के अन्तर्गत प्रदेश में प्रचलित परियोजनाओं हेतु यूटीलिटी शिफ्टिंग (33 केवी तक की लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की शिफ्टिंग) के कार्यों को लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा निम्नवत प्रतिबन्धों के साथ कराये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है –

1. प्रश्नगत् कार्यों हेतु 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज्ज देय होगा।

2. प्रश्नगत् कार्यों को सम्बन्धित वितरण निगम के अनुमोदित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स अथवा मानकों के अनुसार लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) द्वारा प्रस्तावित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स जिन्हें डिस्काम अनुमोदित करे, के माध्यम से कराया जा सकेगा।

अध्यक्ष

संख्या 1302–(1)–कार्य/चौदह–पाकालि/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण (कार्मिक एवं प्रशा० / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कार्पोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण (का०प्र० एवं प्रशा० / वित्त / वितरण / वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव–I,II,III, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) / अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार), समस्त डिस्काम।
12. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

निदेशक (वितरण) उ०प्र०पा०का०लि०

पत्रांक –441 /रेस्पो / बांस बल्ली , दिनांक –6/2/2019, विवरण– बाँस बल्लियों द्वारा दिये गये संयोजनों के नियमितीकरण हेतु मानक एवं धनराशि व्यवस्था

बांस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गये संयोजनों के नियमतीकरण एवं नये संयोजनों का निर्गमन सम्बन्धी आदेश (आदेश सं0:– 441/रेस्पो/बांस–बल्ली दिनांक 06.02.2019):–

- बसावट में न्यूनतम 40 घर हों।
- 70 प्रतिशत घरों का निर्माण पूर्ण एवं विद्युत संयोजन युक्त।
- समस्त छूटे हुये घरों को संयोजन प्रदान किया जाये।
- बसावटों का चयन अधिकतम संयोजन, प्रति घर न्यूनतम वित्तीय लागत एवं उपलब्ध फन्ड के आधर पर।
- सामान्यतः प्लाटों का आकार 200 वर्ग मीटर से कम हो तथा कालोनाईजर द्वारा प्लाटिंग ना की जा रही हो।
- लोड एवं वोल्टेज की दृष्टि से आवश्यक होने पर न्यूनतम एचटी लाईन निर्मित कर वितरण परिवर्तक से सुदृढ़ीकरण अनुमन्य।
- केवल एलटी लाईनों के विस्तारीकरण से बांसबल्ली पर निर्गत संयोजनों चाले व अधिकतम नये संयोजनों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता।
- **वित्त पोषण:–**
  - (क) कुल प्राक्कलित धनराशि का 2/3 भाग बिजनेस प्लान से।
  - (ख) कुल प्राक्कलित धनराशि का 1/3 भाग क्षेत्र के मा0 विधायक/ सांसद निधि से।

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी

विजय कुमार
निदेशक (वितरण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

संख्या 441/रेसपो/बाँस-बल्ली | दिनांक: फरवरी 06, 2019

विषय : बॉस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गये संयोजनों के नियमितिकरण एवं नये संयोजनों के निर्गमन् के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0
पश्चिमांचल–मेरठ/मध्यांचल–लखनऊ/
दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी/केस्को–कानपुर।

कृपया प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0 2055/रेसपो/बॉस–बल्ली दिनांक 23.07.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से बॉस बल्लियों द्वारा पूर्व में दिये गये संयोजनों के नियमितिकरण एवं नये संयोजनों के निर्गमन हेतु निम्नवत मानक निर्धारित किये गये थे:–

1. बसावट में न्यूनतम 40 घर हों।
2. विद्युत तंत्र बनाने हेतु उन्हें क्षेत्रों को संज्ञान में लिया जाये जहाँ 70 प्रतिशत आवास निर्मित हो और उनमें विद्युत संयोजन निर्गत हो।
3. बसावट हेतु प्रयुक्त प्रति पोल पर औसतन 05 संयोजन आ रहे हों।
4. समस्त छूटे हुए घरों में संयोजन प्रदान किया जाये।
5. बसावटों को अधिकतम संयोजन एवं प्रति घर संयोजन कम आने वाले खर्चे को संज्ञान में लेकर उपलब्ध फण्ड के आधार पर वरीयता दिया जाय।
6. सामान्यतः ऐसी बसावटों में 200 वर्ग गज से अधिक के प्लाट न हों एवं वर्तमान में किसी भी कालोनाइजर द्वारा प्लाटिंग न की जा रही हो।
7. विद्युत तंत्र के स्थापन हेतु धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् रूप से की जाय–
   - कुल खर्च का 1/3 बिजनेस प्लान से।
   - बचे हुए 2/3 धनराशि को लाभार्थी कन्ट्रीब्यूशन, आर0सी0 फण्ड तथा सांसद/विधायक निधि से।
8. एल0टी0 विस्तारीकरण का औचित्य देख लिया जाये। लोड एवं वोल्टेज की दृष्टि से आवश्यक हो तो न्यूनतम एच0टी0 लाइन निर्मित करके उचित क्षमता के परिवर्तक से आवश्यक सुदृढ़ीकरण किया जाये।
9. प्रथम चरण में उन्हीं स्थानों का चयन किया जाये जहाँ पर केवल एल0टी0 लाइनों का विस्तारीकरण कर बॉस बल्ली पर दिये गये संयोजनों का नियमितीकरण किया जाये साथ ही अधिकतम नये संयोजनों को निर्गत किया जा सके।
10. समस्त नये संयोजन अधिशासी अभियन्ता वितरण की अनुमति के उपरान्त ही उपखण्ड अधिकारी, वितरण द्वारा निर्गत किये जाये।

उपरोक्त संदर्भ में मुझे आपको यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि बिन्दु 7 के संदर्भ में दिनांक 31.03.2019 तक किये जाने वाले कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था निम्नवत् रूप से की जाये:–

विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

- कुल प्राकलित धनराशि 2/3 भाग बिजनेस प्लान से
- कुल प्राकलित धनराशि का 1/3 भाग क्षेत्र के मा0 विधायक/सांसद निधि से।

अतः उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थित बॉस-बल्लियों के ऐसे क्षेत्र का प्रस्ताव उपरोक्तानुसार तैयार कराकर शीघ्र रेस्पो इकाई (cgmrespopcl@gmail.com) को परीक्षण एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता (वितरण) को क्षेत्र के मा0 विधायक/सांसद को बनाये गये प्रस्ताव से अवगत कराते हुये उनकी निधि से वांछित धनराशि हेतु सहमति प्राप्त कर लें।

संलग्नक : यथोपरि।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

संख्या रेस्पो/बॉस-बल्ली तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, (तकनीकी/वित्त), वि0वि0नि0लि0, पश्चिमांचल-मेरठ/मध्यॉचल-लखनऊ/दक्षिणांचल -आगरा/पूर्वांचल- वाराणसी/केस्को-कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (पीएफए), रेस्पो, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (सीएमयूडी), शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कट फाईल।

(विजय कुमार)
निदेशक (वितरण)

पत्रांक –3208 / रेस्पो / सौभाग्य, दिनांक –15 / 10 / 2018, विवरण–प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरों को विभिन्न योजनाआ में संयोजन निर्गत करके विषयक दिशा–निर्देश

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
(CIN: U32201UP1999SGC024928)

संख्याः 3208 रेस्पो / सौभाग्य / दिनांक : 15-10- ~~सितम्बर~~ 2018

विषयः प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घरों को विभिन्न योजनाओं में संयोजन निर्गत करके विषयक दिशा–निर्देश।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
मध्यांचल–लखनऊ / पूर्वांचल–वाराणसी /
दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में Poor/Non Poor परिवारों को विभिन्न योजनाओं में संयोजन निर्गत किये जा रहे है जिनमें विद्युत संयोजन देने की प्रक्रिया एवं शुल्क पृथक–पृथक है इस कारण उपभोक्ताओं एवं विभागीय विद्युत कार्मिकों में भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो जाती है।

उक्त हेतु सम्यक विचारोपरान्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में Poor/Non Poor परिवारों को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु एक सरलीकरण किया गया है जो कि संलग्न है।

कृपया उक्त का व्यापक प्रचार–प्रसार करायें तथा सभी 33/11 के0वी0 वितरण उपकेन्द्रों पर वाल राइटिंग भी करायी जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

उत्तर प्रदेश

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रति–

1. निजी सचिव, सम्बद्ध अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कामर्शियल), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल–लखनऊ / पूर्वांचल–वाराणसी / पश्चिमांचल–मेरठ / दक्षिणांचल–आगरा।
5. निदेशक (कामर्शियल), विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल–लखनऊ / पूर्वांचल–वाराणसी / पश्चिमांचल–मेरठ / दक्षिणांचल–आगरा।

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत तन्त्र एवं संयोजन निर्गत करने हेतु दिशा–निर्देश

क्र० सं०	ग्राम/मजरे/बस्तियों का विवरण	विद्युत तन्त्र का निर्माण	योजना जिसमें संयोजन दिया जाना है।	संयोजन का प्रकार	संयोजन शुल्क
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण					
	ग्रिड प्रणाली से विद्युतीकृत/ पहुच वाले सामान्य ग्राम/मजरे				
1.	बीपीएल परिवार	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/ सौभाग्य योजना।	बीपीएल किट के साथ संयोजन	निःशुल्क
2.	SECC Data 2011 के अनुसार गरीब परिवार	सौभाग्य योजना/ एचटी इन्फ्रा के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि।	सौभाग्य योजना।	बीपीएल किट के साथ संयोजन	निःशुल्क
3.	अन्य/नान पूअर परिवार		सौभाग्य योजना।	बीपीएल किट के साथ संयोजन	रु. 50 प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किस्तों में।
4.	ग्राम के चौराहों/ग्राम के समीप गुजर रहे राजमार्गों के समीप घर/बस्तियां।	यदि समूह में पूअर/नॉन पूअर घरों की संख्या 10 अथवा 10 से अ[illegible] निकटवर्ती [illegible] से न्यूनतम दूरी 0.5 किमी [illegible]	सौभाग्य योजना/एचटी इन्फ्रा के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने [illegible] जनपद स्तर से प्रति [illegible] 5 संयोजन मानक के अनुसार।	बीपीएल किट के साथ संयोजन	SECC Data 2011 के अनुसार गरीब परिवार को निःशुल्क संयोजन तथा नॉन पूअर घरों को रु. 50 प्रतिमाह की कुल 10 मासिक किस्तों में।
		सामान्य दरों पर	[illegible] प्रतिबन्ध	विद्युत संयोजन	सामान्य दरों पर।
5.	दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर स्थित घर जहां ग्रिड प्रणाली से विद्युत संयोजन व्यवहारिक नहीं है।		सौभाग्य योजना।	सोलर पावर पैक प्रणाली से ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण।	निःशुल्क।
शहरी					
	ग्रिड प्रणाली के माध्यम से				
1.	SECC Data 2011 के अनुसार गरीब परिवार	सौभाग्य योजना में एलटी तन्त्र का निर्माण।	सौभाग्य योजना।	विद्युत संयोजन	SECC Data 2011 के अनुसार गरीब परिवार को निःशुल्क संयोजन।
	अन्य नॉन पूअर परिवार/ उपभोक्ता।	सुगम संयोजन योजना के प्राविधानों के अनुसार।	सुगम संयोजन योजना।	सुगम संयोजन योजना के प्राविधानों के अनुसार विद्युत संयोजन।	सुगम संयोजन योजना के प्राविधानों के अनुसार किस्तों में।
2.	नगर निगमों की बाहरी	कालोनी के अध्यासियों	3000 विद्युत नियामक	सामान्य प्रक्रिया के	SECC Data 2011

O/mo
ED Rvvpo

	सीमा में अविकसित/ अविद्युतीकृत कालोनियां	भूखण्ड के क्षेत्रफल पर रु. 35 प्रति वर्गफुट की दर से विकास शुल्क। SECC Data 2011 के अनुसार फूअर घर के प्लाट एरिया को छोड़ते हुये अन्य से विकास शुल्क।	आयोग के आदेश संख्या UPERC/Secy/ Regulations/Supply Code/2016/1061 दिनांक 21.06.2016 के अनुसार	अनुसार।	के अनुसार फूअर घर को 'सौभाग्य' योजना में निःशुल्क संयोजन तथा अन्य को सामान्य दरों पर।

नोट- ग्रामीण क्षेत्र के क्रम संख्या 5 के उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य सभी उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन के उपरान्त विद्युत उपभोग शुल्क उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा संदर्भित श्रेणी हेतु अनुमोदित दरों पर देय होगा।

पत्रांक –1493/रेस्पो/पी0एफ0ए0, दिनांक –5/9/2019, विवरण–अधिक ए०टी० एण्ड सी० हानियों वाले चिन्हित शहरी क्षेत्रों में ए०बी० केबल लगाये जाने के कार्यों की प्उचंबज त्मचवतज

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
CIN NO: U32201UP1999SGC024928
दूरभाष : 0522–2286377
फैक्स : 0522–2288410
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com

(10)

संख्या 1493 रेस्पो/पी0एफ0ए0 दिनांक : मई 09, 2019

विषय : अधिक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों वाले चिन्हित शहरी क्षेत्रों में ए0बी0 केबिल लगाये जाने के पूर्ण कार्यों के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/मध्यांचल–लखनऊ
दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी।

आप अवगत है कि अधिक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों वाले चिन्हित शहरी क्षेत्रो में बिजनेस प्लान 2018–19 के माध्यम से ए0बी0 केबिल लगाये जाने हेतु योजना के अन्तर्गत आपके वितरण निगम के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इस संबंध में आपके वितरण निगम के अन्तर्गत संबंधित अधिकारियों द्वारा रेस्पो कार्यालय को प्रेषित साप्ताहिक सूचना के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 03.05.19 तक पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 27 स्थानों, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 04 स्थानों एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में 02 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है किन्तु संपादित कार्यों के प्रभावों की आख्या (निर्धारित प्रारूप में) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा नहीं प्रेषित की गई है। (विवरण संलग्न–संलग्नक 'क')

ए0बी0 केबिल लगाये जाने के उपरान्त संबंधित फीडर की ऊर्जा खपत एवं ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में आपेक्षित प्रभावों का अध्ययन अग्रिम वित्तीय वर्षों में ऐसी योजनाओं को लागू करने/जारी रखने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अतःआपसे अनुरोध है कि विषयगत योजना के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के प्रभावों का हस्ताक्षरित विवरण संलग्न प्रारूप (संलग्नक–'ख') में प्रेषित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 1493 रेस्पो/पी0एफ0ए0 तद्दिनांक 09-05-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक(तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

..... विद्युत वितरण निगम लि0

ए0बी0 केबिल (शहरी) परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण कार्य का विवरण

(Impact Analysis)

1. विद्युत वितरण मण्डल एवं खण्ड का नाम–
2. 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का नाम–
3. संबंधित फीडर जिससे संबंधित स्थान संयोजित/पोषित–
4. संबंधित वितरण परिवर्तकों के नाम एवं क्षमता (केवीए)–
5. चिन्हित स्थान का नाम (जहाँ कार्य पूर्ण किया जा चुका है)–
6. स्थापित ए0बी0 केबिल (मीटर में)–
7. कुल व्यय धनराशि (रूपये में)–
8. वास्तविक पे बैक अवधि (महीने में)–
9. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि–
10. कार्य पूर्ण करने की तिथि–
11. उपभोक्ताओं की संख्या–
    (i) कार्य प्रारम्भ होने से पहले–
    (ii) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त–
12. 11 के0वी0 फीडर की औसत दैनिक ऊर्जा खपत (kWh)–
    (i) कार्य पूर्ण होने से पूर्व –
    (ii) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त –
13. प्रोजेक्ट एरिया में औसत दैनिक ऊर्जा खपत (kWh)–
    (i) कार्य पूर्ण होने से पूर्व –
    (ii) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त –
14. ए.टी.सी. हानियां (प्रतिशत में)–
    (i) कार्य प्रारम्भ होने से पहले–
    (ii) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त–

निदेशक (तकनीकी)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

पत्रांक –2439 / रेस्पो / द्वि०प्र० / कैपेसिटर, दिनांक –19 / 7 / 2019, विवरण–33 / 11 के०वी० उपकेन्द्रों पर स्थापित कैपेसिटर बैंक के वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में

(9)

अपर्णा यू०
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
CIN NO: U32201UP1999SGC024928
दूरभाष : 0522–2288377
फैक्स : 0522–2288410
ई–मेल : mduppcl12@gmail.com

संख्या 2439 रेस्पो / द्वि०प्र० / कैपेसिटर दिनांक : जुलाई 19, 2019

विषय : 33 / 11 केवी उपकेन्द्रो पर स्थापित कैपेसिटर बैंको के वार्षिक अनुरक्षण (Annual Maintenance) के संबंध में ।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि०,
मध्यांचल–लखनऊ / पूर्वांचल–वाराणसी
दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ।

आप अवगत है कि प्रदेश के समस्त वितरण निगमों के अन्तर्गत 33 / 11 केवी उपकेन्द्रो में स्टेट फण्ड एवं आई०पी०डी०एस० योजनाओं के अन्तर्गत कैपेसिटर बैंको की स्थापना का कार्य किया जा रहा हैं। स्टेट फण्ड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापित 11 केवी कैपेसिटर बैंको की एक वर्ष की वारंटी अवधि के उपरान्त तीन वर्ष के वार्षिक अनुरक्षण की व्यवस्था हेतु अनुबन्ध में प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत स्थापित कैपेसिटर बैंको के अनुरक्षण हेतु निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा पत्र संख्या 1106 / रेस्पो / द्वि०प्र० / कैपेसिटर दिनांक 02.04.19 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त योजनाओं के अतिरिक्त स्थापित ऐसे समस्त कैपेसिटर बैंक जो वर्तमान में क्रियाशील स्थिति में नही है को क्रियाशील करने एवं तीन वर्ष हेतु वार्षिक अनुरक्षण की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा अध्यक्ष महोदय, उ०प्र०पा०का०लि० द्वारा की गई हैं।

अतः उक्तानुसार वार्षिक अनुरक्षण की व्यवस्था हेतु बिजनेस प्लान 2019–20 के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

Aparna. U
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या रेस्पो / द्वि०प्र० / कैपेसिटर तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (तकनीकी), वि०वि०नि०लि०
मध्यांचल–लखनऊ / पूर्वांचल–वाराणसी / दक्षिणांचल–आगरा / पश्चिमांचल–मेरठ।

(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश

पत्रांक –2693–औ0सं0 / 2019 , दिनांक –05–08–2019 , विवरण–आउटसोर्स एजेन्सी के कार्मिकों को भुगतान के सबंध मे समय सारणी।

UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U32201UP1999SGC
e-mail – agmiruppcl2017@gmail.com

संख्या–2693–औ0सं0 / 2019–26(02) / ए0एच0 / 06 दिनांक 05.08.2019

ई–मेल द्वारा

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल
वाराणसी / मेरठ / लखनऊ / आगरा एवं केस्को–कानपुर।

विषयः– आउटसोर्स एजेन्सी के कार्मिकों को ससमय मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कारपोरेशन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर आउटसोर्स श्रमिको को ससमय मजदूरी का भुगतान नही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध मे मा0 ऊर्जा मंत्री जी द्वारा आज दिनांक 05.08.2019 को अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए आउटसोर्स श्रमिकों के समस्त लम्बित भुगतानो को करने हेतु कड़े निर्देश जारी किये है।

उपरोक्त के संदर्भ में आपको [illegible] है :–

1. आउटसोर्स एजेन्सी [illegible] कार्मिको का मजदूरी [illegible] हेतु जुलाई–2019 तक लम्बित सभी माह के बीजको [illegible] कर 16 अगस्त [illegible] आउटसोर्स श्रमिको को भुगतान कराना सुनिश्चित [illegible]
2. माह जुलाई 2019 की मजदूरी [illegible] हेतु फंड [illegible] दिनांक 06.08.2019 तक प्रेषित कर दी जाये, [illegible] कारपोरेशन [illegible] दिनांक 09.08.2019 तक फंड अवमुक्त कर दिया जाये तथा दिनांक 14.08.2019 तक आउटसोर्स श्रमिकों को भुगतान कर दिया जाये। जुलाई, 2019 तक की मजदूरी भुगतान हेतु अवमुक्त [illegible] का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilisation Certificate) 20.08.2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
3. अगले माह से आउटसोर्स [illegible] भुगतान हेतु फंड की डिमाण्ड माह की 03 तारीख तक कर दी जाये एवं दिनांक 08.08.2019 तक फंड अवमुक्त कर दिया जाये तथा मजदूरी का भुगतान खण्ड स्तर पर प्रत्येक स्थिति मे माह की 14 तारीख तक किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं मजदूरी भुगतान हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilisation Certificate) माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त आदेशों का पालन कराने के लिये डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

Scan
Checked

संख्या–2693(01) –औ0सं0 / 2019 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / (वित्त), समस्त डिस्कॉम।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

पत्रांक –2628–(ए)–औ0सं0/2019, दिनांक –01–08–2019 , विवरण–आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रो–लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों को ससमय मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 /दुर्घटना बीमा अंशदान जमा कराने एंव सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के सबंध में ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2628/औ0सं0/2019–26(2)ए0एस0/06 दिनांक : 01 अगस्त, 2019

सर्वोच्च प्राथमिकता
अति महत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

विषय:– आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से उपकेन्द्रों/लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्य में नियोजित संविदा श्रमिकों को ससमय मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0/दुर्घटना बीमा अंशदान जमा कराने एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक [illegible] के आदेश सं0–1106–औ0सं0/2018–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 07.05.2018, आदेश सं0–802–औ0सं0/[illegible]–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 21.[illegible].2018 एवं आदेश सं0–3032–औ0सं0/2016–26(2)ए0एस0/06 दिनांक 28.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों [illegible] आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से संविदा श्रमिक के बैंक खाते में जमा कराने, [illegible] श्रमिकों का दुर्घटना बीमा कराने, [illegible] संविदा में प्रशिक्षित श्रमिकों को नियोजित करने, सुरक्षा व श्रम कानूनों का कड़ाई से अनुपालन [illegible] दिये गये थे।

कारपोरेशन प्रबन्धन के [illegible] विभिन्न माध्यमों, कर्मचारी [illegible] के प्रतिनिधियों से यह संज्ञान में आ रहा है कि संविदा श्रमिकों के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा [illegible] दिशा–निर्देशों का अनुपालन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निष्ठापूर्वक नहीं किया जा रहा है, जिसे कारपोरेशन के [illegible] प्रबन्धन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। इसी क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि :–

1. आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से विद्युत अनुरक्षण कार्य में लगाये गये आउटसोर्स श्रमिकों को निर्देशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप अनुरक्षण कार्य के लिये आवश्यक टी0 एण्ड पी0, सुरक्षा उपकरण यथा दस्ताने, प्लायर, सुरक्षा बेल्ट अर्थ चेन आदि की व्यवस्था संविदाकार द्वारा प्रत्येक गैंग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

2. आउटसोर्स एजेन्सी के श्रमिकों की विद्युतीय दुर्घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु भारतीय विद्युत नियमावली–1956 के प्राविधानों के अनुसार वर्क परमिट निर्गत कर अधिकृत कार्मिक के माध्यम से कार्य सम्पादन किया जाना एवं शटडाउन के कल्चर के अनुसार विद्युत लाइन बन्द व चालू कराये जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित क्षेत्र की विद्युत लाईनों की विधिवत जानकारी रखने वाले आउटसोर्स श्रमिकों से ही अनुरक्षण का कार्य कराया जाये।

3. संविदा श्रमिको की मजदूरी हेतु मांगी गई धनराशि डिस्काम के लेखा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से माह की 07 तारीख से पूर्व अवमुक्त करा दी जाये जिससे सम्बन्धित खण्ड द्वारा नियमित रूप से आउटसोर्स एजेन्सी को भुगतान हो सके। आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से माह की 07 तारीख से पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

क्रमश:...2/–

37

(2)

4. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने कार्मिकों का ई0पी0एफ0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0पी0एफ0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय/वेबसाइट से सुनिश्चित करायेंगे। सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0पी0एफ0 अंशदान भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये।

5. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा अपने कार्मिकों का ई0एस0आई0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0एस0आई0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि ई0एस0आई0 कार्यालय/वेबसाइट से सुनिश्चित करायेंगे। सेवायोजक एवं श्रमिक का ई0एस0आई0 अंशदान ई0एस0आई0 कार्यालय में जमा किये गये जाने की पुष्टि व प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही अगले माह का भुगतान संविदाकार को किया जाये। जिन जिलों में ई0एस0आई0 की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आउटसोर्स एजेन्सी द्वारा ई0एस0आई0 की अनुरूपता में दुर्घटना बीमा पॉलसी लिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं बीमा राशि का प्रीमियम सततमय जमा किया जाये।

मजदूरी भुगतान, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, दुर्घटना बीमा अंशदान आदि सूचना संविदा पोर्टल पर अपलोड की जाये।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ए0के0 पुरवार) 7/8/19
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-2628-औ0सं0/2019, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पुरवार) 7/8/19
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

पत्रांक –425/पी0एस0सीएच0/पाकालि0/2018 , दिनांक –16–11–2018, विवरण–आउर्टसोर्सिंग के माध्यम से सेवाये उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों के बिलों का समय से भुगतान न किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0– 425/पीएससीएच/पाकालि0/18 दिनांक– 16.11.2018

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमाँचल–मेरठ/केस्को–कानपुर/मध्याँचल–लखनऊ/
पूर्वांचल–वाराणसी/दक्षिणाँचल–आगरा।

विषय :– **आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली एजेन्सियों के बिलों का समय से भुगतान किये जाने विषयक।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा बिलिंग के कार्य, अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य तथा अन्य कार्यों के लिए आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए एजेन्सियों को आबद्ध किया जाता है। एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ये सेवाएँ विद्युत वितरण निगमों की राजस्व प्राप्ति, विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ता सेवाओं सम्बन्धी कार्यों की पूर्ण क्षमता बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण [illegible] कई ऐसे प्रकरण भी संज्ञान में आये हैं जब संबंधित विद्युत वितरण [illegible] एजेन्सियों के बिलों का भुगतान न करने के कारण आउट सोर्सिंग [illegible] के भुगतान में विलम्ब हुआ जिसके कारण महत्वपूर्ण सेवाओं [illegible] प्रभावित हुआ है। [illegible] अभी हाल ही में लखनऊ में ई–सुविधा [illegible] व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई हुई।

2– अतः इस सम्बन्ध में [illegible] निर्णय लिया गया है कि विद्युत वितरण निगमों से आउट सोर्सिंग एजेन्सियों के [illegible] उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के नियमित कर्मचारियों के [illegible] वेतन के साथ ही विद्युत वितरण निगमों को उपलब्ध करा दिया जाय तदुपरान्त [illegible] यह [illegible] किया जायेगा कि वे आउटसोर्स एजेन्सियों के बिलों का भुगतान तत्परता के साथ करते हुए यह सुनिश्चित करायेंगे कि इन एजेन्सियों ने अपने मैन पॉवर को समय से उनके वेतन का भुगतान कर दिया है, ताकि विद्युत वितरण निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली [illegible] व अनुरक्षण सम्बन्धी सेवाएँ संतोषजनक स्तर की बनी रहें।

3– कृपया इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत करा दें कि यदि आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के बिलों को प्रोसेस करने में विलम्ब पाया जाता है तो उनके विरुद्ध प्रतिकूल संज्ञान लेकर तद्नुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी। तत्क्रम में प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में इन निर्देशों के अनुपालन हेतु आप भी अपने स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
(2) निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
(3) निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक –1100–औ0स0–2018, दिनांक –07–05–2018, विवरण–बाह्य सेवा प्रदाता आउटसोर्सिंग (ठेकेदारों एवं सविदाकारो) द्वारा उपकेन्द्रो–लाईनों के अनुरक्षण आदि के कार्यो में नियोजित सविंदा श्रमिकों के वेतन भुगतान, ई0पी0एफ0, खाते में जमा किए गये अंशदान एवं श्रम कानूनो का पालन किए जाने के सबंध में

①

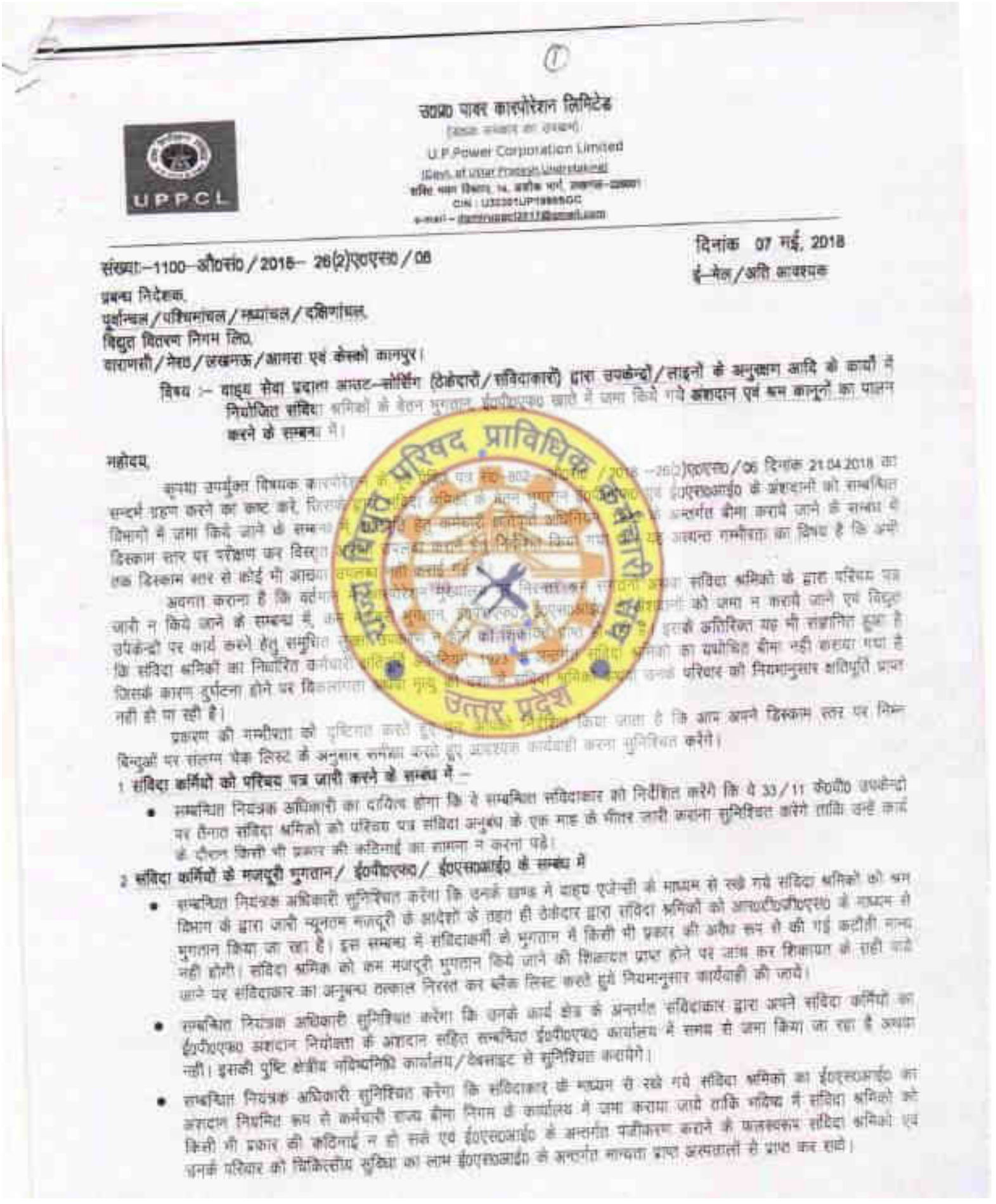

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN : U32201UP1999SGC
e-mail – [illegible]

दिनांक 07 मई, 2018
ई–मेल/अति आवश्यक

संख्या:–1100–औ0सं0/2018– 26(2)एल0एस0/06

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

विषय :– बाह्य सेवा प्रदाता आउट–सोर्सिंग (ठेकेदारों/संविदाकारों) द्वारा उपकेन्द्रों/लाइनों के अनुरक्षण आदि के कार्यों में नियोजित संविदा श्रमिकों के वेतन भुगतान, ई0पी0एफ0 खाते में जमा किये गये अंशदान एवं श्रम कानूनों का पालन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के [illegible] पत्र सं0 802–[illegible] /2018–26(2)एल0एस0/06 दिनांक 21.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें [illegible] श्रमिकों के वेतन भुगतान [illegible] ई0एस0आई0 के अंशदानों को सम्बन्धित विभागों में जमा किये जाने के सम्बन्ध में [illegible] हुए कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम [illegible] के अन्तर्गत बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में [illegible] दिया गया, यह अत्यन्त गम्भीरता का विषय है कि अभी डिस्काम स्तर पर परीक्षण कर विस्तृत [illegible] सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया [illegible] तक डिस्काम स्तर से कोई भी आख्या उपलब्ध नहीं कराई गई।

अवगत कराना है कि वर्तमान [illegible] भुगतान [illegible] निरसलिकार [illegible] अथवा संविदा श्रमिकों के द्वारा परिचय पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में, [illegible] भुगतान, ई0पी0एफ0 [illegible] अंशदानों को जमा न कराये जाने एवं विद्युत उपकेन्द्रों पर कार्य करने हेतु समुचित [illegible] इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञानित हुआ है कि संविदा श्रमिकों का निर्धारित कर्मचारी [illegible] संविदा श्रमिकों का यथोचित बीमा नहीं कराया गया है जिसके कारण दुर्घटना होने पर विकलांगता [illegible] मृत्यु [illegible] श्रमिक [illegible] उनके परिवार को नियमानुसार क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है।

प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुए [illegible] किया जाता है कि आप अपने डिस्काम स्तर पर निम्न बिन्दुओं पर संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

1 संविदा कर्मियों को परिचय पत्र जारी करने के सम्बन्ध में –

- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे सम्बन्धित संविदाकार को निर्देशित करेंगे कि वे 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर तैनात संविदा श्रमिकों को परिचय पत्र संविदा अनुबंध के एक माह के भीतर जारी कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि उन्हें कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

2 संविदा कर्मियों के मजदूरी भुगतान/ ई0पी0एफ0/ ई0एस0आई0 के सम्बन्ध में

- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि उनके खण्ड में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से रखे गये संविदा श्रमिकों को श्रम विभाग के द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी के आदेशों के तहत ही ठेकेदार द्वारा संविदा श्रमिकों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में संविदाकर्मी को भुगतान में किसी भी प्रकार की अवैध रूप से की गई कटौती मान्य नहीं होगी। संविदा श्रमिक को कम मजदूरी भुगतान किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर शिकायत के सही पाये जाने पर संविदाकार का अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर ब्लैक लिस्ट करते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा अपने संविदा कर्मियों का ई0पी0एफ0 अंशदान नियोक्ता के अंशदान सहित सम्बन्धित ई0पी0एफ0 कार्यालय में समय से जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। इसकी पुष्टि क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय/वेबसाइट से सुनिश्चित करायेंगे।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि संविदाकार के माध्यम से रखे गये संविदा श्रमिकों का ई0एस0आई0 का अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में जमा कराया जाये ताकि भविष्य में संविदा श्रमिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके एवं ई0एस0आई0 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के फलस्वरूप संविदा श्रमिकों एवं उनके परिवार को चिकित्सीय सुविधा का लाभ ई0एस0आई0 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों से प्राप्त कर सके।

क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण

विद्युत दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति

1. बाहरी व्यक्ति के विद्युत दुर्घटना होने पर अनुमन्य क्षतिपूर्ति	13.10.2016 से पूर्व व्यवस्था	वर्तमान व्यवस्था
(क) मृत्यु होने की दशा मे	रू0 4.00 लाख (चार लाख) का भुगतान अनुमन्य था। (कारपोरेशन के आदेश सं0–4095–औ0स0/2016–19(125)ए0एस0/2001 दि0 13.10.2016)	**न्यूनतम धनराशि रू0 5.00 लाख एवं अधिकतम रू0 7.494 लाख** (कारपोरेशन के आदेश संख्या 4004–औ0स0/2018/19(125)ए0ए0स0 /2019 दिनांक 06.10.2018)(आयु,वैवाहिक/अवैवाहिक एवं परिवार के संख्या अनुसार)
(ख) घायल/अपंगता होने पर	1.रू0 59,100 प्रति व्यक्ति [illegible] प्रतिशत। 2.रू0 2.00 लाख प्रति व्यक्ति [illegible] अपंगता [illegible] प्रतिशत 3.हस्पताल मे एक [illegible] से अधिक भर्ती की स्थिति में रू0 12,700/– 4. हस्पताल मे [illegible] से कम भर्ती की स्थिति में रू0 4,300/–	न्यूनतम धनराशि रू0 12,550 एवं अधिकतम रू0 9.28 लाख क्षतिपूर्ति धनराशि आयु,वैवाहिक/ अवैवाहिक एवं परिवार के संख्या अनुसार)
2. संविदाकर्मी के विद्युत दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने पर (कारपोरेशन के आदेश संख्या 2269–औ0स0/2017/19(125)ए0एस0/01 दिनांक 01.05.2017)		
(अ)मृत्यु होने की दशा में क्षतिपूर्ति	तात्कालिक व्यवस्था [illegible] द्वारा रू0 [illegible] लाख का भुगतान किये जाने का प्राविधान	**रू0 5.00 लाख की क्षतिपूर्ति तत्काल किये जाने का प्राविधान एवं बाद में संविदाकार से वसूल किया जाना।**
(ब)ई0एस0आई0 की सुविधा	अंशदान–(1.75 प्रतिशत श्रमिक+4.75 प्रतिशतसेवायोजक=6.5 प्रतिशत) 1. चिकित्सीय सुविधाएं, बीमारीसुविधाएं। 2. मृत्यु होने पर–श्रमिक के परिजनों को प्राप्त मजदूरी का 90 प्रतिशत का भुगतान । 3. पूर्ण अपंगता की स्थिति में–90 प्रतिशत डेलीवेजेस का भुगतान अनुमन्य । 4. आंशिक अपंगता की स्थिति में–03 दिन से ज्यादा अवधि में अपंगता की स्थिति रही है तो 90 प्रतिशत ऑफ डेलीवेजस, ठीक होने तक भुगतान	अंशदान–(0.75 प्रतिशत श्रमिक+3.25 प्रतिशतसेवायोजक=4.0 प्रतिशत) 1. चिकित्सीय सुविधाएं, बीमारी सुविधाएं। 2. मृत्यु होने पर–श्रमिक के परिजनों को प्राप्त मजदूरी का 90 प्रतिशत का भुगतान । 3. पूर्ण अपंगता की स्थिति में–90 प्रतिशत डेलीवेजेस का भुगतान अनुमन्य । 4. आंशिक अपंगता की स्थिति में–03 दिन से ज्यादा अवधि में अपंगता की स्थिति रही है तो 90 प्रतिशत ऑफ डेलीवेजस, ठीक होने तक भुगतान अनुमन्य।

	अनुमन्य।	
(स)ई0 पी0 एफ0 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का लाभ	नियमानुसार अंशदान-(12 प्रतिशत श्रमिक+13 प्रतिशत सेवायोजक=25 प्रतिशत)	अंशदान-(12 प्रतिशत श्रमिक+12प्रतिशतसेवायोजक=24प्रतिशत) 1. मृत्यु की दशा में बीमा लाभ-1.50 से 6.00 लाख तक का भुगतान 2. विधवा पेन्शन का लाभ की गणना-(प्रतिमाह अंशदान x कुल कार्य किये गये वर्ष)/70।
3.जानवरों के दुर्घटना होने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अनुमन्य क्षतिपूर्ति अनुग्रह धनराशि (कारपोरेशन सं0-4095-औ0सं0/2016-19(125)ए0एस0/2001 दि0 13.10.2016)		
(क) दुधारू पशु (अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक (ब) भेड़ ,बकरी, सुअर **(ख)दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु** (अ) ऊँट, घोडा, बैल (ब) बछड़ा, गधा, खच्चर	रू0 16,400/- रू0 1650/- रू0 [illegible]/- रू0 10,000/-	रू0 30,000/- रू0 3,000/- रू0 25,000/- रू0 16,000/-
3.फसल	विद्युत सुरक्षा निदेशालय/जिला प्रशासन की संस्तुति के आधार पर प्राप्त आकलन के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने का प्राविधान था।	45 दिनों में विद्युत सुरक्षा निदेशालय/जिला प्रशासन की संस्तुति के आधार पर प्राप्त आंकलन के अनुसार क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने का प्राविधान था।

पत्रांक – 1790/सीएमयूडी/ विद्युत सुरक्षा/2019, दिनांक –15–07–2019, विवरण– सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु निर्देश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN U32201UP1999SGC024928

संख्या 1790 /सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा/2019 दिनांक 15.07.2019

विषय– किसी भी प्रकार के घातक/अघातक दुर्घटना रोकने हेतु 33/11 केवी एचटी लाईनों एवं 33/11 केवी उपकेन्द्रों पर सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी एवं केस्को–कानपुर।

Sl. 233

आज दिनांक 15 जुलाई 2019 को जनपद [illegible] में विद्युत हाईटेंशन तार के गिर जाने के कारण हुई दुःखद घटना के परिप्रेक्ष्य में माo मुख्यमंत्री जी [illegible] द्वारा पूरे प्रदेश में विद्युत के हाईटेंशन तारों के सुरक्षा के लिये अभियान चलाये [illegible] सम्बन्ध में प्रदेश में विद्युत लाइनों की सुरक्षा मानकों के अनुसार सर्वे [illegible] किया जाये [illegible] नहीं पाये जाने की स्थिति में इनका तत्काल अनुरक्षण कराया जाये [illegible] जाता है–

1. विद्युत के हाईटेंशन [illegible] सुरक्षा के लिए अभियान [illegible] में चलाया जाये।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33 एवं 11 [illegible] का स्वयं निरीक्षण करेंगे जिसमें मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का निरीक्षण किया जायेगा–
   i. लाईन में विद्युत [illegible] की जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी।
   ii. विद्युत लाईन हेतु प्रयुक्त [illegible] की स्थिति [illegible] तार होने पर तुरन्त [illegible] किया जाये।
   iii. विद्युत लाईन में खम्भे टेढ़े अथवा जंगयुक्त (किन्तु स्टील ट्यूबलर पोल की स्थिति में) तो नहीं हैं?
   iv. रोड क्रासिंग पर विद्युत कन्डक्टर का जमीन/सड़क से न्यूनतम दूरी। रोड क्रासिंग पर गार्डिंग की स्थिति।
   v. भविष्य में रोड के अनुरक्षण पर भी लाईन कन्डक्टर की रोड से मानकानुसार सुरक्षित दूरी रहेगी अथवा नहीं।
   vi. लाईन क्रासिंग पर दोनों लाईनों के मध्य क्लीयरेंस। लाईन क्रासिंग पर गार्डिंग है कि नहीं?
   vii. लाईन जम्फरों पर पीजी क्लैम्प लगे हैं अथवा नहीं?
   viii. लाईन के समस्त एंगिल पोलों एवं डबल पोल पर स्थापित स्टे विधिवत् टाइट हों।
   ix. सभी 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों की ट्रिपिंग समुचित रूप से हो रही है अथवा नहीं?

पूर्व में भी विद्युत उपकेन्द्रों एवं उनसे संबंधित 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों की सघन [illegible] करके आवश्यक अनुरक्षण किये जाने हेतु कारपोरेशन के पत्र सं0 1738/सीएमयूडी/विद्युत सुरक्षा [illegible]

पत्रांक –402–औ0सं0 / 2019–19(125)ए0एस0 / 01, दिनांक –21–02–2019, विवरण–विद्युतीय दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति / मुआवजा दिये जाने हेतु नीति–निर्धारण विषयक

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–402–औ0सं0 / 2019–19(125)ए0एस0 / 01 दिनांक 21 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के द्वारा बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0–4004–औ0सं0 / 2018–19(125)ए0एस0 / 2001 दिनांक 06.10.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रभावी आदेशों में दी गयी क्षतिपूर्ति का प्राविधान है, परन्तु क्षतिपूर्ति के स्वीकृत हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने में विलम्ब होने के कारण प्रभावित व्यक्ति / परिवार को अनुमन्य क्षतिपूर्ति के भुगतान में विलम्ब होता है।

कारपोरेशन द्वारा क्षतिपूर्ति के विलम्ब को दृष्टिगत करते हुए क्षतिपूर्ति स्वीकृत की प्रक्रिया के सरलीकरण करने का निर्णय लिया जाता है। अतः बाहरी व्यक्तियों की घातक विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु होने पर जाँच की प्रक्रिया एवं क्षतिपूर्ति समय से न मिल पाने के कारण निम्नवत् समय सीमा एवं क्षतिपूर्ति स्वीकृत की प्रक्रिया एतद्द्वारा निर्धारित की जाती है :–

1. विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के अनुसार बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना होने पर उपखण्ड अधिकारी 24 घण्टे में दूरभाष पर एवं 48 घण्टे के अन्दर विद्युत निरीक्षक को सूचना निर्धारित प्रपत्र सं0–44(ए) पर सहायक निदेशक / उप निदेशक / निदेशक विद्युत सुरक्षा को सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त विद्युत दुर्घटना की सूचना जिला प्रशासन / पुलिस प्रशासन एवं निकटतम चिकित्सालय को करेगा तथा कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों को भी संज्ञानित करेगा।
2. विद्युत दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर सहायक निदेशक / उप निदेशक / निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा स्थलीय जाँच 18 दिनों में पूर्ण कर जाँच आख्या सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता को उपलब्ध करायेंगे।
3. इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता क्षतिपूर्ति स्वीकृति करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे, जिसके द्वारा निम्न प्रक्रिया का पालन किया जायेगा :–
   i. विद्युत दुर्घटना की निदेशक विद्युत सुरक्षा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीड़ित परिवार के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों / अभिलेखों को संकलित करेगा।
   ii. प्राप्त आवेदन के अनुसार उत्तराधिकारी की सूचना सम्बन्धित कार्यालय सहित सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय में चस्पा करेंगे जिसमें आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा।
   iii. उत्तराधिकारी का निर्धारण हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में दी गई व्यवस्था को संज्ञान में रखते हुये किया जायेगा। क्षतिपूर्ति की पात्रता का निर्धारण उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–बी–3–151 / दस–80–15(1) / 78–प्र0को0 दिनांक 24 जनवरी, 1980 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 2318–औस / 2012–27–एम0 / 80 दि0 05.07.2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में दी गयी परिवार / कुटुम्ब की परिभाषा के अनुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश अथवा कार्यालय ज्ञाप के तहत बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित के अधीन किसी भी प्रकार का सेवायोजन अथवा अन्य अनुतोष अनुमन्य नही होंगे।
   iv. समयावधि समाप्त होने पर 07 दिन के अन्दर उत्तराधिकारी से उनका वोटर आई डी / पैन कार्ड / राशन कार्ड / पास पोर्ट / लेखपाल / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त कुटुम्ब रजिस्टर के आधार पर पीड़ित परिवार के उत्तराधिकारी का निर्धारण विधिक मापदण्डों के आधार पर करते हुये प्रकरण में क्षतिपूर्ति स्वीकृति का कारण आदेश में लिखित रूप से अंकित (Recording reason in writing) करते हुये आदेश निर्गत करेंगे। स्वीकृत आदेश की प्रति क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे।
4. उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विधिक रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।
5. क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने वाले को अण्डरटेकिंग देनी होगी कि यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होगा तो उक्त धनराशि विभाग को वापस करेंगे और अगर तथ्य गलत पाये गये तो विधिक कार्यवाही भी करेंगे।

8. क्षतिपूर्ति भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया में 45 दिनों में पूर्ण कर ली जायें। मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत दुर्घटनाओं के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के प्रकरणों का मासिक आधार पर अनुश्रवण करेंगे एवं भुगतान से सम्बन्धित समस्त सूचनायें क्षेत्रीय कार्यालय में संरक्षित रखेंगे एवं मासिक रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम को भेजेंगे।

संलग्नकः– यथोपरि।

अध्यक्ष

संख्या–402–औ0सं0/2019, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/ (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं केस्को–कानपुर।
6. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायें।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः– यथोपरि।

(अपर्णा यू0) 21/2/19.
प्रबन्ध निदेशक

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पत्रांक –4004–औ0सं0/2018 , दिनांक –06–10–2018, विवरण–विद्युतीय दुर्घटना में मृत एवं घायल बहरी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सबंध में

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–4004–औ0सं0/2018/19(125)ए0एस0/2001 दिनांक 06 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल की दिनांक 03.10.2018 को परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार याचिका सं0–10191/2009 (रिट सी) श्री शिव एस0 धुनेजा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 10.04.2018 को पारित निर्णय के अनुपालन में विद्युतीय दुर्घटना में मृत एवं घायल बाहरी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुये एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. कारपोरेशन के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के कारण हुई बाहरी व्यक्तियों की विद्युतीय दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1011/चौबीस–पी–3–2018 दिनांक 01.05.2018 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सं0 उ0प्र0पा0का0–2001–औ0सं0/2018–19(125) ए0एस0/01 दिनांक 09.07.2018 (अनुलग्नक–1) को कारपोरेशन में लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।

2. विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कारपोरेशन के आदेश सं0–4086–औ0सं0/2016–19(125)/ए0एस0/2001 दिनांक 13.10.2016 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत रू0 5.00 लाख अनुग्रह धनराशि का प्राविधान है। समिति की संस्तुतियों के अनुसार मृतक की आयु के सापेक्ष कमाऊ व्यक्ति की गणना के अनुसार क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 5.00 लाख से कम होने पर सम्बन्धित मृतक के आश्रितों को न्यूनतम रू0 5.00 लाख की क्षतिपूर्ति अनुमन्य की जाये।

3. घातक/अघातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने, स्थाई पूर्ण अपंगता होने तथा आंशिक अपंगता होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की विवाहित/अविवाहित स्थिति, आयु एवं परिवार की संख्या के आधार पर समिति की रिपोर्ट (अनुलग्नक–1) में दी गई तालिकाओं के अनुसार अनुमन्य किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. समिति द्वारा अघातक विद्युत दुर्घटनाओं में कारपोरेशन के अधिष्ठान की त्रुटि न होने की स्थिति में No fault liability के रूप में अनुग्रह धनराशि की क्षतिपूर्ति का अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. आदेश सं0–4086 दिनांक 13.10.2016 में पशुओं की दुर्घटना में मृत्यु होने के सम्बन्ध में अनुग्रह धनराशि एवं अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

6. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्नक :– यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–4004–औ0सं0/2018, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 6वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा/केस्को, कानपुर।

5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त उप सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. गार्ड फाइल/पत्रावली संख्या–क–एन/92।

Pkumar

(प्रदीप कुमार)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

(5)

आ-सं-4004 6.10.18
का संलग्नक

(1)

अमित गुप्ता
आई०ए०एस०
प्रबन्ध निदेशक

UPPTCL

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226001
☎ : 0522–2287874 / 2218714
(फैक्स) : 0522–2287885

अर्द्ध शा0प0सं0–2061–औ0सं0/2018–19(125)–ए0एस0/01 दिनांक 09 जुलाई, 2018
31-47

विषय : विद्युतीय दुर्घटना में प्रभावित बाहरी व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु नीति निर्धारण विषयक।

आदरणीय महोदय,

कृपया शासन के शा0प0सं0–1333/पीबीस–पी–3/2018 दिनांक 25 जून, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि सिविल रिट याचिका संख्या–10191/2009(रिट सी) शिव रामलू छुनेजा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 के अनुपालन में विद्युत दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों व अन्य को क्षतिपूर्ति/मुआवजा दिये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्धारित करने के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय आदेश सं0–1011/पीबीस–पी–3–2018 दिनांक 11 मई, 2018 के द्वारा गठित समिति की संस्तुतियाँ/रिपोर्ट प्रेषित करने से सम्बन्धित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर अपनी संस्तुतियाँ/रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि। सादर

भवदीय,

(अमित गुप्ता)

श्री आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव (ऊर्जा),
उ0प्र0 शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

Speed post

प्र. सं. 4004 ऑ/सं/18 6.10.18
का संलग्नक

(2)

Preface

Death or disability is irreparable loss to the family of the victims of accidents and cannot be compensated in terms of money for mental agony, loss of love & affection, protection of kith & kin etc. However, compensation supports family monetarily and that may prove a good helping hand to the victim. On the one side as well as his/her family compensation ought not to be excessive as this makes financial burden on exchequer while on another side, the compensation ought not to be so less as family suffers a lot. Compensation should be at least for such amount which may put back victim/victim's family in such pecuniary situation as if accident would have not been occurred. A reasonable compensation makes balance on both sides.

In order to find out fair and reasonable compensation Committee studied and discussed various methods of compensation in different departments like Railways, Roadways, Governments ex-gratia help in Natural disaster cases, as well as Act such as The Fatal Accidents Act 1855, The Public Liability Insurance Act 1991 etc. Above mentioned all compensation schemes are found to be based on no-fault liability. (i.e. in which fault of any party need not to be proved). Committee also considered The Uttar Pradesh Motor Vehicle (Eleventh Amendment) Rules, 2011.

For that purpose the Committee worked out on fixation of notional income. The Committee considered Minimum Wages Act 1948 and Mahatma Gandhi National Rojgar Guarantee of 100 days work, but it is not sufficient for a person to fulfill expenses of a family. Currently, Minimum Wages Act prescribes from Rs. 292.82 to Rs. 360.82 per day. Considering all above factors Committee find it Rs. 51,000 per annum to be appropriate for notional income.

In the light of observations made in the judgment passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in Writ-C No. 10191 of 2009 and in order to provide fair and reasonable compensation to the victims of third party electrocution resulting in death, disablement, and injury cases on the basis of fault liability (i.e. on the report of Electrical Inspector of Vidyut Suraksha Nidesalaya), following guide lines are being recommended. The Committee also recommends suppression of Office Memorandum no. 4095-I.R./2016-19(125)A.S./2001 Dated 13.08.2016 and No. 2745-I.R./2016-19(125)A.S./2001 Dated 02.07.2016 ~~regarding~~ to the extent of [illegible] death and grievous injury cases respectively.

आ. सं. 4004 6.10.18
का संलग्नक (3) 2

GUIDE LINES FOR COMPENSATION ON ELECTROCUTION

FAULT LIABILITY

A-Fatal Accident

1. Notional Income (N.I.) of victim shall be taken in to consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum (about Rs. 140 per day).
2. Multiplier shall be adopted as per following chart-

Age of Victim	Multiplier Applied (M.A.)
Up to 15 years	15
Above 15 years but not exceeding 20 years	16
Above 20 years but not exceeding 25 years	17
Above 25 years but not exceeding 30 years	18
Above 30 years but not exceeding 35 years	17
Above 35 years but not exceeding 40 years	16
Above 40 years but not exceeding 45 years	15
Above 45 years but not exceeding 50 years	13
Above 50 years but not exceeding 55 years	11
Above 55 years but not exceeding 60 years	8
Above 60 years but not exceeding 65 years	6
Above 65 years	5

3. The amount of compensation so arrived at in the case of fatal accident claims shall be deducted towards Personal and living Expenses (P.E.) by
   (i) 1/2nd if deceased was unmarried but if family of a bachelor is large and dependent on the income of the deceased, the deduction shall be 1/3rd (33.33%)
   (ii) 1/3rd if deceased was married where dependent family members are 2 to 3 in number, 1/4th where dependent family members 4 to 6 in number and 1/5th where dependent family members are more than 6 in number.
   (iii) For the purpose of calculation of number of family members in clause (ii), a minor dependent will be counted as half.

   Spouse, parents and grand-parents having no income and minor children shall be deemed dependent family members. (Parivar Register and affidavit may be considered as proof of family members and dependency).
4. The following General Damages shall also be payable in addition to Compensation Outlined (C.O.) above:

आ० सं० 4004 6.10.18

(i) Compensation for Loss of Estate (L.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand).

(ii) Compensation for Loss of Consortium (L.C.), if beneficiary is spouse Rs. 5,000 (Five Thousand).

(iii) Compensation for Loss of love and Affection (L.A.) Rs. 5,000 (Five Thousand).

(iv) Funeral Expenses costs of transportation of body (F.E.) Rs. 5,000 (Five Thousand) or actual expenses whichever is less.

(v) Medical Expenses (M.E.) –Actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000 (Twenty Thousand).

Formula: N.I.×M.A.=C.O.

C.O. ÷ P.E.= Amount

C.O.-Amount+L.E.+L.C.+L.A.+F.E.+M.E.

= Total Compensation

Example for spot death of a person aged 14 years leaving behind mother and father:

51000×15=765000
765000÷3=255000
765000-255000+5000+5000+5000=525000

B- Non-Fatal
General Damages in case of Injuries and Disabilities:

(i) Pain and Suffering
(a) Grievous injuries (G.I.) – Rs. 10,000/-
(b) Simple injuries (S.I.) -- Rs. 5,000/-
(ii) Medical Expenses (M.E.) --Actual expenses incurred supported by bills/vouchers but not exceeding – Rs. 20,000 for grievous injury and – Rs. 10,000 for simple injury (on medical report)

Disability in non-fatal accidents:

The following compensation shall be payable in cases of disabilities to the victim arising out of non-fatal accidents:

A- Temporary Disability

आ. सं. 4004 औऔस/18 6.10.18 (5) 4

Loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty two weeks.

B- Permanent Disability

(a) In case of permanent total disablement the amount payable shall be arrived at by multiplying the annual loss of income by the Multiplier applicable to the age on the date of determining the compensation, or

(b) In case of permanent partial disablement such percentage of compensation, which would have been payable in the case of permanent total disablement as specified under item (a) above.

Injuries deemed to result in Permanent Total Disablement/Permanent Partial Disablement and percentage of loss of earning capacity shall be as per Schedule I under Workmen's Compensation Act, 1923, Disability Certificate from Medical Board mentioning percentage of disablement shall be final and shall be taken in to consideration.

Notional income of victim shall be taken in to consideration as Rs. 51,000 (Fifty One Thousand) per annum.

Example for 100% permanent disability of person aged 14 years with medical bills for amount Rs. 20,000 (Twenty Thousand):

51000×15=765000
765000×100÷100=765000
765000+10000+20000=795000

No Fault Liability

1. In death --- Rs. 1,000,00 (One Lac)
2. In permanent disability --- Rs. 1,25,000 (One Lac and Twenty Five Thousand)
3. Grievous injury --- Rs. 3000 (Eight Thousand) Three
4. Simple injury --- Rs. 2000 (Three Thousand) Two

-- No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or riots etc.

--Compensation shall be decided by a Committee of concerned Superintendent Engineer and Executive Engineer within one month from the date of the accident.

--Third party insurance system may also be introduced to meet out compensation.

30/9/18

AGE OF VICTIM	MULTIPLIER	Compensation in case of death on basis of fault in Rupees				
		Unmarried deceased	If family of bachelor deceased is large and dependent on the income of deceased	Married deceased and dependent family members are 2 to 3	Married deceased and dependent family members are 4 to 6	Married deceased and dependent family members are more than 6
		1	2	3	4	5
Up to 15 yrs.	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 15 yrs. but not exceeding 20 yrs.	16	423000	559000	559000	627000	663900
Above 20 yrs. but not exceeding 25 yrs.	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 25 yrs. but not exceeding 30 yrs.	18	476000	627000	627000	703500	749400
Above 30 yrs. but not exceeding 35 yrs.	17	448500	593000	593000	665250	708600
Above 35 yrs. but not exceeding 40 yrs.	16	423000	559000	559000	627000	663900
Above 40 yrs. but not exceeding 45 yrs.	15	397500	525000	525000	588750	627000
Above 45 yrs. but not exceeding 50 yrs.	13	346500	457000	457000	512250	545400
Above 50 yrs. but not exceeding 55 yrs.	11	295500	339000	383000	430750	463800
Above 55 yrs. but not exceeding 60 yrs.	8	219000	287000	287000	321000	341400
Above 60 yrs. but not exceeding 65 yrs.	6	[illegible]	219000	219000	244500	255800
Above 65 yrs.	5	[illegible]	[illegible]	185000	206250	219000

Notional Income: 51000

* Rs. 1000 shall be added in the above if spouse is alive

* Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 25,000.

* Compensation in case of death on basis of no fault

Rs. 1,00,000/-

* No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity or misuse.

* Compensation shall be decided within one month from date of the accident by a committee of concerned Superintending Engineer and Executive Engineer.

(Law Officer) UPPCL	(Director(E)) UPPCL	Director(PM&A) UPPCL	(Acting Director) KSO	(Managing Director) MVVNL	(Managing Director) UPPTCL

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

Compensation in case of permanent disability on basis of fault

AGE OF	MULTIPLIER	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	14%	20%	30%	[illegible]	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Up to 15 yrs.	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	101800	117500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	408000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	773000
Above 15 yrs. but not exceeding 20 yrs.	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 20 yrs. but not exceeding 25 yrs.	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	530200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 25 yrs. but not exceeding 30 yrs.	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 30 yrs. but not exceeding 35 yrs.	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	53150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	530200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 35 yrs. but not exceeding 40 yrs.	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 40 yrs. but not exceeding 45 yrs.	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 45 yrs. but not exceeding 50 yrs.	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 50 yrs. but not exceeding 55 yrs.	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	346000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 55 yrs. but not exceeding 60 yrs.	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 60 yrs. but not exceeding 65 yrs.	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Above 65 yrs.	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Notional income	[illegible]			Pain and Suffering for Grievous Injury [illegible]																				

*Medical expenses shall be added in the above according to actual expenses incurred before death supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 20,000.
*Temporary disability- Loss of income, if any, for actual period of disablement not exceeding fifty two weeks.
*Compensation in case of 100% permanent disability on basis of no fault- Rs. 1,25,000/- (accordingly compensation may calculate for different percentage of permanent disability)
*Grievous injury- Rs.5000/- and Simple injury Rs. 2000/-
*No compensation shall be paid if victim was involved in illegal activities like theft of electricity etc.
*Compensation shall be decided within one month from date of the accident by a committee of concerned Superintending Engineer and Executive Engineer.
*In deciding percentage of disability certificate of medical board shall be final however schedule I of The Workmen Compensation Act may also be consulted.

(Law Officer) UPPCL Member

(Director [illegible]) UPPCL Member

(Director (P M&A)) UPPCL Member/Convenor

(Acting Director) [illegible] Member

(Managing Director) MVVNL Member

(Managing Director) UPPCL Chairman

संख्या बी-3-151/दस-80-15(1)/78-म०को०

प्रेषक,

श्री टी० एन० दुबे,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 24 जनवरी, 1980।

विषय—मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या बी-3-256/दस-15(1)/78, दिनांक 31 जनवरी, 1979 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या बी-3-2248/दस-20(10)/77 दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि के विनियमन हेतु नियमावली के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के उपरान्त शासन ने नियमावली के नियम 1 के नीचे दी गई टिप्पणी को निम्न प्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया है—

वर्तमान टिप्पणी	संशोधित टिप्पणी
शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी की केवल बेवा सन्तान, पिता और माता सम्मिलित हैं।	शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में [illegible] सम्मिलित [illegible] जो [illegible] बेवा सन्तान, [illegible] पिता और माता [illegible]

2—शासन ने उक्त निधि से आर्थिक सहायता के लिये पूर्व में निर्धारित प्रार्थना-पत्र के प्रारूप को भी [illegible] के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है जिसका संशोधित प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक—उपर्युक्त प्रकार

भवदीय,
टी० एन० दुबे,
उप सचिव।

संख्या बी-3-151(1)/दस-80-15(1)/78-म०को०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:—

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(2) निबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
टी० एन० दुबे,
उप सचिव।

संख्या बी-3-151(2)/दस-80-15(1)/78-म०को०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधीक्षक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि कृपया तत्संबंधित प्रार्थना-पत्र के संशोधित प्रारूप को समुचित संख्या में मुद्रित करके उनकी प्रतियों की आपूर्ति समस्त विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को उनकी मांग के अनुसार करने की व्यवस्था करें।

आज्ञा से,
टी० एन० दुबे,
उप सचिव।

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–2018–औस/2012–27–एफ0/80 दिनांक 5 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार का अधिसूचना संख्या–6/12/73/कार्मिक–2/2011–टी0सी0–IV, दिनांक 22.12.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (नवाँ संशोधन) नियमावली 2011 के नियम–2 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का पावर कारपोरेशन ने निर्णय लिया है।

उपरोक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1975 (यथा संशोधित) के नियम– 2 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे–	(ग) कुटुम्ब के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:–
1. पत्नी या पति,	1. पत्नी या पति
2. पुत्र,	2. पुत्र/दत्तक पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां [illegible] विधवा पुत्रियां	3. अविवाहित पुत्रियां अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां, विधवा पुत्र वधुएँ,
4. मृत सरकारी [illegible] पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा [illegible] यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	4. मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।
	5. [illegible] सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा मृत के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिलिखित सम्बन्धी,
परन्तु यदि [illegible] उपरिलिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई [illegible] उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक [illegible] अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिये अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।	परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिलिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

नियमावली के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) 2/–

SEVAYOJEEV 240

246

(2)

संख्या 2018–(1) औस/2012 – तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।

2– निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमीशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण क्षेत्र एवं पारेषण क्षेत्र, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

6– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा)/महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

7– समस्त उप महाप्रबन्धक (औस)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– उपसचिव (विनियम), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

9– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

10– अधिशासी अभियन्ता (वि), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने का।

11– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की बैठक नब्बे (90)/12, दिनांक 19.06.2012।

12– गार्ड फाइल।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
महाप्रबन्धक (औस)

उत्तर प्रदेश

WIKIPEDIA

Hindu Succession Act, 1956

The Hindu Succession Act, 1956 is an Act of the Parliament of India enacted to amend and codify the law relating to intestate or unwilled succession, among Hindus, Buddhists, Jains, and Sikhs.[1] The Act lays down a uniform and comprehensive system of inheritance and succession into one Act. The Hindu woman's limited estate is abolished by the Act. Any property possessed by a Hindu female is to be held by her absolute property and she is given full power to deal with it and dispose it of by will as she likes. Parts of this Act was amended in 2005 by the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005.[2]

Hindu Succession Act, 1956

सत्यमेव जयते

An Act to amend and codify the law relating to intestate succession among Hindus.

Citation	Act 30 of 1956 (http://punjabrevenue.nic.in/heuccact(1).htm)
Enacted by	Parliament of India
Date enacted	17 June 1956
Status:	In force

Contents

Applicability
- As per religion
- As per tribe

In the case of males

In the case of females

Certain exceptions

Amendment

References

External links

Applicability

As per religion

This Act is applicable to the following:[1]

- any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including a Virashaiva, a Lingayat or follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj;
- any person who is Buddhist, Sikh by religion; and
- to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion unless it is proved that the concerned person would not have been governed by the Hindu Law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

Explanation as to who shall be considered as Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion has been provided in the section:

- any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs by religion;
- any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged;
- any person who is convert or re-convert to the Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion.

A person shall be treated as a Hindu under the Act though he may not be a Hindu by religion but is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.

As per tribe

However it has been provided that not withstanding the religion of any person as mentioned above, the Act shall not apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution of India unless the Central Government, by notification in the *Official Gazette*, otherwise directs. Surajmani Stella Kujur Vs. Durga Charan Hansdah-SC

In the case of males

Property of a Hindu male dying intestate, or without a will, would be given first to heirs within Class I. If there are no heirs egories in Class I, the property will be given to heirs within Class II. If there are no heirs in Class II, the property will be given to se deceased's agnates or relatives through male lineage. If there are no agnates or relatives through the male's lineage, then the property is given to the cognates, or any relative through the lineage of females.

There are two classes of heirs that are delineated by the Act.

Class I heirs are sons, daughters, widows, mothers, sons of a pre-deceased son, widows of a pre-deceased son, son of a pre-deceased sons of a predeceased son, and widows of a pre-deceased son of a predeceased son.

If there is more than one widow, multiple surviving sons or multiples of any of the other heirs listed above, each shall be granted one share of the deceased's property. Also if the widow of a pre-deceased son, the widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son or the widow of a brother has remarried, she is not entitled to receive the inheritance.

Class II heirs are categorized as follows and are given the property of the deceased in the following order:

1. Father
2. Son's / daughter's son
3. Son's / daughter's daughter
4. Brother
5. Sister
6. Daughter's / son's son
7. Daughter's / son's daughter
8. Daughter's / daughter's son
9. Daughter's /daughter's daughter
10. Brother's son
11. Sister's son
12. Brother's daughter

In the case of females

Under the Hindu Succession Act, 1956,[1] females were granted ownership of all property acquired either before or after the signing of the Act, abolishing their "limited owner" status. However, it was not until the 2005 Amendment that daughters were allowed equal receipt of property as with sons. This invariably grants females greater property rights.

The property of a Hindu female dying intestate, or without a will, shall devolve in the following order:

1. upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband,
2. upon the heirs of the husband,
3. upon the father and mother
4. upon the heirs of the father, and
5. upon the heirs of the mother.

Certain exceptions

Any person who commits murder is disqualified from receiving any form of inheritance from the victim.

If a relative converts from Hinduism, he or she is still eligible for inheritance. The descendants of that converted relative, however, are disqualified from receiving inheritance from their Hindu relatives, unless they have converted back to Hinduism before the death of the relative.

Amendment

The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005,[2] amended Section 4, Section 6, Section 23, Section 24 and Section 30 of the Hindu Succession Act, 1956. It revised rules on coparcenary property, giving daughters of the deceased equal rights with sons, and subjecting them to the same liabilities and disabilities. The amendment essentially furthers equal rights between males and females in the legal system.

References

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

पत्रांक –2269–औ0सं0/2017, दिनांक –01–05–2017, विवरण–बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाईनो के अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यो हेतु नियोजित किए जाने वाले संविदा श्रमिको की घातक विद्युत दुर्घटना/मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किए जाने के सबंध में

UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2269–औ0सं0/2017–19(125)एच0एस0/01 दिनांक : 01 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाइनो के अनुरक्षण एवं परिचालन आदि कार्यों हेतु नियोजित किये जाने वाले संविदा श्रमिको की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के आदेश सं0–2347–औ0सं0/2012–19(125)एच0एस0/2001 (टी0सी0) दिनांक 03.08.2012 को संशोधित करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 01.05.2017 को परिचालित माध्यम से एतदद्वारा निम्न संकल्प पारित किये गये :–

1. बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से उपकेन्द्रो/लाइनो के अनुरक्षण एवं परिचालन कार्यों हेतु नियोजित संविदा श्रमिको की घातक विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Contract Engineer) द्वारा तात्कालिक सहायता रू0 5.00 लाख अनुग्रह राशि के रूप में स्वीकृत करते हुए मृतक संविदा श्रमिक के परिजनों को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से भुगतान करेंगे।

2. कारपोरेशन द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान की गई धनराशि रू0 5.00 लाख की वापसी हेतु संविदाकारों द्वारा नियोजित श्रमिको का रू0 5.00 लाख का बीमा सामूहिक रूप से कराया जायेगा। उक्त बीमे हेतु संविदाकार को श्रमिकों की मजदूरी के साथ बीमा की राशि का भुगतान किये जाने की नीति विद्यमान है। बीमे की राशि इश्योरेन्स कम्पनी से प्राप्त कर संविदाकार द्वारा उक्त धनराशि रू0 5.00 लाख सम्बन्धित खण्ड में 120 दिन में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सम्बन्धित संविदाकार के बीजक से रू0 5.00 लाख की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। तदनुसार अनुबन्ध की शर्तो में इसका उल्लेख भी किया जायेगा। सम्बन्धित खण्ड/मण्डल के अन्तर्गत अनुग्रह राशि के भुगतान किये जाने एवं निर्धारित समयावधि में प्राप्ति का लेखा–जोखा रखने का दायित्व इकाई के लेखाकार का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी एवं लागू माने जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)

संख्या–2269–औ0सं0/2017, तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
9. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/[illegible] कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. उप महाप्रबन्धक [illegible]/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाइल/पत्रावली सं0–19(...)/2011

Navneet Mathur 1.5.17

(नवनीत माथुर)
उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)

पत्रांक – 4095–औसं/2016–19(125))ए0एस0/2001, दिनांक –13–10–2016, विवरण– बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की विद्युतीय दुर्घटना से अपंगता पर अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में

1x25

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–4095–औसं/2016–19(125)ए0एस0/2001 **दिनांकः 13 अक्टूबर, 2016**

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन के सम्पर्क में आने से बाहरी व्यक्तियों व पशुओं की घातक एवं साधारण दुर्घटना से हुई अपंगता पर अनुग्रह धनराशि अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–464–औसं/2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–2745–औसं/2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अनुक्रम में अनुग्रह धनराशि के पुनर्निधारण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की 126वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार दैवीय आपदाओ हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अनुग्रह धनराशि निम्नवत पुनः निर्धारित की जाती है :–

(क) **घातक मानवीय दुर्घटना** में रू0 4.00 लाख के स्थान पर रू0 5.00 लाख अनुमन्य किया जायेगा।

(ख) **दुधारू पशु**

(अ) भैंस, गाय, ऊँट, याक आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 16400/– के स्थान पर रू0 30,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) भेड़, बकरी, सुअर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 1650/– के स्थान पर रू0 3,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) **दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु**

(अ) ऊँट, घोड़ा, बैल आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 15,000/– के स्थान पर रू0 25,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

(ब) बछड़ा, गधा, खच्चर आदि की मृत्यु होने पर वर्तमान में निर्धारित रू0 10,000/– के स्थान पर रू0 16,000/– अनुमन्य किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में पूर्व आदेश संख्या–4570–औसं/17/पाकालि/2004–19(51)ए0एस0/04, दिनांक 25.09.2004 आदेश संख्या–464–औसं/16–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 03.02.2016 एवं आदेश संख्या–2745–औसं/ 2016–19(125)ए0एस0/01 दिनांक 02.07.2016 के अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

.....2...../–

ELLE ACCIDENT

542

संख्याः–4095–औसं/2016 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को इस आशय से कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ अधिकारियों/इकाईयों को उपलब्ध करा दें।
5. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
7. महाप्रबन्धक, लेखा एवं सम्प्रेक्षा, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
9. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
10. अनुसचिव, कार्मिक वित्त नीति, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. कारपोरेशन (मु0), शक्ति भवन को समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **WWW.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।
14. कट फाइल/पत्रावली संख्या–8–एम/92।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

ELLE ACCIDENT

543

वाणिज्य प्रबंधन एवं प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी

पत्रांक–136/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–23–05–2019, विवरण–अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर से नियमित अनुश्रवण हेतु चिन्हित महत्वपूर्ण बिन्दु के संदर्भ में।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226 001
ई मेल– chairmanuppcl@gmail.com
☎ : 0522–2287827(o)
(फैक्स) : 0522–2287785
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या : 136 /मु0अभि0(वा0–2)/एम0बी0सी0/19 दिनांक : मई 23, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं
केस्को–कानपुर।

विषय– अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर से नियमित अनुश्रवण हेतु चिन्हित महत्वपूर्ण बिन्दु के सन्दर्भ में।

कृपया अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) इन बिन्दुओं पर गहन अनुश्रवण करेंगे तथा इससे सम्बन्धित अभिलेख अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। माननीय उर्जा मंत्री तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं डिस्काम के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मण्डल के निरीक्षण के समय इन अभिलेखों का अवलोकन किया जायेगा :–

1. बिलिंग –
   (क) मीटर रीडर एवं सुपरवाइजर के कार्य की समीक्षा।
   (ख) रीडिंग आधारित बिल की अनुश्रवण।
   (ग) मीटर रीडर द्वारा बिलिंग एक्सेप्शन करना तथा उसपर ए0टी0आर0 का अनुश्रवण।
2. जनपद में चल रही विभिन्न योजनाओं तथा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कार्य की प्रगति का अनुश्रवण।
3. जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की अद्यतन स्थिति एवं निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों एवं सुझावों पर अनुपालन।
4. संविदा पोर्टल के अपडेशन की स्थिति।
5. जनपद के अन्तर्गत 11 के0वी0 फीडरवार स्थापित वितरण परिवर्तकों की संख्या एवं उनकी क्षतिग्रस्तता का विवरण। परिवर्तकों के अनुरक्षण का विवरण।
6. विद्युत वितरण मण्डल में प्रकाशित तथा किये गये अनुबन्ध का विवरण तथा इनके विरुद्ध कार्य की प्रगति।
7. आदर्श उपकेन्द्रों का विवरण।

नोट– उपरोक्त से सम्बन्धित सभी सूचनायें उपकेन्द्रवार रखी जाय।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

23-5-2019

संख्या : 136 /मु0अभि0(वा0-2)/एम0बी0सी0/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. निदेशक (वितरण/वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, क्षेत्र, मध्यांचल /पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0 ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक–797 / स्टॉफ ऑफिसर / (स0अ0)पाकालि / 2019, दिनांक–28–09–2019, विवरण–ग्रामीण क्षेत्रों में टर्नअप बढ़ाने हेतु अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत के प्रमुख स्तार पर 03.10.2019 से ग्रामीण विघुत उपभोक्ता सहायता शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 797/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019 दिनांक: 28 सितम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी
विद्युत वितरण निगम लि0।

ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता शिविर 03 अक्टूबर 2019 से आरम्भ

विषय:- ग्रामीण क्षेत्र में टर्नअप बढ़ाने हेतु अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत के प्रमुख ग्राम के सी0एस0सी0–वी0एल0ई0 स्तर पर 03 अक्टूबर, 2019 से ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता शिविर आयोजित करने के सम्बन्ध में।

विदित है कि ग्रामीण क्षेत्र में [illegible] करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक कम है। जिसके दृष्टिगत राजस्व वसूली [illegible] को [illegible] करने हेतु अवर अभियन्ता द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रमुख ग्राम में ग्रामीण टर्नअप बढ़ाये जाने [illegible] कार्ययोजना बनाकर **ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता शिविर** आयोजित किया [illegible] लिए निम्नलिखित कार्यवाही [illegible] करें :-

1. सी0एस0सी0 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से सम्पर्क कर मण्डल द्वारा [illegible] से अधिक नये सी0एस0सी0–वी0एल0ई0 काउन्टर खोला जाना सुनिश्चित किया जाये, जिसकी क्रियाविधि पत्र सं0 623/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019 दिनांक 01 [illegible] 2019 द्वारा प्रेषित की गयी है (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)।
2. अधीक्षण अभियन्ता ग्राम पंचायत के प्रमुख ग्राम में CSC/VLE पर अवर अभियन्ता द्वारा **ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता** शिविर लगाये जाने की [illegible] कार्ययोजना CSC District Manager के साथ बनाकर संलग्न प्रारूप में डिस्काम द्वारा संकलित कर कार्ययोजना कारपोरेशन को उपलब्ध करायें।
3. शिविर के दिनांक तथा स्थान का [illegible] (कम से कम एक सप्ताह) से प्रचार–प्रसार किया जाये एवं ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुये शिविर के एक दिन पूर्व प्रभावी विद्युत विच्छेदन का कार्य कराया जाये। ग्राम प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों को **ग्रामीण विद्युत उपभोक्ता सहायता शिविर** में आमंत्रित भी किया जाये।
4. शिविर में बिल भुगतान, बिल संशोधन एवं मीटर की शिकायतों के निराकरण के साथ–साथ नये संयोजनों के फार्म के भरवाने एवं प्राप्त किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध हो। नये संयोजन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु फार्म सम्बन्धित TKC को उपलब्ध करा दिये जाये।
5. अवर अभियन्ता पूरे समय शिविर में उपस्थित रहेंगे एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण) अथवा उपखण्ड अधिकारी भी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त शिविरों में समय देकर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण एवं राजस्व वसूली कराने के कार्य को सुनिश्चित करें।
6. शिविर में सहयोग के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के JMT एवं मीटर रीडर भी सहयोग हेतु उपस्थिति हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) कार्यालय ज्ञाप जारी कर ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
7. शिविर सप्ताह तीन कार्य दिवसों यथा– सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को आयोजित किये जाये ताकि शिविर की आवश्यकता के अनुसार एक दिन शिविर विस्तारित किया जा सके।
8. यह कार्यक्रम अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) की निगरानी एवं नेतृत्व में चलाया जायेगा। यह कार्यक्रम 03 अक्टूबर 2019 से 02 माह (अक्टूबर एवं नवम्बर) के लिए कार्ययोजना मण्डलवार डिस्काम द्वारा संकलित कर दैनिक अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये। इस अवधि में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक शिविर अवश्य लगाया जाय।

9. इस शिविरों को विधिवत आयोजित कराने का प्रमुख उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का डिस्काम स्तर पर इन शिविरों की सफलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निदेशक (वाणिज्य) की होगी
10. चयनित उपकेन्द्रवार (अवर अभियन्तावार) अनुश्रवण आनलाइन प्रणाली पर किया जायेगा।

संलग्नक – यथा उपरोक्त।

आलोक

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि : –

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) [illegible] उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. अधिशासी अभियन्ता [illegible] आई0टी0, उ0प्र0 पाकालि को शिविरों की आन रिपोर्ट उपकेन्द्र[illegible] पोर्टल हेतु।
5. श्री दिव्यदर्शन [illegible] प्रोग्रामर, मेसर्स [illegible]0सी0।

पत्रांक–405/पी0एस0सी0एच0/19, दिनांक–07–09–2019, विवरण–बड़े भार वाले विघुत उपभोक्ताओ के विघुत बिलो के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर उत्तर दायित्व निर्धारण

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या–405/पीएससीएच/19 दिनाँक: 07 सितम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमाँचल–मेरठ/पूर्वांचल–वाराणसी/
मध्याँचल–लखनऊ/दक्षिणाँचल–आगरा।

विषयः– बड़े भार वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारण।

महोदय,

शासन के उच्च स्तर पर विद्युत वितरण निगमों की खराब राजस्व वसूली पर गहन असंतोष व्यक्त किया गया है तथा इस में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 स्तर पर माह अप्रैल, 2019 से माह जुलाई, 2019 तक की अवधि में (HV-3, HV-4, LMV-3, LMV-4A, LMV-7, LMV-8 & Powerloom श्रेणियों को छोड़कर) एल0टी0 तथा 9 किलोवॉट से अधिक भार वाले एल0टी0 गैर सरकारी उपभोक्ताओं की ऑन लाइन बिलिंग के आधार पर असेसमेन्ट के सापेक्ष वसूली की निम्नलिखित स्थिति उभर कर आई है:–

C-E(Com-1)

क्रम सं0	विद्युत वितरण का नाम	एल0टी0 उपभोक्ताओं की कलेक्शन इफीशियेन्सी।	9 किलोवॉट से अधिक भार वाले एल0टी0 उपभोक्ताओं की कलेक्शन इफीशियेन्सी।
1.	पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0।	85.43 प्रतिशत	83.55 प्रतिशत
2.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0।	68.86 प्रतिशत	75.49 प्रतिशत
1.	मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लि0।	82.09 प्रतिशत	87.93 प्रतिशत
2	दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0।	78.82 प्रतिशत	77.57 प्रतिशत

3– उपरोक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि विद्युत वितरण निगम बड़े भार वाले विद्युत उपभोक्ताओं से भी करेन्ट असेसमेन्ट की वसूली नहीं कर पा रहें हैं, यह

स्थिति स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है-

(1) गैर सरकारी एच0टी0 उपभोक्ताओं से अधिक आधार पर कलेक्शन इफीशियेंसी न्यूनतम 98 प्रतिशत की प्राप्ति के लिए विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक उत्तरदायी होंगे तथा इस श्रेणी के उपभोक्तावार वसूली सुनिश्चित करने के लिए डिस्काम्स के निदेशक (वाणिज्य) जिम्मेदार होंगे। मानक से कम कलेक्शन इफीशियेंसी के लिए डिस्काम्स के निदेशक (वाणिज्य) के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(2) 9 किलोवॉट से अधिक भार वाले एल0टी0 उपभोक्ताओं से करेन्ट असेसमेन्ट के सापेक्ष कलेक्शन इफीशियेंसी कॉपिक आधार पर न्यूनतम 95 प्रतिशत प्राप्ति के लिए डिस्काम्स के निदेशक (वाणिज्य) उत्तरदायी होंगे तथा इस श्रेणी के उपभोक्तावार वसूली सुनिश्चित करने के लिए डिस्काम्स के क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, वितरण जिम्मेदार होंगे। मानक से कम कलेक्शन इफीशियेंसी के लिए डिस्काम्स के मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वितरण के विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह व्यवस्था [illegible] प्रभाव से लागू की जाती है तथा माह सितम्बर, 2019 के अन्त में इसी [illegible] उपरोक्त अधिकारियों [illegible] की समीक्षा कर शिथिलता पाये जाने की [illegible] उनके विरुद्ध [illegible] की जायेगी।

5- अस्तु [illegible] सभी [illegible] उपर्युक्त श्रेणियों में प्रत्येक उपभोक्ता के [illegible] असेसमेन्ट के [illegible] की समीक्षा प्रतिदिन करें और मानक के [illegible] कलेक्शन इफीशियेंसी [illegible] करायें। अभी इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं [illegible] जिनके सापेक्ष वसूली कर उपरोक्त मानक के अनुसार कलेक्शन इफीशियेंसी को प्राप्त करना सर्वथा सम्भव है।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
(2) निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
(3) निदेशक (वाणिज्य) पश्चिमांचल-मेरठ/पूर्वांचल-वाराणसी/ मध्यांचल-लखनऊ/ दक्षिणांचल-आगरा।
(4) समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, वितरण, पश्चिमांचल-मेरठ/ पूर्वांचल-वाराणसी/ मध्यांचल-लखनऊ/ दक्षिणांचल-आगरा।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

तकनीशियन विद्युत प्रभारी

पत्रांक–794–अरा0–09(ब)/पाकालि/19–93–अरा0(09ब)/07(टी0सी0), दिनांक–11–09–2019, विवरण–तकनीशियन विद्युत को वाणिज्यिक कार्यों हेतु अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

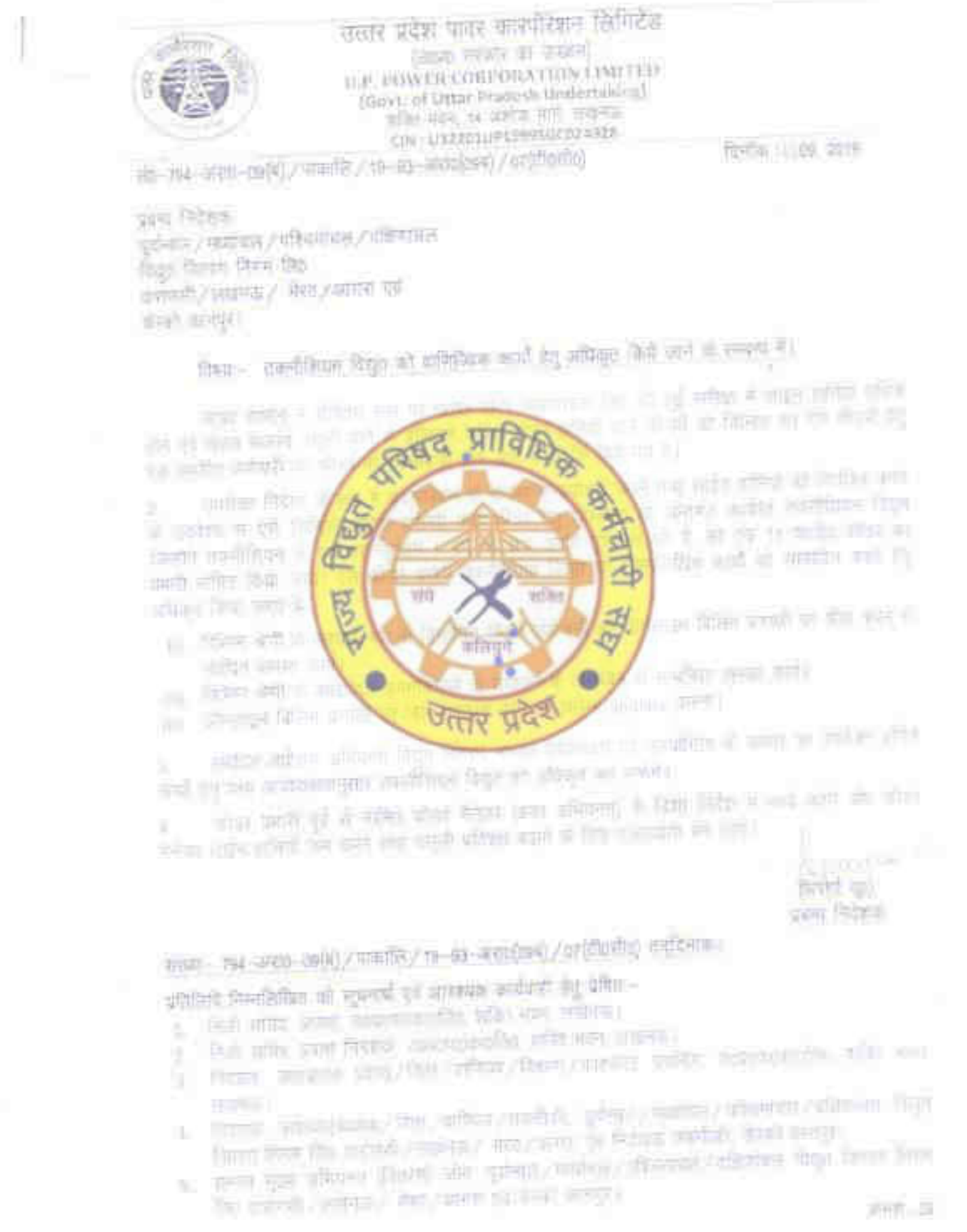

पत्रांक–695/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019, दिनांक–27–08–2019, विवरण–प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को समस्त डिस्काम के सभी खण्डों में विद्युत बकायेदारों से वसूली अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या :695/स्टा0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2019 दिनांक: 27 अगस्त, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी
विद्युत वितरण निगम लि0।
एवं केस्को–कानपुर।

विषय :– प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को समस्त डिस्काम के सभी खण्डों में विद्युत बकायेदारों से वसूली अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को समस्त डिस्काम में विद्युत बकायेदारों से वसूली अभियान वृहद स्तर पर चलाया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत् है:

1. अभियान के अन्तर्गत जून–2019 में आरएपीडीआरपी क्षेत्र में रू0 10,000/– से अधिक एवं दिनांक 01.04.2019 से भुगतान न करने वाले बकायेदारों तथा नान– आरएपीडीआरपी क्षेत्र में रू0 10,000/– से अधिक एवं दिनांक 01.01.2019 से भुगतान न करने वाले बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही की जानी है।
2. अभियान में खण्ड/उपखण्ड स्तर के समस्त अधिकारी/अवर अभियन्ता/फील्ड कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे।
3. प्रत्येक खण्ड को न्यूनतम 200 बकायेदारों से अभियान दिवस में वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
4. संवेदनशील क्षेत्र में पूर्ण नियोजन के साथ जिला प्रशासन से सहयोग लिया जाये एवं अधिक बड़े बकायेदारों के क्षेत्र पूर्व में ही चिन्हित कर लिया जाये।
5. बड़े बकायेदारों की सूची चिन्हित कर कार्यवाही हेतु विद्युत विच्छेदन गैंग को उपलब्ध करा दी जाये।
6. प्रत्येक खण्ड द्वारा बकाया वसूली के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति दी जाये जिसमें ऐसे बड़े बकायेदार जिन्होंने विच्छेदन के पश्चात भुगतान न किया हो, का विवरण भी दिया जाये। प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की कटिंग डिस्काम द्वारा संकलित कर कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
7. लाईन अनुरक्षण कार्य में लगे समस्त संविदा कर्मचारी अभियान में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करेंगे।
8. विच्छेदित बकायेदारों से भुगतान एवं डीसी/आरसी शुल्क प्राप्त होने पर पुनः संयोजन करने की विशेष सुविधा उपलब्ध रहे।
9. इस दिन समस्त पुलिस परिवर्तन दल भी विद्युत विच्छेदन कार्य में सहयोग करने के लिये उपलब्ध रहेंगे।
10. स्मार्ट मीटर बकायेदार उपभोक्ताओं का भी उपरोक्तानुसार सघन विद्युत विच्छेदन किया जाय।
11. सभी विद्युत विच्छेदित संयोजनों की ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित की जाये।
12. एम0बी0सी0 सेल द्वारा अगले कार्य दिवस में 11:30 बजे तक ऑनलाइन डाटा के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।
13. प्रत्येक विच्छेदित संयोजन की मानिटरिंग हेतु खण्ड में कार्यरत कुल टी0जी0–II एवं संविदा कर्मियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक टी0जी0–II एवं संविदा कर्मी को लिखित रूप से चिन्हित उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध करा दी जाये। यदि उक्त विच्छेदित संयोजन चलता पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

14. बकाया वसूली का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। अभियान की गलत रिपोर्टिंग प्राप्त होने पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी की पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

विद्युत विच्छेदन एवं बकाये से राजस्व वसूली का खण्डवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/डिस्कामवार विद्युत विच्छेदन एवं राजस्व संग्रह का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जायेगा।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पाकालि0।
2. एडीजी (विजिलेन्स) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रवर्तन दलों को सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के अधीन उनके निर्देशानुसार कार्य सम्पादन करने हेतु प्रतिभागिता सुनिश्चित करवायेंगे।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
4. निदेशक (वाणिज्य), मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल एवं केस्को–कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पाकालि।
6. अधीक्षण अभियन्ता, आर०ए०पी०डी०आर०पी० पार्ट–ए एवं आई०टी०, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. मेसर्स एच0सी0एल0/मेसर्स फ्लुएन्ट ग्रिड को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को हुए विद्युत विच्छेदन एवं राजस्व संग्रह की ऑनलाइन रिपोर्ट अगले कार्यदिवस पर प्रातः 10:00 बजे एम.बी.सी. सेल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

मीटर न उतारने के सम्बन्ध में

पत्रांक–311 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0– I, दिनांक–01–10–2019, विवरण–अस्थायी असंयोजन (Temporary Disconnection) की स्थिति में मीटर न उतारने के सम्बन्ध में।

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई-मेल : [illegible]
दूरभाष – (0522) [illegible] (कार्या)
फैक्स – (0522) [illegible]
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक– 311 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1 / दिनांकः अक्टूबर, 01, 2019

विषय :– अस्थायी असंयोजन (**Temporary Disconnection**)की स्थिति में मीटर न उतारने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

उपरोक्त विषयक यह संज्ञान में आया है कि कतिपय वितरण खण्डों द्वारा Temporary Disconnection की स्थिति में मीटर उतार लिया जाता है जो कि अनियमितता है और इससे निगम की छवि भी धूमिल होती है।

कृपया अवगत हो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2005 की धारा 4.35 में निम्नवत प्राविधानित है–

4.35- **Procedure for Disconnection of Supply**

The supply may be disconnected temporarily or on a permanent basis as per the procedure described below:

(i) The Licensee shall remove service line, meter, etc. after permanent disconnection.

(ii) However, the Licensee may not remove service line, meter, etc. in case of temporary disconnection.

(iii) The licensee may remove service line, etc. if he has sufficient reason of unauthorized use of electricity in case of temporary disconnection. However meter shall not be removed in such cases.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि केवल स्थायी संयोजन विच्छेदन की स्थिति में ही मीटर उतारने की कार्यवाही संगत है।

अतः इस सम्बन्ध में विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के प्राविधानों का शतप्रतिशत अनुपालन करने हेतु अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्याः 311 / मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0) / वा0–1 / तद्दिनांकः 01-10-19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

बिलिंग

बिलिंग लक्ष्य

पत्रांक–454 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019, दिनांक–24–06–2019, विवरण–उदय टर्न अराउण्ड प्लान के अन्तर्गत बिलिंग एजेन्सी के कार्य की प्रगति, बिलिंग गुणवत्ता एवं उपभोक्ता टर्नअप की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 454 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019 दिनांक: 24 जून 2019

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी।

विषय :– उदय टर्न अराउ प्लान के अन्तर्गत बिलिंग एजेन्सी के कार्य की प्रगति, बिलिंग गुणवत्ता एवं उपभोक्ता टर्नअप की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में।

अवगत है कि उदय टर्न अराउण्ड प्लान के अन्तर्गत राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु एवं शतप्रतिशत रीडिंग आधारित बिलिंग सुनिश्चित करते हुये उपभोक्ताओं को समय से सही बिल पहुँचाने के उद्देश्य से बिलिंग एजेन्सी के कार्यों की प्रगति, बिलिंग गुणवत्ता एवं उपभोक्ता टर्नअप के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। दिनांक 13.0[illegible] [illegible] बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं [illegible] क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करायें :–

1. प्रदेश स्तर पर [illegible] अप्रैल एवं मई, 2019 में [illegible] 22.16 लाख उपभोक्ताओं के ऐक्सपेन्स (मीटर चेंज / [illegible] मीटर एडवाईस / मीटर डिफेक्टिव / [illegible] संयोजन) प्राप्त हुये है एवं मात्र 0.79 लाख [illegible] प्रतिशत) ऐक्सेप्शनों का ही निस्तारण किया गया है। जिसका डिस्कामवार विवरण निम्न है :–

DISCOM	REPORTED	ADDRESSED	ADDRESSED IN %
MVVNL	211903	3897	1.84
PUVVNL	757121	12913	1.71
DVVNL	1100622	55896	5.08
PVVNL	142046	6438	4.38
UPPCL	[illegible]	79138	3.57

अध्यक्ष महोदय द्वारा एक्सेप्शन के निराकरण की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। आप सहमत होंगे कि बिलिंग गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाकर उपरोक्त ऐक्सेपशन का आगामी 03 माह में निस्तारण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त कार्य हेतु मीटरिंग, मीटर एडवाईस एवं बिलो में संशोधन हेतु आवश्यकतानुसार जनशक्ति खण्ड / उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. पत्र संख्या 345 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019 (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 25 मई, 2019 के निर्देशों के अनुक्रम में प्रत्येक क्लस्टर हेतु बिलिंग ऐजेंसी द्वारा डिस्काम मुख्यालय पर डाटा एनालिटिक सेल खोला जाना सुनिश्चित करायें जिससे कि डाटा के विश्लेषण द्वारा बिलिंग ऐजेंसी डिस्काम को बिलिंग गुणवत्ता बढ़ाने में सहयोग कर सके एवं खराब परफारमेंस वाले मीटर रीडरों / सुपरवाईजरों को चिन्हित कर बिलिंग ऐजेंसी को कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।
3. आर0ए0पी0डी0आर0पी0 एवं नान–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र के हेतु दिसम्बर– 2019 तक बिलिंग एवं रीडिंग आधारित बिलिंग के डिस्कामवार लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किये गये है :–

डिस्काम	मई माह की स्थिति		दिसम्बर माह के लक्ष्य	
	बिलिंग	रीडिंग बिलिंग	बिलिंग	रीडिंग बिलिंग
आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र				
PVVNL	93.59	89.76	98.00	96.00
DVVNL	90.09	83.23	96.00	93.00
MVVNL	83.01	75.70	95.00	94.00
PuVVNL	[illegible]			

नान–आर०ए०पी०डी०आर०पी० क्षेत्र				
PVVNL	86.05	67.22	95.00	90.00
DVVNL	78.54	43.86	90.00	85.00
MVVNL	76.95	56.42	90.00	85.00
PuVVNL	76.94	42.54	90.00	85.00

डिस्कामवार मासिक लक्ष्य पत्र के साथ संलग्न है।

4. पत्र संख्या 415/स्टा०आफि०/(स०अ०)/पाकालि/2019 (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 15 जून, 2019 के अनुक्रम में प्रत्येक वितरण क्षेत्र के जिलों में कम से कम एक उपकेन्द्र पर शतप्रतिशत बिलिंग डाउनलोडिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जाये।
5. प्रत्येक वितरण मण्डल के सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रीडिंग आधारित बिलिंग के आधार पर मण्डल के सबसे खराब 05 उपकेन्द्रों को चिन्हित कर साप्ताहिक गहन अनुश्रवण द्वारा माह जुलाई– 2019 में गुणात्मक सुधार परिलक्षित कराया जाना सुनिश्चित करायें।
6. पत्र संख्या 358/SOCHM/UPPCL/2019 (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 01 जून, 2019 के अनुक्रम में बिलिंग ऐजेंसी द्वारा मीटर रीडर पोर्टल पर मीटर रीडरों को किया गया माह मई–2019 का भुगतान एवं डिस्काम को प्रेषित इनवाईस दिनांक 20 जून, 2019 तक अपडेट कराना सुनिश्चित करें एवं डिस्काम द्वारा बिलिंग ऐजेंसी को किये जा रहे भुगतान का डिस्काम के नोडल अधिकारी द्वारा अपडेशन कराना सुनिश्चित करें।
7. पत्र संख्या 397/स्टा०आफि०/(स०अ०)/पाकालि/2019 (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 10 जून, 2019 के अनुक्रम में यह सुनिश्चित करा लें कि डिस्काम की आई०टी० इकाई द्वारा बिलिंग के दैनिक अनुश्रवण हेतु बिलिंग पोर्टल पर डिस्काम प्रबन्धन/मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) एवं बिलिंग एजेंसियों की आईडी बना ली गयी हैं एवं बिलिंग के दैनिक अनुश्रवण हेतु उपरोक्त का प्रयोग किया जा रहा है।
8. पत्र संख्या 4[illegible]/स्टा०आफि०/(स०अ०)/पाकालि/2019 (छाया प्रति संलग्न) दिनांक 15 जून, 2019 के अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही हेतु मण्डल स्तर पर निविदा प्रकाशित, खोलने एवं एल०ओ०आई० निर्गत करने का समयबद्ध अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करायें।
9. आर०ए०पी०डी०आर०पी० क्षेत्र में वर्ष 2018–19 में 85 प्रतिशत से कम के प्रगामी टर्नअप के टाउनों का उपखण्डवार दैनिक अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथा उपरोक्त।

Aparna U.
(अपर्णा यू०)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पाकालि।
3. निदेशक (वाणिज्य) मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–2, उ०प्र० पाकालि।
5. अधीक्षण अभियन्ता इनर्जी आडिट सेल एवं नोडल उदय।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष एवं इंचार्ज एम०बी०सी० सेल।

Billing Target

	DISCOM	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19
	Billing %								
RAPDRP	DVVNL	90.09	90.79	91.49	92.20	92.90	93.60	94.30	95.00
	MVVNL	83.01	84.72	86.44	88.15	89.86	91.57	93.29	95.00
	PUVVNL	84.30	85.83	87.36	88.89	90.42	91.94	93.47	95.00
	PVVNL	93.59	94.22	94.85	95.48	96.11	96.74	97.37	98.00
	reading Based Billing %								
	DVVNL	83.23	84.63	86.02	87.42	88.81	90.21	91.60	93.00
	MVVNL	75.70	78.17	80.64	83.11	85.59	88.06	90.53	93.00
	PUVVNL	76.71	79.04	81.[illegible]	[illegible]	86.02	88.35	90.67	93.00
	PVVNL	89.76	90.65	91.[illegible]	[illegible]	93.33	94.22	95.11	96.00
	Billing %								
Non RAPDRP	DVVNL	78.54	80.18	81.81	83.45	[illegible].09	86.73	88.36	90.00
	MVVNL	76.95	78.8[illegible]	80.68	82.54	84.41	86.27	88.14	90.00
	PUVVNL	76.54	78.[illegible]0	80.67	82.54	84.[illegible]0	86.27	88.13	90.00
	PVVNL	86.05	87.[illegible]3	88.91	89.89	91.16	92.44	93.72	95.00
	reading Based Billing %								
	DVVNL	43.86	49.74	[illegible]	61.49	[illegible]7	73.25	79.12	85.00
	MVVNL	56.42	60.5[illegible]	64.59	68.67	[illegible]75	76.84	80.92	85.00
	PUVVNL	42.54	48.6[illegible]	54.67	60.74	[illegible].80	72.87	78.93	85.00
	PVVNL	67.22	70.48	[illegible].73	76.9[illegible]	80.24	83.49	86.75	90.00

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पत्रांक–310 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019, दिनांक–04–05–2019, विवरण–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 एवं नान आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र की मासिक बिलिंग शिड्यूल

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 310 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019 दिनांक: 04 मई 2019

निदेशक (वाणिज्य)
दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल,
आगरा / मेरठ / लखनऊ / वाराणसी,
विद्युत वितरण निगम लि0।

विषय : मासिक बिलिंग शिड्यूल के सम्बन्ध में।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 एवं नान–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र की मासिक बिलिंग शिड्यूल निम्नवत है–

1. आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र में
   a. न्यूनतम बिलिंग डाटा निम्नवत उपलब्ध होगा :–
      i. माह की 2 ता0 के सायं 08:00 बजे तक 50 प्रतिशत।
      ii. माह की 3 ता0 के [illegible] 08:00 [illegible] 65 प्रतिशत।
      iii. माह की 3 [illegible] प्रतिशत।
      iv. माह की 4 [illegible]।

   यदि कोई डाटा [illegible] किसी कारण से बिलिंग सम्बन्धित अधिकारी द्वारा एस0आई0 को [illegible] जायेगा।
   b. माह के प्रथम [illegible] शुक्रवार एवं द्वितीय शनिवार अनुरक्षण कार्य हेतु आरक्षित एवं माह [illegible]।
   c. प्रोविजनल बिलिंग [illegible] 2 [illegible] किया जायेगा।
2. नॉन–आर0ए0पी0डी0आर0पी0 [illegible]
   a. मोबाइल एप [illegible] उपलब्ध होगी।
   b. माह की 1 ता0 को [illegible] बिलिंग डाटा [illegible]।
   c. प्रोविजिनल बिलिंग
      i. [illegible] अंतिम दिवस के पूर्व के 2 रात में किया जायेगा।
      ii. [illegible] अंतिम दिवस के पूर्व के 3 रात में किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त आधार पर बिलिंग के कार्य को प्रत्येक माह नियोजित करते हुए समय से बिलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाये।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि–
1. निजी सचिव अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–द्वितीय, उ0प्र0 पाकालि।
5. अधीक्षण अभियन्ता, इनर्जी आडिट सेल, उ0प्र0 पाकालि।
6. स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष एवं इन्चार्ज एम0डी0सी0 सेल, उ0प्र0 पाकालि0।
7. उदय सलाहकार, मैसर्स [illegible]।
8. मैसर्स एच0सी0एल / [illegible] लि0 / इलाहाबाद।
9. समस्त बिलिंग एजेन्सी।

पत्रांक–742 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019, दिनांक–11–09–2019, विवरण–वित्तीय वर्ष 2019–20 में अगस्त माह से राजस्व सम्बन्धित अनुश्रवण हेतु अकाउन्टेबिल मेट्रिक्स के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 742 / स्टा0आफि0 / (स0अ0) / पाकालि / 2019 दिनांक 11 सितम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम
पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल
मेरठ / लखनऊ / आगरा / वाराणसी
विद्युत वितरण निगम लि0
एवं केस्को–कानपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2019–20 में अगस्त माह से राजस्व सम्बन्धित अनुश्रवण हेतु अकाउन्टेबिल मेट्रिक्स के सम्बन्ध में।

मा0 मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुक्रम में राजस्व सम्बन्धित मासिक अनुश्रवण अकाउन्टेबिल मेट्रिक्स के माध्यम से किया जा रहा है। अकाउन्टेबिल मेट्रिक्स द्वारा अगस्त, 2019 से अनुश्रवण निम्न प्रकार पर किया जायेगा :–

1. गैर सरकारी एच0टी0 उपभोक्ताओं से कलेक्शन इफीशियेंसी न्यूनतम 98 प्रतिशत की प्राप्ति के लिए विद्युत वितरण निगम के [illegible] उत्तरदायी होंगे तथा इस श्रेणी के उपभोक्तावार वसूली सुनिश्चित करने के लिए [illegible]।
2. [illegible] के सापेक्ष कलेक्शन इफीशियेंसी प्रति0वा0 से अधिक भार [illegible] निदेशक(वा0) उत्तरदायी होंगे तथा इस [illegible] प्रकार पर [illegible] मुख्य अभियन्ता, वितरण जिम्मेदार श्रेणी के उपभोक्तावार [illegible] होंगे।
3. अधीक्षण अभियन्ताओं [illegible] के सापेक्ष प्राप्ति के आधार पर किया जायेगा जिसकी ग्रेडिंग [illegible] तालिका के अनुसार की जायेगी :–

लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति	ग्रेड
>=95%	A
85% to 95%	B
75%to85%	C
<75%	D

4. अधिशासी अभियन्ता, वितरण एवं 17–34 नगरीय टाउनों के उपखण्ड अधिकारियों के परफॉरमेन्स का अनुश्रवण यू रेट लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति पर निम्न तालिकानुसार ग्रेडिंग कर किया जायेगा :–

लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति	ग्रेड
>=95%	A
85% to 95%	B
BELOW 85%	C

5. अन्य उपखण्ड अधिकारियों के परफॉरमेन्स का अनुश्रवण उपखण्ड के प्रगामी टर्नअप के आधार पर किया जायेगा जिसकी ग्रेडिंग मण्डल के प्रगामी टर्नअप से 125 प्रतिशत से अधिक, 110 से 125 प्रतिशत, 110 से 90 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम होने पर क्रमशः ए, बी,सी एवं डी ग्रेडिंग की जायेगी।
6. अवर अभियन्ता (फीडर मैनेजर) के परफॉरमेन्स का अनुश्रवण 17 आरएपीडीआरपी टाउनों के लिये 3 माह से 30 प्रतिशत से अधिक ए0टी0एण्डसी0 हानियों, अन्य आरएपीडीआरपी टाउनों के लिये 3 माह से 50 प्रतिशत से अधिक ए0टी0एण्डसी0 हानियां एवं शेष अवर अभियन्ताओं के परफॉरमेन्स का अनुश्रवण मण्डल के टर्नअप के आधार पर फीडर का टर्नअप 125 प्रतिशत से अधिक, 110 से 125 प्रतिशत, 110 से 90 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम होने पर क्रमशः ए बी,सी एवं डी ग्रेडिंग की जायेगी।

उपरोक्त आधार पर मासिक अनुश्रवण एवं अकाउन्टेबिल मैट्रिक्स का पत्र माह की 20 ता0 तक कारपोरेशन से प्रेषित किया जायेगा जिसमें अगले माह की 15 ता0 तक डिस्काम की आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करना होगा।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–
1. नि0 सचिव, अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–द्वितीय, उ0प्र0 पाकालि।

letter- 2019 (1).docx

उपखण्ड का निरीक्षण

पत्रांक–56 / पीएसडी(डी)पीसीएल / 2019, दिनांक–27–07–2018, विवरण–वितरण उपखण्डों में उपभोक्ता सेवा, विद्युत आपूर्ती आदि से सम्बन्धित अभिलेखों के रख रखाव के व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 56/पीएसडी(डी)/पाकालि/2018 दिनांक 27 जुलाई, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी / केस्को–कानपुर
विद्युत वितरण निगम लि0।

विषय :– वितरण उपखण्डों में उपभोक्ता सेवा, विद्युत आपूर्ति आदि से सम्बन्धित अभिलेखों (Record) के रख–रखाव की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

मा0 ऊर्जा मंत्री जी के वितरण उपखण्डों में दौरों के उपरान्त यह पाया गया है कि उपखण्ड में उपभोक्ता सेवा, विद्युत आपूर्ति एवं उपखण्ड के अन्य कार्य [illegible] और न ही किये जा रहे कार्यों के अभिलेखों का सही रख–रखाव किया जा रहा है, साथ ही [illegible] कार्यालय का नियमित रूप से निरीक्षण भी नहीं हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को [illegible] शिकायतों का निस्तारण ससमय एवं निष्पक्षतापूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः इस [illegible] में प्रत्येक उपखण्ड में अभिलेखों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उप[illegible] की होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में "[illegible]" [illegible] नियमित रूप से कैम्प इत्यादि लगाये जाने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की [illegible] शहरी क्षेत्रों के उपखण्ड कार्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जायेगी [illegible] 2018 [illegible]।

डिस्कामवार उदय [illegible] किये गये विचार विमर्श एवं फील्ड अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निम्न [illegible] निर्धारित किये गये हैं।

1. उपभोक्ता सेवाओं से सम्बन्धित
   a. नये संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन [illegible] सृजित प्रथम बिल का विवरण पी–1 एवं पी–2 प्रारूप में अंकित होना चाहिए।
   b. बिल संशोधन के प्राप्त आवेदन एवं कृत कार्यवाही का विवरण आर–1 एवं आर–2 प्रारूप में उपलब्ध होना चाहिए।
   c. स्थायी विच्छेदन के आवेदन एवं अन्तिम बिल निर्गत एवं जमा करने का रिकार्ड पी0डी0 रजिस्टर में अंकित किया जाय।
   d. भार वृद्धि, टैरिफ परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन के प्राप्त आवेदन एवं कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न प्रारूप में रजिस्टर में अंकित होना चाहिए।

2. विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित –
   a. उपकेन्द्रवार फीडरवार औसत मासिक विद्युत आपूर्ति, ट्रिपिंग एवं डाउन टाइम
   b. अतिभारित वितरण परिवर्तक एवं अतिभारता कम करने हेतु कार्ययोजना
   c. 6 घण्टे से अधिक अवधि के ब्रेकडाउनों एवं साइट निरीक्षण का विवरण

3. उपकेन्द्रवार राजस्व से सम्बन्धित अन्य अभिलेख :–
   a. कुल उपभोक्ताओं की संख्या, स्वीकृत भार एवं माह में बिलिंग एवं टर्नअप की स्थिति।
   b. 50 किलो वाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के पूर्ण विवरण एवं मासिक खपत एवं भुगतान की स्थिति एवं अन्तिम जाँच की तिथि
   c. उपकेन्द्र पर प्राप्त कुल ऊर्जा एवं लाइन हानियाँ
   d. त्रैमासिक आधार पर बकायेदारों के विवरण एवं कृत कार्यवाही
      (अ) रू0 10000 से 100000 तक
      (ब) 100000 से अधिक

e. माह में विद्युत चोरी रोकने हेतु की गई मास रेड एवं प्रगति
f. कार्यरत मीटर रीडरों का विवरण एवं मासिक रीडिंग आधारित बिलिंग की स्थिति

4. निरीक्षण पंजिका –
   a. प्रत्येक उपखण्ड में एक निरीक्षण पंजिका रखना अनिवार्य होगा।
   b. निरीक्षण पंजिका में सभी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दर्ज की जायेगी।
   c. अधिशासी अभियन्ता द्वारा 15 दिन में एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक 2 माह में न्यूनतम एक बार अपने अधीनस्थ सभी उपखण्डों का निरीक्षण किया जायेगा। इसी प्रकार मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह में न्यूनतम 2 उपखण्ड एवं वर्ष में समस्त उपखण्डों का निरीक्षण अवश्य किया जायेगा।
   d. अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी अवश्य की जायेगी –
      i. उपभोक्ता सेवाओं से सम्बन्धित नये संयोजनों के निर्गमन, बिल संशोधन, भार वृद्धि, टैरिफ परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन के प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता एवं समयसीमा के अन्तर्गत निस्तारण।
      ii. उपकेन्द्र पर विद्युत आपूर्ति की स्थिति।
      iii. बकायेदारों के विच्छेदन एवं वसूली की स्थिति।
      iv. विद्युत चोरी रोकने हेतु की गयी कार्यवाही।
      v. निरीक्षण अधिकारी आगामी निरीक्षण में पूर्व निरीक्षण के इंगित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का अवलोकन कर [illegible] सुनिश्चित करेंगे।

5. निरीक्षणों की गुणवत्ता एवं [illegible]
   डिस्काम के प्रत्येक [illegible] प्रत्येक माह न्यूनतम 3 उपखण्डों का निरीक्षण किया जायेगा एवं निरीक्षण [illegible] में अधिशासी अभियन्ता, [illegible] अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षणों की गुणवत्ता [illegible] टिप्पणी दर्ज की जायेगी।

6. उपभोक्ताओं से मिलने [illegible]
   a. प्रत्येक उपखण्ड [illegible] अधिशासी [illegible] निर्धारित समयावधि को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाये। जिस अवधि में [illegible] अधिकारी [illegible] मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण करायें और यदि अपरिहार्य स्थिति [illegible] नहीं हो पा रहे हों तो वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी अन्य अभियन्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
   b. सभी अभिलेख किसी [illegible] होकर कार्यालय में उपलब्ध रहें जिससे व्यक्ति विशेष की अनुपस्थिति में कार्य में बाधा न आये।

7. बड़े अन्तराल के ब्रेक डाउन होने की दशा में साइट पर जाकर अधिशासी अभियन्ता (यदि ब्रेक डाउन 8 घण्टे से अधिक है) एवं अधीक्षण अभियन्ता (यदि ब्रेक डाउन 16 घण्टे से अधिक है) द्वारा निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उल्लेख उपखण्ड में उपलब्ध रजिस्टर में भी किया जायेगा।

संलग्नक: यथाउपरोक्त

आलोक
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :- निजी सचिव मा० ऊर्जा मंत्री, उ०प्र०शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाकालि।
2. निदेशक (वितरण/वाणिज्य/का०प्र०एवं प्रशा०), उ०प्र० पाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), उ०प्र० पाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)-2, उ०प्र० पाकालि।
5. इंचार्ज एम०बी०सी० सेल, उ०प्र० पाकालि।

उपभोक्ताओं की भार वृद्धि/टैरिफ परिवर्तन/नाम परिवर्तन संबंधी समस्याओं के निराकरण का प्रारूप

खण्ड का नाम   उपखण्ड का नाम

क्र0सं0	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता का पता	खाता सं0	प्रार्थना पत्र दिनांक	प्रार्थना का प्रकार	प्रोसेसिंग फीस	प्राक्कलन की तिथि	प्राक्कलन की धनराशि	जमा करने की रसीद सं0	जमा करने की तिथि	ऑनलाइन एडवाइस

उपकेन्द्रवार फीडरवार औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण

उपकेन्द्र का नाम

खण्ड का नाम

माह.........

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	प्राप्त औसत विद्युत आपूर्ति	फीडर का नाम	फीडर पर प्राप्त औसत विद्युत आपूर्ति	माह में कुल ट्रिपिंग की संख्या	माह में कुल डाउन टाइम	अधिक ट्रिपिंग अथवा अधिक डाउन टाइम होने का प्रमुख कारण	टिप्पणी

अतिभारित परिवर्तकों का विवरण एवं कृत कार्यवाही का **विवरण**

खण्ड का नाम ____ उपखण्ड का नाम ____ कुल स्थापित परिवर्तकों की सं0......

क्र0सं0	फीडर का नाम	वितरण परिवर्तक का नाम	क्षमता	भार की स्थिति	मीटर स्थापित है	भार का कारण	भार कम करने की आवश्यक कार्यवाही	प्राकलन की सं0/दिनांक	स्वीकृत की तिथि	नये परिवर्तक की स्थापना एवं ऊर्जीकृत की तिथि	ऊर्जीकृत के पश्चात दानों परिवर्तकों का भार -1/भार-2

6 घण्टे से अधिक समय के ब्रेकडाउन का विवरण

खण्ड का नाम.................. उपखण्ड का नाम.................. माह..........

क्रमांक	33/11 के0वी0 का फीडर का नाम जिस पर ब्रेकडाउन हुआ है अथवा शटडाउन यदि 6 घण्टे से अधिक का है	ब्रेकडाउन/शटडाउन का कारण	दिनांक	शटडाउन का समय			प्रभावित क्षेत्र का विवरण	प्रभावित [illegible]	साइट पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	पूर्ण ब्रेकडाउन का विवरण	भविष्य निदान के लिये आवश्यक कार्य	टिप्पणी
				से	तक	अन्तराल						

उपकेन्द्रवार उपभोक्ताओं का विवरण, स्वीकृत भार एवं माह में बिलिंग एवं टर्नअप की स्थिति (ऑनलाइन प्रणाली से प्राप्त विवरण के अनुसार)

खण्ड का नाम [illegible] का नाम माह_____

क्र0सं0	टैरिफ	सप्लाई टाइप	उपभोक्ताओं की सं0	कुल भार	कुल [illegible]	[illegible] से अधिक भार [illegible] उपभोक्ताओं	रीडिंग आधारित बिलों की सं0	भुगतान प्राप्त बिलों की संख्या (टर्नअप)	टिप्पणी
कुल									

उपखण्ड के 50 कि०वा० एवं अधिक भार वाले उपभोक्ताओं का विवरण (ऑनलाइन प्रणाली से प्राप्त विवरण के अनुसार)

खण्ड का नाम______ उपखण्ड का नाम______ माह______

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	खाता संख्या	भार	सप्लाई टाईप	कुल [illegible]	लोड फैक्टर	[illegible] के आधार पर अनियमितता [illegible]	जांच रिपोर्ट सं० / दिनांक	पायी गयी अनियमितता	राजस्व निर्धारण	बिल / राजस्व निर्धारण के भुगतान की स्थिति / दिनांक

उपकेन्द्रवार प्राप्त ऊर्जा एवं लाइन हानियाँ

खण्ड का नाम.   उपखण्ड का नाम   माह..........

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	प्राप्त ऊर्जा	विक्रय की गयी ऊर्जा	बिलिंग दक्षता	निर्धारण	औसत बिलिंग दर	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ए0टी0एण्ड सी0 हानियाँ	अधिक हानियाँ होने का कारण	हानियों को कम करने की कार्य योजना	टिप्पणी

उत्तर प्रदेश लिमिटेड

त्रैमासिक आधार पर बकायेदारों पर की गयी कार्यवाही का विवरण रू0 10 हजार से 1 लाख

खण्ड का नाम. उपखण्ड का नाम माह........

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	बकायेदारों की संख्या	कुल बकाया	विच्छेदित बकायेदारों की संख्या	विच्छेदित संयोजनों पर बकाया धनराशि	विच्छेदन के पश्चात प्राप्त भुगतान की सं0	प्राप्त भुगतान	हार्ड कॉपी जिनके विच्छेदन के लिए विजलेन्स टीम की आवश्यकता है। सूची प्रथक रूप से उपलब्ध रहे	माह में विजलेन्स टीम द्वारा विच्छेदित संयोजनों की सं0
कुल									

उपखण्ड अधिकारी के पास उपकेन्द्रवार बकायेदारों की सूची हार्ड कापी में उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें तिथिवार कृत कार्यवाही का विवरण अंकित हो

त्रैमासिक आधार पर बकायेदारों पर की गयी कार्यवाही का विवरण रू0 1 लाख एवं 1 लाख से अधिक

खण्ड का नाम　　　　उपखण्ड का नाम　　　　माह.........

क्र0सं0	उपकेन्द्र का नाम	बकायेदारों की संख्या	कुल बकाया	विच्छेदित बकायेदारों की संख्या	[illegible] संयोजनों पर बकाया धनराशि	[illegible] प्राप्त [illegible] रु0	कुल प्राप्त भुगतान	हार्ड केस जिनके विच्छेदन के लिए विजलेन्स टीम की आवश्यकता है। सूची प्रथक रूप से उपलब्ध रहे	माह में विजलेन्स टीम द्वारा विच्छेदित संयोजनों की सं0

उपखण्ड अधिकारी के पास उपकेन्द्रवार बकायेदारों की सूची हार्ड कापी में उपलब्ध होनी चाहिए जिसमें तिथिवार कृत कार्यवाही का विवरण अंकित हो

उपखण्ड में मीटर रीडरों की परफारमेंन्स मानीटरिंग

खण्ड का नाम

उपखण्ड का नाम

माह______

क्र0सं0	मीटर रीडर का नाम	मीटर रीडर का मोबाइल नं0	मीटर रीडर का क्षेत्र	क्षेत्र में कुल उपभोक्ताओं की सं.	[illegible]	[illegible]	नवसृजित आई0डी0एफ0/आर0डी0एफ0 की संख्या	मीटर रीडर द्वारा सूचित सूचनाएँ			
								मीटर एक्सचेंज के लिए	चोरी एवं अनियमितताएँ	संकलित मोबाइल नं0	वास्तविक खराब मीटरों की संख्या
कुल											

माह में विद्युत चोरी रोकने हेतु मास रेड की कार्यवाही

खण्ड का नाम ______ उपखण्ड का नाम ______ माह______

क्र०सं०	उपकेन्द्र/फीडर का नाम	उपकेन्द्र/फीडर की ए०टी०एण्डसी० हानियां	मास रेड की तिथि	पकड़ी गयी अनियमितता						कुल दर्ज एफ०आई०आर०	प्राप्त शमन
				कुल की गयी जाँच (सं0)	विद्युत चोरी (धारा-135)	[illegible] कार्यवाही (धारा-138)	अन्य अनियमितताएँ (धारा-126)	अधिक भार	कुल अनियमितताएँ		

बिल सम्बन्धित शिकायतों की पंजिका आर-1

खण्ड का नाम [illegible]खण्ड का नाम माह........

क्र0सं0	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता का पता एवं मोबाइल नं0	खाता संख्या	शिकायत का [illegible]	बिल की [illegible]	संशोधित बिल की राशि	संशोधित बिल दिये जाने की तिथि	पंजीकरणकर्ता के हस्ताक्षर	उपभोक्ता के हस्ताक्षर

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

बिल [illegible] पंजिका आर-2

खण्ड का नाम: उपखण्ड का नाम: माह.....

क्रमांक	आर-1 की क्रम संख्या	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	उपभोक्ता का नाम	खाता संख्या	संशोधन से पूर्व बिल की कुल राशि	बिल त्रुटिपूर्ण होने का [illegible]	बिल संशोधन का आधार	संशोधित बिल की कुल राशि	संशोधित बिल [illegible] [illegible] तिथि	[illegible] की राशि	भुगतान की तिथि	धारा-3 संख्या एवं दिनांक	धारा-6 संख्या एवं दिनांक	बिल क्लर्क एवं लेखाकार के हस्ताक्षर	स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

नये संयोजन हेतु पंजिका पी–1

खण्ड का नाम ..... उपखण्ड का नाम ..... माह.....

क्र0सं0	आवेदक का नाम	आवेदक का पता एवं मोबाइल न0	आवेदन की तिथि	आवेदित विद्युत भार	विधा	संयोजन निर्गत करने की तिथि	पंजीकरणकर्ता के हस्ताक्षर	उपभोक्ता के हस्ताक्षर

पत्रांक–47/पीएसडी(डी)पीसीएल/2019, दिनांक–01–06–2019, विवरण–दिनांक 10 जून 2019 या उससे पूर्व प्रत्येक विद्युत वितरण जोन में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिकों की क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला।

आलोक कुमार
आई०ए०एस०
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ-226 001
ई मेल - chairmanuppcl@gmail.com
:0522-2287827(O)
(फैक्स) : 0522-2287785

सं0- 47 पीएसडी(डी)/पीसीएल/2019 दिनांक - 1.6.2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

विषय:- **दिनाँक 10 जून, 2019 या उससे पूर्व प्रत्येक विद्युत वितरण जोन में अवर अभियन्ता स्तर तक के कार्मिकों की क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में कार्यशाला।**

महोदय,

माननीय ऊर्जा मंत्री जी की अध्यक्षता में दि0 31 मई, 2019 को शक्ति भवन (मुख्यालय) पर सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर उपरोक्त विषय के अनुसार प्रत्येक वितरण जोन में एक कार्यशाला अवश्य आयोजित कराई जाय। इस सम्बन्ध में कार्यशाला के लिए महत्वपूर्ण एजेण्डा बिन्दुओं की सूची संलग्न है:-

(अ) **विद्युत आपूर्ति तथा उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु:**

(1) मा0 ऊर्जा मंत्री जी ट्वीटर हैण्डिल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण के साथ सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों का संज्ञान एवं निराकरण।

(2) मोडल अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा पारेषण विंग से सम्पर्क करना तथा आवश्यक कार्यों की सूची बनाते हुए कार्यवाही किया जाना।

(3) अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) क्षेत्र के मा0 सांसद से, सप्ताह में एक बार अधिशासी अभियन्ता (वितरण) मा0 विधायक से 15 दिन में एक बार सम्पर्क करेगें तथा उप-खण्ड अधिकारी/अवर अभियन्ता द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहना सुनिश्चित किया जाय।

(4) विशेषकर उपखण्ड अधिकारी तथा अवर अभियन्ता स्तर पर उपभोक्ताओं से अच्छा आचरण तथा उनकी शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(5) सुनिश्चित किया जाय कि शहरी क्षेत्रों में प्रति उपकेन्द्र एक अवर अभियन्ता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम दो उपकेन्द्रों के सापेक्ष एक अवर अभियन्ता की यथा आवश्यक तैनाती हो।

(6) आम रास्तों पर दुर्घटना रोकने के लिए विद्युत लाइनों की clearance सुनिश्चित किया जाय।

(7) पोषकवार ट्रिपिंग की स्थिति की समीक्षा ।

(8) स्थापित परिवर्तकों के अनुरक्षण एवं क्षतिग्रस्तता की स्थिति तथा एक ही स्थान पर बार-बार क्षतिग्रस्त होने वाले परिवर्तक की समीक्षा की जाय।

(9) वितरण परिवर्तकों की बैलेंसिंग के कार्य की समीक्षा।

(10) विद्युत संयोजन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में निर्धारित अवधि से अधिक का लम्बित न हो।

(11) मीटर रीडर, एम.आर.आई. की आवश्यकता के सापेक्ष उपलब्धता एवं उनके द्वारा की गई रीडिंग आधारित (एम.यू.) बिल का अनुश्रवण एवं निस्तारण।

(12) ग्रामीण पोषकों की लाइन हानियों का विवरण। लाइन हानियों को कम किये जाने की कार्य योजना एवं प्रगति का विवरण।

(13) पाँच किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं के श्रेणीवार बकाये की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाय।

(14) विद्युत चोरी रोकने हेतु "रेड" की कार्यवाही, राजस्व निर्धारण तथा वसूली का विवरण एवं समीक्षा।

(15) पाँच कि०वॉ० से अधिक भार वाले चोरी के मामलों में अधिकतम एक माह में कम्पाउंडिंग फीस तथा राजस्व निर्धारण की वसूली सुनिश्चित किया जाना।

(16) चिन्हित स्थानों (दुर्घटना सम्भावित तथा चोरी बाहुल्य क्षेत्र) पर खुले तारों के स्थान पर ए.बी. केबिल को लगाये जाने की प्रगति की समीक्षा किया जाना।

(17) जिले के भण्डार केन्द्र पर उपलब्ध सामग्री तथा निर्गत की गयी सामग्री के उपयोग के विवरण की उपलब्धता ।

(18) विद्युत भंडार गृहों में निर्देशानुसार महत्वपूर्ण सामग्री के प्रत्येक लॉट से अनिवार्य रूप से सैम्पलिंग किया जाना, इन्वेन्ट्री के विवरण तथा

परीक्षण के लिए प्रेषित नमूनों एवं प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा किया जाना।

(19) संविदा कर्मियों की सूची, भुगतान पद्धति, पोर्टल पर अद्यतन स्थिति की समीक्षा एवं नियमित भुगतान के लिए विभाग से बिलों की समीक्षोपरान्त अविलम्ब धनराशि प्राप्त कराकर नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित कराया जाना।

(20) निविदाओं के सापेक्ष कार्यों का विवरण, मानकों के आधार पर परीक्षण एवं भुगतान की समीक्षा।

(21) किसी भी पूर्ण कालिक कार्मिक के परिवार का कोई भी सदस्य पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों से संबंधित कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगें। यदि कोई परिवारजन विद्युत वितरण निगमों से संबंधित कार्य करते हैं तो उसकी लिखित सूचना अपने नियंत्रक अधिकारी के साथ–साथ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को भी उपलब्ध करायेंगें।

(ब) <u>जनपद स्तर पर नोडल अधीक्षण अभियन्ता की व्यवस्था तथा उनके उत्तरदायित्व:-</u>

(1) प्रत्येक जनपद स्तर पर एक नोडल अधीक्षण अभियन्ता नामित करके उसकी सूचना डिस्काम स्तर पर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 स्तर पर तथा माननीय ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना।

(2) नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने कार्यालयों में स्वयं तथा अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता से समन्वय कर पूरे जनपद के उपकेन्द्रवार निम्नलिखित सूचनाएँ तैयार कर अद्यावधिक रूप से रखवाना सुनिश्चित करेगें।

(क) मीटर रीडर एवं सुपरवाइजर के कार्य की समीक्षा।
(ख) रीडिंग आधारित बिल का अनुश्रवण।
(ग) मीटर रीडर द्वारा प्रेषित एक्सेप्शन प्राप्त करना तथा उसपर ए0टी0आर0 का अनुश्रवण।
(घ) जनपद में चल रही विभिन्न योजनाओं तथा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत कार्य की प्रगति का अनुश्रवण।
(च) जनपद के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की अद्यतन स्थिति एवं निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों एवं सुझावों पर अनुपालन।
(छ) संविदा पोर्टल के अपडेशन की स्थिति।

(ज) जनपद के अन्तर्गत 11 के0वी0 फीडरवार स्थापित वितरण परिवर्तकों की संख्या एवं उनके क्षतिग्रस्तता का विवरण। परिवर्तकों के अनुरक्षण का विवरण।

(झ) विद्युत वितरण मण्डलों में प्रकाशित तथा किये गये निविदा एवं अनुबन्धों का विवरण तथा इनके सापेक्ष कार्य की प्रगति। निविदाओं के मानक, किये गये कार्यों का विवरण तथा उनका परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य मानक के अनुरूप पाये जाने पर भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ट) आदर्श उपकेन्द्रों का विवरण।

(ठ) अधिक लाइन हानियों वाले पोषकों का विवरण।

(ड) विद्युत चोरी रोकने हेतु "रेड" की कार्यवाही का विवरण।

(त) ए.बी. केबिल लगाये जाने का विवरण।

(थ) सोशल मीडिया पर की जाने वाली शिकायतों एवं निराकरण का विवरण।

(द) जिले में उपकेन्द्रवार एवं पोषकवार औद्योगिक, अघरेलू तथा घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के विवरण की उपलब्धता। लोड के सापेक्ष स्थापित परिवर्तकों की स्थिति की समीक्षा की जाय।

(3) अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) अपने कार्यालयों में सभी इंगित महत्वपूर्ण सूचनाओं को अद्यतन प्राप्ति एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यशालाओं का कैलेण्डर बनाकर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को दिनॉक 03.06.2019 की सायं 5-00 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। ये कार्यशालाएं सपन्न कराते हुए इसकी आख्या दिनांक 10.06.2019 तक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 को प्रेषित की जाय।

भवदीय,
/
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2– निदेशक (वित्त)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वाणिज्य), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3– निदेशक (तकनीकी)/(वाणिज्यिक)/(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

(आलोक कुमार)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

रेड्स सम्बन्धी

रेड्स प्रकरणों में एसेसमण्ट एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व

पत्रांक–285/मु0अभि0(वा0–2/रेड/19, दिनांक–13–09–2019, विवरण–रेड्स प्रकरणों में एसेसमेण्ट एवं वसूली हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई–मेल–chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष–0522–2287827
फैक्स–0522–2287785

पत्रांक : 285 /मु0अभि0(वा0–2)/रेड/19 दिनांक : सितम्बर 13, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

आर0एम0एस0 पोर्टल में रेड केसेस के विरुद्ध समस्त प्राविजनल असेसमेन्ट, फाइनल असेसमेन्ट तथा इनके विरुद्ध वसूली में कम प्रगति [illegible] दिये जाते हैं :–

1. 05 कि0वा0 से [illegible] 01.12.2017 से अद्यतन किये गये रेड के प्रकरणों में दिनांक 30.[illegible].2019 [illegible] 05 प्रतिशत में [illegible] किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इनमें से माह [illegible] की वसूली भी सुनिश्चित की जाये।
2. वर्ष 201[illegible] प्रतिशत में एसेसमेन्ट तथा 60 प्रतिशत वसूली सुनिश्चि[illegible]।
3. रेड में [illegible] के बिना भुगतान किये पुनः चलते पाये जाने पर 05 [illegible] उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ता (वितरण) तथा पर्यवेक्षणीय [illegible] 05 कि0वा0 से कम भार पर मुख्य उत्तरदायित्व उपखण्ड [illegible] अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
4. ऐसे [illegible] पी0डी0 कर दी गयी हो।
5. गैर उपभोक्ता प्रकरणों में एसेसमेन्ट की वसूली में प्रवर्तन दलों की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
6. रेड केसेस में असेसमेन्ट करने व इसके विरुद्ध वसूली के अनुश्रवण हेतु अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) उत्तरदायी होंगे।

इन निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Seen

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

संख्या : /मु0अभि0(वा0–2)/रेड/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (इनर्जी ऑडिट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (रेड इकाई), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अश्वनी कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–2)

विद्युत चोरी उपरांत अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने

पत्रांक–783/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–08–08–2019, विवरण– क्षेत्रीय अधिकारिओं द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध रेड्स की कार्यवाही उपरांत निर्धारित समयनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक संख्या 783 मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 08/08/2019

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर।

विषय:– क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध रेड्स की कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित समयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अ[illegible] की उपरान्त विद्युत चोरी के प्रकरणों में प्रक्रिया सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही [illegible] अधिनियम–2003 के [illegible] प्राविधानों एवं उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता–2005 में दिये गये दिशा [illegible] निम्नलिखित समयबद्ध मानकों (Time bound standards) के अनुसार [illegible] है–

1. रेड टीमों द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरणों में उ0प्र0 [illegible] संहिता–2005 के खण्ड 8.1 (a) (xi) में दिये गये प्राविधानानुसार रेड डाले जाने एवं [illegible] विद्युत [illegible] किये जाने के 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 द[illegible]।

2. विद्युत चोरी के प्रकरणों में एफ0आई0आर0 [illegible] सुनिश्चित करना रेड टीम के प्रभारी अधिकारिक का दायित्व होगा।

3. यदि सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा विद्युत चोरी [illegible] टीम द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर अधिकतम **3 दिन** के अन्दर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की जाती है, तो उस स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) द्वारा उस क्षेत्र के सर्किल ऑफीसर (पुलिस)/पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप से सूचित किया जाये एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण मण्डल) द्वारा इसका समुचित संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से समयबद्ध कार्यवाही हेतु आवश्यक सम्पर्क किया जाए एवं पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जाय, जिसकी प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0 को भी प्रेषित कर सूचित किया जाए।

4. रेड टीम प्रभारी द्वारा रेड्स से सम्बन्धित चेकिंग रिपोर्ट यथासम्भव रेड्स डाले जाने वाले दिन अथवा अधिकतम **24 घण्टे** के अन्दर सम्बन्धित वितरण खण्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

5. वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि रेड टीम की चेकिंग रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके आधार पर अधिकतम **तीन (3) कार्य दिवसों** के अन्दर विद्युत चोरी हेतु दोषी व्यक्ति को प्रोविजनल राजस्व निर्धारण बिल निर्गत/प्रेषित किया जाए।

१ कि०वा० तक के चोरी में २००० रु० समन शुल्क

पत्रांक–7142/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–22–11–2018, विवरण–१ कि०वा० तक के विद्युत चोरी के प्रकरणों में २००० रु० समन शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग–3
संख्या 7142/चौबीस–पी–3–2018
लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धारा 152 की उपधारा (1) के अनुसरण में शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्युत चोरी के अपराध में प्रशमन प्रभार की दरें में नीचे सारिणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में संशोधन करते हैं :–

सारिणी

सेवा की प्रकृति	वह दर जिस पर प्रशमन-प्रभार निम्न विभव (एल0टी0) प्रदाय के लिये प्रति किलोवाट/अस्वीकृत या उसके आंशिक भाग और उच्च विभव (एच0टी0) के लिये [illegible] भार के प्रति किलोवाट एम्पीयर [illegible] की जायेगी।
1	2
1. [illegible]	बीस हजार रुपये;
2. वाणिज्यिक [illegible]	पांच हजार रुपये;
[illegible]	दस हजार रुपये;
3. कृषि सेवा	दो हजार रुपये;
4. अन्य सेवायें [illegible]	दो हजार रुपये;
[illegible]	चार हजार रुपये;

ह० (अपठनीय)
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 71(g)/XXIV-P-3-2018, Dated 22/11/18

NOTIFICATION
No. 71(g)/24-P-3-2018
Lucknow Dated 22 November, 2018.

In exercise of the powers under proviso to sub-section (1) of section-152 of the Electricity Act, 2003, (Act no. 36 of 2003) the Governor is pleased to amend the rates of the compounding charges in the offence of theft of electricity as specified in the table below:-

TABLE

Nature of Service	Rate at which the sum of money for compounding to be collected per kilowatt (KW)/Horse Power (HP) or part thereof for Low Tension (LT) supply and per Kilo Volt Ampere (KVA) of contracted demand for High Tension (HT)
	2
1. Industrial Service	twenty thousand rupees;
2. Commercial Service	
Upto 1 Kilowatt	five thousand rupees;
More than 1 Kilowatt	ten thousand rupees;
3. Agricultural Service	two thousand rupees;
4. Other Services	
Upto 1 Kilowatt	two thousand rupees;
More than 1 Kilowatt	four thousand rupees;

By Order
(Alok Kumar)
Principal Secretary

No. ?/?(1)/24-P-3-2018, Date 22 November, 2018

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

1. Chairman, U.P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
2. Secretary, Electricity Regulatory Commission, Kisaan Mandi Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow.
3. Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
4. Managing Director, Madhyanchal/Purvanchal/Pachimanchal/Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. Lucknow/Varanasi/Meerut/Agra.
5. Managing Director, KESCO, Kanpur.
6. Managing Director, Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Shakti Bhawan, Lucknow.
7. Managing Director, Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Ltd. Lucknow.
8. Managing Director, Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. Lucknow.
9. All District Magistrate of Uttar Pradesh.
10. Director, [illegible] U.P. Government, Vibhuti Khand-2, Gomti Nagar, L[illegible]
11. Joint D[illegible] through Lucknow with the request to publish [illegible] ing extraordinary gazette of Gover[illegible] part-4, section (b) and kindly sen[illegible]
12. Gu[illegible]

By order

(Mahavir Prasad Gautam)
Deputy Secretary

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

विद्युत चोरी की वीडियोग्राफी करने हेतु

पत्रांक–369 / मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–06–10–2018, विवरण– विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान की गयी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0– 369 /पीएससीएच/पाoकालि0/18 दिनाँक– 06.10.2018

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमाँचल–मेरठ/केस्को–कानपुर/मध्याँचल–लखनऊ/
पूर्वांचल–वाराणसी/दक्षिणाँचल–आगरा।

महोदय,

इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए की जा रही चेकिंग अभियान में पारदर्शिता की कमी रही है। उक्त के दृष्टिगत, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान की गयी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

2– रेड पोर्टल में विद्युत चोरी की चेकिंग में अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर पोर्टल पर भरी जाने वाली अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त चेकिंग के दौरान की गयी वीडियोग्राफी को भी अपलोड करने की व्यवस्था है जिसके लिए 10 एम०बी० का स्थान है और जिसमें तीन–साढ़े तीन मिनट की ऑडियो वीडियो लो क्वालिटी में एवं चालीस–पचास सेकेण्डस की आठ–दस वीडियो हाई क्वालिटी में अपलोड की जा सकती है, किन्तु देखा यह गया है कि विद्युत/प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग की वीडियोग्राफी सम्बन्धित पोर्टल में अपलोड नहीं की जाती है। अधिकांशतः चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स में लम्बी–लम्बी वीडियो क्लिप बनाई जा रही है जो पोर्टल में अपलोड नहीं हो सकती है।

3– अतएव, तदनुसार आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित निर्देश निर्गत कर पोर्टल पर भरी जाने वाली अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त चेकिंग के दौरान की गयी वीडियोग्राफी, जिसे भी अपलोड करने की व्यवस्था है, का भरपूर उपयोग कर विद्युत चोरी की चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण अंशों की छोटी–छोटी वीडियोग्राफी पोर्टल में उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करायें।

4– अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित चेकिंग टीम के मुखिया का उत्तरदायित्व तय किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सर्तकता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. निदेशक (वा0),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

मां० ऊर्जा मंत्री के आदेशों का पालन

पत्रांक–635/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–05–10–2018, विवरण– मां० ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ -226001
ई-मेल: mduppcl12@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2288377(O)
फैक्स – (0522) 2288410
CIN : 32201UP1999SGC024928

पत्र संख्या : 635 मु0अभि0 (वाणिज्य–2)/रेड इकाई, दिनांक : 05/10/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वान्चल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय:– मानीय ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 05.10.2018 को दिये गये **आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मानीय ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 05.10.2018 को शक्ति भवन में की गयी बैठक में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी के विरुद्ध उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश दिये गये हैं–

1. रेड्स की कार्यवाही के दौरान विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से राजस्व निर्धारण किया जा रहा है, जिसके कारण राजस्व निर्धारण की वसूली लम्बित रहती है एवं गलत राजस्व निर्धारण के कारण विभाग की छवि धूमिल होती है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विद्युत चोरी अथवा विद्युत के अनाधिकृत उपभोग करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के प्रकरणो में राजस्व निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कारपोरेशन के पत्र संख्या-48-पीएसडीसी/पाकालि/2018 दिनांक 06.07.2018 द्वारा निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे उपभोक्ताओं के विरुद्ध सही राजस्व निर्धारण किया जा सके एवं भविष्य में विभाग के विरुद्ध किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

2. विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं एवं व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्व निर्धारण के बिलों को किस्तों में भुगतान किये जाने की सुविधा दी जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या–539–मु0अभि0 (वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 01.09.2018 एवं पत्र संख्या–540–मु0अभि0(वाणिज्य–II)/रेड इकाई/डिस्काम, दिनांक 04.09.2018 का क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. प्रत्येक विद्युत उपकेन्द्र से पोषित 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले, एल.टी. एवं एच.टी. उपभोक्ताओं की श्रेणीवार सूची तैयार कर ली जाय। प्रत्येक वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता परिसरों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय। 5 किलोवाट एवं उससे अधिक विद्युत भार के परिसरों में रेड की कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने की वीडियो ग्राफी भी करा ली जाय।

प्रत्येक रेड टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में रेड्स की कार्यवाही किये जाने के उपरान्त उसी दिन विद्युत उपकेन्द्र अथवा सम्बन्धित विद्युत कार्यालय में आकर रेड्स से सम्बन्धित कार्यवाही की गुणवत्ता (Effectiveness of Raids Conducted) का विवरण तैयार कर लिया जाये।

-2-

4. जिन क्षेत्रों में निर्धारित तिथि/कार्यक्रमानुसार रेड्स/चेकिंग की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, उन क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्रों/कैश काउन्टर पर विभागीय कार्मिकों की उपलब्धता बनी रहे, जिससे इच्छुक उपभोक्ताओं द्वारा विभागीय बकाया बिल जमा करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

5. 5 किलोवाट से कम विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं के परिसरों में विद्युत चोरी की शिकायत होने पर सतर्कता स्कन्ध के पुलिस कान्सटेबल एवं विभागीय तकनीकी कार्मिकों द्वारा चेकिंग की जाये, जिससे विद्युत चोरी के विरूद्ध विभाग द्वारा की जा रही रेड्स की कार्यवाही से सचेत होते हुए उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी के माध्यम से विद्युत का उपभोग किये जाने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके।

6. दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के अन्तर्गत कई क्षेत्रों में वितरण निगम के भौगोलिक क्षेत्र सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिस कारण उन क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही प्रभावी ढंग से नहीं होती है। उपर्युक्त सम्बन्ध में दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0 एवं केस्को के निदेशक (वाणिज्य) यह सुनिश्चित कर ले कि उनके वितरण निगम के नियन्त्रणाधीन किसी भी क्षेत्र में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाते समय नियन्त्रण सम्बन्धी कोई विवाद न रहे एवं सम्बन्धित विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पोषित उपभोक्ताओं के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर रेड्स की कार्यवाही की रणनीति के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाय।

7. वितरण निगमों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रों में रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरुद्ध अन्य कार्यवाही सम्पादित किये जाने में विभागीय कार्मिकों द्वारा किसी प्रकार के अनुचित तरीकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है एवं उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी जा रही है। विद्युत चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं के विरुद्ध राजस्व निर्धारण एवं वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

8. सभी वितरण निगमों द्वारा रेड्स की कार्यवाही हेतु तैयार की गयी रणनीति एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वितरण पावर कारपोरेशन मुख्यालय को भी सूचित किया जाये।

9. वितरण निगमों के नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में रू0 50,000 तक एवं उससे अधिक विद्युत बकाया वाले उपभोक्ताओं की अलग–अलग सूची तैयार कर उनसे बकाया धनराशि की वसूली किये जाने हेतु रणनीति तैयार कर ली जाय एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारपोरेशन के पत्र संख्या 1658-अ0आफि0/(स0अ0)/पाकालि/2018 दिनांक 05.09.2018 के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये आदेशों का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल अथवा बकाया जमा करने सम्बन्धी दिक्कतों के दृष्टिगत रेड्स की कार्यवाही करते समय मोबाइल कलेक्शन वैन उपलब्ध करायी जाये जिससे उपभोक्ता अपने विद्युत बिल अथवा बकाया बिल का भुगतान आसानी से कर सकें।

उपभोक्ताओं द्वारा अपने विद्युत बकायों के Online भुगतान की सुविधा का उपयोग करने हेतु Set of Instructions की उपलब्धता करायी जाये, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों का Online भुगतान किये जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

इस सम्बन्ध में कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा करते समय Internet अथवा अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण विद्युत बिलों के भुगतान में आने वाली परेशानियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाय एवं वितरण निगमों द्वारा सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

-3-

11. विद्युत चोरी के विरूद्ध रेड्स की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के उपरान्त जिन उपभोक्ताओं का संयोजन विच्छेदित किया जाता है उनके परिसरो पर विभाग द्वारा विच्छेदित संयोजन की वस्तुस्थिति जानने हेतु पुनः चेकिंग की जाये। यदि किसी क्षेत्र में विच्छेदित विद्युत संयोजन की चेकिंग के समय संयोजन पुनः संयोजित पाया जाता है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्र के कार्मिकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त सबन्ध में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर से वितरण निगम के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं वितरण निगम मुख्यालय स्तर पर निगम के नियन्त्रणाधीन वितरण क्षेत्रों में मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन का अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 635/मु0अभि0(वाणिज्य-II)/तददिनांक 05/10/2018

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ को महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (वाणिज्य)/(कार्मिक), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य-द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को, कानपुर।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

विद्युत चोरी के प्रकरणों

पत्रांक–539/ मु०अ० वाणिज्य–।। रेड इकाई, दिनांक–01–09–2018, विवरण– विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522-22878696

पत्रांक संख्या : मु0अभि0 (वाणिज्य-II)/रेड इकाई/विरवाम दिनांक : 01/09/2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

महत्वपूर्ण

विषय:–विद्युत चोरी में पकड़े गये व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर नया विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता परिसरों में विद्युत चोरी पाये जाने पर उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (b)(v) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध किये गये राजस्व निर्धारण बिल के भुगतान की अन्तिम तारीख का विस्तार किये जाने एवं उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत किस्तों में भुगतान अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है।

किन्तु ऐसे परिसर जिन पर नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, उन मामलों में उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) के अनुसार पूर्ण राजस्व निर्धारण बिल का भुगतान के उपरान्त ही नियमित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान की वजह से जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है एवं राजस्व निर्धारण बिल का एकमुश्त भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं हैं, नियमित विद्युत संयोजन प्राप्त कर विभाग के बिलिंग नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके पुनः विद्युत चोरी में लिप्त होने की सम्भावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत माननीय उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग से उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 के बिन्दु 8.1 (a)(x) में प्रस्तावित संशोधन पर निर्णय के प्रतिक्षाधीन मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे परिसर जिनमें नियमित विद्युत संयोजन नहीं है एवं विद्युत चोरी पकड़ी गई है, उनमें से किसी व्यक्ति, जिनके द्वारा नये संयोजन लिये जाने हेतु आवेदन भी किया जाता है, उनसे राजस्व निर्धारण बिल का एक तिहाई (1/3) भुगतान प्राप्त कर, नियमित विद्युत संयोजन निर्गत कर दिया जाये एवं शेष राजस्व निर्धारण की धनराशि की वसूली उनके नियमित विद्युत संयोजन के बीजक में प्रभारित कर अथवा अधिकतम तीन किश्तों में सुनिश्चित की जाये।

भवदीया,

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक संख्या–539 मु0 अभि0(वाणिज्य-2)/तद्दिनांक 01/09/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र), पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा, एवं केस्को कानपुर।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उपभोक्ताओं के एच०वी० मीटरिंग की सुरक्षा

पत्रांक–407 / मु०अ० वाणिज्य– ।। रेड इकाई, दिनांक–13–07–2018, विवरण– उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित मीटरिंग इक्युपमेंट की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा" शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
फोन नं0 : 0522–22878696

पत्रांक : 407 मु0अभि0 (वाणिज्य–II) / रेड इकाई / डिस्काम, दिनांक : 13 / 07 / 2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

विषय : उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्यशील एवं निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2018 को सम्पन्न बैठक में उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में उपभोक्ता द्वारा ताला लगाये जाने की दशा में, विभागीय टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर की चेकिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में हुई चर्चा के क्रम में उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के खण्ड 4.17 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत आदेशित किया जाता है :–

1. उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत अनुज्ञापी के उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मीटर / मापन उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा।

2. Metering Equipment की सुरक्षा एवं छेड़छाड़ से बचाव हेतु उपभोक्ता द्वारा Metering Room में ताला लगाये जाने की दशा में एक चाबी स्वयं रखते हुए ताले की दूसरी चाबी (Duplicate Key) अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. विभागीय / सतर्कता टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर का औचक निरीक्षण किये जाने की स्थिति में यदि तत्काल Metering Room की चाबी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो चेकिंग / निरीक्षण टीम, जिसमें सहायक अभियन्ता (मीटर), उपखण्ड अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी शामिल होगा, द्वारा Metering Room के ताले की चाबी उपलब्ध न होने को रिकार्ड करते हुए, ताला तोड़ दिया जाये एवं चेकिंग टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में निरीक्षण / चेकिंग की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तद्नुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाये।

कृपया अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
Sd/-
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (महत्वपूर्ण आदेश)

रेट शेड्यूल लागू करने

पत्रांक–281 / एचसी / टैरिफ / 2019, दिनांक–07–09–2019, विवरण–मा0 नियामक आयोग के आदेश दिनांक 03.09.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए घेषित रेट शेड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।

12

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287888, फैक्स : 0522-2287894
ई-मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:– /एच0सी0/टैरिफ/2019–20 दिनांक: सितम्बर, 2019

विषय :– मा0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 03.09.2019 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए घोषित रेट् शिड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/ स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/लखनऊ/आगरा/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 03.09.2019 को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है। टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्गत रेट् शिड्यूल को लागू करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दिनांक 05.09.2019 को प्रकाशित हो चुकी है। पुनरीक्षित दरें दिनांक 12.09.2019 से प्रभावी होंगी।

उक्त के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 280/एच0सी0/यूपीपीसीएल/[illegible]–1974–120[illegible]–2019 दिनांक 07.09.2019 की प्रति संलग्नकों सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि [illegible] के अधीन समस्त अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त नये रेट् शिड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिलिंग सॉफ्टवेयर में तत्समय आवश्यक परिवर्तन करवाना भी अपने स्तर से सुनिश्चित करने की कृपा करें। [illegible] ई–मेल द्वारा भी आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(श्रवण पती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

संख्या : 281 /एच0सी0/टैरिफ/2019–20/तद्दिनांक : 7-9-19

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

(श्रवण पती)

वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287988, फैक्स : 0522-2287934
ई-मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:– /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/यूपीईआरसी आर्डर दिनांक/दिसम्बर, 2018

विषय :– 1. **Proposed change in the applicability of rate schedule for "goshalas-cow" and math/rooms built at religious places. (Petition No. 1372/2018).**

2. **Petition for Approval of 5% Rebate on Timely Payment of Monthly Bills by PTW (Rural) Category Agricultural Electricity Consumers Under LMV-5 (Rural Schedule) in U.P. (Petition No. 1366/2018).**

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 विद्युत नियामक आयोग के पत्र सं0 UPERC/Secy/D(T)/2018-380 दिनांक 13.12.2018 एवं पत्र सं0 UPERC/Secy/D(T)/2018-381 दिनांक 13.12.2018 (छायाप्रति संलग्न) का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्रों के साथ [illegible] द्वारा दिनांक [illegible].12.2018 को पारित आदेशों की छायाप्रतियाँ इस आशय से संलग्न की जा [illegible] कि कृपया [illegible] लेते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय इकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य

पत्रांक:–280 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1//यूपीईआरसी आर्डर /तद्दिनांक : 20-12-2018

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, महोदया के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/लखनऊ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पश्चिमांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/लखनऊ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल0एम0वी0–5 के ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय से भुगतान करने पर दी जाने वाली 05 प्रतिशत छूट की अलग से एकाउंटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

पत्रांक–2728/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–08–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने के संशोधित सुगम संशोधन योजना

ए0के0 श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ–01
E-mail : directorcomm@uppcl.org
Tel No. – (0522) 2287806 (O)
(Fax) – (0522) 2287806
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:-2728/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/ दिनांक: अगस्त, 27-8-2019

1. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
3. निदेशक (विद्युत सुरक्षा) उ0प्र0 शासन, विद्युत सुरक्षा, निदेशक, विभूति खण्ड–2, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, डिस्काम/मुख्य अभियन्ता, केस्को।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल/विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, डिस्काम।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, डिस्काम।

विषय: नये विद्युत संयोजनों को त्वरित गति से निर्गत किये जाने हेतु "संशोधित सुगम संयोजन योजना"।

दिनांक 08/07/2019 को वि0 नियामक आयोग द्वारा जारी नवीन कास्ट डाटा बुक में संयोजन हेतु नयी दरें/नयी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

इस तथ्य के दृष्टिगत वर्तमान में जारी कास्ट डाटा बुक के अनुसार "सुगम संयोजन योजना" में निम्नवत् संशोधित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है–

1. **नये संयोजन लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज:–**

उपभोक्ताओं को सहज रूप से अधिक से अधिक संयोजन दिये जाने के उद्देश्य से नये संयोजन के आवेदन हेतु निम्न की आवश्यकता होगी:–

(क) पहचान प्रमाण पत्र के रूप में –

आधार कार्ड या आधार कार्ड की अनुपस्थिति में वोटर आई0डी0।

(ख) भवन स्वामित्व प्रमाण पत्र के रूप में निम्न में से किसी एक अभिलेख की आवश्यकता होगी।

भवन स्वामी के लिए–

(i) भवन की रजिस्ट्री।
(ii) कब्जा प्रमाण पत्र।
(iii) कुटुम्ब रजिस्टर।
(iv) सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान से परिसर के स्वामी का प्रमाण पत्र।
(v) सरकारी आवास हेतु सरकार/विभाग का एलाटमेन्ट लेटर।

किरायेदार के लिए

परिसर के स्वामी का सहमति पत्र या किरायेदारी का प्रमाणपत्र।

(ग) यदि आवेदक के पास (ख) में उल्लिखित उपरोक्त कोई दस्तावेज नहीं है तो प्री–पेड मीटर लगाकर संयोजन निर्गत किया जाये।

(घ) 5 कि0वा0 भार तक घरेलू बत्ती पखा के संयोजन मात्र संलग्न बन्ध–पत्र पर निर्गत किये जा सकते है। बन्ध–पत्र की अनुपस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी स्वयं परिसर का निरीक्षण कर 7 दिनों में संयोजन निर्गत करेगा।

2. नये संयोजन निर्गत करने हेतु कनेक्शन चार्जेज का किस्तों में प्राविधान :–

1. 5 कि०वा० भार तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के घरेलू बत्ती पंखा उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत करने हेतु मा० विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 08/07/2019 को जारी कास्ट डाटा बुक के अनुसार प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी एवं फिक्स लाइन चार्जेज को सम्मिलित करते हुए Anexxure- A and B (प्रति संलग्न) के अनुसार चार्जेस लिये जायेगें। उपभोक्ता को निर्गत होनेवाली Receipt पर प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी एवं फिक्स लाइन चार्जेज स्पष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होगा।
2. एक किलोवाट तक के घरेलू बत्ती पंखा के बी०पी०एल० उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी धनराशि देय नहीं है।
3. उपभोक्ताओं से सिस्टम लोडिंग चार्जेज देय नहीं है।
4. उपभोक्ताओं को विभाग द्वारा Armoured केबिल लगाकर संयोजन निर्गत किया जायेगा किन्तु यदि उपभोक्ता स्वयं BIS मानक की Armoured केबिल प्रदान करना चाहता है तो उसे स्वीकार किया जायेगा।
5. 5 कि०वा० भार तक के उपभोक्ताओं का कनेक्शन चार्ज 18 समान किश्तों में जमा करने की सुविधा मा० उ०प्र० नियामक आयोग द्वारा प्रदान की गयी है।

3. स्थापित एल० टी० मेन्स का विस्तारीकरण:–

मा० नियामक आयोग द्वारा जारी कास्ट डाटा बुक दिनांक 08/07/2019 के आधार पर यदि दो उपभोक्ता संयोजन चार्ज का पूर्णतः भुगतान कर देते हैं तो सिर्फ 40 मीटर तक एल०टी० लाइन बनाने का खर्च वहन करेगा परन्तु 40 मीटर एल०टी० लाइन से अधिक [illegible] द्वारा वहन किया जायेगा (कास्ट डाटा बुक के पेज–13 के पैरा 11 के अनुसार)।

15 अदद आवेदकों तक [illegible] नये संयोजन हेतु आवेदन करने की दशा में विभागीय खर्चे पर 3 उपभोक्ता प्रति खम्भे के आधार पर 5 खम्भों की एल०टी० लाईन का विस्तार कर नये संयोजन निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार नये संयोजन निर्गत करने हेतु परिसम्पत्तियों की [illegible]वृद्धि/नये परिवर्तक बिजनेस प्लान अथवा आंतरिक संसाधनों से [illegible] जायेंगे आवेदकों से इसका भार नहीं लिया जायेगा। स्पष्ट है कि 5 कि०वा० के घरेलू उपभोक्ता को संयोजन के समय लिये जाने वाले एस्टीमेट की प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है एवं इस हेतु तन्त्र के विकास का सम्पूर्ण खर्च विभाग द्वारा किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को सिर्फ अपने संयोजन शुल्क को किस्तों में जमा [illegible] यदि किसी परिसर को संयोजन देने में तकनीकी बाध्यता(टेक्निकल फीजिबिल्टी) की समस्या आ रही है तो ऐसी स्थिति में भी संयोजन सिर्फ अधीक्षण अभियन्ता के आदेश पर ही मना किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था मात्र स्थापित एल०टी० मेन्स के आस–पास के क्षेत्रों में संयोजनों के नियमितीकरण के उद्देश्य हेतु है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अविद्युतीकृत मजरे एवं शहरी क्षेत्र के अविकसित कालोनियाँ उक्त व्यवस्था से आवृत्त नहीं होंगे।

4. नये संयोजन निर्गत करना:–

घरेलू बत्ती पंखा के संयोजन गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में कैम्प लगाकर आनलाइन निर्गत किये जायेंगे जिसकी कार्ययोजना निम्नवत् होगी :–

(क) गांवों या शहर के बाहर विकसित होने वाले क्षेत्रों में नये संयोजनों हेतु कैम्प लगाने का दिन खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(ख) निर्धारित दिवस पर कैम्प लगाने के 02 दिन पूर्व सम्बन्धित उपकेन्द्र के अवर अभियन्ता अपने लाईन स्टॉफ के साथ घोषित क्षेत्रों में नये संयोजन हेतु आवश्यक प्रचार कराया जायेगा। जिसमें उपभोक्ताओं को वांछित अभिलेख की सूचना भी दी जायेगी।

(ग) कैम्प में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का कार्य निविदा द्वारा चिन्हित ऐजन्सियों के माध्यम से अवर अभियन्ता सुनिश्चित करेंगे। योजना के आरम्भ में यदि ऐसी ऐजन्सियां चिन्हित ना हो पाई

हो तो कैम्प के निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता स्वयं पर्याप्त मात्रा में मीटर एवं केबिल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिससे संयोजन सरलता पूर्वक निर्गत किये जा सके।

(घ) उपभोक्ता से आधार नं0 व मोबाईल नं0 भी एकत्र किये जायेंगे लेकिन यह शर्त संयोजन देने में बाधा नहीं मानी जायेगी।

(ङ) संयोजन झटपट आनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्गत किये जायेगा।

(च) कोई भी संयोजन निर्गत करने से मना नही किया जायेगा यदि अपरिहार्य स्थिति में मना किया जाता है तो सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर संयोजन मना करने का निर्णय लिया जायेगा।

(छ) कैम्प मे निर्धारित तिथि पर प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक नये संयोजन देने का अभियान चलाया जायेगा। उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के उपखण्ड 7.7.2 के अनुरूप आवेदक द्वारा नये संयोजन के प्रभार जमा करने के तिथि से जहाँ खम्भा विद्यमान है वहाँ संयोजन 7 दिनों के भीतर एवं जहाँ खम्भे की अपेक्षा है वहाँ तीस दिन के भीतर संयोजन निर्गत किया जायेगा।

(ज) अगले 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा कैम्प में निर्गत संयोजनों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण विवरण उपखण्ड अधिकारी को लेजरीकरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। उपभोक्ता का प्रथम बिल निर्गत होने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करने की प्रकिया पूर्ण मानी जायेगी।

5. यदि विभाग द्वारा उपभोक्ता परिसर में Smart meter लगाया जाता है तो उस स्थिति में भी meter cost Annexure-A कॉलम संख्या-6 के अनुसार ही देय होगा। कोई अतिरिक्त मूल्य नही लगेगा।

संलग्नकः– यथोपरि

(ए0के0श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्र संख्याः 272/म0प्र0(वा0एवं0क0लें0)/वा0-1/नये विद्युत संयोजन/तद्दिनांकः 27-8-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त निदेशकगण, मध्यांचल–लखनऊ/पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/पूर्वांचल–वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए0के0श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

Annexure - 8

New Service Connection Charges (Rural Consumer)

Load in KW	Cable Category	Cost of Cable (Av 40 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges upto 40 meter Cable Service Length(labour Charges)	Total charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter limit	Initial Payment	Balance	Monthly Installment	No of Month
1	2	3	4	5	6	7	3+4+5+6+7	9	10	11	12
1 KW BPL Connection	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	10	NIL	872	150	1032	57	975	57	17
1 KW Other than BPL	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	50	100	872	150	1172	65	1107	65	17
1 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	50	100	872	150	3072	171	2901	171	17
2 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	200	872	150	1322	74	1248	74	17
2 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	100	200	872	150	3222	179	3043	179	17
3 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1200	872	398	2570	143	2427	143	17
3 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1200	872	398	4820	268	4552	268	17
4 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1600	872	398	2970	165	2805	165	17
4 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1600	872	398	5220	290	4930	290	17
5 KW	Armoured Cable provided by department (4*25 mm sq)	10650	100	2000	2921	2036	17707	984	16723	984	17

Note:
For Col no 3 Refer annexure-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 4 Refer chapter-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 5 Refer chapter-3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 6 Refer annexure 2 & 3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 7 Refer chapter 4 & 5 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
If Smart Meter is installed at consumer premises, meter cost will be charged from consumer, as quoted in Col no 6

For any Discrepancy please refer to Cost data book

Annexure - B

New Service Connection Charges (Rural Consumer)

Load in KW	Cable Category	Cost of Cable (Av 40 mtr.)	Processing Fees	Security Domestic L/F	Meter Cost	Service Line Fixed Charges upto 40 meter Cable Service Length(labour Charges)	Total charges for Light Fan Domestic Connection (40 Meter limit	Initial Payment	Balance	Monthly Installment	No of Month
1	2	3	4	5	6	7	3+4+5+6+7	9	10	11	12
1 KW BPL Connection	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	10	NIL	872	150	1032	57	975	57	17
1 KW Other than BPL	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	50	100	872	150	1172	65	1107	65	17
1 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	50	100	872	150	3072	171	2901	171	17
2 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	200	872	150	1322	74	1248	74	17
2 KW	Armoured Cable provided by department (2*4mm sq)	1900	100	200	872	150	3222	179	3043	179	17
3 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1200	872	398	2570	143	2427	143	17
3 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1200	872	398	4820	268	4552	268	17
4 KW	Armoured cable provided by consumer (2*4 Sq.mm)	-	100	1600	872	398	2970	165	2805	165	17
4 KW	Armoured Cable provided by department (2*6 mm sq)	2250	100	1600	872	398	5220	290	4930	290	17
5 KW	Armoured Cable provided by department (4*25 mm sq)	10650	100	2000	2921	2036	17707	984	16723	984	17

Note:
For Col no 3 Refer annexure-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 4 Refer chapter-2 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 5 Refer chapter-3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 6 Refer annexure 2 & 3 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
For Col no 7 Refer chapter 4 & 5 of cost data issued by UPERC on Dt. 08/07/19
If Smart Meter is installed at consumer premises, meter cost will be charged from consumer, as quoted in Col no 6

For any Discrepancy please refer to Cost data book

पत्रांक–587 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–01–07–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित 'झटपट संयोजन पोर्टल पर संयोजन के लिए आवश्यक अभिलेखों को आवेदक द्वारा नहीं अपलोड करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा क्वेरी रेज़ किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

ए0के0 श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग, लखनऊ -01
ई-मेल-directorcomm@uppcl.org
दूरभाष : 0522-2287868 फैक्स सं0: 0522-2287834
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक: /मु0अ0(वा0 एवं उ0स0)/सी0यू0-दो/झटपट संयोजन/2019 दिनांक: जून, 2019

विषय- नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित "झटपट संयोजन" पोर्टल पर संयोजन के लिए आवश्यक अभिलेखों को आवेदक द्वारा नहीं अपलोड करने पर सम्बन्धित खण्ड द्वारा क्वेरी रेज किए जाने के सम्बन्ध में।

ई-मेल/डाक

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया वर्तमान में नये संयोजनों के निर्गत किये जाने सम्बन्धी झटपट संयोजन पोर्टल के विषय में पूर्ववर्ती पत्राचार का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नये झटपट संयोजन पोर्टल पर आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेख नहीं अपलोड किये जाने पर आवेदन के निरस्तीकरण की मानक प्रकिया निम्नवत निर्धारित की जाती है-

1- विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 (यथा संशोधित) (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार निम्न मात्र दो अभिलेखों के साथ-साथ भारत सरकार की BRAP की संस्तुति के अनुसार पहचान पत्र आवेदक से जमा कराया जावेगा:-

(क) कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (पी और एल फार्म)

(ख) परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग (Occupation) के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य। अगर ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य नहीं उपलब्ध है तो क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र।

2- सम्बन्धित वितरण खण्ड आवेदन के साथ अपलोड नहीं किये गये अभिलेखों का विवरण देते हुए सात दिनों के अन्दर आवेदक द्वारा अभिलेखों को जमा किए जाने के सम्बन्ध में एक क्वेरी झटपट पोर्टल पर रेज कर सकता है।

3- क्वेरी में मॉंगे गये अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने की समय सीमा वितरण खण्ड द्वारा क्वेरी रेज करने के दिनांक से अधिकतम 21 दिनों तक होगी। इस अवधि में आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख नहीं अपलोड करने की स्थिति मे वितरण खण्ड द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

उपरोक्त अभिलेखों के अतिरिक्त यदि अन्य किसी अभिलेख के अनुरोध के आधार पर यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार झटपट संयोजन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्र संख्या / मु0अ0(वा0 एवं उ0ले0)सीयू–दो तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा / कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उपरोक्तानुसार झटपट पोर्टल में प्रावधान किए जाने के संबन्ध में।

ई-मेल/डाक

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक–707/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा)/सी0यू0–2/झटपट योजना, दिनांक–15–06–2019, विवरण–नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित 'झटपट संयोजन' पोर्टल द्वारा निर्गत किये जाने हेतु डिस्कॉमवार व खण्डवार लक्ष्य निर्धारण के सम्बन्ध में।

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

दिनांक: जून 15 2019

पत्रांक: 707/मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट संयोजन

विषय– नये विद्युत संयोजन हेतु नवनिर्मित "झटपट संयोजन" पोर्टल द्वारा ऑनलाइन संयोजन निर्गत किये जाने हेतु डिस्कामवार व खण्डवार लक्ष्य निर्धारण के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

आप अवगत है कि पावर कारपोरेशन [illegible] नये विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु "New Connection Single Window" [illegible] पोर्टल क्रियान्वित है। "झटपट संयोजन" पोर्टल पर प्राप्त हो [illegible] अधिक से अधिक संयोजन निर्गत किया जाना ऊर्जा विभाग [illegible]

इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिये गये है–

1– झटपट संयोजन पोर्टल पर [illegible] 3.00 लाख नये संयोजन ऑनलाइन निर्गत करने [illegible] डिस्कामवार लक्ष्य संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक–1)।

2– 01 जुलाई 2019 के पश्चात [illegible] आवेदन (झटपट संयोजन [illegible] संयोजन के संबंध में पुराने पोर्टल अथवा निवेश मित्र पोर्टल [illegible] हेतु ही स्वीकार किया [illegible] मात्र झटपट संयोजन पोर्टल [illegible] जायेगा।

[illegible] अधिकारी (झटपट संयोजन) के माध्यम से नये

अतः आप से अनुरोध है कि [illegible] खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करवाते हुए ईमेल cecomuppcl@gmail.com पर संयोजन निर्गत करने हेतु खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करवाते हुए सूचित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र संख्या /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)सी0यू0–दो तद्दिनांक–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक–1

ण निगमवार जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक झटपट संयोजन पोर्टल पर नये संयोजन दिए जाने का लक्ष्य।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 स्तर पर लक्ष्य–3,00,000

क्रमसं0	वितरण निगम का नाम	वितरण निगम का प्रतिशत	जुलाई 19 से मार्च 20 तक वितरण निगम का लक्ष्य	प्रत्येक माह वितरण निगम का लक्ष्य
1	2	3	4	5=column 4/9
1	पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0	24.54	73620	8180
2	मध्यांचल वि0वि0नि0लि0	24.81	74430	8270
3	दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0	19.01	57030	6337
4	पूर्वांचल वि0वि0नि0लि0	29.64	88910	9657
5	केस्को	2.69	8010	890

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

पत्रांक–523/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–04–2019, विवरण–झटपट संयोजन पोर्टल की Applicability एवं SOP (Standard Operating Procedure के सम्बन्ध में।

14

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (का0)
फैक्स – (0522) 2287785
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक :–523/मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0)/सी0यू0–दो/झटपट सं0 दिनांक : अप्रैल, 27, 2019

विषय:– 'झटपट संयोजन' पोर्टल की Applicabilty एवं SOP (Standard Oprationg Procedure) के संबंध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/पूर्वान्चल/मध्यांचल /दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ /वाराणसी /लखनऊ /आगरा

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को,
कानपुर।

आप अवगत है कि विद्युत [illegible] विद्युत संयोजन देने हेतु झटपट संयोजन पोर्टल uppcl.org पर विकसित किया [illegible] संयोजन निर्गत होने तक सभी चरणों का अनुश्रवण ऑनलाइन झटपट पोर्टल के माध्यम [illegible] उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

इस पोर्टल की अप्लीकेबिलिटी [illegible] निम्नवत् है–

1– इस पोर्टल द्वारा मूलतः [illegible] LMV1 (upto 50 KW), LMV2 एवं LMV4b के विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेंगे।

2– उ0प्र0 शासन के उद्योग [illegible] उद्योगों के संयोजन चाहने वाले उपभोक्ताओं हेतु प्रभावी है, अर्थात LMV-1 (above 50 KW), LMV6, HV1 एवं [illegible] श्रेणियों के संयोजन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से जारी किये जायेंगे।

3– निजी ट्यूबवेल के उपभोक्ता अर्थात LMV5 श्रेणी [illegible] उपभोक्ता इससे आच्छादित नहीं हैं।

संयोजन निर्गत करने हेतु निम्नवत SOP अपनायी जायेगी–

1. सर्वप्रथम उपभोक्ता पोर्टल पर [illegible] online application पर समस्त वांछित सूचनायें एवं अभिलेख अपलोड करेगा।
2. आवेदन के साथ में Processing Fee का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा online किया जायेगा।
3. इस प्रकार Processing Fee जमा होने पर भुगतान की स्थिति सम्बन्धित वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को पोर्टल पर अन्तरित हो जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के मोबाइल फोन पर एस0एम0एस0 द्वारा भी सूचना प्रेषित होगी।
4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता विद्युत संयोजन सम्बन्धी आवेदन को सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवंटित करते हुए सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता द्वारा इन्सपेक्शन हेतु दिए गये 3 विकल्पों में से सुविधानुसार प्रोसेसिंग फीस जमा करने के **अधिकतम 3 दिनों के अन्दर इंस्पेक्शन की तिथि निर्धारित कर** पोर्टल पर अपलोड की जाये।
5. सम्बन्धित वितरण खण्ड **प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरांत स्थलीय जाँच अधिकतम 10 दिनों के अन्दर** विद्युत आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.4(c) के प्राविधानानुसार पूर्ण करायेगा। तत्पश्चात प्राक्कलित धनराशि को झटपट संयोजन पोर्टल पर विद्युत आपूर्ति संहिता खण्ड के खण्ड 4.7 (संलग्नक–1) एवं खण्ड 4.8 (संलग्नक–2) के अनुसार निम्नलिखित दिवसों में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगा–

(क) जहाँ **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है– स्थलीय जाँच के उपरांत अधिकतम 10 कार्य दिवसों में,

(ख) जहा **Distribution mains** के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है–

(i) स्थलीय जाँच के उपरांत अधिकतम 15 दिवसों में (एल0टी0 आपूर्ति के लिए),

(ii) स्थलीय जाँच के उपरांत अधिकतम 30 दिवसों में (एच0टी0 आपूर्ति के लिए)।

6. आवेदक को वितरण निगम के पर्यवेक्षण के अधीन एल०ई०सी० के माध्यम से स्वयं इन कार्यों को निष्पादित करने का विकल्प होगा, जिसके लिए पर्यवेक्षण प्रभार, आपूर्ति संहिता के खण्ड 4.6 (ड) (ii) के प्राविधानानुसार, वितरण निगमों को देय होगा।
7. वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा करने के लिये उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के प्रावधानानुसार निम्नवत् समय प्रदान किया जायेगा-

(क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है- माँग-पत्र की प्राप्ति के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में

(ख) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है- प्राक्कलन की 90 दिनों की वैलिडिटी अवधि में।

8. उपभोक्ता द्वारा वांछित प्राक्कलित धनराशि जमा कर दिये जाने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानानुसार वितरण खण्ड के अधिकारियों द्वारा संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही करते हुये निम्नवत् उल्लिखित दिवसों में मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट जारी कर पोर्टल पर फीड/अपलोड किया जायेगा-

(क) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं है (नये खम्भे या भूमिगत केबल बिछाए जाने की आवश्यकता नहीं है) – आवेदक द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के अधिकतम 7 कार्य दिवसों में

(ख) जहाँ Distribution mains के विस्तार या उपकेन्द्र/उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि की आवश्यकता है-

i. जहाँ लाइन के विस्तार या [illegible] (augmentation) की अपेक्षा की जाती है- अधिकतम 60 दिनों में।

ii. जहाँ नया वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना की अपेक्षा की जाती है- अधिकतम 120 दिनों में।

9. उपरोक्त प्रक्रिया की समाप्ति पर [illegible] पूर्ण मानी जायेगी।
10. 5 कि०वा० भार तक के ग्रामीण [illegible] घरेलू एवं वाणिज्य[?] उपभोक्ताओं [illegible] संयोजन निर्गत करने हेतु लागू सुगम संयोजन योजना (संलग्नक-3) [illegible] आदेश [illegible] की जानी है।
11. झटपट संयोजन पोर्टल पर लम्बित [illegible] स्तर पर तैयार किया जाने वाला MIS (Management Information System) [illegible] (संलग्नक-4) [illegible] है।
12. निर्णय लिया गया है कि 01.07.20[illegible] [illegible] विद्युत [illegible] ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही निर्गत किये जायेंगे।
13. इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की आई०टी० सम्बन्धी समस्या [illegible] वितरण निगम में नामित अधिशासी अभियन्ता आई०टी० (बिलिंग) प्राथमिक रूप से समाधान हेतु [illegible] उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में पोर्टल हेतु उत्तरदायी अधिकारी-अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) समस्या का समाधान करायेंगे।
14. सभी विद्युत वितरण उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी की Login ID एवं Password पूर्व में सृजित की जा चुकी है।
15. सभी विद्युत वितरण खण्डों के अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को 'निवेश मित्र' पोर्टल हेतु जारी आई०डी० एवं पासवर्ड ही इस uppcl.org पर उपलब्ध 'झटपट संयोजन' पोर्टल हेतु मान्य है।
16. उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर लम्बित नये विद्युत संयोजनों का अनुश्रवण अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।
17. अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के स्तर पर लम्बित नये संयोजनों का अनुश्रवण सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण) द्वारा किया जायेगा।
18. डिस्काम मुख्यालय द्वारा किये जाने वाला सूक्ष्म अनुश्रवण डिस्काम के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
19. समग्रता में वितरण क्षेत्रवार अनुश्रवण उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) की इकाई द्वारा किया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार नवीन 'झटपट संयोजन' पोर्टल पर ससमय संयोजन दिये जाने हेतु अपने डिस्काम के समस्त वितरण क्षेत्र के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

31

पत्र संख्या 523, /मु0अ0 (वा0 एवं क0लै0)/सीयू-दो/झटपट संयोजन तद्दिनांक 27/04/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदया, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य) पू0वि0वि0नि0लि0, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, म0 वि0वि0नि0लि0, द0 वि0वि0नि0लि0 केस्को।
4. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय के साथ कि संलग्न MIS प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट प्राप्त किये जाने एवं पत्र में उल्लिखित अन्य प्राव्धानों के लिए साफ्टवेयर में व्यवस्था करने का कष्ट करें।
6. इं0 वैभव चौधरी अधिशासी अभियन्ता, आई.टी. इकाई, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक-यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

संलग्नक- 4

MIS Regarding Pending Cases on 'Jhatpat Connection' Portal

Name of DISCOM .... Vidyut Vitran Nigam Limited

Date:

S.No	Name of Zone	Name of Circle	Name of Division	No. of Processing fees Paid cases	No. of Cases Pending for Inspection		Serving of Demand Note/Estimate Pending after Inspection					Work Completion/Connection Release pending after deposit of Demand Note/Estimate							Total cases pending from DISCOM side after deposit of Demand Note/Estimate
							Where Mains Extension or S/S work is not required		[illegible]			Where Extension work or commissioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is not required			Where Extension work or commissioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is required				
					Total	Beyond 10 days	Total No.	[illegible]	Total No.	[illegible]	[illegible]	Total No.	[illegible]	No of cases pending Beyond 7 days where meter/MC & is to be provided by DISCOM	Total No.	No of cases pending where applicant has opted for execution of work himself	No of cases pending where work execution to be done by DISCOM: Beyond 60 days- Where extension of lines or augmentation of DT (Distribution Transformer) is required	No of cases pending where work execution to be done by DISCOM: Beyond 120 days- Where new DT (Distribution Transformer) is Required	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=15+18+19

Note:- Period mentioned in table is maximum no. of days required as per provision in Supply Code, 2005.

प्रारूप-1

MIS Regarding Pending Cases on 'Jhatpat Connection' Portal

Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Shakti Bhawan, Lucknow

Date:

S. No	Name of Discom	No. of Processing fees Paid cases	No. of Cases Pending for Inspection		Serving of Demand Note/Estimate Pending after Inspection					Work Completion/Connection Release pending after deposit of Demand Note/Estimate							Total of pending DISCOM after dep[illegible] Dema[illegible] Note/Est[illegible]
					Where Mains Extention or S/S work is not required		Where Mains Extention or S/S work is required			Where Extention work or commissioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is required			Where Extention work or commissioning of new S/S or existing S/S capacity enhancement is required				
			Total	Beyond 10 days	Total No	Beyond 10 Days	Total No.	Beyond 15 days [illegible]	Beyond 30 days [illegible]	Total No.	No. [illegible] by applicant	No. of cases pending beyond 7 days where [illegible] MCB is to be provided by DISCOM	Total No.	No of cases pending where applicant has opted for execution of work himself	No of cases pending where work execution to be done by DISCOM: Beyond 60 days- Where extension of lines or augmentation of DT (Distribution Transformer) is required	No of cases pending where work execution to be done by DISCOM: Beyond 120 days- Where new DT (Distribution Transformer) is Required	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=13+16+[illegible]
	PuVVNL																
	PVVNL																
	MVVNL																
	DVVNL																
	KESKO																

Note:- Period mentioned in table is maximum no. of days required as per provision in Supply Code, 2005.

पत्रांक–88 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–08–02–2019, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करानेके सम्बन्ध में।

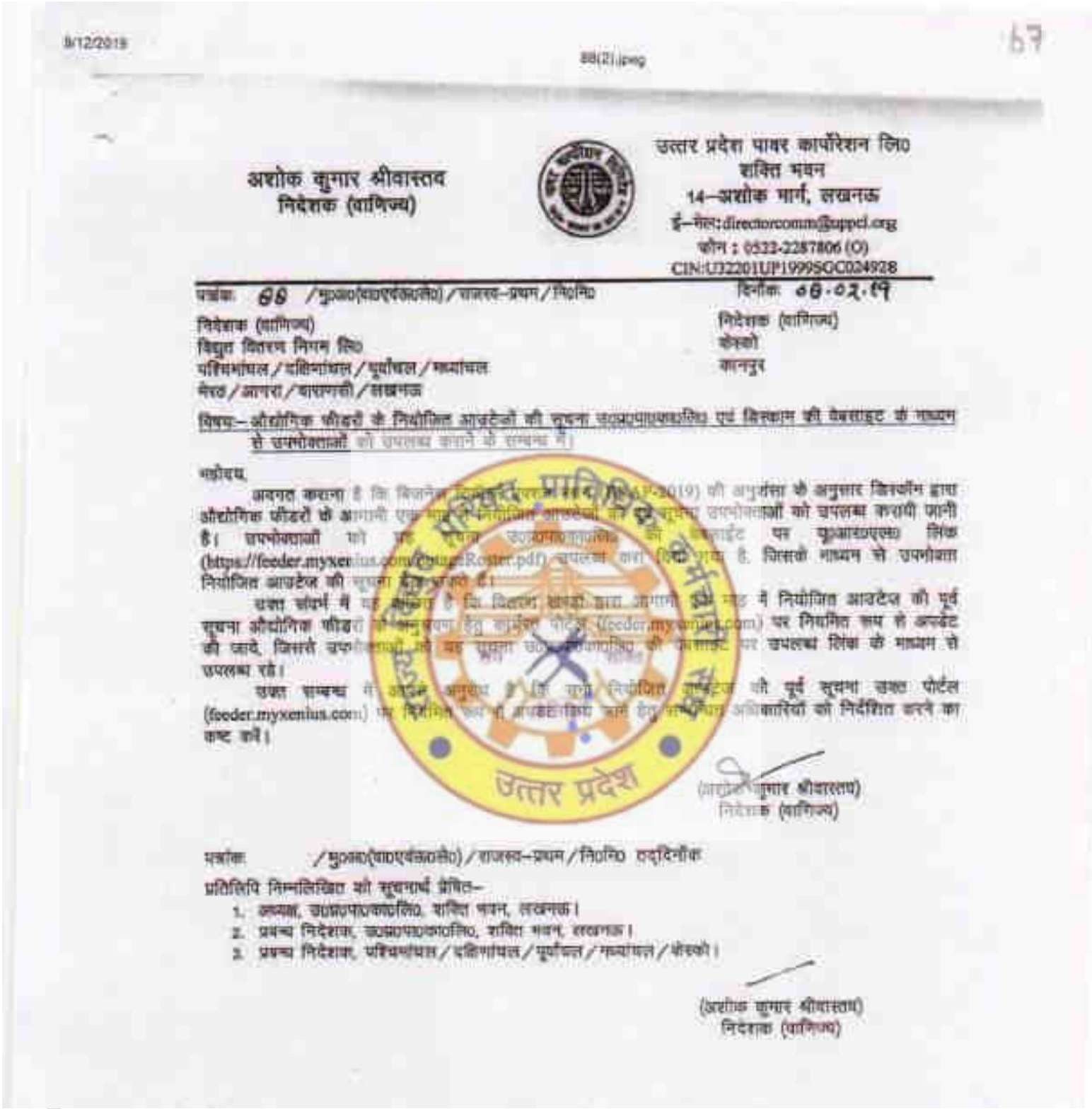

9/12/2019 88(2).jpeg 67

अशोक कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0
शक्ति भवन
14–अशोक मार्ग, लखनऊ
ई–मेल:directorcomm@uppcl.org
फोन : 0522-2287806 (O)
CIN:U32201UP1999SGC024928

पत्रांक 88 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–प्रथम/नि0नि0 दिनांक 08.02.19

निदेशक (वाणिज्य)
विद्युत वितरण निगम लि0
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल
मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ

निदेशक (वाणिज्य)
केस्को
कानपुर

विषय–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उ0प्र0पा0का0लि0 एवं डिस्काम की वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि [illegible] (EoDB BRAP-2019) की अनुशंसा के अनुसार डिस्कॉम द्वारा औद्योगिक फीडरों के आगामी [illegible] नियोजित आउटेजों की [illegible] उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जानी है। उपभोक्ताओं को [illegible] उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर यू0आर0एल0 लिंक (https://feeder.myxenius.com/OutageRoster.pdf) उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता नियोजित आउटेज की सूचना [illegible] हैं।

उक्त संदर्भ में यह [illegible] है कि वितरण खण्डों द्वारा आगामी [illegible] माह में नियोजित आउटेज की पूर्व सूचना औद्योगिक फीडरों [illegible] हेतु [illegible] पोर्टल (feeder.myxenius.com) पर नियमित रूप से अपडेट की जाये, जिससे उपभोक्ताओं को यह सूचना उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उपलब्ध रहे।

उक्त सम्बन्ध में [illegible] अनुरोध है कि [illegible] नियोजित आउटेज की पूर्व सूचना उक्त पोर्टल (feeder.myxenius.com) पर नियमित रूप से अपलोड किये जाने हेतु [illegible] अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व–प्रथम/नि0नि0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/केस्को।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

69

5. Estimate Paid Applications

उपभोक्ताओं द्वारा एस्टीमेट की धनराशि का भुगतान किये जाने के पश्चात निर्धारित समयावधि में संयोजन निर्गत कर मीटर सीलिंग सर्टीफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सहित पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। डिस्कॉम द्वारा निवेश मित्र के उ0प्र0पा0का0लि0 पोर्टल पर ऐसे प्रकरणों को निकालकर, इनका अनुश्रवण किया जाना अपेक्षित है।

6. Redressal of Grievances

निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उनके आवेदन के सम्बन्ध में शिकायतें अंकित किये जाने का प्राविधान भी उपलब्ध है। डिस्कॉम द्वारा सभी लम्बित शिकायतों का निस्तारण कर पोर्टल पर यथोचित रिमार्क भरकर शिकायतों को बन्द किया जाना अपेक्षित है। वेबसाइट पर शिकायतों के निस्तारण का प्रोसेस-फ्लो संलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

उक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि डिस्कॉम में गठित एस0पी0ओ0 सेल को उक्त सभी बिन्दुओं पर नियमित रूप से अनुश्रवण किये जाने तथा सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे उ0प्र0 सरकार की यह योजना सफलतापूर्वक संचालित होती रहे एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता रहे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक: ____ /मु0अ0(वा0 [illegible]

प्रतिलिपि–
1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

7-1

संलग्नक–1

वेबसाइट पर शिकायतों के निस्तारण का प्रॉसेस–फ्लो

- Login to Nivesh Mitra portal
  https://niveshmitra.up.nic.in/nmmasters/AdminMasters/adminlogin.aspx
- On left side menu panel click on 'Administration Tasks'
- Under 'Administration Tasks' click on 'Grievance/Complaint/Feedback Inbox'
- On right side select 'NO' in 'Is Query Replied :' dropdown menu and then click on 'Show Record' button. All pending grievance will be listed
- Click on the check box in 'update' column of the grievance to be addressed, click OK on popup box
- Scroll down to bottom of the page where the grievance reply can be typed in comment box and can be submitted by clicking on 'Reply' button

71

Release of New Power Connection- UPPCL

Step-1 : Login & Registration

Step-2 : Creating New Unit

1. Entrepreneur Dashboard
2. Add Unit
3. Fill Applicant Details
4. Fill Unit details
5. Fill Location Details
6. Final Submission
7. Unit Id Generated

Step-3 : Apply For New Power Connection

1. Apply for Permissions/NOCs	
2. Select UPPCL Power Connection	
3. Go to View application form	
4. Industrial New Connection Form	(STEP 1 Start)
5. Fill Details for New Connection	(STEP 1)
6. Upload Supporting Documents (Scrutiny)	(STEP 1)
7. Successful Submission	(STEP 1 Complete)
8. Application Processing Fee Payment -> Through Nivesh Mitra Payment Gateway	(STEP 2 Start)
9. Payment Intimation to Consumer	(STEP 2)
10. Fee Pending Status at Nivesh Mitra Dashboard	(STEP 2)
11. Fee Payment at Nivesh Mitra	(STEP 2)
i. Pay consolidated fee	
ii. Proceed to pay	
iii. Make payment (Bank site)	
iv. Payment success (Bank site)	
v. Successful payment (TRANSACTION SUCCESSFUL)	
vi. Bank Confirmation (Receipt available on NM)	
vii. Fee Paid Success Intimation on Investor Dashboard	
12. Proceed to Process New Connection Application	(STEP 2 Complete)
13. Connection Feasibility in Process	(STEP 3 Start)
14. Departmental Login for Feasibility Report	(STEP 3)
15. Departmental Login Dashboard	(STEP 3)
16. New Connection Request	(STEP 3)
17. Feasibility Study	(STEP 3)
18. Upload Feasibility Report	(STEP 3)
19. Get Estimate of Charges for Connection	(STEP 3)
20. Feeder Details Submitted Successfully	(STEP 3)
21. Feasibility Status display : Success & Pending	(STEP 3)
22. Response sent to customer dashboard	(STEP 3)
23. Cost Estimation Process	(STEP 3 Complete)
24. Cost Calculation in System	(Step 4 Start)
25. Cost Estimate Intimation to Consumer with request for Payment	(STEP 4)
26. Fee Payment -> Estimate Payment through UPPCL Payment Gateway	(Step 5 Start)
27. Consumer Payment Steps	(STEP 5)

28. Payment Gateway Redirection	(STEP 5)
29. Payment Confirmation	**(STEP 5 Complete)**
30. Work Completion Details (select Inspection by)	**(Step 6 Start)**
31. Work Completion Details (fill details and Update)	**(Step 6 Complete)**
32. Metering and Connection Status	**(Step 7 start)**
33. Connection Status	**(Step 7 complete)**
34. Final Confirmation	**(Step 8)**

Rejection of New Power Connection- UPPCL

1. Connection Request created
2.
   i. Feasibility Status : Rejection Case – Request on Departmental Portal
   ii. Feasibility Study –Not OK Hence Connection Rejection Initiated
   iii. New Connection Request Successfully Rejected
   iv. Confirmation Sent on Nivesh Mitra Portal Regarding Connection Rejection

पत्रांक–293 / 24–पी–3–2019, दिनांक–05–02–2019, विवरण–मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय द्वारा निवेश मित्र पोर्अल के बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाहीके सम्बन्ध में।

अर्द्धशा0प0सं0 293 /24–पी–3–2019

आलोक कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा एवं अति ऊर्जा
लखनऊ-226001
कार्यालय : 0522-2238122
फैक्स : 0522-2238398
email: psecup.energy@nic.in

लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2019

प्रिय अपर्णा,

मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में निवेश मित्र सिंगल विण्डो पोर्टल तथा ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के सम्बन्ध में दिनांक 04 फरवरी, 2019 को बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री ने की।

2– बैठक में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा विद्युत वितरण निगमों से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा की गई है :–

(1) निवेश मित्र पोर्टल को प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा स्वयं देखा जाये और लम्बित मामलों का सघन अनुश्रवण किया जाये।

(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि निवेश मित्र पोर्टल पर दिए गये आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग की स्टेजवाइज जानकारी आवेदक को निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध हो।

(3) निवेश मित्र पोर्टल लागू होने की अवधि में विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा दो हजार से अधिक संयोजन प्रमाण पत्र दिए गये हैं जबकि इससे बहुत कम संख्या में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन पत्र पोर्टल पर आये हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी संख्या में ऑफ लाइन आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। यह स्थिति शासनादेश का उल्लंघन है, अतः ऑफ लाइन आवेदन पत्र लेना तत्काल प्रतिबन्धित किया जाये और ऐसा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के स्तर से भी इस स्थिति को सुनिश्चित कर लिया जाये कि इन निवेश मित्र पोर्टल से सम्बन्धित श्रेणी के आवेदकों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर आवेदन किए जाने की स्थिति में उन्हें निवेश मित्र पोर्टल पर रि–डारेक्ट किया जाये।

(4) विद्युत संयोजन दिये जाने के लिए आवेदन पत्रों को यदि अस्वीकृत किया जाता है तो उसका पर्याप्त और स्पष्ट कारण निवेश मित्र पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाये।

3– निवेश मित्र पोर्टल शासन की एक अत्यन्त ही महत्वाकांक्षी पहल है अतः इसको सफलतापूर्वक संचालित कराने के लिए सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों

66

के प्रबन्ध निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना कृपया सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

श्रीमती अपर्णा यू0,
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

सी0सी0– उपरोक्त की प्रति प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पश्चिमान्चल–मेरठ/ [illegible]–लखनऊ/ पूर्वान्चल–वाराणसी/ दक्षिणान्चल–आगरा एवं केस्को–कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार)

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

पत्रांक–104 / आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–23–01–2019, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं उपलब्ध कराने की लंक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

63

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए इकाई
5वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग
लखनऊ–226001
ई–मेल: serapdrpparta@gmail.com,
se.it@uppcl.org
serebsuppcl@gmail.com
फोन: 0522–2288801

U.P. Power Corporation Ltd.
R-APDRP Part-A Unit
5th Floor Shakti Bhawan Extn,14, Ashok Marg,
Lucknow-226001
E-mail- serapdrpparta@gmail.com,
se.it@uppcl.org
serebsuppcl@gmail.com
Phone: 0522-2288801

संख्या: 104 /आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए/ दिनांक 23/01 /2019

मुख्य अभियन्ता (वा0 एवं ऊर्जा लेखा)
उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय: औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उ0प्र0 पाकालि0 एवं डिस्काम की वेबसाइट के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने तथा PWD/ESD की अनापत्ति सम्बन्धी लिंक निवेश मित्र पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

कृपया ...

सन्दर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि–

1. डिस्काम द्वारा औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना को उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने सम्बन्धी लिंक उ0प्र0 पाकालि0 की वेबसाइट uppcl.org पर उपलब्ध करा दिया गया है। वितरण खण्डों द्वारा इनसे सम्बन्धित सूचना एवं सम्बन्धित औद्योगिक फीडरों के अनुश्रवण हेतु पोर्टल URL: feeder.myxenius.com के माध्यम से अपडेट की जा सकती है।
2. निवेश मित्र पोर्टल पर पी0डब्लू0डी0 एवं विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति संबंधी लिंक उपलब्ध कराने हेतु उद्योग बंधु, लखनऊ में उ0प्र0 पाकालि0, पी0डब्लू0डी0 तथा एन0आई0सी0 के तकनीकी सदस्यों की दिनांक 21.01.2019 को बैठक आयोजित की गई थी। इस कार्य हेतु पी0डब्लू0डी0 तथा विद्युत सुरक्षा द्वारा API तथा URL उ0प्र0 पाकालि0 को उपलब्ध कराये जाने हैं। इसके उपरान्त उ0प्र0 पाकालि0 द्वारा अपने आवेदन पत्र में लिंक उपलब्ध करा दी जावेगी।

परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

संलग्नक: यथोपरि।

(ए0पी0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

24/1/19

प्रति–
1- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

पत्रांक–68 / आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–15–01–2019, विवरण–डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग पत्र पर करने हेतु साफ्टवेयर एपलीकेशन के सम्बन्ध में।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन : 0522–2287806

संख्या 68 / आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए / 2019 दिनांक 15 / 01 / 2019

निदेशक (वाणिज्य)
विद्युत वितरण निगम लि०,
दक्षिणांचल–आगरा / पूर्वांचल–वाराणसी /
पश्चिमांचल– मेरठ / मध्यांचल–लखनऊ।

5–a/ra/19
16/01/2019

विषय: डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग पत्र पर करने हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार के शीर्ष प्राथमिकता में शामिल निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से दिये जाने वाले संयोजनों पर [illegible] हेतु पत्राचार पर डिजिटल हस्ताक्षर हेतु आदेशित किया गया है। वर्तमान में वितरण [illegible] एवं निगमों के अन्य अधिकारियों के पास यू०एस०बी० डिवाइस में [illegible] उपलब्ध कराये गये डिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध है, जो निविदा [illegible] है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये संयोजन निर्गत [illegible] अभियन्ता (सम्बन्धित [illegible] खण्ड) अधिकृत है।

निवेश मित्र पो[illegible] डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन [illegible] 91 / 1850, केडीए कालोनी, नौबस्ता, मण्डी समिति [illegible] इकाई, उ0प्र0पाकालि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ [illegible] 10.01.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आदेशित किया [illegible] साफ्टवेयर एप्लीकेशन के संचालन एवं स्थापना हेतु नामित फर्म [illegible] भी प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्तानुसार [illegible] के आधार पर लगाये जाने हेतु उचित कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

निवेश मित्र

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

CE(COM-I)

प्रति :–
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल–आगरा / पूर्वांचल–वाराणसी / पश्चिमांचल–मेरठ / मध्यांचल–लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण इकाई, शक्ति भवन विस्तार, उ0प्र0पाकालि0, लखनऊ।
4. मै0 आई0वी0एल0 टेक्नोलॉजीस, 91 / 1850, केडीए कालोनी, नौबस्ता, मण्डी समिति, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि तत्काल प्रभाव से उक्त डिस्कॉम से सम्पर्क कर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग हेतु साफ्टवेयर एप्लीकेशन को स्थापित करने का कार्य कराना सुनिश्चित करें।

77

पत्रांक–507 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–21–12–2018, विवरण–निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
निदेशक (वाणिज्य)

उत्तरप्रदेशपावरकार्पोरेशनलिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्तिभवन, 14-अशोकमार्ग, लखनऊ-226001
ई-मेल-directorcomm@uppcl.org
दूरभाष-0522-2287808
फैक्स नं0 0522-2287808

CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः– 507 / मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0) / राजस्व–प्रथम / नि.मि.

दिनांकः 21 दिसम्बर, 2018

अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0)
उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय :–निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त उद्यमियों [illegible] विषय में की गयी समीक्षा एवम् अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्र सं0 468 दिनांक 30 [illegible] सलग्न [illegible] व्यवस्था के दृष्टिगत औद्योगिक इकाइयों को विद्युत संयोजन लाइन [illegible] का निर्माण [illegible] में किये जाने हेतु पोर्टल पर निम्न आनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की [illegible] है।

निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन [illegible] को आवेदन [illegible] समय एवं [illegible] कारी अभियन्ता के इस्टीमेट आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात [illegible] समय दोनों स्तरों पर आवेदक को लाइन निर्माण का कार्य स्वयं Notified [illegible] Class Contractor [illegible] option दिया जाये।

प्रथम स्तर पर आवेदन के [illegible] निर्माण कार्य कराये जाने की अस्वीकार करने के पश्चात् भी इस्टीमेट के भुगतान [illegible] लाइन निर्माण [illegible] कराये जाने की सहमति सम्बन्धी option खुला रहना चाहिये। यदि आवेदक स्वयं लाइन बनाने [illegible] करता है उस स्थिति में इस्टीमेट की 15% धनराशि का option दिया जाये। यदि आवेदक [illegible] निर्माण विभाग द्वारा किया जाना स्वीकार जाता है उस स्थिति में मा0 आयोग द्वारा लाइन निर्माण की अनुमोदित समय सीमा का उल्लेख करते हुये इस्टीमेट की पूर्ण धनराशि की माँग प्रदर्शित हो।

सुपरविजन चार्जेज के रूप में 15% इस्टीमेट धनराशि जमा करने की स्थिति में एक stage यह भी रखी जाये जिसमें आवेदक लाइन निर्माण व ROW प्राप्त कर विभाग को कार्य पूर्ण होने की सूचना देगा, जिसके पश्चात विभाग द्वारा मात्र मीटर लगाकर मीटर सीलिंग रिपोर्ट आपलोड कर संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

कृपया इस प्रकार NIC से समन्वय करते हुये यह व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

पत्रांक–500 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–18–12–2018, विवरण–औद्योगिक निवेशकों हेतु पहचान पत्र अपलोड करने के सम्बन्ध मूं।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई-मेल : [illegible]
दूरभाष – (0522) [illegible]
फैक्स – (0522) [illegible]
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : / मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0) / राजस्व प्रथम / नि0मि0 दिनांक दिसम्बर , 2018

कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक निवेशकों हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा क्रियान्वित सिंगल विन्डो पोर्टल (निवेश मित्र) पर विद्युत संयोजन सम्बन्धी आनलाइन आवेदन प्रपत्र पर आवेदक की पहचान (प्रुफ आफ आइडेन्टिटी) हेतु एक माड्यूल विकसित कर प्रचालित किया गया है। आवेदक अपने आवेदन के साथ पहचान पत्र के रूप में फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, राशनकार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में से कोई एक अपलोड कर सकता है।

ह0 / अपठित
अध्यक्ष

पत्रांक :– 500 / मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0) / राजस्व प्रथम / नि0मि0 / तददिनांक : 18/12/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 4–ए, माल एवेन्यु, लखनऊ।
3. समस्त प्रबन्ध निदेशक डिस्काम मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को इस आशय के साथ कि सभी विद्युत वितरण क्षेत्रों के अधिकारियों को तदनुसार औद्योगिक निवेशकों को सूचित किये जाने हेतु।
4. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को।
5. निदेशक (वाणिज्य / वितरण / वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य औद्योगिक संघ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आरएपीडीआरपी पार्ट–ए / आई0टी सेल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए0के0 [illegible])
[illegible] अभियन्ता [illegible]

पत्रांक–734 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–18–12–2018, विवरण–उद्योग बन्धु के पत्र सं0 3347 के अन्तर्गत संस्तुति सं0 50 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

57

आलोक कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव

अ0शा0प0सं0 7341/24-पी-3-20

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा एवं अति ऊर्जा
लखनऊ-226 001
कार्यालय : 0522-2238122
फैक्स : 0522-2236388
email: psecup.energy@nic.in

लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर, 2018

प्रिय अमृता,

3950/md/18
21/12/2018

कृपया उद्योग बन्धु के संलग्न पत्र संख्या–3347 / 1484 / नॉलेज बैंक / 18–19, 17 दिसम्बर, 2018 का सन्दर्भ लें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत संस्तुति संख्या–50 के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

2– उ0प्र0 पावर [illegible] दिन तथा अन्यथा [illegible] न होने की स्थिति में 07 [illegible] 15 दिन [illegible] नये दिशा–निर्देश [illegible] संयोजन देने के लिए [illegible] को यह [illegible] औद्योगिक इकाईयों क्लास–ए [illegible] विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा अधिकृत लाइन / ट्रांसफार्मर इत्यादि [illegible] संयोजनों हेतु आवश्यक सम्बन्धित विद्युत वितरण [illegible] सके जिसके पश्चात स्थापित कर संयोजन को [illegible] दिया जाएगा ताकि 07 दिन / 15 दिन में विद्युत संयोजन देने [illegible] का पालन हो सके।

विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

3– उद्योग बन्धु के संलग्न पत्र में यह भी अपेक्षित है कि संस्तुति संख्या–50 के अनुसार विद्युत संयोजन 07 दिन / 15 दिन की समय सीमा में विद्युत सुरक्षा निरीक्षक के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित दिया जाना है। बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संयोजन का ऊर्जीकरण भी नहीं हो सकेगा।

4– अतः कृपया विद्युत सुरक्षा निदेशालय के इलैक्ट्रिकल इन्सपेक्टर को कड़े निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि निवेश मित्र पोर्टल पर दर्ज किए गए विद्युत संयोजनों के आवेदनों पर विद्युत लाइन के बनने के तुरन्त बाद अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिया जाए जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत संस्तुति संख्या–50 का अनुपालन हो सके।

Dir (Comm)
= 12-18
D. Ed (Com-1)

58

5– ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रगति की समीक्षा प्रदेश में तथा केन्द्र में उच्चतम स्तर पर की जा रही है अतः इसको कड़ाई से लागू किए जाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

श्रीमती अमृता सोनी,
निदेशक
विद्युत सुरक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–7341(i) [illegible] 3–2018, तद्‌दिनांक।

उपरोक्त [illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible]

1– प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० [illegible] कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2– विशेष [illegible] ऊर्जा (1) [illegible] शासन।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

पत्रांक–3347/1484/उद्योग बन्धु, दिनांक–17–12–2018, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग, उ.प्र.शासन।

2- निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ।

उ.बं./3347/1484 /नॉलेज बैंक /18-19/ दिसम्बर 17, 2018

विषयः- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के अन्तर्गत संस्तुति संख्या : 50 में 'Stipulate that charged electrical connections (for all voltages-Low/High/Extra High Tension) along with Chief Electrical Inspector General (CEIG) approval [illegible] provided within Seven days (where no 'Right of way' [illegible] days, where RoW is required from concerned agencies) [illegible] के सम्बंध में दिनांक 10.12.18 को उद्योग [illegible] द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युत कनेक्शन [illegible] अनुमति 20 दिनों में प्रदान की जाती है।

अवगत [illegible] अनुसार एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.)/[illegible] किया जाता है, अतः अनुरोध है कि अनुमति हेतु [illegible] RoW [illegible] 04 दिवस में तथा जहाँ RoW की आवश्यकता हो तो 10 दिवस [illegible] जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित [illegible]। तदोपरान्त यू.पी.पी.सी.एल. द्वारा सलग्न पत्र दिनांक 30.11.18 में [illegible] बिन्दु सं.-V- (a) & (b) के अनुसार 2/3 दिनों में विद्युत संयोजन प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा, जिससे फलस्वरूप संस्तुति सं. 50 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्य संपादित कराते हुए सम्बन्धित सूचना/ शासनादेश उद्योग बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार यादव)
अधिशासी निदेशक

पत्रांक–468/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–30–11–2018, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के तीन आंशिक रूप से मुख्य बिन्दुओं सं0 48,49 एवं 50 पर कार्यवाही हेतु सूचना।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14– अशोक मार्ग, लखनऊ –01
ई–मेल : chairmanuppcl@gmail.com
दूरभाष – (0522) 2287827 (कार्या)
फैक्स – (0522) 2287786
CIN NO:-
U32201UP1999SGC024928

पत्रांक–468 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/आर0–1 दिनांक/नवम्बर 30 2018

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
लखनऊ/मेरठ/आगरा/वाराणसी
केस्को कानपुर।

कृपया भारत सरकार के DIPP विभाग द्वारा Ease of Doing Business (EODB) के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये ऊर्जा विभाग सम्बन्धी Business Reform Action Plan (BRAP-2019) (प्रति संलग्न) की संस्तुतियों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

वर्णित संस्तुतियों में उल्लिखित Ease of Doing Business (EODB) के तीन आंशिक रूप से पूर्ण मुख्य बिन्दुओं सं0 48, 49 एवं 50 पर कार्यवाही हेतु निम्नवत सूचित है:

बिन्दु सं0 48 :–विद्युत संयोजन देने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु ... लिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धी माड्यूल क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में ... द्वारा पहचान हेतु साक्ष्य का माड्यूल निवेश मित्र पोर्टल पर क्रियान्वित करा दिया गया है। अतः अपने अधीनस्थ समस्त फील्ड अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि ... का विवरण सम्बन्ध पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु निवेशकों को सूचित करें।

बिन्दु सं0 49 :–नियोजित outage की सूचना औद्योगिक उपभोक्ताओं को कम से कम 1 माह पूर्व दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ करने के आदेश (प्रति संलग्न) जारी किये गये हैं। इन आदेशों का पालन आवश्यक रूप से अपने डिस्काम में सुनिश्चित करायें।

बिन्दु सं0 50 :–औद्योगिक इकाइयों को विद्युत संयोजन ROW न होने की दशा में 7 दिन में तथा ROW की दशा में 15 दिन में दिये जाने हेतु आपके डिस्काम में निम्न व्यवस्था पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(i) विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा LT, HT एवं EHT लाइन/ उपकेन्द्रों को तीव्रगति से उन्नत मशीनों द्वारा निर्मित करने वाले आर्थिक रूप से सक्षम Notified 'A' class contractors की सूची प्राप्त कर निवेशकों को एस्टीमेट दिये जाने के साथ उपलब्ध करायी जाये।

(ii) निवेशकों को त्वरित विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से estimate की धनराशि पर सुपरविजन चार्जेज लेकर निवेशकों द्वारा स्वयं Notified 'A' class contractors से लाइन आदि का कार्य करवाये जाने हेतु कहा जाये।

निवेशकों को स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि उनके द्वारा स्वयं 'A' class contractors से काम न करवाकर डिस्काम द्वारा किये जाने का आग्रह किया जाता है उस स्थिति में भण्डारों में सामानों की उपलब्धता, टेण्डरिंग प्रोसेस एवम् शासकीय क्रियान्वयन में लगने वाले समय के दृष्टिगत BRAP 2019 की समय सीमा के स्थान पर मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उ0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2005 की समय सीमा (संगत पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न) मान्य होगी।

(iii) डिस्काम द्वारा 5 दिनों में Technical Feasibility निर्णीत कर उसके पश्चात् 7 दिनों में estimate अपलोड कर आवेदकों को दे दिया जाये।

(iv) Estimate की धनराशि पर सुपरविजन चार्जेज को नियमानुसार स्वीकृत करते हुये जमा करवाने का कार्य सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सम्पादित किया जाये।

(v) चूंकि विद्युत भार के सापेक्ष LT, HT एवं EHT वोल्टेज पर अवमुक्त किये जाने वाले संयोजन पर लाइन के निर्माण के बाद मात्र मीटर लगाकर संयोजन ऊर्जीकृत करना होता है अतः

(a) ROW की आवश्यकता न होने पर यदि निवेशक डिस्काम को सुपरविजन चार्जेज की धनराशि जमा करने के पश्चात् लाइन बनवाकर एवम् विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर 3 से 4 दिनों में डिस्काम को सूचित करते है उस स्थिति में पूर्व से ही मीटर की व्यवस्था करते हुये मात्र 2 से 3 दिन में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये अर्थात् 7 दिवस में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये।

(b) ROW की आवश्यकता होने पर यदि निवेशक डिस्काम को सुपरविजन चार्जेज की धनराशि जमा करने के पश्चात् लाइन बनवाकर ROW तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर 10 से 12 दिनों में डिस्काम को सूचित करते हैं उस स्थिति में पूर्व से ही मीटर की व्यवस्था करते हुये मात्र 2 से 3 दिन में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये अर्थात् 15 दिवस में संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जाये।

(vi) डिस्काम मुख्यालय [illegible] हुये औद्योगिक निवेशकों को विद्युत संयोजन सम्बन्धी समस्त [illegible] में इस हेतु [illegible] की जाये। एम0वी0 सेल के अधिकारी उनकी विद्युत [illegible] सम्बन्धी [illegible] विशेष प्रबन्धन इकाई के रूप में कार्य करना प्रारम्भ [illegible]

कृपया [illegible] निश्चित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांकः- 468 /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0लें0)/आर0-1 तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव ऊर्जा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 4 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य/वितरण/वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक–457 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–11–2018, विवरण–औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध / Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन ... लखनऊ-226001
ई-मेल chairmanuppcl@gmail.com
0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

पत्रांक 457 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा) / पाकालि दिनांक नवम्बर 27, 2018

प्रबन्ध निदेशक
दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / पूर्वांचल / मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
आगरा / मेरठ / वाराणसी / लखनऊ

विषय– औद्योगिक फीडरों के नियोजित आउटेजों की सूचना उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में / Ease of Doing Business (EODB) के सम्बन्ध में।

भारत सरकार की Department of Industrial Policy & Promotion द्वारा प्रतिपादित BRAP, 2019 में [illegible] कार्यवाही अपेक्षित है–

"Ensure that Discoms [illegible] of planned outages (maintanance and load shedding) for next [illegible] in advance. [illegible] should be informed accordingly"

आप अवगत हैं कि [illegible] से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः औद्योगिक इकाइयों को [illegible] सूचना इकाइयों को दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है, [illegible] उनके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु समुचित निर्णय [illegible]।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि [illegible] औद्योगिक फीडरों के Planned outages की सूचना [illegible] (समाचार पत्रों, एस0एम0एस0, ई-मेल, वाट्सएप आदि) के द्वारा उपलब्ध [illegible]।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक / मु0अभि0(वा0एवं ऊर्जा)/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), [illegible], शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, [illegible], शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणि0), [illegible], शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

पत्रांक–456/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–27–09–2019, विवरण–Ease of Doing Business(EODB) के सम्बन्ध में।

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ–226001
ई–मेल chairmanuppcl@gmail.com
फोन : 0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785
CIN NO:-U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 456 /मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रबन्ध/नि0मि0 दिनांक नवम्बर [illegible] 2018

अधिशासी निदेशक
उद्योग बन्धु
12वीं, माँल एवेन्यू
लखनऊ

विषय– **Ease of Doing Business (EODB)** के सम्बन्ध में।

कृपया निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों के आवेदनों के सम्बन्ध में आपके द्वारा फोकस बिन्दुओं के सम्बन्ध में भेजे गये व्हाट्सअप मैसेज [illegible] करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नवत सूचनीय है–

1. निवेश मित्र पोर्टल [illegible] विश्लेषण से यह निष्कर्ष आया है कि प्रतिमाह आवेदन [illegible] सम्बन्ध में समस्त वितरण कम्पनियों को उद्यमियों/[illegible] नये संयोजनों [illegible] अनुसार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही निर्गत किये [illegible] आदेश निर्गत [illegible]।
2. डिजिटल [illegible] की प्रक्रिया [illegible] 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
3. विद्युत संयोजन [illegible] पर एक ही बार फीस की व्यवस्था दिनांक 01.12.2018 [illegible]।
4. निवेश मित्र [illegible] आधार पर ही अस्वीकार किये जाने हेतु समस्त [illegible] पर अनावश्यक कारणों के आधार पर आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं, [illegible] द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

निश्चित रूप से [illegible] उद्यमियों/निवेशकों को विद्युत संयोजन के प्रकरणों पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है और [illegible] इस दिशा में प्रगति परिलक्षित होगी।

उक्त के अतिरिक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराना है–

1. औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने की प्रक्रिया :–
   - (i) आवेदनकर्ता द्वारा प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर फीजिबिलिटी के अनुरूप प्राक्कलन 7 दिन के अन्दर तैयार किया जायेगा।
   - (ii) प्राक्कलन धनराशि की टी0सी0 (नियम व शर्तें) आवेदक द्वारा धनराशि ऑनलाईन जमा किये जाने हेतु अपलोड कर दी जायेगी।
   - (iii) आवेदक को प्राक्कलन धनराशि जमा करने के लिये 30 दिन का समय दिया जायेगा। (उपभोक्ता द्वारा धनराशि जमा करने की यह अवधि संयोजन निर्गत करने में लगने वाले समय में विलम्ब की अवधि में नहीं जोड़ी जाती है।)

53

2. औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने हेतु समय-सीमा :-

(i) यदि कनेक्शन देने हेतु कोई पोल या अण्डरग्राउण्ड केबिल की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 7 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(ii) यदि कनेक्शन देने हेतु 11/0.4 के0वी0 वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि आवश्यक है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(iii) यदि कनेक्शन देने हेतु एल0टी0 लाईन निर्माण (05 पोल तक) एवं आर0ओ0डब्लू0 की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(iv) यदि कनेक्शन देने हेतु एल0टी0 लाईन निर्माण एवं आर0ओ0डब्लू0 (रोड क्रासिंग/रेल क्रासिंग) की आवश्यकता है, तो आर0ओ0डब्लू0 की अनुमति मिलने एवं आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 15 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जायेगा।

(v) मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 की धारा 4.8 में उल्लिखित दिशा-निर्देश के अनुरूप यदि कनेक्शन देने के लिए लाईन एवं उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त टेण्डर सामग्री उपलब्धता तथा कार्य सम्पादन के दृष्टिगत संयोजन निर्गमन हेतु 400 वोल्ट, 11 के0वी0, 33 के0वी0, 132 के0वी0 पर क्रमशः 45, 60, 120, 300 दिन की [illegible] सीमा का प्राविधान है। इन प्राविधानों के दृष्टिगत उक्त समय सीमा [illegible] है।

अन्य बिन्दु :-

(i) [illegible] प्रणाली

प्रदेश में [illegible] औद्योगिक फीडरों पर [illegible] मीटर लगा दिये गये हैं। इन मीटर्स से प्राप्त डाटा [illegible] की स्थिति का ज्ञान वास्तविक समय में प्राप्त हो [illegible] निरन्तर अनुरक्षण द्वारा आपूर्ति की स्थिति में निरन्तर सुधार [illegible] अनुसार कार्य पूर्ण है। औद्योगिक फीडर्स पर नियोजित Shut Down हेतु [illegible] आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

(ii) [illegible] प्रणाली

प्रदेश में [illegible] 425 [illegible] औद्योगिक [illegible] द्वारा प्रणाली के कार्य हेतु अनुबन्ध कर लिया गया है, [illegible] स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर है जिसमें से 60 [illegible] की संचालन प्रणाली हेतु आई.टी. सिस्टम केन्द्र पर [illegible] नवनिर्मित [illegible] केन्द्र गाजियाबाद पर किया जा रहा है तथा प्रणाली का दिनांक [illegible] से कार्य संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है। समस्त सूचना वास्तविक समय में वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।

कृपया संज्ञानार्थ प्रेषित।

संलग्नक:-यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक: 456 /मु0अ0(वा0रा0का0लि0)/राजस्व प्रबन्ध/नि0मि0/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/केस्को को इस आशय से प्रेषित कि समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निवेश मित्र के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समयसीमाओं का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।
4. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक–347/मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–05–09–2018, विवरण–सिंगल विंडो पोर्टल (निवेश मित्र) पर औद्योगिक विद्युत संयोजन को ऑनलाईन निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत।

57

आलोक कुमार
आई0ए0एस0
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ–226001
ई–मेल:chairmanuppcl@gmail.com
फोन : 0522-2287827 (O)
(फैक्स) : 0522-2287785

अर्द्ध0शा0पत्रांक 3 पन/मु0अ0(वा0एवंऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक सितम्बर 05, 2018

विषय:–सिंगल विण्डो पोर्टल (निवेश मित्र) पर औद्योगिक विद्युत संयोजन को ऑनलाईन निर्गत करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धान्त के सम्बन्ध में।

प्रिय

आप अवगत है कि सिंगल विण्डो पोर्टल पर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1488/77–6–18–08(एम)/2012टी.सी.8(कैबिनेट) दिनांक 09.04.2018 द्वारा विभागो मे उद्यमियों की सुगमता हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

इस सम्बन्ध में [illegible] कि विद्युत विभाग में नये औद्योगिक संयोजनों को निर्गत किये जाने की प्रक्रिया अन्य विभागों की प्रक्रिया से [illegible] है। विद्युत विभाग में संयोजन निर्गत करने हेतु दो चरणों में कार्यवाही होती है, जो निम्नवत है:–

प्रथम चरण:– आवेदनकर्ता द्वारा प्रोसेसिंग फीस जमा करने के उपरान्त स्थलीय निरीक्षण कराकर फिजीबिलिटी के अनुसार [illegible] तैयार किया जाता है। तदोपरान्त प्राक्कलन धनराशि [illegible] ई0सी0 [illegible] जमा करने की समय–सीमा के साथ अपलोड [illegible] धनराशि जमा करने की यह अवधि संयोजन निर्गत करने में लगने वाले समय में विलम्ब की अवधि में नहीं जोड़ी जाती है।

द्वितीय चरण:– आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात कनेक्शन देने हेतु लाईन एवं उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, के अनुसार अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी जाती है।

तत्क्रम में अवगत हो कि मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 की धारा 4.7 एवं 4.8 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित दिशा–निर्देश के अनुरूप संयोजन निर्गत किये जाने हेतु समय–सीमा का निम्नवत प्राविधान है –

1. धारा 4.7 के अनुसार यदि कनेक्शन देने हेतु कोई पोल या अण्डरग्राउण्ड केबिल की आवश्यकता नहीं है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरांत 7 दिन के अन्दर संयोजन निर्गत कर दिया जाना है।
2. धारा 4.8 के अनुसार यदि कनेक्शन देने के लिए लाईन एवं उपकेन्द्र के निर्माण की आवश्यकता है, तो आवेदनकर्ता द्वारा प्राक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त टेण्डर सामग्री उपलब्धता तथा कार्य सम्पादन के दृष्टिगत संयोजन निर्गमन हेतु निम्नवत समय–सीमा निर्धारित है –

अ) 400 वोल्ट पर कनेक्शन देने हेतु 45 दिन का समय।
ब) 11 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 60 दिन का समय।
स) 33 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 120 दिन का समय।
द) 132 के0वी0 पर कनेक्शन देने हेतु 300 दिन का समय।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रॉक्कलन धनराशि जमा करने के उपरान्त उ0प्र0 विद्युत आपूर्ति संहिता–2005 की धारा 4.7 एवं 4.8 में उल्लिखित निर्धारित समय–सीमा के अनुसार उद्यमियों को औद्योगिक सेवायें प्रदान किया जाना ही सम्भव होगा।

अतः उपरोक्तानुसार संज्ञानित कराते हुये यह अवगत कराना है कि सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात निवेश मित्र पोर्टल पर संयोजन निर्गत किया जाना, प्रदर्शित होना सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिये गये है।

संलग्नक–यथोपरि।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

श्री अविनाश कुमार
विशेष सचिव (मुख्यमंत्री)
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

पत्रांक–262 / पीएससीएच / 18, दिनांक–17–07–2019, विवरण–मा0 प्रधानमत्री भारत सरकार द्वारा निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम के शुभारम्भ तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अनुश्रवण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सं0– 262 / पीएससीएच / 18 दिनाँक– 17.07.2018

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ / केस्को–कानपुर / मध्यांचल–लखनऊ /
पूर्वांचल–वाराणसी / दक्षिणांचल–आगरा।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने तथा निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में सुविधा व सुगमता प्रदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार द्वारा "निवेश मित्र–सिंगल विन्डो सिस्टम" पोर्टल का शुभारम्भ माह फरवरी, 2018 में 'उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट–2018' के आयोजन के अवसर पर किया गया था। उक्त पोर्टल पर उद्यमियों के प्राप्त आवेदन पत्रों का गहन अनुश्रवण / समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर की जा रही है।

2– उक्त [illegible] कारपोरेशन (मुख्यालय) पर समीक्षा के उपरान्त [illegible] कि [illegible] / लोड बढ़वाने से संबंधित पोर्टल पर प्राप्त आवेदन [illegible] निस्तारण [illegible] में लम्बित हैं तथा जिन मामलों का निस्तारण [illegible] दिया गया है [illegible] भी [illegible] लाइन' प्रोसेसिंग की जा रही है, जो शासन [illegible] / निर्देशों का खुला उल्लंघन [illegible]

3– प्रकरण की महत्ता [illegible] पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्युत वितरण निगमों का ध्यान इस [illegible] आकृष्ट [illegible] है, इसके बावजूद भी स्थिति में अपेक्षित [illegible] आपत्तिजनक है।

4– इस [illegible] में आपको [illegible] निर्देश देना है कि आप अपने स्तर से सभी संबंधित [illegible] अभियन्ता को स्पष्ट रूप से निम्नवत् निर्देश अविलम्ब निर्गत कर [illegible]

(1) प्रत्येक दशा में पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित समयावधि के अंदर करके कार्यवाही की अद्यतन स्थिति / सूचना पोर्टल पर अविलम्ब दर्ज कर दी जाय।

(2) किसी भी दशा में ऑफ लाइन प्रोसेसिंग न की जाय।

(3) यह भी स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का सीधा उत्तरदायित्व निर्धारित कर, उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

5– कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। पत्र के साथ "निवेश मित्र" पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्न है।

भवदीय,
(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि: प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0।

पत्रांक–458/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए, दिनांक–14–05–2019, विवरण–औद्योगिक संयोजनों हेतु विकसित निवेश मित्र पोर्टल (उ0प्र0) के पभावी क्रयान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

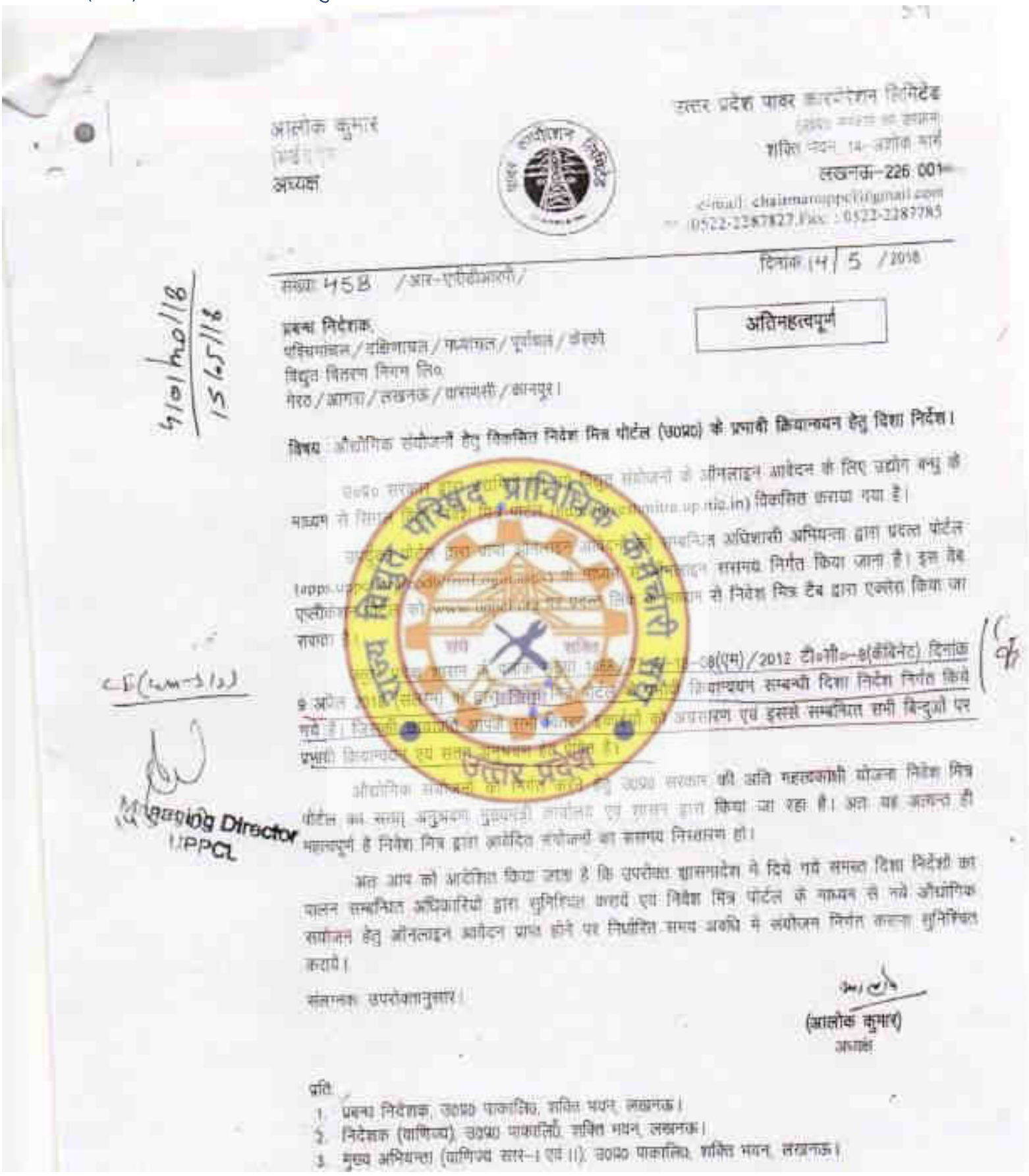

आलोक कुमार
[illegible]
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
[illegible]
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001
e-mail: chairmanuppcl@gmail.com
0522-2287827, Fax: 0522-2287785

संख्या 458 /आर–एपीडीआरपी/ दिनांक 14/5/2018

अतिमहत्वपूर्ण

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी / कानपुर।

विषय: औद्योगिक संयोजनों हेतु विकसित निवेश मित्र पोर्टल (उ0प्र0) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

उ0प्र0 सरकार [illegible] संयोजनों के ऑनलाइन आवेदन के लिए उद्योग बन्धु के माध्यम से [illegible] nivesh mitra.up.nic.in) विकसित कराया गया है।

[illegible] सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदत्त पोर्टल [illegible] ससमय निर्गत किया जाता है। इस वेब (appp.u [illegible]) [illegible] से निवेश मित्र टैब द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। [illegible] www. [illegible]

[illegible] शासन के [illegible] 08(एम)/2012 टी0सी0–8(कैबिनेट) दिनांक 9 अप्रैल [illegible] क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। [illegible] अनुसरण एवं इससे सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत [illegible]।

औद्योगिक [illegible] उ0प्र0 सरकार की अति महत्वकांक्षी योजना निवेश मित्र पोर्टल का सतत् अनुश्रवण मुख्यमंत्री कार्यालय एवं शासन द्वारा किया जा रहा है। अतः यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है निवेश मित्र द्वारा आवेदित संयोजनों का ससमय निस्तारण हो।

अतः आप को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायें एवं निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से नये औद्योगिक संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय अवधि में संयोजन निर्गत कराना सुनिश्चित करायें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रति:
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य स्तर–I एवं II), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

Managing Director
UPPCL

पत्रांक–1488 / 77–6–18–08 (एम) / 2012 टी.सी.8(कैबिनेट), दिनांक–, विवरण–सिंगल विंडो पोर्टल को प्रवेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश / मार्गदर्शी सिद्धांत।

संख्या-1488/77-6-18-08(एम)/2012टी.सी.8(कैबिनेट)

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र. ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र. ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ:दिनांक 09 अप्रैल, 2018

विषय :सिंगल विण्डो पोर्टल को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शी सिद्धांत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्गत "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017" के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के सरलीकरण, सर्वोत्तम समयबद्ध मानदण्डों के अनुरूप स्वीकृति/सुविधा सेवाएं समयान्तर्गत सुनिश्चित कराते हुए निवेशपरक वातावरण बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इस हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी औद्योगिक सेवाओं/ स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेन्स एवं अनापत्तियों तथा एक स्रोत से प्रदान करने के आशय से प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बन्धु से एकीकृत ऑनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र विकसित किया गया है।

2. इस नवनिर्मित वेब पोर्टल के अन्तर्गत सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप के माध्यम से विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन आवेदन करने तथा सम्बन्धित विभागों से समन्वय का कार्य संपादित करने एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु उद्योग बन्धु को प्राधिकृत संस्था नामित किया जाता है।
3. यह वेब पोर्टल तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

4- **पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है-**

(4.1) औद्योगिक इकाइयों को ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल- निवेश मित्र व्यवस्थान्तर्गत "सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र (Common Application Form)" व्यवस्था का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जिसके

-2-

अन्तर्गत उद्यमियों को आवेदन प्रपत्रों में अंकित कॉमन फील्ड केवल एक बार ही भरनी होगी जो की यथावश्यकता संबंधित आवेदन प्रपत्रों में स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी।

(4.2) सर्वप्रथम पोर्टल पर उद्यमी द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा, पंजीकरण करते ही उद्यमी की पंजीकृत ई. मेल पर उसका यूजर आई.डी. व पासवर्ड तथा एक एकाउन्ट वेरीफिकेशन लिंक उपलब्ध होगा। उक्त लिंक पर क्लिक करने पर पंजीकृत मोबाइल नं. पर ओ.टी.पी. प्रदर्शित होगा, जिसको पोर्टल पर अंकित करने के पश्चात् उद्यमी अपनी प्रोफाईल अपडेट करेगा, जिसके उपरान्त उसे अपने लॉगिन आई.डी. पर एक डैश-बोर्ड उपलब्ध हो जायेगा जिसमें उसे, उसके द्वारा किये गये आवेदन से संबन्धित समस्त कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

(4.3) औद्योगिक इकाईयों के लिए समस्त विभागीय अनुमतियों, अनापत्तियों, पंजीयन, लाइसेन्स आदि प्राप्त करने हेतु ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभाग अपने विभागीय पोर्टल पर औद्योगिक इकाईयों के आवेदन प्रपत्र सिंगल विण्डो पोर्टल-निवेश मित्र के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से बनायेंगे।

(4.4) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल में यह व्यवस्था होगी कि उद्यमी द्वारा सर्वनिष्ठ आवेदन प्रारूप भरने एवं प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात उद्योग की प्रकृति एवं श्रेणीनुसार संबन्धित विभागों से प्राप्त होने वाली अनुमतियां, अनापत्तियां, पंजीयन आदि के आवेदन प्रारूप का विवरण उद्यमी को अपने लॉगिन आई.डी. पर दिखाई देगा, जिससे उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुसार चिन्हित कर पृथक-पृथक आवेदन पत्रों का अवलोकन एवं आवेदन कर सकेंगे।

(4.5) आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के पश्चात वे सूचनाएं जो उद्यमी द्वारा सर्वनिष्ठ आवेदन प्रपत्र में भरी गयी थीं, वह स्वतः उन आवेदन-पत्रों में भरी हुई होंगी, उन्हें बार-बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(4.6) उद्यमी को सम्बन्धित आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को अपलोड किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

(4.7) उद्यमी को फार्म भरने में आने वाली व अन्य कठिनाइयों के सम्यक निवारण हेतु उद्योग बन्धु की हेल्प लाइन सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी जिसके लिये न्यूनतम दो कार्मिकों को उद्योग बन्धु में सहायक के रूप में नियोजित किया जायेगा एवं संरचना कॉल सेन्टर के सादृश्य होगी।

5- ऑन लाइन भुगतान की प्रक्रिया

(5.1) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल व्यवस्थान्तर्गत आवेदन करने के साथ विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के ऑन लाइन भुगतान यथा-इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किये जाने हेतु 'पेमेन्ट गेट-वे' सुविधा अनुमन्य करते हुये, सार्वजनिक क्षेत्र एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित शैड्यूल्ड बैंकों से भुगतान प्राप्त करने/भुगतान करने के लिये उद्योग बन्धु अधिकृत होंगे।

(5.2) ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल में यह व्यवस्था होगी कि वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि हेतु विभागवार निर्धारित शुल्क के साथ-साथ समेकित शुल्क का विवरण उद्यमी को दृष्टव्य हो ताकि उद्यमी द्वारा उसका भुगतान एक मुश्त अथवा प्रपत्र-वार ऑनलाइन किया जा सके, जोकि

आर.बी.आई. की गाइडलाइन्स के अनुरूप स्वतः ही उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते में क्रेडिट हो जायेगी।

(5.3) उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते में क्रेडिट हुई उक्त समेकित धनराशि में से राज्य सरकार के संबन्धित विभागों के लेखा शीर्ष में समतुल्य धनराशि कोषागार में अथवा राज्य सरकार के अधीन निगम, बोर्ड, प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट बैंक खातों में, उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते को संचालित कर रहे बैंकों द्वारा हस्तांतरित की जावेगी। उक्त समेकित शुल्क/धनराशि का विभागवार विवरण भी ज्ञात किया जा सकेगा।

(5.4) उक्त की सूचना समस्त विभागों को स्वतः ऑन-लाइन सम्प्रेषित हो जायेगी तथा संबंधित विभागों द्वारा उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते में प्राप्त धनराशि को संबंधित कार्य हेतु प्राप्त मानते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(5.5) सिंगल विण्डो सिस्टम में उद्यमियों द्वारा ऑन-लाइन भुगतान करने हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:-

(5.5.1) पेमेन्ट गेटवे सुविधा (Payment Gateway facility)- इसके अन्तर्गत उद्यमी वीजा/मास्टर डेबिट/ क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग कर भुगतान कर सकता है।

(5.5.2) नेट बैंकिंग (Net Banking)-सुविधा के अन्तर्गत उद्यमी सार्वजनिक क्षेत्र एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिसूचित शेड्यूल्ड बैंक (लगभग 40 मान्यबैंकों) के माध्यम से भुगतान कर सकता है।

(5.6) उद्यमी द्वारा जमा कराई गई फीस की धनराशि के सम्बन्धित विभाग के खाते में हस्तान्तरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत बैंकों को पोर्टल के माध्यम से प्रेषित एक ई-मेल स्वतः उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें पूर्ण विवरण में उद्यमियों से प्राप्त शुल्क की एम.आई.एस. उपलब्ध होगी।

(5.7) संबंधित बैंकों द्वारा इस ऑनलाइन प्राप्त शुल्क की निम्न व्यवस्था अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा:-

(5.7.1) सम्बन्धित उन विभागों जिनके खाते बैंक में है उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा।

(5.7.2) सम्बंधित उन विभागों जिनके कोषागार खाते हैं, उनके कोषागार (E-Rajkosh) में ट्रेजरी चालान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा जनरेट कर E-Net/Net Banking के माध्यम से संबंधित विभागों के कोषागार स्थित खातों में धनराशि हस्तांतरित किया जायेगा।

(5.8) बैंको द्वारा Transfer प्रक्रिया के दौरान किये गये प्रत्येक Transaction का एक पृथक Unique Transaction Reference (UTR) Number स्वतः generateहोगा जो कि Enterprenur Id, Service Id and Unit Ids से मैप होगा। बैंको द्वारा स्वतः generated UTR No.के माध्यम से बनाई गई एम.आई.एस. पोर्टल पर स्वतः अपलोड होगा, जिसका उपयोग सम्बन्धित विभाग द्वारा उद्यमी से आवेदन पत्र के सापेक्ष प्राप्त शुल्क की धनराशि के reconciliation हेतु किया जा सकेगा। इसी UTR No.के माध्यम से बनाई गई एम.आई.एस. का उपयोग उद्यमी भी उसके द्वारा भुगतान की गई फीस की धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के reconciliation हेतु कर सकेगा।

(5.9) पूल खाते के Reconciliation हेतु एक बैठक उद्योग बन्धु स्तर पर प्रत्येक माह आहूत की जायेगी, जिसमें उद्योग बन्धु, सम्बन्धित विभागों, एन.आई.सी. लखनऊ एवं सम्बन्धित बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग कर Reconciliation का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(5.10) यदि किसी परिस्थिति में किसी कारणवश उद्यमी द्वारा किया गया भुगतान गलत हो जाता है अथवा एक से ज्यादा बार भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस सम्बन्धित विभाग को गलत भुगतान अथवा एक से ज्यादा बार भुगतान प्राप्त हो गया है, उस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह ऐसे प्रकरण में प्राप्त भुगतान की धनराशि उद्यमी को सीधे वापस करें, एवं उसका विवरण उद्योग बन्धु को भी उपलब्ध करायें।

6. ऑन लाइन अनुमोदन की प्रक्रिया

6.1. उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से स्वीकृतियों को प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र Submit करते ही आवेदन फार्म स्वतः ही विभाग के पोर्टल के माध्यम से जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के एकाउन्ट में प्रदर्शित हो जायेगा एवं नोडल अधिकारी को इसकी सूचना ई-मेल व एस.एम.एस. के माध्यम से भी प्राप्त हो जायेगी।

6.2. उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल में आवेदन के सापेक्ष फीस हेतु धनराशि जैसे ही उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पोर्टल में जमा करायी जाती है तथा भुगतान सफलता पूर्वक पूल में जमा होना प्रदर्शित हो जाता है, विभाग द्वारा भौतिक रूप से उनके खाते में फीस हस्तान्तरित होने की प्रतीक्षा किए बिना ही ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

6.3. विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने यूजर आई.डी. पासवर्ड को प्रयोग करते हुए फार्म को पूर्ण रूप से चेक किया जायेगा। फार्म चेक करने के उपरान्त यदि किसी बिन्दु पर कमीयां पाई जाती है तो उन कमियों को उद्यमी को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर अधिकतम 01 (एक) बार रिव्यू हेतु भेजा जायेगा। विभाग के नोडल अधिकारी रिव्यू के साथ अपनी टिप्पणी भी भेज सकता है। इसकी जानकारी उद्यमी को ई-मेल व एस.एम.एस. के माध्यम से स्वतः उपलब्ध हो जायेगी, साथ ही उद्यमी की उसके लॉगिन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी यह सूचना प्रदर्शित होगी।

6.4. उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म में मांगे बिन्दुओं पर सही एवं पूर्ण सूचना भरकर फार्म को 07 दिन के अन्दर पुनः submit करना होगा। यदि उद्यमी 07 दिन के अन्दर फार्म में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो विभाग के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वविवेक छूट होगी।

6.5. यदि पोर्टल पर आवेदन पत्र प्राप्त होने के 07 कार्य दिवस के भीतर विभाग द्वारा उद्यमी को रिव्यू हेतु फार्म नहीं भेजा जाता है तो यह स्वतः माना जायेगा कि उद्यमी द्वारा भरे गये आवेदन प्रपत्र में कोई कमी नहीं पाई गयी है।

6.6. विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी की गई अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स की प्रति ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल पर विभाग के राज्य/जिला स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा उद्यमी के द्वारा भरे गये फार्म के नीचे दिये गये approve बटन पर क्लिक करने के उपरान्त Digitally Singed NOC स्वतः निर्गत

हो जाएगी। जिन विभागों में यह व्यवस्था वर्तमान में नहीं है वे शीर्ष प्राथमिकता पर इस व्यवस्था को पूर्ण करेंगे और जब तक यह व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित नही की जाती है तब तक NOC की स्कैन कापी अपलोड की जाएगी, जो कि स्वतः ही उद्यमी के द्वारा भरे गये फार्म के सापेक्ष अपलोड होगी। अनुमोदन के उपरान्त उद्यमी को उसके पंजीकृत ई-मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। साथ ही इसकी अद्यतन सूचना उद्यमी को उसके लॉगिन आई.डी. में स्थित डैश बोर्ड पर भी प्रदर्शित होगी।

7. एन.आई.सी. लखनऊ के कार्य/कार्यक्षेत्र-

7.1. एन.आई.सी लखनऊ द्वारा पोर्टल को विकसित कर उसका परिनियोजन एन.आई.सी डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाएगा।

7.2. विकसित सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन का कार्य उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर संपादित कराया जाएगा।

7.3 उनके द्वारा समस्त संबंधित विभागों एवं उद्योग बन्धु से नामित अधिकारियों को पोर्टल से संबंधित क्रिया कलापों की जानकारी एवं सम्पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी।

7.4. उनके द्वारा उद्योग बन्धु को पोर्टल से संबंधित सम्पूर्ण क्रिया कलापों का स्वामित्व प्रदान किया जाएगा।

7.5. उद्यमियों को पोर्टल के सॉफ्टवेयर सम्बन्धित समस्याओं के निदान, पूल खाते में जमा करायी गयी फीस के Reconciliation में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं पोर्टल में सम्मिलित विभागों, बैंको एवं उद्योग बन्धु को आने वाली तकनीकी कठिनाइयों के निराकरण हेतु एक्टिव बैक-एण्ड सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

7.6. उनके द्वारा निकट भविष्य में पोर्टल को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की दिशा में नवीन तकनीकियों का समावेश करते हुए पोर्टल का वर्जन [illegible] भी विकसित किया जाएगा।

7.7. नये विभागों/उपक्रम को भी उद्योग बन्धु और नये विभाग के अनुरोध पर पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

8. बैंकों की भूमिका एवं दायित्व

8.1. बैंको को, उद्यमी द्वारा जमा कराई गई फीस विषयक विवरण, पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन ई-मेल द्वारा स्वतः उपलब्ध होगा। इस ई-मेल में इंगित प्राप्त शुल्क के अनुसार धनराशि को संबंधित बैंको द्वारा निम्न व्यवस्था अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा :-

8.1.1. सम्बन्धित उन विभागों जिनके खाते बैंक में हैं, उनके बैंक खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से हस्तांतरण किया जाएगा

8.1.2. सम्बंधित उन विभागों जिनके कोषागार खाते हैं, उनके कोषागार (E-Rajkosh) में ट्रेजरी चालान जनरेट कर संबंधित बैंक द्वाराE-Net/Net Banking के माध्यम से Transfer कराया जायेगा।

45

-6-

8.2. उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक का यह दायित्व होगा कि जिस तिथि को पोर्टल से उसे स्वतः जनित एम.आई.एस. प्राप्त होता है, वह उसी तिथि को उस एम.आई.एस. के आधार पर उन विभागों, जिनके खाते ट्रैजरी में हैं, के लिये एक एम.आई.एस. तैयार कर पूल एकाउन्ट में प्राप्त शुल्क भुगतान की धनराशि को हस्तांतरित कर दें।

8.3. उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि जिस तिथि को उसे एम.आई.एस. के साथ शुल्क भुगतान की धनराशि प्राप्त होती है, उसी तिथि को एम.आई.एस. के आधार पर सम्बन्धित विभागों के ट्रेजरी खाते में धनराशि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा सफल ट्रान्सेक्शन होने के बाद उसी तिथि को सम्बन्धित बैंक द्वारा उसका एम.आई.एस. बनाकर प्रेषित किया जायेगा। उद्योग बन्धु-निवेश मित्र के पूल खाते से सम्बन्धित बैंक द्वारा उसी तिथि को उक्त की सूचना रियल टाइम में पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

8.4. बैंको द्वारा यदि पेमेन्ट गेटवे में कोई शेड्यूल्ड मेन्टीनेन्स किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना उद्योग बन्धु को ससमय प्रदान की जायेगी।

8.5. बैंको द्वारा उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पूल खाते के Reconciliation हेतु उद्योग बन्धु स्तर पर प्रत्येक माह में होने वाली बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा तथा Reconciliation सम्बन्धित प्रकरणों का समयोचित समाधान किया जायेगा।

8.6. बैंको द्वारा उद्यमियों से प्राप्त धनराशि के हस्तांतरण विवरण सम्बन्धी एम.आई.एस. अनिवार्य रूप से ससमय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा इस सूचना की प्रतिलिपि ई-मेल के माध्यम से उद्योग बन्धु तथा एन.आई.सी. को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. **जिलाधिकारियों के दायित्व**

उनके द्वारा निम्नलिखित कार्य अपने पर्यवेक्षण में सम्पादित किये जायेंगे :

9.1. जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों में लम्बित प्राप्त आवेदन पत्रों का अनुश्रवण किया जाएगा। अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जिलाधिकारी को उद्योग बन्धु द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

9.2. जिलाधिकारी समस्त जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों की पोर्टल संबंधित समस्याओं के निराकरण में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे तथा भूमि आदि उपलब्ध कराने में यथावश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा इस दिशा में शासन से समन्वय करेंगे।

10. **विभागों की भूमिका**

प्रदेश में निवेश अनुकूल वातावरण सृजित करने की दिशा में उद्यमियों को व्यापार करने में सहजता प्रदान करने की दिशा में उद्योग स्थापना के पूर्व तथा बाद के सभी वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि केवल इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विभागों द्वारा निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:-

46

-7-

10.1. समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर सक्षम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

10.2. समस्त विभागों के सेवा प्रदायी पोर्टल को ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जा चुके हैं, तथापि यदि कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो विभागों द्वारा उसका समुचित समाधान करते हुये वांछित अनुमति, अनापत्ति, पंजीयन, लाइसेन्स इत्यादि केवल ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन प्राप्त एवं अनुमोदित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने वेब डेवलेपर्स एवं विभागीय तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से उद्योग बन्धु को आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

10.3. इस व्यवस्था के अन्तर्गत समय-समय पर आच्छादित विभागों अथवा नये विभागों की सेवाओं को बढ़ाने अथवा संशोधित करने के साथ उन विभागों की सम्मिलित सेवाओं की शर्तों एवं शुल्क में किये गये संशोधन के अनुसार व्यवस्था में तद्नुसार संशोधन स्वतः प्रभावी माने जाएंगे।

10.4. समस्त सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी भी दशा में उद्यमी से आवेदन पत्र तथा उससे सम्बन्धित शुल्क सीधे (मैनुअली) प्राप्त नहीं किये जायेंगे अपितु केवल ऑन लाईन सिंगल विण्डो पोर्टल व्यवस्था के माध्यम से ही प्राप्त किये जायेंगे।

10.5. यदि किसी उद्यमी को आवेदन करने में कोई कठिनाई आती है तो वह सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में स्थापित हेल्पडेस्क की सहायता से आवेदन कर सकता है। समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि हेल्प डेस्क में आने वाले उद्यमियों को पूर्ण सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाये।

10.6. समस्त सम्बन्धित विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उद्यमियों द्वारा उनको दिये गये आवेदन-पत्रों में विभाग को आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तिथि के 07 कार्यदिवस के अन्दर एक बार में ही समस्त प्रकार की पृच्छायें (Queries) ऑन लाईन ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि विभाग द्वारा आवेदन प्राप्ति के 07 कार्यदिवस के भीतर कोई पृच्छा नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि उद्यमी द्वारा किए गये आवेदन में कोई कमी नहीं है तथा वह हर प्रकार से पूर्ण है। यदि उद्यमी 07 कार्य दिवस के अन्दर आवेदन-पत्र में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को फार्म पर अग्रेतर कार्यवाही करने की स्वविवेक छूट होगी।

10.7. सभी सम्बंधित विभाग अपने विभागीय स्तर पर अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने की समय-सीमा एवं प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जनपद एवं राज्य स्तर पर अधिकारियों को Power Delegate करेंगे। यदि किसी प्रकरण में जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी अनुमति/अनापत्ति/लाइसेन्स जारी करने में असमर्थ है तो उनके द्वारा ऐसे प्रकरण निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय हेतु संदर्भित किए जाएंगे।

10.8. सभी सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही उद्यमी द्वारा ऑन लाइन सिंगल विण्डो पोर्टल के माध्यम से आवेदन के सापेक्ष फीस हेतु धनराशि उद्योग बन्धु-निवेश मित्र पूल खाते में जमा कराई जाती है तथा भुगतान सफलता पूर्वक पूल में जमा होना प्रदर्शित हो जाता है, विभाग द्वारा भौतिक रूप से उनके खाते में फीस हस्तान्तरित होने की प्रतिक्षा किए बिना ही तत्काल अनुमोदन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

10.9. विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सभी औद्योगिक सेवाओं हेतु पूर्व में निर्धारित की गई समय-सीमा पर पुनर्विचार करते हुए यथा-सम्भव समयावधि कम कराई जायेगी। जिन विभागों में डीम्ड एप्रूवल की व्यवस्था लागू है, उनके द्वारा जिन प्रकरणों में डीम्ड एप्रूवल प्रदान की गई है उसकी सूचना उद्योग बन्धु को ऑन लाइन उपलब्ध करवाई जायेगी।

10.10. इस व्यवस्था के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्गत करने हेतु संबन्धित विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि जैसा कि जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत यथा संशोधित अधिसूचना 27.11.2013 एवं 26.12.2014 में निहित उद्योगों की सेवाओं की समयावधि तथा संबन्धित विभागों के अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर जारी/संशोधित समयावधि के अनुसार समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

10.11. सभी सम्बंधित सेवाओं को विभागों द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उद्यमियों को औद्योगिक सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11.उद्योग बन्धु की भूमिका

11.1. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के संचालन,अनुश्रवण एवं निस्तारण के लिये उद्योग बन्धु प्राधिकृत संस्था होगी। पोर्टल से संबन्धित कोई भी जानकारी आवेदक उद्योग बन्धु द्वारा कार्यालय में संबंधित विभाग/विभागों को निर्गत किया जायेगा।

11.2. सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के प्रभावी संचालन एवं समस्याओं के सामयिक निस्तारण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाती है, जिसका स्वरूप निम्नवत् निर्धारित है:

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव - सदस्य

(अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास /ऊर्जा/गृह एवं अग्निशमन/ लोक निर्माण /स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन / राजस्व विभाग/ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/वन/पर्यावरण/ आबकारी /लोक सेवा प्रबन्धन/श्रम/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/आवास एवं शहरी नियोजन/नगर विकास विभाग)

- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु - सदस्य सचिव

11.3. प्रत्येक 15 दिवस पर सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण संयुक्त अधिशासी निदेशक/अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु द्वारा किया जाएगा।

11.4. प्रत्येक माह सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

11.5. प्रत्येक दो माह में एक बार सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

11.6. किसी ज्वलन्त प्रकरण के त्वरित समाधान हेतु बिना किसी पूर्व सूचना के आपात बैठक आहूत करने के लिये उद्योग बन्धु अधिकृत होगा,इस के लिये संबंधित विभागों को बैठक की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जाएगी।

12. इस शासनादेश में उल्लिखित उक्त व्यवस्था के साथ-साथ सभी सम्बन्धित विभागों की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था भी दिनांक 30 जून 2018 तक प्रभावी रहेगी। दिनांक 01 जुलाई 2018 से केवल इस शासनादेश में उल्लिखित प्राविधान ही प्रभावी होंगे। इस संबंध में समय समय पर निर्गत संगत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव

संख्या-1426/77-6-18-09(एम)/2017टी.सी.8(कैबिनेट) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ.प्र. शासन।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार यादव)
सचिव

प्री–पेड मीटर

पत्रांक–288 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–17–09–2019, विवरण–ग़ाजियाबाद तथा लखनऊ के अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों पर प्री–पेड मीटर के स्थापना का कार्य 31.12.2019 तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

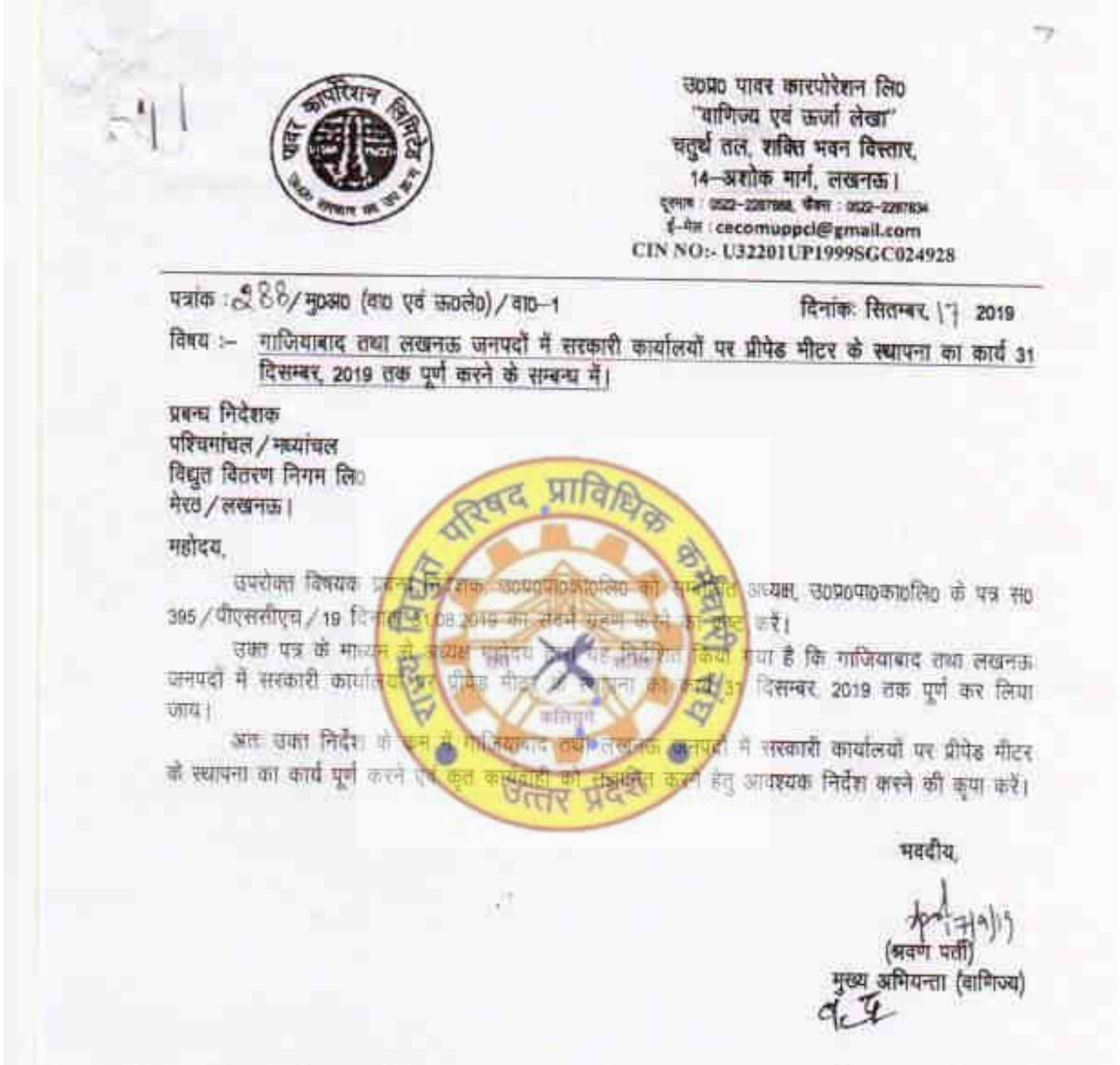

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287988, फैक्स : 0522-2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 288 / मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1 दिनांक: सितम्बर, 17 2019

विषय :- गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल / मध्यांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ / लखनऊ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 को सम्बोधित अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0 395 / पीएससीएच / 19 दिनांक [illegible].08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

अतः उक्त निर्देश के क्रम में गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य पूर्ण करने एवं कृत कार्यवाही को संसूचित करने हेतु आवश्यक निर्देश करने की कृपा करें।

भवदीय,

17/9/19
(श्रवण पती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक–395/पीएससीएच/19, दिनांक–31–08–2019, विवरण–मा0 ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कार्य योजना के उपरान्त लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या–395/पीएससीएच/19 दिनांक: 31 अगस्त, 2019

वाणिज्य–प्रभाग
डाक सं0 861
दिनांक 05/09/19

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक 28 अगस्त, 2019 को उदय सलाहकार द्वारा माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष प्रदेश के सभी विद्युत वितरण निगमों को वर्ष 2021–22 के अन्त तक लाभकारी स्थिति में लाने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी जिस पर चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

(1) उदय सलाहकार द्वारा प्रत्येक माह विद्युत वितरण निगमों के मुख्यालय में जाकर प्रगति की समीक्षा की जायेगी और उसके आधार पर अपनी आख्या से प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को तदनुसार स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

(2) उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित FPPCA (Fuel & Power Purchase Cost Adjustment) के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में कार्यवाही सुनिश्चित [illegible] ली जाय।

(3) वर्तमान में वितरण परिवर्तक [illegible] रेट को [illegible] प्रतिशत से कम कर अगले दो साल में [illegible] प्रतिशत तक लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्ययोजना बनाकर उसका अनुपालन किया जाय। इस हेतु विद्युत वितरण खण्डों में विभिन्न स्तरों पर तथा वितरण परिवर्तक सम्बन्धित कार्यशालाओं में उत्तरदायित्व निर्धारित [illegible] समेकित एम0आई0एस0 के आधार पर कार्यवाही की जाय। वितरण परिवर्तकों पर स्थापित मीटरों से एम0आर0आई0 अथवा मॉडम के माध्यम से डेटा प्राप्त कर परिवर्तकों के रख–रखाव के लिए आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

(4) अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के मीटरिंग का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(5) विशेषकर शहरी क्षेत्रों में (ए0पी0डी0आर0पी0 तथा आई0पी0डी0एस0) उपखण्ड अधिकारीवार प्रत्येक माह सघन समीक्षा की जाय जिसमें मानक के अनुसार बिलिंग इफीशियेन्सी, कलेक्शन इफीशियेन्सी तथा ए0बी0आर0 के अनुसार लक्ष्य तय कर उसके प्रगति की समीक्षा की जाय। अपेक्षित प्रगति न आने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

(6) प्रदेश में विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए दलों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जाय जिसके लिए नये स्वीकृत पदों में से 300 अवर अभियन्ताओं के पद चिन्हित कर लिये जायें। ऐसे गठित प्रत्येक दल के कार्यों की पूर्व से निर्धारित बैंचमार्क के सापेक्ष समीक्षा की जाय।

Seen
CE (Com-2)
Comm-1
SE R-II/SEC-1
EE-C-1

(2)

(7) बड़ी विद्युत चोरी के मामलों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के भूमिका की जाँच कर उत्तरदायित्व निर्धारित की जाय।

(8) अधिक हानि वाले अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पावरलूम बुनकरों के क्षेत्रों में भी विद्युत चोरी तथा लोड इत्यादि की सघन जाँच कराई जाय।

(9) गाजियाबाद तथा लखनऊ जनपदों में सरकारी ~~कार्य स्थलों~~ कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर के स्थापना का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

(10) स्थानान्तरणों को मेरिट के आधार पर विकल्प लेकर पारदर्शी तरीके से करने के लिए KPIs को चिन्हित कर 15 सितम्बर, 2019 तक निर्देश निर्गत करा दिये जायें।

(11) फील्ड अधिकारियों के ई०टी०आई० में इनसर्विस प्रशिक्षण के साथ-साथ कामर्शियल तथा आई०टी० से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जनपदवार कार्यशालाओं का कार्यक्रम बनाकर एक माह में संपन्न करा ली जाय।

(12) रिव्यूअबल [illegible] को इस प्रकार लागू किया जाय जिससे [illegible] क्षेत्रों में लाइन हानियों में कमी लायी जा सके।

(13) प्रत्येक [illegible] विद्युत वितरण निगम [illegible] से कम एक डेडीकेटेड विशेष न्यायालय की स्थापना [illegible] विद्युत चोरी से संबंधित मुकदमों का [illegible]।

(14) ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] को इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक विद्युत वितरण [illegible] में कम से कम 80 प्रतिशत तक प्राप्त किया जाय।

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निदेशक, (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

→ (2) निदेशक, (वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।।

(3) निदेशक (का०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक–216 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–10–07–2017, विवरण–प्री–पेड मीटर सरकारी कार्यालयों, कॉलोनियों एवं मोबाईल टॉवरों के विद्युत संयोजनों पर प्री–पेड मीटरों के सीापना के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287868, फैक्स : 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-216 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/प्री–पेड मीटरिंग दिनांक/जुलाई 10 2017

विषय– सरकारी कार्यालयों, कालोनियों एवं मोबाईल टावरों के विद्युत संयोजनों पर प्री–पेड मीटरों के स्थापना के सम्बन्ध में।

ई–मेल/ स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें [illegible] समस्त सरकारी कार्यालयों, सरकारी [illegible] या मोबाईल टावरों पर प्री–पेड मीटर स्थापित [illegible] का अनुरोध किया गया था।

1. 501 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0– [illegible]
2. 186 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0– [illegible] 2016
3. 407 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0– दिनांक 27.10.2016

इस कार्यालय के [illegible] क्रमशः 186 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1 दिनांक 25.07.2016 एवं 407 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1 दिनांक 27.10.2016 के साथ [illegible] उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश क्रमशः दिनांक 15.07.2016 एवं 20.10.2016 को भी [illegible] करने का कष्ट करें जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को सरकारी कार्यालयों/कालोनियों एवं मोबाईल टावरों पर प्री–पेड मीटर स्थापित किये जाने का आदेश है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि [illegible] मा0 आयोग के उक्त आदेशों का अनुपालन आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर मा0 आयोग द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अनु[illegible] के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में सूचना संलग्न प्रारूप में अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

पत्रांक-216 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/प्री–पेड मीटरिंग/तद्दिनांक : 10-7-17

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर संज्ञानार्थ।
2. (ई–मेल) निदेशक (वाणिज्य), पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/ लखनऊ/आगरा एवं केस्को–कानपुर।
3. (ई–मेल) निदेशक (तकनीकी), पश्चिमांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/वाराणसी/ लखनऊ/आगरा एवं केस्को–कानपुर।

संलग्नक : यथोपरि।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

पत्रांक–579/आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए , दिनांक–15–05–2019, विवरण– विलेज फीडर मैपिंग पोर्टल पर गाँव तथा फीडर की मैपिंग करवाने हेतु

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन : 0522–2287801

संख्या 579 /आर–एपीडीआरपी पार्ट–ए/ दिनांक 15 / 05 /2019

निदेशक (वाणिज्य),
मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/
पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वान्चल– वाराणसी।

विषय प्रोजेक्ट सारथी के अन्तर्गत निर्मित **'विलेज फीडर मैपिंग पोर्टल'** पर गाँव तथा फीडर की मैपिंग करवाने हेतु।

अवगत कराना है कि प्रोजेक्ट सारथी के अन्तर्गत विलेज फीडर मैपिंग पोर्टल निर्मित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त वितरण खण्डों द्वारा जिला तथा गाँव की [illegible] तथा फीडर से मैपिंग की जानी है, जो कि विभाग हेतु अति महत्वपूर्ण कार्य है।

पोर्टल हेतु यू०आर०एल० निम्नवत् है-
http://projectsarthi.com/VFM/login.aspx

प्रत्येक वितरण खण्ड को यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड secapdrpparta@gmail.com ई–मेल द्वारा दिनांक 13.05.2019 को आपकी ई–मेल आई०डी० पर प्रेषित की जा चुकी है। पोर्टल हेतु SOP पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया सभी वितरण खण्डों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर फीडर की मैपिंग करने हेतु तथा सम्बन्धित को यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड प्रसारित करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें।

संलग्नक: SOP.

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

प्रति:–
1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वान्चल– वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, आई०टी०, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, एनर्जी ऑडिट सेल, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. इंचार्ज एम०बी०सी० सेल, उ0प्र0 पाकालि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, आर–एपीडीआरपी एवं नॉन–आरएपीडीआरपी मध्यांचल–लखनऊ/दक्षिणांचल –आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/पूर्वान्चल– वाराणसी।
7. REC Power Distribution Company Ltd, 4th Floor, Kribhco Bhawan, A10, Sector -1, Noida (U.P) - 201301.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

REC POWER DISTRIBUTION

UPPCL PROJECT-SARTHI

TATA POWER-DDL

Village Feeder Mapping Portal

User Manual

Objective

The objective of this portal is to tag villages (residing in the respective DISCOMs) against the feeders. As UPPCLs organisational hierarchy is available from DISCOM till feeder via divisions hence division wise authorisations are provided. This will enable user in respective division to only select the district against his/her division and start tagging village (against the selected district) against their respective feeders.

Steps for accessing portal:

Step 1: Access the portal through the below URL:

http://projectsarthi.com/VFM/login.php

Step 2: Once following login screen appears kindly login through division credentials (or credentials as provided).

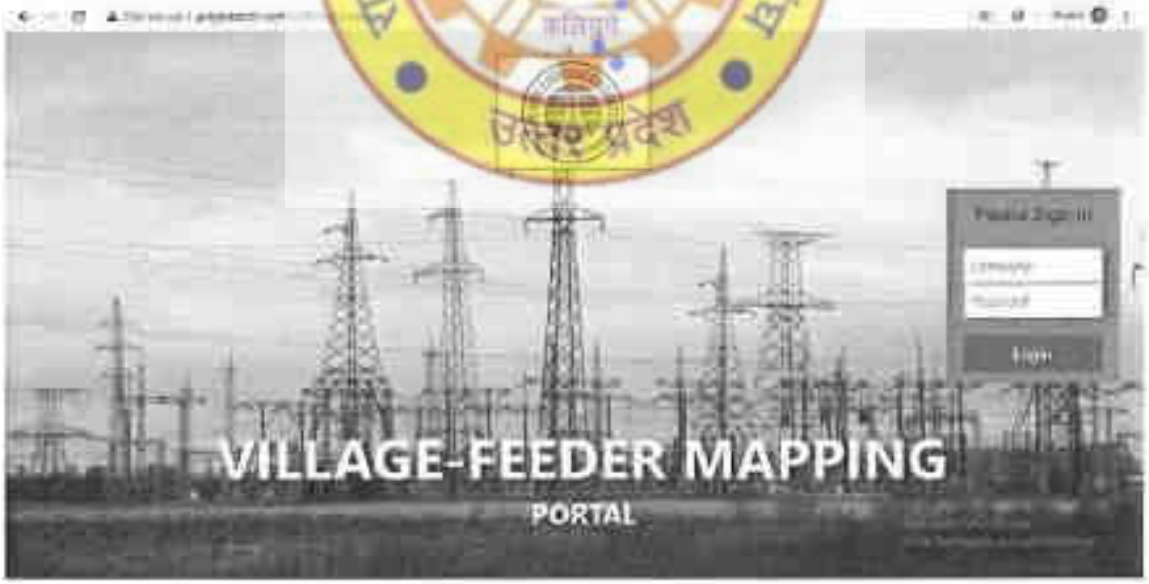

REC POWER DISTRIBUTION

UPPCL PROJECT-SARTHI

TATA POWER-DDL

Step 3: After login following screen appears. Kindly browse through the available list of districts in the DISCOM and select the district against the respective division. After selecting district press "Continue" button.

Step 4: After pressing "Continue" button as suggested in step 3 following screen appears. Kindly select village from the list of pending villages required to be tagged against the feeder. User can select up to 10 entries at a time. Subsequently "Save to Database" button needs to be pressed for saving the entries. The count of villages pending, completed against the total available are also displayed simultaneously.

REC POWER DISTRIBUTION

UPPCL PROJECT-SARTHI

TATA POWER-DDL

Step 5: In case selected district needs to be edited kindly press "Enable Dropdown Links" button and re-select the district.

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

सब–स्टेशन डैशबोर्ड द्वारा अनुश्रवण

पत्रांक–257/स्टाफ०ऑफि०/स०अ०/पाकालि/2019, दिनांक–01–05–2019, विवरण– सब–स्टेशन डैशबोर्ड द्वारा अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 257/एस0इ0ए0सी0/पाकालि/2019 दिनांक : 21 मई, 2019

निदेशक (वाणिज्य),
विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल—आगरा/मध्यांचल—लखनऊ/
पश्चिमांचल—मेरठ/पूर्वांचल—वाराणसी/केस्को—कानपुर।

विषय— सब—स्टेशन डैशबोर्ड द्वारा अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि मेसर्स आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा विगत में एक सब—स्टेशन डैशबोर्ड Develop किया गया है। जिसके द्वारा प्रत्येक उपकेन्द्र का पूर्ण विवरण, सभी वाणिज्यिक पैरामीटर्स सहित, परिलक्षित हो जाता है। साथ ही साथ बकायेदारों के सम्बन्ध में अवधिवार आंकड़े भी उपलब्ध हो जाते हैं।

माननीय मंत्रीजी द्वारा भी यह अपेक्षा की गई है कि उपकेन्द्र पर सभी तरह के प्रकरणों की सूची यथा IDF, अनमीटर्ड, रीडिंग आधारित बिल, नये संयोजन के लम्बित मामले, प्रथम बिल के लम्बित मामले, कन्ज्यूमर का टर्नअप एवं राजस्व वसूली के आंकड़ें उपलब्ध रहें। उपरोक्त सभी वांछित आंकड़े डैशबोर्ड के माध्यम से Single Click से ही उपलब्ध है। यह सभी आंकड़ें सम्बन्धित खण्ड के बिलिंग [illegible] से [illegible] प्राप्त हो कर डैशबोर्ड पर दर्शित होते है। आप सहमत होंगे कि यदि बिलिंग मास्टर में कन्ज्यूमर को 11 के0वी0 फीडर एवं उसके 33 के0वी0 उपकेन्द्र से टैग नहीं किया गया होगा तो सब—स्टेशन डैशबोर्ड के डाटा में आंकड़े त्रुटिपूर्ण होंगे।

कृपया अपने अधीनस्थ फील्ड अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक उपकेन्द्र के आंकड़ों की जांच कर लें एवं उसका मिलान वास्तविक स्थिति से करा लें। जहां आवश्यक हो वहां आवश्यकतानुसार Front-end से ही टैगिंग संशोधित करा लें एवं यदि संशोधन की आवश्यकता वृहद स्तर पर है तब उसके लिये Back-end से टैगिंग कराना सुनिश्चित करें।

नॉन—आर0ए0पी0डी0आर0पी0 क्षेत्र में जहां [illegible] की बिलिंग है, वहां के लिए आवश्यक है कि, पहले बिलिंग सिस्टम में 11 के0वी0 फीडर तक Hierarchy अपडेट करा लें जिसके लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र सं0 251/एस0इ0ए0सी0/पाकालि/2019 दिनांक 30.04.2019 द्वारा Template सहित पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

आगामी बैठकों में वाणिज्यिक आंकड़ों का अनुश्रवण उपकेन्द्रवार डैशबोर्ड के माध्यम से ही किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करा ली जाए।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

सं0 1375 मुख्य अभियन्ता (वा0—II)/20......
दिनांक 24-05-2019

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अध्यक्ष उ0प्र0पा0का0लि0।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल—आगरा/मध्यांचल—लखनऊ/पश्चिमांचल—मेरठ/पूर्वांचल—वाराणसी/केस्को—कानपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य—I/II), उ0प्र0पा0का0लि0।
5. अधीक्षण अभियन्ता, इनर्जी ऑडिट सेल, उ0प्र0पा0का0लि0।

C:\Users\energy audit\Downloads\Telegram Desktop\letter 01-05-2019.docx

33/11 KV Substation Dashboard

Vision- 33/11 KV Substation Dashboard is developed with a purpose to provide quick access to information of particular substation so as to facilitate the staff and management .

This dashboard is mirror of the billing master. This provides information of consumers on the basis of downloaded billing master and not on real time basis. This dashboard also helps you to visit other important portals or dashboard.

URL: *http://projectsarthi.com/uppclrole/Substation_login.aspx*
User Name: uppcl
Password: uppcl@123

राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ

1. Login to Substation Dashboard using general credentials:-
   URL-http://www.projectsarthi.com/uppclrole/SubstationDetails.aspx
   Password-uppcl@123

2. New formats added

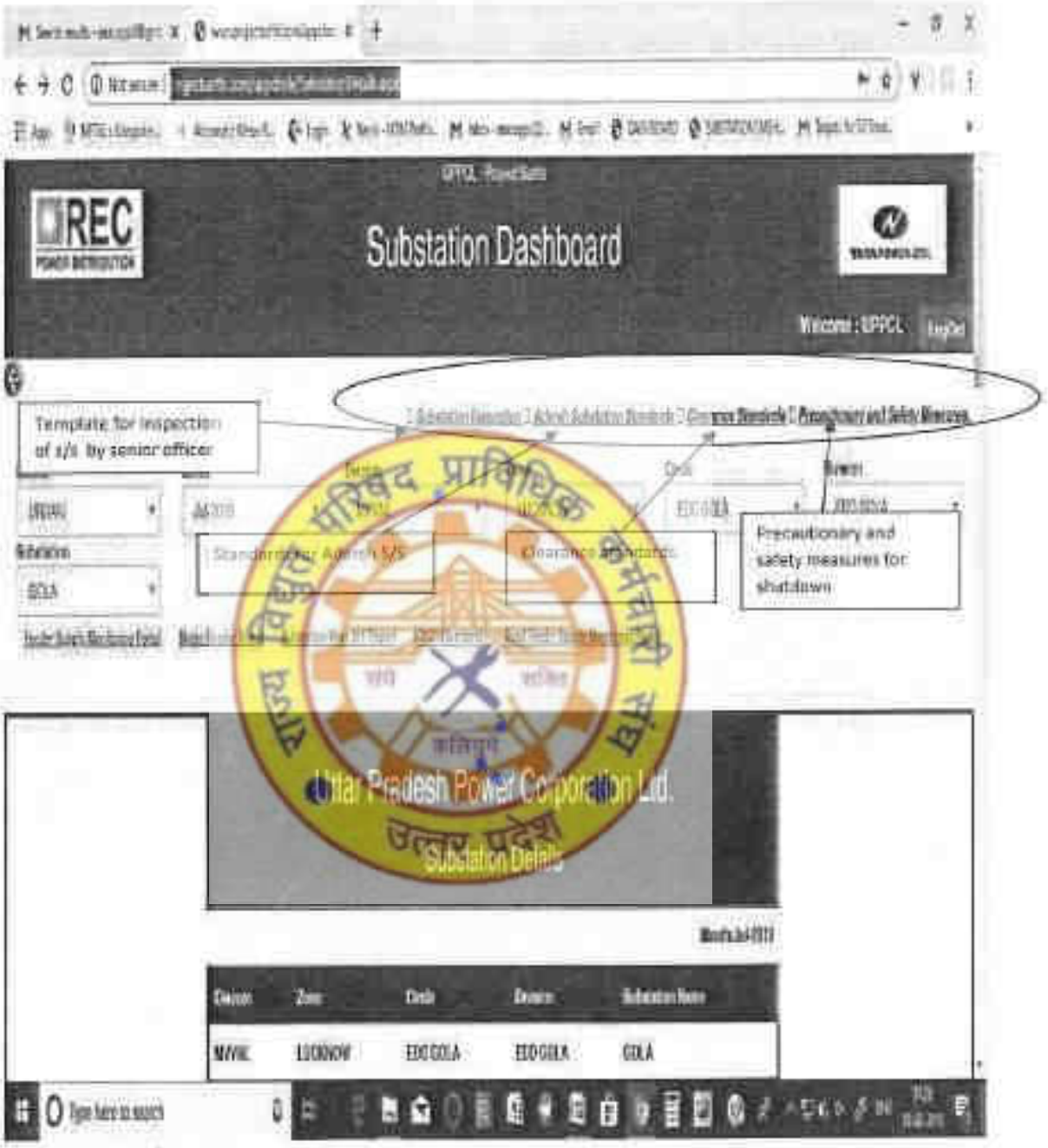

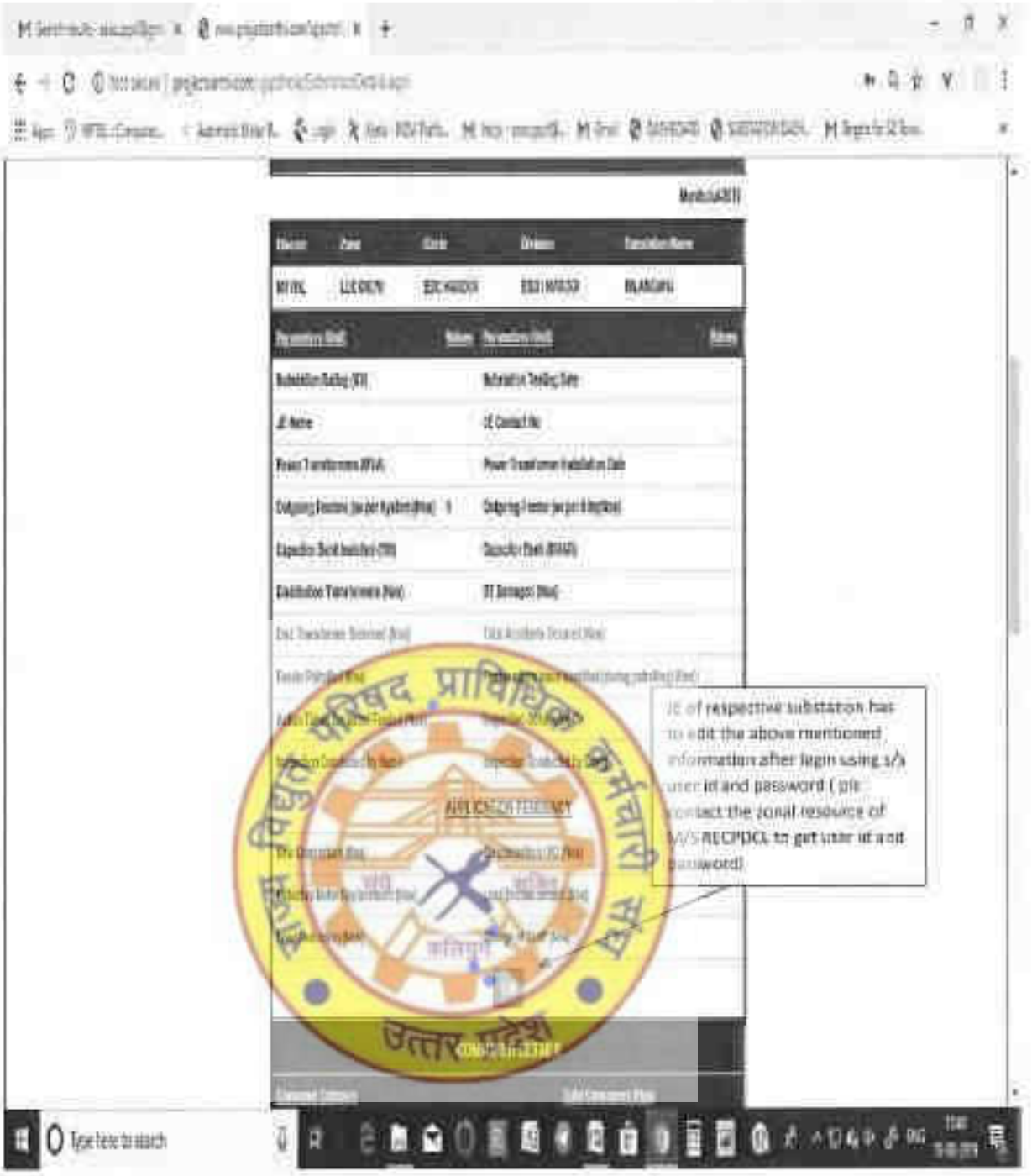
JE of respective substation has to edit the above mentioned information after login using s/s user id and password (pls contact the zonal resource of M/S RECPDCL to get user id and password)

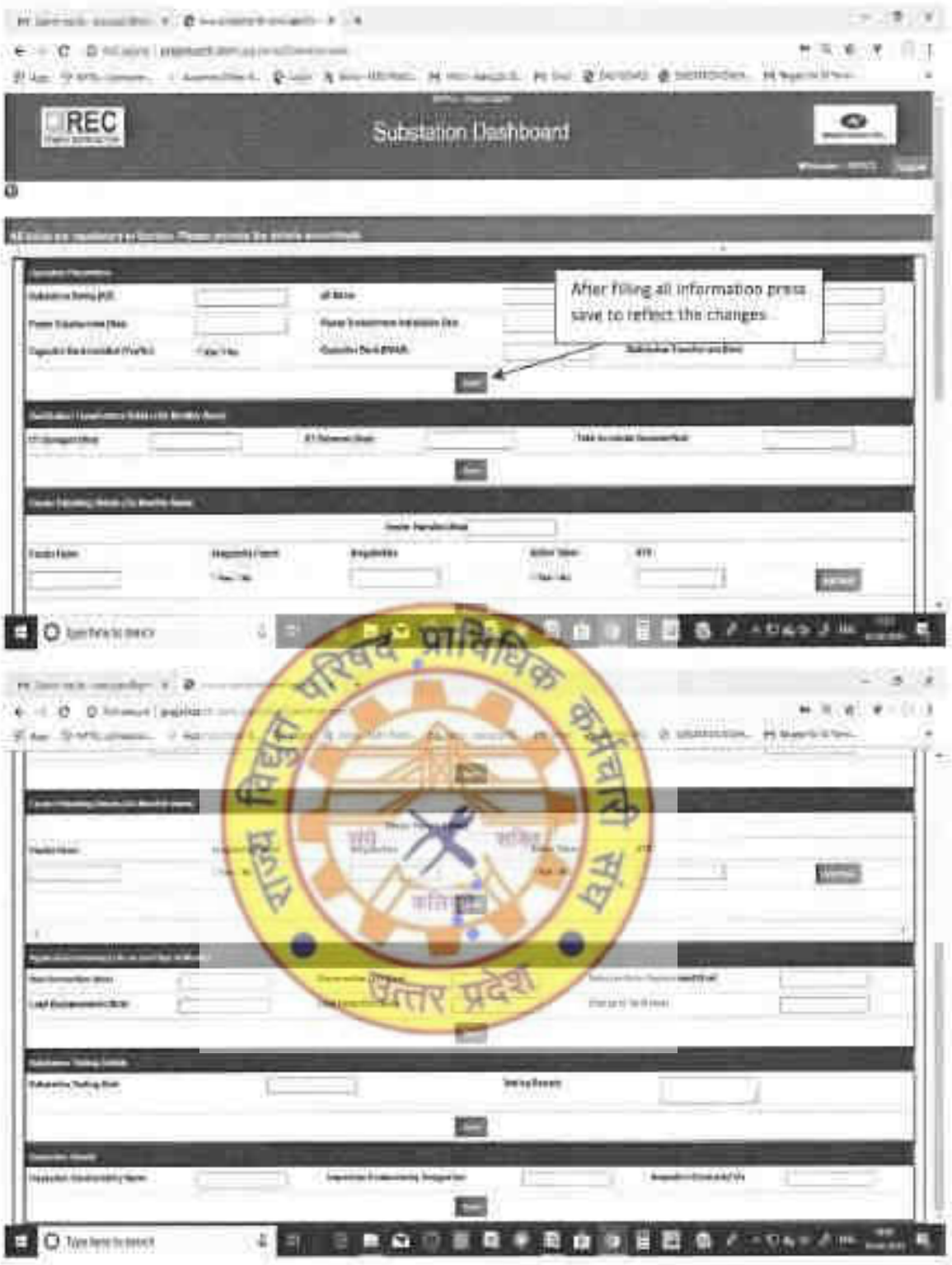
REC
Substation Dashboard
After filling all information press save to reflect the changes

Consumer Category	Total Consumers (Nos)
Domestic (LMV 1)	7333
Commercial (LMV 2,LMV 4B,HV 1)	199
Insdustrial(Heavy) (HV 2)	0
Industrial(Small and Medium)(LMV 6)	139
Private Tubewell (LMV 5)	178
Others	0
Total	7849

Mismatch in data may be because of incorrect tagging in billing master, please contact zonal resource deployed by M/s RECPDCL under PROJECT SARTHI

PARAMETERS (UNIT)	VALUES	PARAMETERS (UNIT)	VALUES
Sanctioned Load (MW)	6.82	Metered Billing (%)	83.42
Input Energy (MU)	2.05	Assessment (Lacs)	25.66
Billed Units (MU)	1.00	Realization (Lacs)	10.93
Billing Efficiency (%)	49.26	Collection Efficiency (%)	42.60
Line Loss (%)	50.74	AT&C Loss (%)	79.02
Billable Consumer (Nos)	5124	TurnUp Consumer (Nos)	305
Billed Consumer (Nos)	5091	TurnUp Ratio (%)	5.99
Billing (%)	99.36	Thr Rate (Rs/Unit)	0.54
Reading Based Billed (Nos)	4247	ABR (Rs/Unit)	2.57
IDF	234	Un-Metered	4110

Dashboard.docx

TenureWise_Arrear	OverallArrear NoOfDefaultes	OverallArrear ArrearAmount(Lacs)	ARREAR(>=10k) NoOfDefaultes	ARREAR(>=10k) ArrearAmount(Lacs)
Below 3 month	987	106.87	115	93.81
3-6 month	172	35.24	29	30.79
6-12 month	225	23.72	26	13.85
More than 12 month	5548	3807.27	4424	3682.4
Grand Total	6932	3973.1	4594	3820.85

Print & Preview

Available Links *(Click on the following Links and select suitable month for latest data)*

List of Defaulters (amount>=10K)

List of IDF cases

NC Pending Cases

First bill pending cases

These reports are available for the latest billing master i. e. of previous month

Dashboard.docx

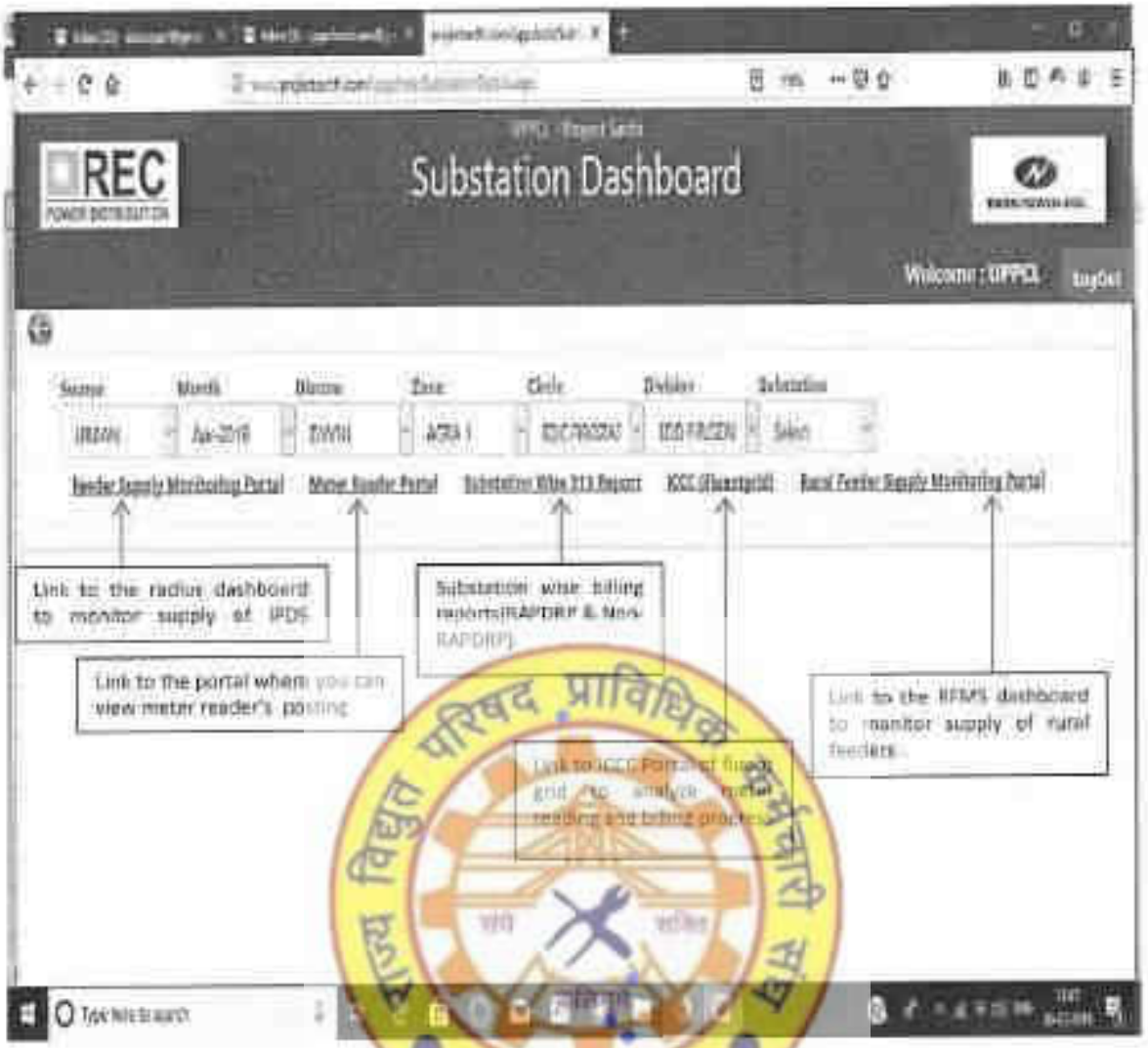

Other useful links

Dashboard.docx

पत्रांक–213/एस०इ०ए०सी०/पाकालि/18, दिनांक–30–03–2019, विवरण– बड़े उपभोक्ताओं के परिसर का सयुंक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

3691/MD/19
3-4-19

अपर्णा यू0
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग
लखनऊ – 226001
ई मेल–mduppcl12@gmail.com
☎ : 0522-2288377 (O)

संख्या : 213 /एस0ई0ए0सी0/पाकालि/2019 दिनांक : 30 मार्च, 2019

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/
मध्यांचल–लखनऊ/पूर्वांचल–वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक,
केस्को–कानपुर।

विषय :– बड़े उपभोक्ताओं के परिसर का संयुक्त निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि वर्तमान में 10 कि0वा0 एवं उससे अधिक भार के उपभोक्ताओं की मासिक रीडिंग उनके परिसर पर स्थापित मीटर की एम0आर0आई0 द्वारा की जा रही है। यह कार्य बाह्य एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। विगत में बड़े उपभोक्ताओं की मासिक रीडिंग उनके भार के अनुसार राजस्व के महत्व को देखते हुये परीक्षण खण्ड एवं वितरण के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक माह की जाती थी। ... में निम्नानुसार प्राविधानित भी है:–

क्र0सं0	उपभोक्ता का भार	मासिक रीडिंग लेने हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	500 के0वी0ए0 एवं उससे अधिक	अधिशासी अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) संयुक्त रूप से।
2.	100 के0वी0ए0 से 499 के0वी0ए0 तक	उपखण्ड अधिकारी (वितरण) एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) संयुक्त रूप से।
3.	51 के0वी0ए0 से 99 के0वी0ए0 तक	उपखण्ड अधिकारी (वितरण) स्वतंत्र रूप से।
4.	25 के0वी0ए0 से 49 के0वी0ए0 तक	सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वितरण) स्वतंत्र रूप से।
5.	शेष अन्य	मीटर रीडर द्वारा।

चूँकि वर्तमान में प्रत्येक माह एम0आर0आई0 द्वारा रीडिंग की जा रही है अतः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां यथा ट्रांसफार्मर की क्षमता का स्वीकृत भार के सापेक्ष अत्यधिक होना, 11 के0वी0 Breaker/TPMO का उचित रूप से स्थापित न होना एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के प्रयास हेतु की जा रही गतिविधियों का संज्ञान लेना सम्भव नहीं हो पाता है, जबकि उपभोक्ता के परिसर पर भौतिक निरीक्षण से अनेक प्रकार की विसंगतियां स्वमेव संज्ञान में आ जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका में वर्णित भार की श्रेणी के अनुसार सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण अवश्य किया जाये एवं निरीक्षण रिपोर्ट रिकार्ड में रखी जाये।

कृपया माह अप्रैल 2019 से क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Seen

Dir.(Com) C.E.(Com-2)

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

(निदेशक (वाणिज्य) उ0प्र0पा0का0लि0)

प्रतिलिपि : 30.3.19 4/4/19

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य–I/वाणिज्य–II), उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता एवं नोडल ऑफिसर, उ0प्र0 पाकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

1681/DC/PCL/19
4/4/19

सं0 1076 मुख्य अभियन्ता (वा0–II)/20....
दिनांक 06-04-2019

SE EA

एच०वी० ऑडिट सेल एवं रेड द्वारा १० कि०वा० से अधिक संयोजनों का सघन अनुश्रवण

पत्रांक–629/ स्टाफ०ऑफि०/स०अ०/पाकालि/2018, दिनांक–27–08–2018, विवरण– एच०वी० ऑडिट सेल एवं रेड सेल के दायित्वों एवं कर्तव्यों को विस्तारित कर 10 कि०वा० व अधिक संयोजनों का सघन अनुश्रवण

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

HV Audit cell

संख्या : 629 / स्टा0आफि0 / (स0आ0) / पाकालि / 2018 दिनांक 27 अगस्त, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / केस्को
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी / कानपुर
विद्युत वितरण निगम लि0।

विषय :– एच0वी0 ऑडिट एवं रेड सेल के दायित्वों एवं कर्तव्यों को विस्तारित कर 10 किवा व अधिक के संयोजनों के वाणिज्यिक पैरामीटर्स का सघन अनुश्रवण सम्मिलित किये जाने हेतु।

कारपोरेशन के पत्र सं0 489 / स्टा0आफि0 / (स0आ0) / पाकालि / 18 दिनांक 23.07.2018 एवं पत्र सं0 596 / स्टा0आफि0 / (स0आ0) / पाकालि / 18 दिनांक 08.08.2018 द्वारा समस्त डिस्काम को डिस्काम मुख्यालय स्तर पर एचवी ऑडिट एवं रेड सेल का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया था। पत्र में एचवी ऑडिट एवं रेड सेल के कर्तव्यों एवं दायित्वों का विवरण भी दिया गया था।

तत्क्रम में इस सेल के कर्तव्यों एवं दायित्वों में निम्नांकित अतिरिक्त कार्यों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एचवी ऑडिट एवं रेड सेल [illegible] 10 किलोवाट व अधिक के संयोजनों के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं का गहन अनुश्रवण किया जायेगा एवं विसंगति पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी :–

1. मीटर एक वर्ष [illegible] या अधिक बार बदला गया हो [illegible] मीटर एक या अधिक बार जला पाया गया हो अथवा मीटर [illegible] नहीं आ रहा हो अथवा मीटर एक [illegible] बार चोरी हो गया हो
2. दो या अधिक [illegible] से बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के स्थान पर निर्धारण यूनिटों के आधार पर बन रहा हो (मीटर खराब अथवा परिसर बन्द होने [illegible])।
3. ए0एम0आर0 [illegible] के बावजूद [illegible] अधिक माह [illegible] रीडिंग से बिल न बन रहा हो।
4. मीटर डाटा से [illegible] निकलता हो कि किसी माह [illegible] दिन से अधिक समय तक ऊर्जा खपत शून्य हो एवं यह पिछले 02 या अधिक माह से आ रहा हो।
5. पोस्ट पेड उपभोक्ता का किसी समय [illegible] औसत मासिक बिल के दो गुना से अधिक हो।
6. प्री–पेड उपभोक्ता ने दो माह से अधिक समय [illegible] रिचार्ज न कराया हो।
7. दो या अधिक बार उपभोक्ता का चेक अनादृत हुआ हो।
8. वर्ष में एक या अधिक बार उपभोक्ता पर प्रवर्तन / विद्युत चोरी की कार्यवाही की गयी हो।
9. उपभोक्ता की अधिकतम मांग 03 या अधिक माह में स्वीकृत भार के 03 गुने से ज्यादा दर्ज हुयी हो।
10. लगातार 02 या अधिक बिलिंग चक्र में मीटर रीडर द्वारा विद्युत चोरी की आशंका व्यक्त किये जाने पर।
11. वर्ष में 03 या अधिक बार उपभोक्ता का बिल संशोधन किया गया हो।
12. वर्ष में एक या अधिक बार उपभोक्ता का स्वीकृत भार कम किया गया हो।

(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा), उ0प्र0 पाकालि।
5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–2, उ0प्र0 पाकालि।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–ए) एवं इंचार्ज आई0टी0 सेल, उ0प्र0 पाकालि, को उपरोक्त सम्बन्धी वांछित रिपोर्टों की सिस्टम पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु।

डिस्कॉम स्तर पर एच०वी० ऑडिट सेल का गठन

पत्रांक–489 / स्टाफ०ऑफि० / स०अ० / पाकालि / 2018, दिनांक–23–07–2018, विवरण– डिस्कॉम स्तर पर केंद्रीयकृत एच०वी० ऑडिट सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन,
लखनऊ।

संख्या : 494 / स्टा०आफि० / (स०अ०) / पाकालि / 2018 दिनांक 23 जुलाई, 2018

प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम
पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल
मेरठ / लखनऊ / आगरा / वाराणसी
विद्युत वितरण निगम लि० एवं
केस्को–कानपुर।

विषय : डिस्काम स्तर पर केन्द्रीयकृत एच०वी० आडिट सेल गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त डिस्काम में एच०वी० उपभोक्ताओं को टैरिफ के आधार पर सही बि[illegible] निर्गत कर उपभोक्ता के संतुष्टीकरण को बढ़ाने हेतु एवं डिस्काम के राजस्व क्षय को रोकने के लिए केन्द्रीयकृत एच०वी आडिट सेल का गठन किये जाना का निर्णय लिया गया है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत् होंगे :–

1. समस्त 10कि०वा० एवं अधिक [illegible] आधारित सही बिल निर्गत करना, नया संयोज बिना मीटरिंग के निर्गत न [illegible] प्रथम बिल से [illegible] आई० आधारित बिल दिया जाना।।
2. इस सेल में 01 – अधीक्षण अभियन्ता, 01 – अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य कार्यों से भिज्ञ), 01 – लेखाधिकार (वाणिज्य कार्यों से भिज्ञ) एवं आवश्यकतानुसार डाटा आपरेटर की तैनाती की जाये।
3. डिस्काम में सेल की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर, [illegible] सहित, ऑनलाइन कनेक्टिविटी, फर्नीच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।
4. सेल द्वारा समस्त एचवी उपभोक्ताओं के [illegible] को क्रियाशील बनाये रखने का मासिक अनुश्रवण कि जायेगा एवं आवश्यकता [illegible] उपभोक्ता [illegible] कराकर बिल भी सृजित कराया जायेगा चरणबद्ध तरीके से समस्त एचवी उपभोक्ताओं की बिलिंग [illegible] ए०एम०आर० के माध्यम से सुनिश्चित क जायेगी।
5. इस सेल द्वारा 10कि०वा० एवं अधिक भार [illegible] उपभोक्ताओं की एक्सेपशन रिपोर्ट मेसर्स इन्वेन्टिव, मेसर साई से प्राप्त कर रिपोर्ट पर प्रत्येक माह [illegible] कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं कृतकार्यवाही से प्रबन्धन क अवगत करायेंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त एजेन्सी एवं मेसर्स आर०ई०सी०पी०डी०सी०एल० से प्राप्त गम्भीर प्रवृत्ति के प्रकरणों की गोपनीय रेड सुनिश्चित करायेंगे।
6. इस सेल द्वारा ऐसे समस्त उपभोक्ताओं के मीटर गुणांक, डबल मीटरिंग, टैम्पर रिपोर्ट, लोड फैक्टर इत्यादि क उपरोक्त एजेन्सियों से विश्लेषण कराते हुए राजस्व क्षय को रोकना सुनिश्चित करेंगे। अधिक खपत वाले ए सीजनल उपभोक्ताओं की डबल मीटरिंग सुनिश्चित करते हुए ऐसे समस्त उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग डाटा क मिलान सुनिश्चित करते हुए अन्तर प्राप्त होने पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। जिसके लिए वार्षिक सी०टी०–पी०टी० ऑडिट का नियोजन एवं क्रियान्वयन भी किया जाना है।
7. एकल अथवा मिश्रित एचवी उपभोक्ताओं वाले स्वतन्त्र पोषकों का ऑडिट कर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाह सुनिश्चित करेंगे।
8. सेल के नामित अधिशासी अभियन्ता एवं लेखाधिकारी की टीम का दायित्व होगा कि बिलों का ऑनलाइन वितरण एवं भुगतान प्राप्त किये जाने का अनुश्रवण एवं एचवी बिलों का साथ–साथ (कान्करेन्ट) ऑडिट तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाये।
9. सेल द्वारा बिलिंग का सुनिश्चित शिड्यूल के आधार पर माह की 01 से 05 तारीख तक समस्त रीडिंग का कार्य पूर्ण करते हुए 07 तारीख तक बिल सृजन एवं ऑनलाइन वितरण सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 20 तारीख तक भुगतान भी सुनिश्चित कराने का अनुश्रवण किया जाये।
10. सेल के लिए आरम्भ के 02 वर्षों के लिए विषय से भिज्ञ अभियन्ताओं की तैनाती की जाये एवं इसके पश्चात् आगामी 02 वर्षों में डिस्काम स्तर पर क्षमता विकसित कर ली जाये। इसके लिए आर०ई०सी०पी०डी०सी०एल० सलाहकार (सारथी) का सहयोग लिया जाये।

11. सेल द्वारा संदिग्ध उपभोक्ता एवं अन्य कारणों से संभावित राजस्व क्षय के चिन्हित प्रकरणों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।
12. सेल द्वारा गलत टैरिफ, कम स्वीकृत भार एवं त्रुटिपूर्ण अथवा कम निर्धारण वाले बिलों का कानकरेन्ट ऑडिट कर बिलों में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित कराते हुये डिस्काम प्रबन्धन को प्रत्येक माह की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
13. सेल द्वारा एचवी उपभोक्ताओं से माह की 20 तारीख तक भुगतान प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम के ऐसे बकायेदारों की सूची डिस्काम प्रबन्धन को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।
14. सेल द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों अथवा राजस्व क्षय के बिन्दुओं को संज्ञान में लिया जाना सुनिश्चित करते हुए ऐसे प्रकरणों से डिस्काम प्रबन्धन को अवगत कराते हुये निश्चित समयसीमा में कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
15. सेल द्वारा गोपनीय रेड की कार्यवाही हेतु उपलब्ध सूचना की गोपनीयता बनाये रखते हुए डिस्काम प्रबन्धन के माध्यम से रेड की कार्यवाही किसी और क्षेत्र की टीम के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
16. आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि द्वारा नामित अधिकारी एवं उदय सलाहकार द्वारा सेल का सहयोग एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

उपरोक्त सेल 01 अगस्त 2018 से सभी डिस्काम में क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-
1. निजी सचिव अध्यक्ष को अध्यक्ष महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं उपार्जन), उ0प्र0 पाकालि।
4. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)–2, उ0प्र0 पाकालि।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (ऑडिट सेल) उ0प्र0 पाकालि।
6. अधीक्षण अभियन्ता (आरएपीडीआरपी पार्ट–ए एवं आई0टी0 सेल) को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त ऑनलाइन अनुश्रवण, विश्लेषण एवं ऑडिट का सुविधा प्रदान करायें।
7. इंचार्ज एम0पी0सी0 सेल को इस आशय से प्रेषित कि प्रकोष्ठ के प्रभावी रूप से क्रियाशील बनाये जाने के लिए एवं आवश्यक रिपोर्ट का उदय सलाहकार के माध्यम से अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए डिस्काम एचवी ऑडिट प्रकोष्ठ मण्डल की रेटिंग सुनिश्चित करें।

गौशाला एवं मठ पर रेट शेड्यूल

पत्रांक–280 / मु0अभि0(वा0 एवं ऊर्जा लेखा), दिनांक–20–12–2018, विवरण–गौशाला एवं मठ पर रेट शेड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में।

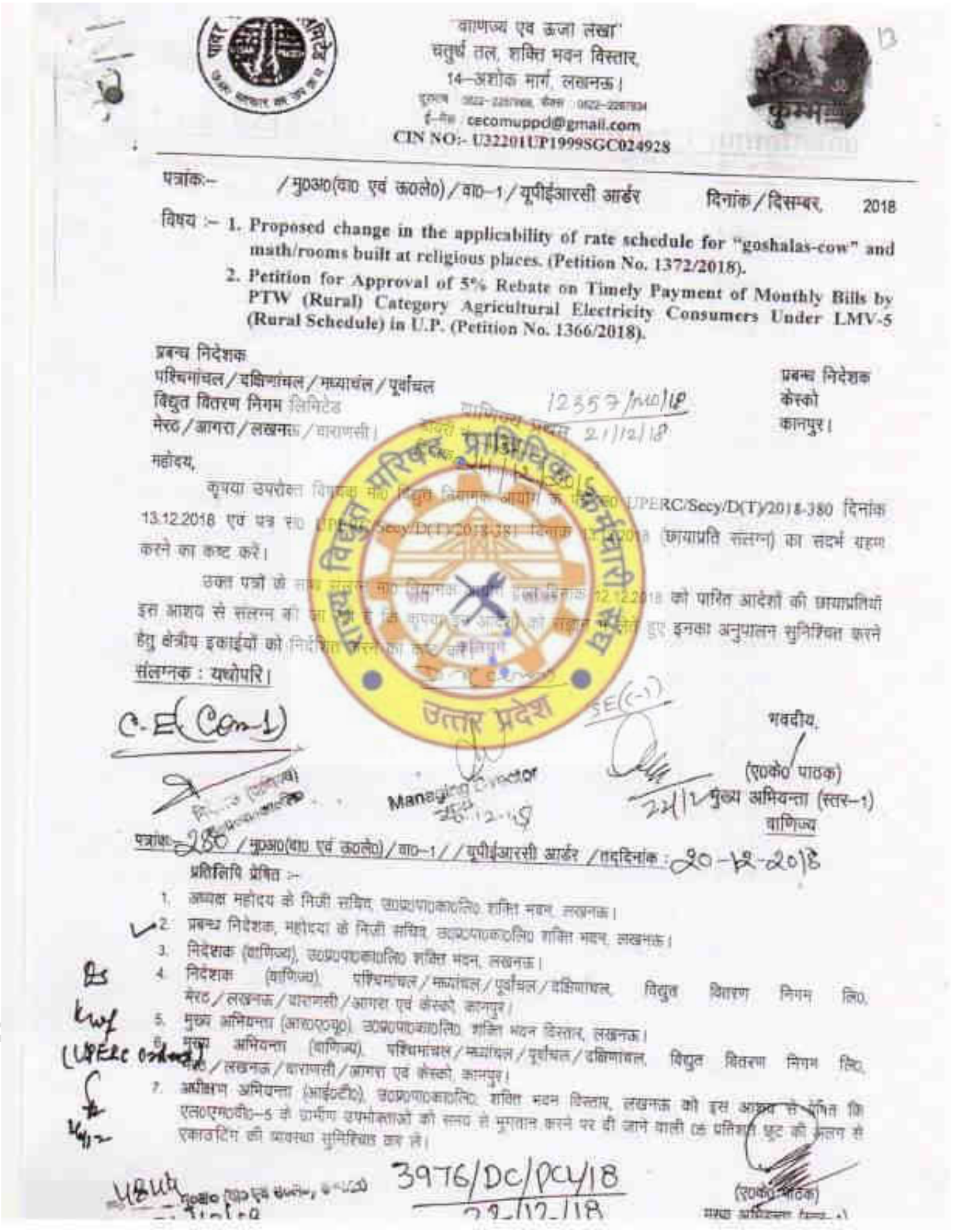

वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522-2287988, फैक्स : 0522-2287934
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक:– / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1 / यूपीईआरसी आर्डर दिनांक / दिसम्बर, 2018

विषय :– 1. Proposed change in the applicability of rate schedule for "goshalas-cow" and math/rooms built at religious places. (Petition No. 1372/2018).
2. Petition for Approval of 5% Rebate on Timely Payment of Monthly Bills by PTW (Rural) Category Agricultural Electricity Consumers Under LMV-5 (Rural Schedule) in U.P. (Petition No. 1366/2018).

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ / आगरा / लखनऊ / वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक [illegible] UPERC/Secy/D(T)/2018-380 दिनांक 13.12.2018 एवं पत्र सं0 UPERC/Secy/D(T)/2018-381 दिनांक [illegible] (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्रों के [illegible] 12.12.2018 को पारित आदेशों की छायाप्रतियाँ इस आशय से संलग्न की [illegible] कि कृपया इन आदेशों को [illegible] हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय इकाईयों को निर्देशित [illegible]।

संलग्नक : यथोपरि।

C.E (Com-1)

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य

Managing Director

पत्रांक–280 / मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1 / / यूपीईआरसी आर्डर / तद्दिनांक : 20-12-2018

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, महोदया के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वाणिज्य), पश्चिमांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / लखनऊ / वाराणसी / आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), पश्चिमांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ / लखनऊ / वाराणसी / आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल0एम0वी0–5 के ग्रामीण उपभोक्ताओं को समय से भुगतान करने पर दी जाने वाली 05 प्रतिशत छूट की अलग से एकाउंटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

3976/DC/PCY/18
21/12/18

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)